दशम माला, खण्ड 3, अंक 24

सोमवार, 12 अगस्त, 1991
21 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 12 अगस्त, 1991 / 21 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
202	4	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
214	नीचे से पंक्ति 11	"पेंसन" के स्थान पर "पेंशन" पढ़िये।
	और 8	"नेशन" के स्थान पर "पेंशन" पढ़िये।
215	नीचे से पंक्ति 2	"युदा" के स्थान पर "युवा" पढ़िये।
285	15	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्रों आदि के लिए विकास बोर्डों का गठन किये जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव देवराव पाटिल ... ... 308—309

(तीन) कन्याकुमारी जिले में भारी वर्षा से प्रभावित जनता के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता ...

श्री एन० डेनिस 309

(चार) कर्नाटक के मंगलोर-मैसूर-बंगलोर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री वी० धनंजय कुमार 309

(पांच) सासनी, गंगेरी, अतरौली और सिकन्दराराऊ (उत्तर प्रदेश) में डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल ... ... 309—310

(छः) दिल्ली सहारनपुर मार्ग बरास्ता बड़ौत-शामली को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री हरपाल पंवार 310

(सात) वर्ष 1989-90 के दौरान तूफान से प्रभावित मल्लेश्वरम के दूरदराज क्षेत्रों में सड़क-संपर्क पुनः स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 310

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक—क राज्य सभा द्वारा यथापारित 311—372

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मणिशंकर अय्यर ... ... 311—314

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ... 314—317

श्री चित्त बसु ... ... 317—320

श्री विजय कृष्ण हान्डिक ... ... 320—323

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे ... ... 323—326

विषय	पृष्ठ
श्री जार्ज फर्नांडीज	326—337
श्री राम नाईक	337—340
श्री लोकनाथ चौधरी	340—342
श्री ई० अहमद	342—343
श्री पी० सी० चाक्को	343—345
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	345—347
श्री एस० बी० चव्हाण	348—355
श्री राम लाल राही	355—356
श्री सैयद शाहबुद्दीन	356—361
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक ...	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	363,365—366
श्री जार्ज फर्नान्डीज	363
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	363, 366
श्री बसु देब आचार्य	364
श्री राम नाईक	364—365
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	365
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	365
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	365
सभा का कार्य	372
उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा यथापारित	372—405
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	372—375
श्री कमालुद्दीन अहमद	375

विषय	पृष्ठ
श्री मोहन सिंह	376—377
प्रो० रासा सिंह रावत	377—380
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	380—382
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	382—385
श्री सैयद मसूदल हुसैन	385—386
श्री एस० मल्लिकारजुनय्या	386—387
श्री पी०सी० थामस	387—389
श्री तेज नारायण सिंह	390—392
श्री राम कापसे	392—393
श्री मनोरंजन भक्त	393—394
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	394—397
श्रीमती सरोज दुबे	398—399
श्री गिरधारी लाल भार्गव	399—403
उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक	
खंडवार विचार	
पारित किए जाने का प्रस्ताव	
श्री कमालुद्दीन अहमद	403—404
श्री सुधीर गिरि	404
डा० असीम बाला	404—405

लोक सभा

सोमवार, 12 अगस्त, 1991/21 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्नकाल का निलम्बन करने और देश के विभिन्न भागों में हरिजनों की हुई हत्याओं पर चर्चा करने की अनुमति देने के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के सारे स्थानों में, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी हरिजनों पर भयानक कहर ढाए जा रहे हैं। मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार में चारों तरफ हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। यह बड़ा गंभीर मामला है। हरिजनों को जिन्दा जलाया जा रहा है। उनके बच्चों को आग में फेंका जा रहा है। यह केवल एक जगह की बात नहीं है, बल्कि देश के चारों तरफ इस तरह के मामले हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रश्न काल को स्थगित करके तत्काल इस पर कार्यवाही की जाए। क्या आप इस पर बहस कराने को तैयार हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, पहले आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया प्रश्नकाल को निलम्बित कर दीजिए और उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि में हरिजनों की हत्या पर चर्चा की अनुमति दीजिए। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन इस देश का हरिजन कहां बैठेगा। जब भी मैं इस बात को उठाता हूं तो आप कहते हैं कि आप बैठ जाएं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ आपके बोलने से काम होने वाला नहीं है। पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए, इसलिए पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

[अनुवाद]

हम इस पर उचित समय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया प्रश्न काल को निलम्बित कर दीजिए । (व्यवधान)

डा० रामचन्द्र डोम : हम इस सदन में एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं। कृपया इसकी अनुमति द । (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हरिजनों की हत्या हो रही है । कृपया इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा नहीं है। हम इस प्रकार कार्यवाही नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है, हम लोग बैठ रहे है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए तो सही कि मैं क्या बोल रहा हूं । आप बैठ जाइए प्लीज ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने जो प्वाइंट उठाया है, यह बहुत अहम प्वाइंट है, जिसके लिए सबके दिल में आस्था है, लेकिन प्वाइंट उठाने के बाद दूसरे लोग उस पर क्या बोलना चाह रहे हैं, जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, तब तक कोई हल नहीं निकलेगा । इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो मसला उठाया है,

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी उचित समय पर हम इस विषय को उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कृपया अब ऐसा मत कीजिऐ ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कब डिसकशन होगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार अपनी मनमानी नहीं कर सकते । यह बिलकुल अनुचित है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि इस विषय पर अभी चर्चा होगी या नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, सोनकर जी, आप बैठ जाइए। सोनकर जी, सबसे पहले आपने यह प्रश्न उठाया है, तो सबसे पहले आपको सुनना भी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुनने के लिए बैठना पड़ता है। जब मैं खड़ा होता हूं तो नियमानुसार आपको बैठना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तो आपकी बात मान कर बैठा था, लेकिन आपने मेरा निवेदन स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप समझ नहीं रहे हैं सोनकर जी, मैं क्या बोल रहा हूं, यू आर नाट अंडरस्टैंडिंग, मैं क्या बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई बात नहीं है। आप चर्चा करना चाहते हैं या मेरे साथ डिसकशन करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार डिसकशन होना चाहिए, क्वेश्चन-आवर ससपेंड करिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, देश की 1/4 जनसंख्या हरिजनों की है, लेकिन उनके साथ हमेशा से अन्याय होता आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपके बैठने के बाद ही तो कुछ बात होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने प्रश्न काल के निलम्बन के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरे विचार में प्रश्न काल को निलम्बित करने और इस विषय को उठाने के लिए सदन के सभी पक्ष सहमत होंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलने के लिए

खड़ा हुआ हूं तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यह कैसे चल सकता है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं अप्रेशिएट कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि उसके ऊपर डिसकशन हो सकता है, लेकिन आप प्वाइंट बाई प्वाइंट मेरे से एक्सप्लनेशन मांग रहे है कि किस वक्त होगा, किस वक्त आने वाला है, क्या आने वाला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर प्वाइंट का विवरण चाहते हैं। आप नियमों के बारे में जानते हैं कि ऐसा कब किया जा सकता है; हम ऐसा नियमों के अनुसार करेंगे। जब मैंने इतना कह दिया है, तो यह काफी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन के नेता कुछ कहें।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, यह कोई पहला अवसर नहीं है। जहां-जहां कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। यह बहुत ज्वलंत प्रश्न है। इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा तो रूल्स के अन्तर्गत ही होगी।

श्री कालका दास : रूल्स को सस्पेंड किया जा सकता है। रूल्स लोगों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, लोगों की हत्या करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इस विषय पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है कि जहां-जहां कांग्रेस सरकारें हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज उत्तर-प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहां पर किसकी सरकारें हैं। मिदनापुर में 2000 हरिजन जंगलों में रह रहे हैं, उनकी क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में आज हरिजनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि जहां-जहां कांग्रेस सरकार है, वहां, पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यह सरासर गलत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, नहीं। प्रश्न काल का निलम्बन कर दिया जाये और तब इस पर चर्चा की जाये (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर चर्चा कराएं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यह गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करने वाला था। निवेदन यह है कि नवीं

लोक सभा में भी हमने हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में बहस की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि दो-तीन दिन से लगातार भिन्न-भिन्न राज्यों से, राज्यों का नाम लेने से दिक्कत होती है' इसलिए भिन्न-भिन्न राज्यों से हरिजनों पर व्यापक अत्याचार की खबरें मिली हैं। यह साधारण स्थिति नहीं रह गई है। (व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हम यहां जमीन पर बैठेंगे। देश में हरिजन मारे जा रहे हैं और आप मेरा निवेदन नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चयन आवर को सस्पेंड कीजिए। (व्यवधान)

श्री रवि राय : यह साधारण स्थिति नहीं रह गई है। यह एक असाधारण स्थिति हो गई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सदन के नेता अर्जुन सिंह जी लोगों का रोष देख कर, कांग्रेस का, लोक दल का रोष देख कर, इस विषय पर जरूर कुछ कहें, इस पर बहस कराने के लिए कहें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के विरुद्ध जो उत्पीड़न हो रहा है वह सचमुच में एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हम चाहें तो एक सरकार को दोष दे सकते हैं, चाहें तो दूसरी सरकार को दोष दे सकते हैं। मगर मामला इससे ज्यादा गहरा है और यह स्वाभाविक है कि अगर समाचार छपते हैं और हरिजन मारे जाते हैं तो उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना इस सदन में भी प्रतिबिम्बित हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप समय तय करें। इस पर विस्तार से और गहराई से चर्चा होनी चाहिए। हत्याओं के काण्ड किस तरह से रोके जाएं, इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव आने चाहिएं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां से हो कर आया हूं। मैं अभी आन्ध्र प्रदेश गया था। लेफ्ट फ्रन्ट और नेशनल फ्रन्ट के जो एम० पी० हैं, वे भी गए थे। मैं समझता हूं कि उस घटना को देखने के बाद कोई भी आदमी विक्षिप्त हो सकता है। एक डॉक्टर ने तो घटना के बाद स्यूसाइड कर लिया। वह 29 साल का डॉक्टर पोस्ट-मार्टम कर रहा था, रवि चन्द्र कुमार उस डॉक्टर का नाम था, उस डॉक्टर ने स्यूसाइड कर लिया। इस तरह की हृदय विदारक घटना, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, संसार में कहीं नहीं हुई होगी। एक तरफ पुलिस के जा रही है और दूसरी तरफ लैंड-लॉर्ड हाथ-पैर काट कर, गर्दन काट कर बोरे में डाल कर पानी में फेंक देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप टाईम की बात कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, टाईम की बात नहीं है। दुःख इस बात का है कि आज अर्जुन सिंह इस पर खड़े हो रहे हैं। अर्जुन सिंह जी से हम सात तारीख को मिले थे, घटना छः तारीख की है। सात तारीख को सदन के नेता की हैसियत से, इनसे हमने मिल कर आग्रह किया था कि आप हाउस को स्टेटमेंट दीजिए, हाउस को बताने का काम कीजिए। 9 तारीख को भी आपके निर्देशानुसार होम-मिनिस्टर ने कहा कि हम चीफ-मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और चीफ-मिनिस्टर को अभी तक जानकारी नहीं है। चीफ-मिनिस्टर वहां जायेंगे और सदन को बताने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पासवान, जी, ऐसे नहीं। आप टाईम के बारे में बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की गम्भीरता तब होती जब सरकार की तरफ से सूओ-मोटो स्टेटमेंट आता। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने, इस पर पहली बार वी० पी० सिंह जी ने ऐडजोर्नमेंट नोटिस दिया है, हम लोगों ने ऐडजोर्नमेंट नोटिस दिया है, हम लोगों ने यह भी मांग की है कि क्वेश्चयन आवर को सस्पेंड करके इस पर डिस्कशन करायां जाए। इसके अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के सामने नहीं है कि हिन्दुस्तान की एक चौथाई आबादी आज भय की जिन्दगी जी रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि क्वेश्चयन आवर को सस्पेंड कीजिए और इस पर सीधे डिस्कशन करवाइए।

ऐडजार्नमेंट मोशन हम लोगों का दिया हुआ है, ऐडजार्नमेंट मोशन पर बहस करवाइए। उस दिन आपने एक ओब्जर्वेशन दी थी, मैं आपकी ओब्जर्वेशन में जाना नहीं चाहता हूं। आपने कहा था कि राज्य सरकार का मामला है। शेडयूल्ड कॉस्टस का जो मामला है, यह राज्य सरकार का मामला नहीं है, यह भारत सरकार के जिम्मे है, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आता है। इसलिए केन्द्र सरकार उसके लिए सीधे जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐडजार्नमेंट मोशन पर सीधे बहस कराइए और सरकार को जवाब देने के लिए कहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदय, वास्तव में यह केवल पुलिस के शामिल होने का प्रश्न है। (व्यवधान)। यह इस घटना का गम्भीर पहलू है। (व्यवधान)। जमींदारों ने हत्या की है। (व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश में ऐसा हत्याकांड कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, आप बैठ जाइए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं,आज बैठूंगा नहीं चाहे आप मुझे मार्शल से निकलवा दीजिए। जब तक क्वेश्चन आवर सस्पेंड नहीं होगा, मैं तब तक एक पांव पर खड़ा रहूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, जो सम्बद्ध विधान सभा के जो सदस्य हैं, इसमें सम्मिलित हैं। (व्यवधान) मैं सर्कल इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। इस षडयन्त्र में, सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों ने इन लोगों को भेजा था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। इसके ऊपर चल रहा है कि डिसकशन के लिए टाईम कब फिक्स करना है। आप यह सोचकर चल रहे हैं कि डिसकशन हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदय, मैं प्रश्न काल का स्थगन चाहता हूं। (व्यवधान) मैं इस पर तुरन्त चर्चा चाहता हूं। (व्यवधान) यह एक बहुत गम्भीर हत्याकांड है और इसमें पुलिस पूरी तरह से शामिल है। यह एक हल्का दृष्टिकोण अपनाने का प्रश्न है। वास्तव में, पुलिस ने जमींदारों के साथ मिलकर · (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष जी, हम लोग क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए कभी नहीं बोलते हैं, जब तक अरजेंट इश्यू नहीं होता। आज इसलिए बोल रहे हैं कि एक दिन नहीं बल्कि दो दिन ऐसी घटना घटी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में, 60 हरिजनों की नृशंस हत्या की गई। फिर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कम 6 हरिजनों की हत्या की गई। हरिजनों की प्रतिदिन हत्या की जा रही है। हम कांग्रेस (ई) के सदस्यों की भांति इस विषय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। वे इस विषय को राजनीति का रूप देना चाहते हैं। (व्यवधान) इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपको प्रश्न काल निलम्बित कर देना चाहिए और तुरन्त हरिजनों की हत्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, इस विषय के अतिरिक्त जिसमें हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की समस्या शामिल है, कोई अन्य विषय इतना अधिक गम्भीर नहीं है। (व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश में 20 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी है और 20-23 व्यक्तियों का कोई अता-पता ही मालूम नहीं है। (व्यवधान)। इस समस्या का तथ्य यही है कि जब ये नृशंस हत्यायें हो रही थीं तो इसमें पुलिस भी सम्मिलित थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम समय निर्धारित करने के बारे में बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तुरन्त प्रश्न काल निलम्बित कर दें और हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों का मामला उठायें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : कृपया मुझे भी अपनी बात कहने दें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : मैं, आपको कष्ट नहीं देना चाहता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनाथ सोनकर जो कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल और पूरे सदन की ओर से नम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस देश में कमजोर वर्ग, हरिजन और आदिवासियों के उत्पीड़न का

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सवाल है।··· (व्यवधान) किसी भी स्तर पर, किन्हीं भी परिस्थितियों में हम उनके हितों को अनदेखा करके उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हममें उतनी ही संवेदनशीलता है जितनी अन्य माननीय सदस्यों में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय निर्धारित करें, आज ही निर्धारित करें और इस पर पूरी चर्चा हो। हम इसके लिए तत्पर हैं। आप खुद समय निर्धारित करें, यह आपके विवेक पर निर्भर है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, सदन के नेता ने पहले ही सुझाव दे दिया है। कि आप यहां तक कि प्रश्न काल को निलम्बित करके कोई भी समय निर्धारित कर सकते हैं और तत्काल इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अतः, महोदय, आप प्रश्न काल को निलम्बित करके तुरन्त इस विषय को चर्चा हेतु उठा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भू० विजय कुमार राजू : महोदय, हम मांग करते हैं कि तुरन्त इस प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाये और इस विषय पर चर्चा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न काल स्थगित किया गया है यह एक गम्भीर मुद्दा है, देश की एक चौथाई जनसंख्या के उत्पीड़न का सवाल है। इसलिए प्रश्न काल स्थगित करके जैसा कि सदन के नेता ने कहा, इसको अभी चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार न कहें, अभी जो कहना है कह लें। सोनकर जी आपको भी कुछ कहना है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जब आप भी हमारी बातों से सहमत हैं और सदन के नेता भी हमारी बातों से सहमत हैं, यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सबके मन में हरिजनों के प्रति सहानुभूति है तो प्रश्न काल को स्थगित करके क्यों नहीं डिसकशन कराया जाता?

अध्यक्ष महोदय : आप अब खड़े होकर सुनेंगे या बैठकर सुनेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम एक पांव पर खड़े होकर सुनेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मुर्गे की एक टांग सुनी थी, एम० पी० की एक टांग पहली बार सुन रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इस सदन का हर वर्ग यही चाहता है कि इस विषय पर तुरन्त चर्चा आरम्भ की जाये। अब, मेरा निवेदन यह है कि यदि आवश्यक हो, तो आप सदन को पांच मिनट के लिए स्थगित कर सकते हैं। हम सब आपके साथ मिलकर तुरन्त समय निर्धारित करेंगे ताकि और अधिक देर किए बिना चर्चा आरम्भ की जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कोई सहमति हो गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इस बात पर सब सहमत नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। मैं इस पर सोचकर आपको बता दूंगा। इस डिसकशन पर होम मिनिस्टर को भी होना चाहिए, उनको भी बुलायेंगे। आज ही इसके ऊपर डिसकशन करना है, आज ही करेंगे। किस समय करना है वह मैं आपको बता दूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपकी बात मानकर बैठ रहा हूं। शाम तक इस पर चर्चा करवायें। हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत ही गम्भीरता से हरिजनों पर अत्याचार की बात सुनी।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, सदन को इस बात की जानकारी है और इस बात का दुःख है कि हम इस समय ऐसी स्थिति में हैं जो किसी की भी इच्छा के अनुरूप नहीं है। हम सब चाहते हैं कि संसद देश के हित में कार्य करे। अतः, महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि चूंकि इस सभा का आप में पूर्ण विश्वास है इसलिए इस विषय के समाधान हेतु आपको जो उचित लगे आप वही करें ताकि हम सब अपनी देशभक्ति के कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें जिसके लिए हम इस सदन में निर्वाचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, सदन के नेता ने उस गतिरोध का उल्लेख किया है जिस गतिरोध के कारण गत बृहस्पतिवार से सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी और शुक्रवार को मैं और मेरी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये थे। मैं सदन के नेता के इस भाव का आदर करता हूं कि इस गतिरोध से कोई खुश नहीं है, सभी दुखी हैं और साथ-साथ गतिरोध के कारण अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलती है तो उसके कारण समाज और जनता की जो बहुत सारी समस्यायें हैं, जिन समस्याओं को उठाने का हम पर दायित्व है, वे हम उठा नहीं पाते हैं, उनके बारे में सही रूप से चर्चा नहीं कर पाते। अभी-अभी जैसे देश के अलग-अलग भागों में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार का उल्लेख हुआ और इसी प्रकार की अनेक और समस्यायें हैं जिनके बारे में स्वाभाविक रूप से यह सदन चर्चा करना चाहेगा जिसपर मैं और मेरी पार्टी के सदस्य अपना दृष्टिकोण रखना चाहेंगे। हमने जब बृहस्पतिवार को इस विषय के बारे में अपना रोष प्रकट किया था, तब हमने अपेक्षा की थी कि सरकार उस रोष के कारण को पहचान करके और उस रोष की उपयुक्तता को समझकर योग्य समाधान करेगी और इस विषय पर कुछ चर्चायें होती रहीं, सरकार से अलग भी हुई।

अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में बाकी सब पार्टियों के साथ चर्चा हुई और उन सबके बाद हमको लगा कि सरकार से जो अपेक्षा इस प्रकार की स्थिति में हो सकती है, वह अपेक्षा सरकार पूरा करने में असमर्थ है। उनकी कई मजबूरियां होती हैं या कुछ हो सकता है। लेकिन साथ-साथ हमको भी लगा कि यदि गतिरोध और अधिक चलता रहेगा तो उससे संसद का अहित होगा, संसदीय प्रक्रिया का होगा और इसीलिए सदन के नेता के इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं कि यह विषय आपके ऊपर छोड़ा जाये। इसमें आप जो कुछ भी उपयुक्त समझें, आप करें। सरकार से जो हमने अपेक्षा की थी, वह अपेक्षा

नहीं हुई और इसलिए आज प्रातःकाल जब मेरे साथी सहयोगी सर्वदलीय बैठक में गये थे तो श्री जसवन्त सिंह ने वहां कहा कि अब सरकार से हम कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, सरकार से किसी प्रकार की मांग नहीं करेंगे। आप इस मामले में जो उचित समझें, वह करेंगे। लेकिन इस विषय में जो भी चर्चायें होंगी, हम सदन के बाहर करेंगे और मुझे विश्वास है कि उस मामले में जिस प्रकार से आपसे हमको न्याय मिलेगा, जनता से भी हमें न्याय मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ इस सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह, विपक्षी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा तथा कक्ष और इस सभा के बाहर यह देखने के लिए कि यह संकट टल गया है अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जो कुछ किया गया, हम सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में उन्होंने जो समझदारी प्रदर्शित की, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे।

बाहर जो कुछ हुआ, सदन के अन्दर जो कुछ हुआ है, सदन के बाहर जो कुछ कहा गया है, सदन के अन्दर जो कुछ कहा गया है, हमें उसकी जानकारी है। हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे।

मेरा विचार है कि इस मामले में उचित निर्णय लिए जाने के लिए आपने पीठासीन अधिकारी में अपना विश्वास व्यक्त किया है, तथा पीठासीन अधिकारी को इस मामले में उचित निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करते समय, न्याय किया जायेगा। किसी दल की उपेक्षा नहीं की जायेगी, किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जायेगी तथा उचित निर्णय लिया जाएगा। सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं वह यहां नहीं बताऊंगा लेकिन मैं एक निर्णय लूंगा और फिर उसके पश्चात् हम इस सदन की दोस्ताना कार्यशैली के हित में तथा मित्रतापूर्ण, सहज एवं प्रजातांत्रिक कार्यशैली के लिए सहायक माहौल उत्पन्न करने के लिए हम इस मामले को समाप्त कर देंगे। मेरा विचार है कि सभी को यह मामला पीछे छोड़ देना चाहिए और सदन के कार्य को करने के लिए आगे आना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण मसले हमारे सामने आयेंगे और हमें उन पर चर्चा की आवश्यकता होगी जैसाकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा; हम उसे पूरा करेंगे। इस मामले को इस प्रकार से हल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक और उदाहरण है देर आये दुरूस्त आये का।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए भारत में लोकतंत्र मजबूत है और सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैदराबाद के लिए पानी की सप्लाई में वृद्धि

[अनुवाद]

*386. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद को पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कृष्णा नदी के जल मार्ग को परिवर्तित करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) उक्त योजना की स्वीकृति देने में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) विश्व बैंक सहायता के लिए एक परियोजना अभिनिर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार से फरवरी, 1991 में प्राप्त हुई थी। यह प्रस्ताव जांचाधीन है।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद शहर में आज 40 लाख से ज्यादा आबादी बढ़ गई है और वहां पर 3000 स्लम्स आज बन चुके हैं। काफी कोलोनाइजर्स भी बन गए हैं लेकिन आज वहां पीने के लिए पानी नहीं है। इसके लिए बहुत आंदोलन भी वहां हुए हैं। फिर इस परिस्थिति में केन्द्र सरकार हमारी हैदराबाद सिटी की पानी की समस्या को निपटाने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने के लिए और स्पेशल असिस्टेंट सेन्ट्रल प्रोजेक्ट से नाते के इस कार्यक्रम को लेने के लिए क्या मन्त्री जी तैयार हैं ?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : वर्ष 1990-91 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद की जनसंख्या 40 लाख नहीं बल्कि 42.73 लाख है। इन दो शहरों को जल की आपूर्ति ओसमन सागर, हिमायत सागर तथा मंजिरा नदी से होती है। इन स्रोतों द्वारा जल की कुल आपूर्ति की मात्रा 547 एम॰ एल॰ डी॰ है। औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर एक व्यक्ति के प्रतिदिन के प्रयोग के लिए 112 लीटर पानी आता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी की सप्लाई 150-200 आई॰ पी॰ डी॰ डी॰ के बीच में होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इन दो नगरों में पानी की कमी है। अतः हम विभिन्न परियोजनायें शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें से एक परियोजना मंजिरा परियोजना है; यह परियोजना पिछले वर्ष पानी की आपूर्ति के लिए शुरू की गई थी; तथा यह परियोजना अभी चल रही है। इसके पूर्ण होने में समय लगेगा; शायद वर्ष 1994 में यह परियोजना पूर्ण हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि कृष्णा वाटर डाइवर्जन स्कीम के बारे में क्या स्थिति है परन्तु मन्त्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। मेरा कहना है कि मंजेरी फेज-2 लाने के बावजूद भी, सिकन्दराबाद और हैदराबाद शहरों में, जहां से मैं चुनकर आता हूं, पीने के पानी की समस्या गम्भीर बनी हुई है। मंजेरी फेज-2 होने के बावजूद उस ट्विन सिटी में लोगों को, जनता को पीने के लिए पानी नहीं है, पानी की भारी कमी है। मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि स्टेट को कृष्णा वाटर डाइवर्जन स्कीम के अन्तर्गत कब तक पानी मिलने लगेगा और केन्द्र सरकार क्या इस प्रोजेक्ट के लिए सैन्ट्रल एसिस्टेंस देने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, क्या कृष्णा वाटर डाइवर्जन स्कीम के लिए सैन्ट्रल एसिस्टैंस मिलेगी ?

[अनुवाद]

श्रीमती शीला कौल : हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति बोर्ड ने एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है जिसे कृष्णा नदी जल-आपूर्ति योजना कहा जाता है तथा जिसके लिए पानी नागार्जुनासागर बांध

से लिया जाता है। जल-आपूर्ति उस बांध से होगी। यह हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के छोटे-छोटे नगरों को पानी की आपूर्ति करेगा। इसमें 138 किलोमीटर के फासले से जल खींचने की क्षमता होगी और यह चार चरणों में पूरी होगी।

परियोजना के पहले चरण में 10,30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरे चरण में जल-आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने एवं सुधार लाने के लिए 257 करोड़ रुपये की लागत तथा निकासी प्रणाली पर 258 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा जल-प्रवाह तथा जल-शुद्धिकरण के ऊपर 514 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यह 1,030 करोड़ रुपये की धनराशि केवल एक शहर में लगाई जानी है तथा योजना के लिए प्रावधानों को जिसके विभिन्न घटकों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। सातवीं योजना में ग्रामीण जल-आपूर्ति परिशुद्धिकरण के लिए 138 करोड़ रुपये रखे गये थे। चालू वर्ष में सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य के लिए यह राशि 34·6 करोड़ रुपये है।

यही धन है जो प्राप्त हो रहा है। परन्तु हमें राज्य से भी पर्याप्त योजना प्रावधान प्राप्त होने हैं। और अगर पर्याप्त योजना अनुबंध प्राप्त नहीं होता है तब निःसन्देह ही सारी परियोजना में ही देरी हो जायेगी। हम क्या खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पानी की आपूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : सैन्ट्रल असिस्टेंट के बारे में कोई उत्तर नहीं आया।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल का जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को सहायता के लिए विश्व बैंक के सम्मुख ले जाने के लिए सोच रही है?

श्रीमती शीला कौल : यह परियोजना अनेक तकनीकी औपचारिकताओं से होकर गुजरेगी। शुरू में यह मन्त्रालय के पास आयेगी और फिर यह योजना आयोग के पास जायेगी तत्पश्चात् वित्त मन्त्रालय और वहां से यह पता लगाने के लिए कि क्या यह विश्व बैंक अनुदान के लिए सम्मिलित करना सम्भव है या नहीं विश्व बैंक के सम्मुख ले जाई जायेगी। जब विश्व बैंक इस परियोजना से सन्तुष्ट हो जाता है तो फिर यह अनुमोदन मिशन सम्पूर्ण, मसले के निपटाने के लिए भेजा जायेगा। एक बार इसे विश्व बैंक भारत सरकार, तथा राज्य सरकार के अनुरूप निपटा लिया जाता है तथा सभी शर्तें तय हो जाती है तो विश्व बैंक ऋण में वृद्धि के लिए एक सशक्त समझौता हो जायेगा। यह योजना इस प्रकार से कार्य करेगी और यही कारण है कि इसमें विलम्ब हुआ। हमारे विभाग ने इसमें विलम्ब नहीं किया क्योंकि यह हमारे पास इसी वर्ष फरवरी में आई। इस पूरे मामले में कुछ समय लगेगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जवाब दिया। यही प्रमुख मामला है। पिछले दो वर्षों में गर्मियों के मौसम के दौरान छोटे नगरों में पानी दो से तीन घंटे दिया जाता था। हम पानी के निकास के लिए समग्र योजना की मांग नहीं कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने नागार्जुन सागर जल को पहले से विद्यमान जलाशय में लाकर जमा करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव भेजा है ताकि छोटे नगरों को की जाने वाली जल आपूर्ति की समस्या को सुलझाया जा सके। मैं यह भी चाहता हूं कि क्या वह

योजना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की पहुंच में है। आपके अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये उसके अनुरूप अनुदानों से परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लगेगा।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने में डेढ़ से 2 साल का समय लगेगा। फिर सारी प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। अतः यह एक लम्बी प्रक्रिया है। इसमें पूरक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

श्री रामकृष्ण कोंताला : महोदय, एक रिपोर्ट मिली थी कि कृष्णा नदी में हैदराबाद नगर को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध नहीं है। क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास हैदराबाद सिकन्दराबाद नगरों को पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए गोदावरी नदी से पानी लेने का कोई प्रस्ताव है। मेरा विचार है कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री रामकृष्ण कोंताला : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है तथा क्या केन्द्र सरकार भी उस परियोजना के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है या नहीं।

श्रीमती शीला कौल : हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि हम विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। तथा इसमें काफी समय लगेगा। अगर यह मान लिया जाये कि हम भारत से बाहर एजेंसियों से वित्तीय सहायता नहीं लेंगे, तो क्या भारत सरकार राज्य सरकार को सीधे तौर पर कुछ सहायता देगी ताकि यह योजना आगे बढ़ सके ?

श्रीमती शीला कौल : हम इसकी जांच करेंगे।

"दिल्ली में वायु प्रदूषण"

***387. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक वाहनों से उत्पन्न वायु प्रदूषण के संबंध में संघ सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं का नियमित रूप से सर्वेक्षण करता है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार वर्ष 1990 में प्रातः 5.00 बजे से 7.00 बजे तक कार्बन मोनोआक्साइड, जो वाहनों से निकलने वाला एक प्रमुख प्रदूषण है, का स्तर 1.75 पी० पी० एम० पाया गया। यह निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

(ख) मोटर-वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :—

1. सड़क पर चल रहे सभी प्रकार के वाहनों के लिए मोटर-गाड़ी नियमावली, 1989 के तहत ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और वे मानक 1 मार्च, 1990 से लागू हो गए हैं।

2. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को ठोस उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

3. मोटर-वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित वाहनों का एक आदि-प्रारूप प्रस्तुत करना होता है, जिसकी जांच सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एक एजेंसी द्वारा की जाती है और वह इस आशय का प्रमाण-पत्र देता है कि उत्पादन उत्सर्जन मानकों सहित नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए किया गया है। यह उपबन्ध 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गया है।

4. मोटर-गाड़ी नियमावली, 1989 के तहत वाहनों के लिए द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से सम्बन्धित मानक 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गए हैं और डीजल से चलने वाले वाहनों से संबंधित मानक 1 अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

5. पेट्रोलियम उद्योग से कहा गया है कि पेट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 1993 तक इसे प्रति लीटर 0.15 ग्राम कर दें।

6. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून देश में एक दीर्घावधि यानीय उत्सर्जन नीति पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1995 और 2000 की अवधि के लिए वाहनों (पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाले) के लिए द्रव उत्सर्जन मानक तैयार करने और प्रस्तावित मानकों को पूरा करने के लिए इंजिन के डिजाइन में वांछित परिवर्तन की किस्म, जिसमें किसी प्रकार के उपकरण को लगाना भी शामिल है, का पता लगाने के लिए मार्च, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

8. राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर सड़क पर चल रहे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए देशी उत्प्रेरक कन्वर्टर तैयार कर रहा है।

9. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक हैं, उद्योग और मोटर वाहन और दिल्ली में वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएं का वायु प्रदूषण में योगदान का स्तर 50 से 60 प्रतिशत तक है। मन्त्री ने अपने उत्तर में जो कहा है वह अवधि से संबंधित है, प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक। उन्होंने कहा है कि कार्बन मोनोक्साइड की उपस्थिति 1.75 पी० पी० एम० है और यह सीमा के भीतर है किन्तु यह अत्यन्त विवादास्पद है।

मैं जानना चाहता हूं, कि क्या यह सत्य है कि कुछ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में और बाजार क्षेत्रों में, रात्रि के समय पुराने माडलों के ट्रकों और बसों की पार्किंग के कारण, वायु प्रदूषित होती है और प्रदूषण स्तर अधिक हो जाता है जो हानिकारक होता है क्योंकि वाहनों को शुरू करने में समय लगता है। कम से कम दिल्ली को, जो एक बहुत सुन्दर शहर है और भारत की राजधानी है, उसे वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री कमलनाथ : माननीय सदस्य ने प्रातः 5 और 7 बजे के बीच दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के बारे में प्रश्न पूछा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के बारे में हम निश्चित रूप से चिन्तित हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देश में सर्वाधिक है और यह प्रदूषकों 871.92 टन प्रति दिन है। यह सत्य है कि कुछ भागों में विशेषकर जब इंजन बेकार चल रहे होते हैं तो, प्रदूषण अधिकतम होता है। दिल्ली में प्रदूषण को 55 से 60 प्रतिशत के बीच प्रदूषण वाहनों के प्रदूषण के कारण होता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं ? हम सभी दिल्ली में रह रहे हैं। यह हमारी अपनी सावधानी है। उन्होंने उत्तर बीच में ही छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि यह एक चिन्ता का विषय है। बस यही। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर वे इसमें वाहनों इत्यादि के प्रदूषण में योगदान आदि पर सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या सरकार बस, ट्रक जैसे निजी वाहनों की पार्किंग के लिए दिल्ली शहर के बाहर कोई स्थान निश्चित करने पर विचार कर रही है ? प्रदूषण रोकने के लिए क्या सरकार दिल्ली में बैटरी से चलने वाले वाहन चलाने पर विचार कर रही है ? सरकार ने प्रदूषण के बारे में कुछ मापदण्ड निश्चित किया है और उन्होंने इसे सूचित किया है। किन्तु इसे कौन कार्यान्वित कर रहा और इस पर कौन निगरानी कर रहा है। दिल्ली में 18 लाख वाहन हैं, 13 लाख तिपहिया और दुपहिया वाहन हैं जो व्यापक रूप से प्रदूषण में योगदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : कौन-सा अभिकरण इसे क्रियान्वित कर रहा है और इस पर निगरानी रख रहा है ? पिछले छः महीनों में कितनी बार जांच की गई है ? कितने मामलों में सजा दी गई व परिणामतः पंजीकरण रद्द इत्यादि किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास ये आंकड़े है, तो उन्हें दे दें : अन्यथा लिखित में उन्हें भेज दें।

श्री कमलनाथ : मैं उन्हें आंकड़े दे सकता हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं, बशर्ते आप मुझे समय दें।

दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों के बारे में एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना में नई बसें लेना, पुरानी बसों की संख्या कम करना, अतिभार को कम करना, और धुएं के स्तर को जांचने के लिए बसों में धुएं के मीटर लगाना शामिल है। दिल्ली प्रशासन ने एक जन अभियान शुरू किया है और सरकारी वाहनों और डी० टी० सी० बसों पर कार्यवाही शुरू की है। परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली प्रशासन मोटर वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियोजित योजना का कार्यान्वियन कर रहा है। एक निश्चित अवधि के बीच जांच करवाने की सुविधा है और गैस विश्लेषक दिए गए हैं। प्रदूषण के मापदण्डों को प्रमाणित करने के लिए 1990 में विभाग ने एक विस्तृत योजना बनाई। कुल 10·35 लाख वाहन धारकों ने प्रदूषण जांच सुविधा का इस्तेमाल किया। 1.32 लाख वाहन धारकों को चेतावनी जारी की गई। सन्, 1991 तक 2900 वाहनों को दण्डित किया गया। 3250 वाहनों के मामले में दुरुस्ती प्रमाण-पत्र रद्द किए गए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी मंत्री जी ने डी० टी० सी० की बात कही कि डी० टी० सी० ने प्लान बनाया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले पांच, छ: या दस सालों में डी० टी० सी० ने ओल्ड बसेस की परसैन्टेज कितनी कम की? यदि आप आंकड़े देखें तो वह परसैन्टेज कम हो ही नहीं रही है, पुरानी आठ-दस साल की बसों का नम्बर परसैन्टेज में बढ़ता जाता है। आपने बाकी कार्यवाही तो कह दी लेकिन दिल्ली में पोलूशन के लिए डी० टी० सी० काफी हद तक रिसपौंसीबल है, उनके खिलाफ कितनी कार्यवाही की? पार्ट 'बी' ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रोकने के उपाय आपने किये और इस बारे में जो आंकड़े दिये व जो कुछ भी इस क्षेत्र में आपने किया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो आपका स्टाफ है, उसके लिए ये सब करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एक व्हिकल की चैकिंग के लिए 15 मिनट चाहिए, उस हिसाब से एक मिनट के अन्दर अगर कुल व्हिकल्स देखें तो उसका आप हिसाब लगा सकते हैं—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : आपका "बी" क्वश्चन क्या है ?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा "बी" क्वश्चन यह है कि पौल्यूशन को ठीक करने की जो आपने व्यवस्था की है, वह बिल्कुल बोगस है, वह केवल कागजों पर ही है और उसमें रिश्वत-खोरी चलती है—(व्यवधान)—मेरा प्रश्न यह है कि यह सम्भव नहीं लगता है। इस नये सिस्टम के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक आदमी के बस का ही नहीं है कि वह इतने व्हिकल्स की चैकिंग कर ले। अत: इस नये सिस्टम को रिव्यू करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं सहमत हूं कि दिल्ली के प्रदूषण में डी० टी० सी० का बड़ा योगदान है। किन्तु, मैं पर्यावरण और वन मन्त्री हूं, परिवहन मन्त्री नहीं हूं और गृह मन्त्री भी नहीं हूं। हमने मानदण्ड निश्चित किए हैं? इन मानदण्डों को लागू करने का काम दिल्ली पुलिस का और गृह मन्त्रालय का है।

जहां तक नई बसें शुरू करने का प्रश्न है यह परिवहन मंत्रालय का मामला है मेरा नहीं। दुर्भाग्य से मेरे पास इन दोनों मंत्रालयों का पदभार नहीं है। मैं इस विषय पर विभिन्न प्राधिकरणों के लिए जल्दी ही एक समन्वय बैठक करूंगा जिसमें दिल्ली पुलिस और भूतल और परिवहन मंत्रालय भी शामिल होंगे और मैं श्री मदन लाल खुराना को भी इस बैठक में बुलाऊंगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या प्रदूषण का यह प्रतिशत प्रात: 5 बजे और 7 बजे के बीच लोगों के हितों के लिए हानिकारक है जब अधिकतम ट्रैफिक होता है और ट्रकों वाहनों द्वारा छोड़ी गई गैस यदि वह जमीन के पास छोड़ी जाएं या जमीन से दूर छोड़ी जाए—जैसा कि कहीं कुछ अन्य देशों में होता है, उस प्रभाव का क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है। अगर ऐसा है तो, क्या सरकार इंजन की या निकास पंप की डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने के लिए उचित कदम उठाएगी ताकि न्यूनतम वायु प्रदूषण हो और यह नागरिकों के हित में हानिकारक न हो ?

श्री कमल नाथ : महोदय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीसे के स्तर पर नियंत्रण देख रहा है जो भारी वाहनों के ट्रैफिक वाले क्षेत्र में और व्यस्ततम घंटों में प्रमुख प्रदूषण है। यह प्रश्न सिर्फ प्रात: 5 बजे से 7 बजे तक के लिए पूछा गया था, माननीय सदस्य ने 5 बजे से 7 बजे सायं का उल्लेख किया

है। फिर भी यह किया गया है और पाया गया है कि यह स्तर वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में सीसे का 300-600 मोनोग्राम के बीच है। कुछ क्षेत्रों में यह 1500 तक पहुंच गया है और कभी-कभी यह 1500 मोनोग्राम में होता है। इसकी स्वीकृत सीमा अधिकतम 1000 तक है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हम लगातार वाहनों द्वारा तथा अन्य प्रकार से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच करते रहते हैं, और इस संबंध में हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : अध्यक्ष जी, दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से दिल्ली का तीसरा स्थान है और जैसा मन्त्री महोदय ने माना भी है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है, जिसके कारण दिल्ली की जनता को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ रहेहैं तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए/प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम सरकार उठा रही है? उन कदमों से कितने प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है और अगर उनसे प्रदूषण कम नहीं हुआ है तो फ्यूचर में, भविष्य में प्रदूषण समाप्त हो जाय, दिल्ली में प्रदूषण की मार कम पड़े, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है, किन्तु मैं प्रयत्न करूंगा और जहां तक संभव हुआ उत्तर में इसे समेटने का प्रयत्न करूंगा।

महोदय, दिल्ली में प्रदूषण बेशक एक गहरी चिंता का विषय है। विश्व भर में प्रदूषण में दिल्ली का स्थान अतिकतम में है और जब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जाता,हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिन्हें मैं अभी कहने का प्रयत्न कर रहा था। औद्योगिक प्रदूषण के बारे में भी, हमारे निकट ही दो ताप विद्युत केन्द्र हैं—बदरपुर तथा एक और। उनके प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कई यन्त्र लगाए गए हैं, इन दो ताप केन्द्रों से कमी हुई है। इसके साथ ही, औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से, वाहनों के बढ़ने से, यह एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है। हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रण करने में सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय नवल पाटिल।

[हिन्दी]

श्री कालकादास : मेरा सवाल रह गया, अध्यक्ष जी। मैंने यह पूछा था कि दिल्ली में जो कदम उठाए हैं, क्या उनसे प्रदूषण कम हुआ है? अगर नहीं तो···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके प्रश्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि यह काफी व्यापक है।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं यह प्रश्न व्हीकल्स से संबंधित है। दूसरों को भी प्रश्न पूछना है।

श्री कालकादास : दिल्ली का प्रदूषण में सारे देश में पहला स्थान है और इन्होंने जो कदम उठाए हैं, वह फेल हो गए तो दूसरे कदम कौन से हैं, जो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार उठा रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय नवल पाटिल।

श्री विजय नवल पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय शहरी विकास मन्त्री द्वारा मुझे अभी तक मकान नहीं आवंटित किया गया है, इस कारण मैं वाहनों से होने वाले प्रदूषण का सीधा शिकार हूं। मैं नोएडा में रह रहा हूं। जब भी सड़क पर कोई वाहन खराब होता है, अन्य सभी वाहन धीमे हो जाते हैं और उस दस किलोमीटर के मार्ग को पार करने में एक घण्टे से भी अधिक समय लगता है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कानून में कोई प्रावधान किया जाएगा या कोई संशोधन किया जाएगा ताकि जब भी धारक द्वारा वाहन के रख-रखाव में बरती गई लापरवाही के कारण कोई वाहन खराब होता है और इससे ट्रैफिक में बाधा होती है, तो ऐसे लापरवाह वाहन धारकों को दण्ड दिया जाए, जैसे कि हम उन लोगों को दण्डित करते हैं जो पचास किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाते हैं।

अध्यक्ष महोब : जहां तक कानून में संशोधन का संबंध है मैं नहीं जानता कि क्या···

(व्यवधान)

श्री विजय नवल पाटिल : महोदय, यह एक ज्ञात तथ्य है कि सड़क पर एक वाहन के खराब हो जाने पर भी प्रत्येक अन्य वाहन को एक घण्टे की देरी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक संशोधन का संबंध है, हम इसे प्रश्न काल के दौरान नहीं करते।

श्री कमल नाथ : महोदय, जब इंजन बेकार चलता है तो उससे ज्यादा प्रदूषण होता है। अगर कोई वाहन खराब हो जाता है तो ट्रैफिक रुक जाएगा···(व्यवधान) अगर कोई वाहन खराब हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री विजय नवल पाटिल : लापरवाह लोगों को दण्ड देने का कोई प्रावधान है और उनके खिलाफ तुरन्त कोई कार्यवाही की जाएगी···(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि जब किसी वाहन का इंजन बेकार चल रहा होता है तो उस समय प्रदूषण सर्वाधिक होता है, और अगर उस वाहन के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो इस पर गृह विभाग को विचार करना है हमें नहीं।

हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, यदि 60 प्रतिशत प्रदूषण, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, मोटर-गाड़ियों की वजह से है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि दिल्ली में हफ्ते में एक दिन कहीं भी कोई मोटरगाड़ी न चले ताकि यह प्रदूषण कम हो ? क्या ऐसा कोई सुझाव है, उस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ऐसा सुझाव देना चाहें, तो हम उस सुझाव पर जरूर कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा…

श्री जसवन्त सिंह : दे दिया।…(व्यवधान)…

एक माननीय सदस्य : क्या आप इस पर विचार करने वाले हैं ?…(व्यवधान)…

श्री कमल नाथ : महोदय, इन्होंने पूछा है, क्या ऐसी बात कंसीडरेशन में है या नहीं ? मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा सुझाव देंगे, तो उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मेरे विचार से सभा को माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री का आभारी होना चाहिए पहली बार क्योंकि उन्होंने मेरे विचार से प्रदूषण के आंकड़े मीट्रिक टन में दिए हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

"साल के बीजों की नीलामी"

*389. डा० परशुराम गंगवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत वन प्रभाग द्वारा साल के बीजों की नीलामी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने-कितने बीजों की नीलामी की गई और उससे कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या इस वर्ष साल के बीजों की नीलामी नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) पीलीभीत के उत्तरी और दक्षिणी प्रभागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलाम की गयी साल के बीजों की मात्रा और उससे वसूल की गई राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नीलाम की गई मात्रा	वसूल की गई राशि
1988-89	कोई नीलामी नहीं की गई	शून्य
1989-90	32,933 क्विटल (केवल दक्षिण प्रभाग)	8.11 लाख रुपये
1990-91	कोई नीलामी नहीं की गई	शून्य

(ग) और (घ) 1991-92 के दौरान पीलीभीत (उत्तरी प्रभाग) में 13,901 क्विटल साल के बीजों की नीलामी की गई थी और इससे 15.75 लाख रुपये का राजस्व वसूल किया गया।

दहेज-प्रथा पर रोक

[अनुवाद]

*390. श्री पी० सी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दहेज की कुप्रथा आज भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) दहेज के बिना विवाहों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तपोषित करने का है जो निर्धन व्यक्तियों का बिना दहेज के विवाह कराते है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने दहेज लेने-देने को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमे निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन किए गए। ये संशोधन 1984 और 1986 में किए गए थे। इसके फलस्वरूप भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे अपराधिक कानूनों में भी संशोधन किए गए। दहेज निषेध अधिनियम की अब फिर जनवरी, 1991 में समीक्षा की गई है।

(2) महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी कानूनों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

(3) दहेज की सामाजिक बुराई के विरुद्ध जन प्रचार अभियान भी तेज किए गए हैं। इस बुराई के सम्बन्ध में सामाजिक जागरुकता उत्पन्न करने हेतु दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा हैं।

(4) महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, आय उत्पादन, आर्थिक विकास और विभिन्न सहायक सेवाओं की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि वे दहेज सम्बन्धी मांगों की रोकथाम/सामना कर सकें।

(5) महिला अधिकारों की जानकारी के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों तथा शिविरों के आयोजन के लिए महिला स्वयंसेवी संगठनों संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से जागृति विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) दहेज रहित विवाहों के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

लघु और मध्यम कस्बों का समेकित विकास

* 391. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित लघु एवं मध्यम कस्बों के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान संघ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई धनराशि तथा वास्तव में दी गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को वर्ष 1991-92 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) लघु और मध्यम कस्बों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान नीचे दी गई धनराशियां मंजूर और जारी की गई :—

1.	मध्य प्रदेश	—	185.00 लाख रुपये
2.	राजस्थान	—	82.50 लाख रुपये
3.	उत्तर प्रदेश	—	198.50 लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश के लिए 1990-91 के दौरान कोई भी योजना संस्वीकृत नहीं की गई लघु और मध्यम कस्बों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत कोई राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता। चालू वर्ष के दौरान योजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों से अभी तक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

"केरल में वन भूमि को नियमित करना"

*392. श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को केरल सरकार की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उस वन भूमि पर कब्जे को नियमित कर दिया जाये, जिस पर 1 जनवरी, 1977 से पहले कब्जा कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) त्रिचूर, इर्नाकुलम, इडुक्की, पथानामथिट्टा और क्विलोन जिलों में 28,588.159 हैक्टेयर वन भूमि उन अवैध कब्जा धारकों को देने के बारे में केरल राज्य सरकार से जुलाई, 1986 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसका उस पर 1-1-1977 से पहले कब्जा था। मंत्रालय में इस प्रस्ताव के प्राप्त होने से पहले, लोकहित सुरक्षा संघ, मुन्नार ने केरल उच्च न्यायालय में 1984-एच की मूल याचिका सं० : 10797 में दिनांक 30-5-1985 की एक सी० एम० पी० सं० : 33827/84 दायर की थी जिसमें मूल याचिका पर निर्णय होने तक इडुक्की जिले में वन भूमि सौंपने या पट्टा जारी करने के लिए सभी कार्यवाहियों पर स्थगन आदेश प्राप्त करने की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30-5-1985 के आदेश के द्वारा अन्तरिम स्थगन दे दिया था जिसे बाद में दिनांक 30-10-1985 के आदेश के द्वारा स्थाई कर दिया गया। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 3-4-1991 को मूल याचिका को

अब यह कहकर अन्तिम रूप से निपटा दिया है कि मामले के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करनी है। निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और सम्बन्धित सूचना भेजने के लिए दिनांक 2-8-1991 को राज्य सरकार को लिखा गया है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जायेगी।

सेवा-निवृत हुए, या होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

*393. श्री रोशन लाल :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने फ्लैटों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत उन सरकारी कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए हैं जो सेवा-निवृत हो चुके हैं अथवा 31 दिसम्बर, 1993 तक सेवा निवृत्त होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जो सेवा निवृत्त हो गए हैं अथवा 31 दिसम्बर, 1993 को या उससे पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले हैं तथा न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 तथा पांचवीं, छठी और छठी-ए स्व-वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, से दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 1991 है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण अस्पतालों के लिए विश्व बैंक की सहायता

*394. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अस्पतालों का विकास करने के लिए विश्व बैंक की सहायता पाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इस पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

"बी० सी० जी० टीकों की कमी"

[हिन्दी]

*395. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1991 के "नव भारत" में "बी० सी० जी० टीकों की आपूर्ति में कमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बी० सी० जी० टीकों की कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, मद्रास का विस्तार और आधुनिकीकरण हो जाने के कारण बी० सी० जी० वैक्सीन के देशी उत्पादन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था । इस कमी को मौजूदा स्टॉक का उपयोग करके और यूनिसेफ के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में आयात करके पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था । तथापि, इसकी विश्व स्तर पर कमी होने के कारण यूनिसेफ अधिक मात्रा में सप्लाई करने में असमर्थ था जिस से वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में इसकी शहरी क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर कमी हो गई। बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, मद्रास ने इस वर्ष मई महीने से उत्पादन शुरू कर दिया है और स्थिति के शीघ्र ही सामान्य हो जाने की सूचना दी है ।

बेघर लोगों के लिए मकान

[अनुवाद]

*396. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा राज्यों को बेघर लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II क्रमश: 1989-90, 1990-91 के दौरान स्वीकृत राशियों को दर्शाते हैं ।

विवरण-I

1989-90 के दौरान आवास के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत श्रेणी-वार ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई०डब्ल्यू०एस०	एल०आई०जी०	एम०आई०जी	एच०आई०जी०	योग
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	1993.05	1377.59	1085.70	201.72	4658.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	59.50	81.00	0.00	140.50

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	144.96	10.56	51.52	140.69	347.73
4.	बिहार	630.00	36.74	82.37	150.70	899.81
5.	गुजरात	1062.95	915.03	798.32	189.43	2965.73
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	16.94	233.24	250.18
7.	हरियाणा	147.92	76.00	147.94	202.47	574.33
8.	जम्मू तथा कश्मीर	0.00	0.00	94.44	151.48	245.84
9.	केरल	2453.58	3473.49	431.03	18.02	6376.12
10.	कर्नाटक	1757.03	861.76	642.98	382.49	3644.26
11.	मेघालय	0.00	0.00	57.75	0.00	57.75
12.	महाराष्ट्र	555.67	3038.11	661.45	935.34	5190.57
13.	मणिपुर	11.73	252.00	141.00	107.00	511.73
14.	मध्य प्रदेश	1702.90	595.05	1115.86	218.89	3632.70
15.	मिजोरम	0.00	273.00	89.00	141.00	503.00
16.	नागालैन्ड	0.00	290.00	45.00	15.00	350.00
17.	उड़ीसा	244.50	265.15	352.21	334.38	1096.24
18.	पंजाब	0.00	36.09	85.85	258.05	379.99
19.	राजस्थान	217.07	725.85	1578.36	395.82	2917.10
20.	सिक्किम	300.00	7.73	98.51	0.00	406.24
21.	तमिलनाडु	2442.34	1319.03	1821.91	1421.79	7005.07
22.	त्रिपुरा	160.45	50.00	147.00	100.00	457.45
23.	उत्तर प्रदेश	2946.62	1749.73	1025.07	1551.89	7273.31
24.	पश्चिम बंगाल	623.92	0.00	173.57	460.59	1258.08
	संघ राज्य क्षेत्र					
25.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	18.57	0.00	6.00	22.50	47.07
26.	चंडीगढ़	28.61	0.00	0.00	164.42	193.03
27.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	21.27	21.27
28.	पान्डीचेरी	13.44	27.06	154.19	13.26	207.95
	योग :	17455.31	15439.47	10984.97	7731.36	51611.11

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त महाविपदा राहत के लिए तमिलनाडु को हुडको ने 174.86 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया ।

ई० डब्ल्यू० एस० — आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

एल० आई० जी० — निम्न आय वर्ग

एम० आई० जी० — मध्यम आय वर्ग

एच० आई० जी० — उच्च आय वर्ग

विवरण-II

1990-91 के दौरान आवास के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत श्रेणी-वार ऋण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई०डब्ल्यू०एस०	एल०आई०जी०	एम०आई०जी०	एच०आई०जी०	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2452.32	363.12	1393.55	71.85	4280.84
2.	असम	146.20	75.50	378.55	395.23	995.48
3.	बिहार	794.59	210.15	246.58	164.67	1415.99
4.	गुजरात	830.83	431.57	1808.28	197.45	3268.13
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	82.18	82.18
6.	हरियाणा	207.76	198.12	408.46	427.88	1242.22
7.	जम्मू तथा कश्मीर	93.27	0.00	17.86	165.34	276.47
8.	केरल	2832.07	3535.39	292.95	390.14	7050.55
9.	कर्नाटक	3838.79	576.80	1382.71	158.92	5957.22
10.	मेघालय	0.00	420.75	195.00	0.00	615.75
11.	महाराष्ट्र	1103.59	595.06	2315.17	1664.21	5678.03
12.	मणिपुर	17.08	252.00	236.00	208.00	713.08
13.	मध्य प्रदेश	1496.03	682.31	749.38	102.02	3029.74
14.	नागालैण्ड	0.00	454,40	45.60	0.00	500.00
15.	उड़ीसा	645.16	2130.08	71.26	0.00	2847.22
16.	पंजाब	256.62	95.53	39.22	473.42	864.79
17.	राजस्थान	183.56	970.01	1111.99	1249.53	3515.09
18.	सिक्किम	35.51	636.92	51.47	0.00	723.90
19.	तमिलनाडु	3683.56	2702.58	2335.17	1197.89	9919.20
20.	त्रिपुरा	0.00	41.70	42.75	2.70	87.15
21.	उत्तर प्रदेश	5393.34	2114.43	1918.64	2330.75	11797.16
22.	पश्चिम बंगाल	1328.78	474.07	679.40	1865.74	4547.99

1	2	3	4	5	6	7
	संघ राज्य क्षेत्र					
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.32	10.40	32.00	43.72
24.	चंडीगढ़	6.81	249.39	0.00	613.61	869.81
25.	दिल्ली	0 00	0.00	0 00	9 92	9.92
	योग :	25545.87	17211.92	15770.39	11803.45	70331.63

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त तूफान में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनः निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश को 1711 लाख रुपये और 11 योजनाओं के लाभान्वयन के लिए रैन-बसेरों के निर्माणार्थ 142 लाख रुपये का ऋण भी हुडको ने स्वीकृत किया है।

ई० डब्ल्यू० एस० — आर्थिक आय से कमजोर वर्ग

एल० आई० जी० — निम्न आय वर्ग

एम० आई० जी० — मध्यम आय वर्ग

एच० आई० जी० — उच्च आय वर्ग

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

*397. डा० सी० सिलवेरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए औद्योगिक घरानों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उसके बारे में कुछ प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०) 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों या संस्थानों की स्थापना सरकार तथा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों के नियोक्ताओं का उत्तरदायित्व होगा।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना फरवरी 1988 से लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1990-91 के अन्त तक 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 10,316 व्यावसायिक अनुभागों को स्वीकृति दी गई है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को निधि प्रदान करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों को शामिल करने की कोई योजना शुरू नहीं की गई है। फिर भी कुछ स्कूलों में सामान्य बीमा निगम

और जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामान्य बीमा और जीवन बीमा में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है। शैक्षिक सत्र, 1991-92 के दौरन रेलवे कार्मशियल स्टाफ के लिए पाठ्यक्रम और हस्तशिल्प सेक्टर में व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा कुछ अर्द्ध चिकित्सीय पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। अन्य विभागों/संगठनों के साथ संबंध जोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों को बनाने/बढ़ाने के संबंध में उद्योग के साथ संबंधों को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ में साक्षरता दर

*398. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में वर्तमान साक्षरता दर क्या है;

(ख) क्या साक्षरता दर की दृष्टि से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का स्थान संघ राज्य क्षेत्रों में दूसरे स्थान से नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया है; और

(ग) यदि हां, तो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में 7 वर्ष और अधिक की आयु वाली जन संख्या की साक्षरता दर 78.73 प्र० श० थी।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र, साक्षरता दर के मामले में, संघ शासित क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर था। यद्यपि पिछले दशक के दौरान उक्त संघ शासित क्षेत्र की साक्षरता दर 74.81 प्र०श० से बढ़कर 78.73 प्र०श० हो गई है, फिर भी संघ शासित क्षेत्रों में अब इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान लक्षद्वीप का है जिसकी साक्षरता दर 79.23 प्र०श० है।

(ग) उक्त संघ शासित प्रशासन ने यथा सम्भव कम से कम समय में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। केंद्र सरकार, मांगे जाने पर, निर्धारित पद्धति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में पिछड़े समुदाय को शामिल करना

*399. श्री कोड्डीकुनील सुरेश :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इन सूचियों में किसी पिछड़े समुदाय को शामिल करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जन-जातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) में की गई व्यवस्था के अनुसार केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे सार्वजनिक हित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

भ्रूण-हत्याओं के मामले

[हिन्दी]

*400. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री प्रकाशबापू वसन्तराव पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में हाल ही में हुए भ्रूण-हत्याओं के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) देश में उन क्लिनिकों के नाम क्या हैं जो भ्रूण-परीक्षण (एंम्निओसेन्टेसिस टेस्ट्स) करते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ङ) सरकार को भ्रूण के लिंग निर्धारण में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग की जानकारी है जिससे देश के विभिन्न भागों में कन्याभ्रूणं की हत्या होती है।

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों को विनियमित करने और भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उल्ववेधन परीक्षण करने वाले क्लिनिकों से संबंधित सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जा रही है क्योंकि ऐसे परीक्षणों को विनियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है।

मकानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन

[अनुवाद]

*401. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्त तक देश में मकानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कितने संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी; और

(ख) भूमि विकास एवं मकान निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने प्रक्षेपित किया है कि योजनावधि (1990-91 से 1994-95 तक) के लिए अपेक्षित कुल

निवेश 77,500 करोड़ रुपये या 15,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष अपेक्षित संसाधनों का कोई अलग अनुमान नहीं लगाया गया है।

2. पूर्व में किए गए उपायों के अतिरिक्त, बजट 1991-92 में आवास में निवेश के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रस्ताव किये गये हैं।

3. राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में निहित आवश्यकताओं को देखते हुए निजी क्षेत्र सहकारिता और व्यक्तिगतों द्वारा आवास में और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक महत्व-पूर्ण, अभिप्रेरक और सहायक की भूमिका निभायेगी। इसके प्रयोजनार्थ कई उपायों पर विचार किया गया है जिसमें नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय आवास नीति को अन्तिम रूप देना, भाटक नियंत्रण अधिनियम में संशोधन, किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन, स्टाम्प डयूटी और पंजीकरण पद्धतियों का सुव्यवस्थीकरण और यौक्तिकी-करण आदि शामिल है।

"राज्य वन निगमों द्वारा वनों की कटाई"

*402. श्री के० प्रधानी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वन निगमों द्वारा वनों की कटाई पर रोक लगाने का संघ सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का "पोडु" खेती/झूम खेती पर भी रोक लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इमारती लकड़ी की बिक्री को समाप्त करने की दृष्टि से राज्यों में वन निगमों द्वारा परिपक्व फसल की कटाई को रोकने के बारे में केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें उनसे पेड़ों की कटाई पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने को कहा गया है।

वन नीति, 1988 में पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के अनुरक्षण पर जोर दिया गया है और इस प्रधान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों से पहाड़ों में 1000 मीटर से ऊपर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रति-बन्ध लगाने को कहा है। तथापि, प्रत्येक अति विशिष्ट मामले में जहां प्राकृतिक पुनर्जनन की बहाली के लिए वन-वर्धन करने के लिए इस प्रकार की कटाई अनिवार्य हो, वहां पहाड़ों में इसको 10 हे० और मैदानी भागों में 25 हे० तक सीमित रखा जाए।

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से झूम खेती की रोकथाम की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देती है।

क्षय रोग के कारण मृत्यु

*403. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मृत्यु दर अधिक है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी से होने वाली मृत्यु की दर क्या है;

(ङ) क्या उक्त राज्यों के प्रत्येक जिले में क्षय रोगियों के उपचार के लिए और अधिक अस्पताल खोलने का सरकार का विचार है; और

(च) सरकार ने 1990-91 के दौरान आज तक विशेषकर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चिकित्सा संस्थाओं द्वारा सूचित क्षय रोग से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	1988	1989	1990
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1288	1206	1250
अरुणाचल प्रदेश	25	17	13
असम	158	122	148
बिहार	61	37	3
गोवा	47	72	35
गुजरात	436	442	617
हरियाणा	359	407	401
हिमाचल प्रदेश	36[illegible]	366	97
जम्मू व कश्मीर	99	44	2
कर्नाटक	1172	944	821
केरल	311	281	236
मध्य प्रदेश	350	291	325
महाराष्ट्र	1481	1305	905
मणिपुर	—	10	8
मेघालय	8	7	14
मिजोरम	9	10	20
नागालैंड	46	5	5
उड़ीसा	535	802	521
पंजाब	163	123	95
राजस्थान	547	352	283
सिक्किम	18	29	21
तमिलनाडु	881	626	508
त्रिपुरा	—	—	—
उत्तर प्रदेश	463	198	298
पश्चिम बंगाल	+	414	+
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	24	24	32

1	2	3	4
चण्डीगढ़	44	39	44
दादरा व नगर हवेली	2	9	;
दमण व दीव	+	+	4
दिल्ली	2008	1955	2043
लक्षद्वीप	—	—	—
पांडिचेरी	59	35	52
योग :	10959	10172	8808

टिप्पणी : — = शून्य, + = अनुपलब्ध

बहरहाल, क्षय रोग से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि इन आकड़ों में अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं से बाहर हुई मौतें शामिल नहीं हैं।

(ङ) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत घर पर ही उपचार प्रदान किए जाने पर बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार का देश में कहीं भी क्षय रोगियों के इलाज के लिए कोई अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) 1962 से चल रहे राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में जिला क्षय रोग केन्द्र खोले जा रहे हैं जिससे कि जिलों में मौजूद स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के द्वारा देश भर में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा सके। देश में अब तक 378 जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र प्रयोगशाला उपकरणों से सज्जित हैं और यहां पर राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में प्रशिक्षित चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारी हैं। केन्द्र द्वारा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षय-रोधी औषधें मुफ्त प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए चुने हुए जिला क्षय रोग केन्द्रों को माइक्रोस्कोप, एक्सरे उपकरण तथा वाहन भी प्रदान किए जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है और लोगों को मुद्रित सामग्री, रेडियो स्पॉट्स, टी०वी० स्पॉट्स आदि के माध्यम से क्षय रोग की रोकथाम और इलाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में भी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम उपयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।

"वृक्षारोपण के लिए केन्द्रीय सहायता"

*404. प्रो० के० वी० थामस :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को वृक्षारोपण योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों

(अर्थात् वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91) और चालू वर्ष (अर्थात् वर्ष 1991-92) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए राज्यवार परिव्यय, जिसमें केन्द्रीय सहायता भी शामिल है, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां और वर्ष 1991-92 के लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 1990-91 में पौध वितरण के लक्ष्य को छोड़कर सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि किसानों द्वारा पौध की कम मांग किए जाने के कारण पौध वितरण की उपलब्धि कम रही है।

(ङ) राज्य सरकारों के साथ हुए परामर्शों को ध्यान में रखते हुए एक ओर जहां वर्ष 1990-91 में शामिल किए गए क्षेत्र के 0.55 मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य को बढ़ाकर 1991-92 में 1.05 मिलियन हैक्टेयर कर दिया गया है वहीं दूसरी ओर पौध वितरण के 1990-91 के 250 करोड़ पौध के लक्ष्य को घटाकर वर्ष 1991-92 में 150 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सरकारों से वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/सं० क्षा० प्रदेश	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3538.00	1580.70	2167.16	1924.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	451.75	699.00	518.13	624.64
3.	असम	2188.00	1655.00	1848.77	2127.65†
4.	बिहार	5298.00	1997.00	3621.88	4245.00
5.	गोआ	118.00	129.00	127.62	104.65
6.	गुजरात	3168.00	3355.00	3508.00	5819.69
7.	हरियाणा	1921.50	173[illegible].00	2389.85	3937.75
8.	हिमाचल प्रदेश	2257.50	2396.00	2136.86	2754.98
9.	जम्मू व कश्मीर	1124.63	1060.00	1299.60	1997.00
10.	कर्नाटक	2710.50	1667.30	2464.67	5577.51
11.	केरल	2374.00	1290.00	1542.84	1991.50
12.	मध्य प्रदेश	4672.00	3457.00	4363.07	6073.84
13.	महाराष्ट्र	4194.25	3135.50	4059.77	5177.87
14.	मणिपुर	703.50	464.00	465.52	491.12
15.	मेघालय	756.00	942.00	577.57	143.83
16.	मिजोरम	658.00	570.00	496.71	290.00
17.	नागालैंड	518.00	482.50	444.41	433.76†
18.	उड़ीसा	2667.25	1939.50	3617.55	3669.36

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	1035.25	725.00	574.85	944.12
20.	राजस्थान	3202.00	1616.50	4023.02	7703.66
21.	सिक्किम	235.00	276.00	271.36	494.73
22.	तमिलनाडु	3479.50	1991.00	2979.98	1773.69
23.	त्रिपुरा	462.75	476.00	502.44	1326.30
24.	उत्तर प्रदेश	7589.75	4254.30	6680.87	9742.99
25.	पश्चिम बंगाल	3292.88	1612.50	2409.15	2740.31
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	259.50	245.00	293.16	120.00
27.	चंडीगढ़	23.50	26.25	163.92	15.52†
28.	दादरा व नगर हवेली	111.25	108.50	110.11	93.54
29.	दमण व दीव	45.00	97.50	18.75	12.95†
30.	दिल्ली	85.50	14.17	176.36	137.95†
31.	लक्षद्वीप	7.25	0.00	3.03	8.50
32.	पाण्डिचेरी	48.00	14.17	38.62	88.57
	योग :	59196.01*	40011.39**	53895.60***	72586.98

* —राज्यवार आबंटित न की गई धनराशि को शामिल करने के बाद कुल आबंटन 620.48 करोड़ रुपए है।

** —ज० रो० यो० से 83 करोड़ रुपए तथा रा० प० भू० वि० बोर्ड के फंड से 21 करोड़ रुपए जो राज्यवार आबंटित नहीं किए जाते, इसमें शामिल नहीं हैं।

*** —रा० प० भू० वि० बोर्ड को दिए गए बजट में 36 करोड़ रुपए इसमें शामिल नहीं हैं जो कि राज्यवार आबंटित नहीं किए जाते।

† —अनंतिम

विवरण-II

दिनांक 12-8-91 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं० 404 के भाग (ख और ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को बताने वाला विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(पौध लाख में)

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० प्रदेश	1988-89 लक्ष्य क्षेत्र	1988-89 उपलब्धि क्षेत्र	1989-90 लक्ष्य क्षेत्र	1989-90 उपलब्धि क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	160000.00	141747.50	160000.00	131757.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	7000.00	7050.00	7000.00	6470.50
3.	असम	30000.00	22193.50	15000.00	16970.00
4.	बिहार	180000.00	180177.00	140000.00	117493.50
5.	गोवा	3750.00	3686.50	3750.00	3811.00
6.	गुजरात	130000.00	200680.50	110000.00	194450.00
7.	हरियाणा	37500.00	31637.50	27500.00	24780.00
8.	हिमाचल प्रदेश	35000.00	34186.50	35000.00	32655.50
9.	जम्मू व कश्मीर	25000.00	25237.00	17500.00	16190.00
10.	कर्नाटक	165000.00	154595.50	115000.00	111641.50
11.	केरल	87500.00	76050.00	25000.00	22743.50
12.	मध्य प्रदेश	220000.00	220800.00	195000.00	195742.00
13.	महाराष्ट्र	165000.00	285000.00	207500.00	191860.00
14.	मणिपुर	10000.00	9948.00	10000.00	11552.00
15.	मेघालय	13500.00	16488.50	13750.00	14250.00
16.	मिजोरम	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
17.	नागालैंड	11500.00	11500.00	17500.00	20550.00
18.	उड़ीसा	150000.00	138108.50	80000.00	84287.50

1990-91					1991-92 के लक्ष्य
लक्ष्य		उपलब्धि			
पौध	क्षेत्र	पौध वितरण	क्षेत्र (सार्व० भूमि)	पौध वितरण	क्षेत्र (सार्व० भूमि)
7	8	9	10	11	12
2400.00	34200.00	1612.00	21600.00	1600.00	30000.00
25.00	4750.00	1.79	5516.00	10.00	10000.00
77.00	12900.00	18.47	24754.00*	100.00	42000.00
2150.00	42200.00	242.15	37081.00	700.00	50000.00
90.00	625.00	24.50	1349.90	50.00	1200.00
2165.00	30600.00	2356.36	48585.00	2400.00	73000.00
1020.00	9050.00	224.30	40094.00	300.00	45000.00
400.00	15500.00	135.57	24253.00	150.00	57500.00
225.00	8200.00	112.45	15773.25	150.00	10000.00
1800.00	42700.00	763.16	30199.00	900.00	50000.00
320.00	11000.00	164.11	5974.84	250.00	41000.00
2650.00	61650.00	464.40	75042.00	600.00	95000.00
2750.00	62450.00	1188.85	122955.35	1230.00	125000.00
125.00	4250.00	24.00	9450.00	25.00	13000.00
175.00	4350.00	25.33	6650.00*	150.00	18000.00
160.00	4600.00	182.50	8250.00	100.00	11000.00
60.00	4600.00	0.00	0.00**	50.00	11000.00
1525.00	39750.00	191.96	58401.70	500.00	57000.00

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	25000.00	28730.00	20000.00	20915.50
20	राजस्थान	65000.00	65500.00	45000.00	45800.00
21.	सिक्किम	7500.00	6307.50	7000.00	7193.00
22.	तमिलनाडु	90000.00	90278.50	70000.00	83564.00
23.	त्रिपुरा	13000.00	13350.00	13000.00	13500.00
24.	उत्तर प्रदेश	255000.00	272991.00	275000.00	275012.50
25.	पश्चिम बंगाल	90000.00	55600.00	50000.00	51700.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5000.00	5379.50	5000.00	5318.50
27.	चंडीगढ़	200.00	176.50	125.00	104.00
28.	दादर व नगर हवेली	1750.00	1916.00	1500.00	1562.50
29.	दमण व दीव	100.00	63.00	100.00	112.50
30.	दिल्ली	2500.00	3295.00	2500.00	2150.00
31.	लक्ष द्वीप	25.00	112.00	125.00	145.50
32.	पाण्डिचेरी	520.00	523.00	400.00	541.50
		2001345.00	2118308.50	1684250.00	1719824.00

* अनंतिम ** सूचित नहीं किया गया है।

7	8	9	10	11	12
200.00	9150.00	143.18	9950.00	150.00	13000.00
425.00	22500.00	399.11	52147.00	350.00	82500.00
60.00	2500.00	8.40	4275.00	50.00	8000.00
975.00	36800.00	215.10	42493.00	800.00	54000.00
120.00	5550.00	63.00	10950.00	50.00	11000.00
4200.00	51150.00	3122.84	61083.62	3400.00	90000.00
650.00	27500.00	847.00	19796.00	850.00	45000.00
70.00	1675.00	3.98	3122.25	5.00	3600.00
1.70	30.00	0.07	77.00	0.00	300.00
20.00	420.00	3.82	868.00	20.00	1000.00
1.25	40.00	0.67	40.00*	1.00	200.00
50.75	825.00	45.65	1660.00	50.00	1500.00
1.30	35.00	2.86	42.00	5.80	100.00
8.00	150.00	1.17	65.80*	4.00	100.00
25000.00	551700.00	12588.76	742598.71	15000.00	1050000.00

दिल्ली में दुकानदारों द्वारा दुकानें खोलने तथा बन्द करने के समय का पालन

*405. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में राजधानी में दुकानदारों द्वारा दुकान खोलने तथा बन्द करने के निर्धारित समय का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए है।

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदेशों के बावजूद राजधानी के बहुत से दुकानों के मालिक/प्रबन्धक निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त भुगतान किए उनसे अधिक समय तक काम कराकर उनका शोषण कर रहे हैं।

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने दुकानदार/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक आदेशों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गए है; और

(घ) इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को खोलने तथा बन्द करने के समय के बारे में दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में कोई नये आदेश जारी नहीं किए हैं। पिछली बार जुलाई, 1979 में जारी किए गये आदेश अभी भी लागू है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार अधिकांश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुलने और बन्द करने के निर्धारित समय का पालन करते हैं। तथापि इस सम्बन्ध में पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है और जहां कहीं आवश्यक हो कारंवाई की जाती है। 1-1-1991 से 31-7-1991 तक की अवधि के दौरान दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत दुकानें खोलने और बन्द करने का समय तथा अवकाश दिवस से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 11,000 से अधिक दुकानदारों पर अभियोजन चलाए गये। दिल्ली प्रशासन ने आगे यह भी बताया है कि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति की अर्जित मजदूरी का विलम्ब से भुगतान करने या भुगतान न करने के कारण उत्पन्न होने वाले दावों के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे कलैण्डर सत्र

[हिन्दी]

*406. श्री योगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा-सत्रों के बारे में 15 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और विशेष रूप से बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों से शुरू किए जा रहे कैलेण्डर सत्रों के विभिन्न पहलू क्या हैं;

(ख) बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कितने-कितने वर्षों से परीक्षाओं के आयोजन और

उनके परिणामों में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) शैक्षिक वर्ष 1990-91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित माडल शैक्षिक कैलेण्डर में अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश की अन्तिम तारीख परीक्षा पूरी होने तथा परिणाम घोषित किए जाने की अन्तिम तारीख और प्रत्येक वर्ष कम से कम 180 शिक्षण दिवसों का प्रावधान है। आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बिहार के मगध विश्वविद्यालय सहित छः विश्वविद्यालयों ने माडल शैक्षिक कैलेण्डर को अपनाना स्वीकार कर लिया है।

आयोग ने आगे यह उल्लेख किया है कि बिहार सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर बिहार के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में डिग्री स्तर की परीक्षायें एक से दो वर्षों तक और मास्टर्स स्तर की परीक्षायें दो से तीन वर्षों तक देरी से हो रही है। राज्य सरकार परीक्षाओं में इस देरी को पूरा करने के लिए एक अथवा दो वर्षों को गैर अवकाश वर्षों के रूप में घोषित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को ये अनुदेश भी जारी किए हैं कि वि० अ० आ० को एक शैक्षिक वर्ष में 180 शिक्षण दिवसों की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाए।

किराये के भवनों में नवोदय विद्यालय

2541. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोले गए नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) किराये और दान के भवनों में चल रहे ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अब तक देश में 275 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अब तक खोले गए नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	बिहार	25
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	9

1	2	3
6.	हरियाणा	9
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	14
9.	केरल	10
10.	कर्नाटक	18
11.	मध्य प्रदेश	29
12.	महाराष्ट्र	20
13.	मणिपुर	7
14.	मेघालय	4
15.	मिजोरम	2
16.	उड़ीसा	12
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	21
19.	सिक्किम	1
20.	नागालैण्ड	2
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तर प्रदेश	35
23.	अंडमान और निकोबार	2
24.	चंडीगढ़	1
25.	दादरा और नगर हवेली	1
26.	दमन और दीव	2
27.	दिल्ली	2
28.	लक्षद्वीप	1
29.	पांडिचेरी	4

विवरण-II

किराए के/दान में दिए गए भवनों में चलाए जा रहे नवोदय विद्यालयों की सूची।

आन्ध्र प्रदेश

1. जिला चित्तूर
2. मेडक
3. खम्माम
4. कुडप्पाह
5. श्री काकुलम

6. पश्चिम गोदावरी
7. विजिया नगरम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

8. जिला कार निकोबार
9 दक्षिणी अंडमान

अरुणाचल प्रदेश

10. जिला दिवंग घाटी
11. ,, लोहित
12. ,, तीरप
13. ,, अपर सुबानसिरि

बिहार

14. जिला मुंगेर
15. ,, पश्चिम चम्पारन
16. ,, रांची
17. ,, सहरसा
18. ,, पटना
19. ,, दरभंगा
20. ,, पूर्णिया
21. ,, लोहारडेगा
22. ,, गोड्डा
23. ,, वैशाली

चंडीगढ़

24. चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)

दमन और दीव

25. जिला दमन

दिल्ली

26. दिल्ली

गुजरात

27. जिला कच्छ
28. ,, जामनगर
29. ,, अमरेली

गोवा

30. जिला उत्तरी गोवा

हरियाणा

31. जिला रोहतक
32. ,, भिवानी
33. ,, महेन्द्रगढ़

हिमाचल प्रदेश

34. जिला चम्बा
35. ,, सिरमोर
36. ,, किन्नौर
37. ,, कांगड़ा
38. ,, ऊना
39. ,, हमीरपुर

जम्मू और कश्मीर

40. जिला लद्दाख
41. ,, राजोरी
42. ,, अनन्तनाग
43. ,, श्रीनगर
44. ,, बुदगाम
45 ,, पुंछ
46. ,, कारगिल

कर्नाटक

47. जिला उत्तरी कनारा
48. ,, कुर्ग
49. ,, गुलबर्ग
50. ,, चारडाड
51. ,, चित्रदुर्ग

मध्य प्रदेश

52. जिला शिवपुरा
53. ,, इन्दौर
54. ,, सागर

55. ,, दमोह

56. ,, सिद्धी

57. ,, मंदसोर

58. ,, सिओनी

59. ,, खरगांव

60. ,, राजगढ़

61. ,, गुना

62. ,, दतिया

63. ,, छत्तरपुर

महाराष्ट्र

64. जिला उस्मानाबाद

65. ,, बीड

66. ,, थाना

67. ,, धुले

68 ,, जलगांव

69. ,, नासिक

70. ,, वर्धा

71. ,, भंडारा

72. ,, यावतमल

73. ,, परभानी

74. ,, चन्द्रपुर

मणिपुर

75. जिला थोवल

76. ,, विश्नपुर

77. ,, चरचंदपुर

78. ,, सेनापति

79. ,, चंडेल

80. ,, उखरुल

मिजोरम

81. जिला लुंगली

मेघालय

82. जिला पूर्वी गारो पहाड़ियां

83. ,, पश्चिमी गारो पहाड़ियां

84. ,, पूर्वी खासी पहाड़ियां

नागालैण्ड

85. जिला कोहिमा

उड़ीसा

86. जिला धेलकान

87. ,, कोरापूट

88. ,, फूलबनी

89. ,, बलसोई

90 ,, कालाहांडी

पंजाब

91. जिला पटियाला

पांडिचेरी

92 जिला माहे

93 ,, यानम

राजस्थान

94. जिला अलवर

उत्तर प्रदेश

95. जिला चमोली

96 ,, टिहरी गढ़वाल

97. ,, मथुरा

98 ,, आगरा

99. ,, गाजियाबाद

पेंशनरों के लिए आवास सुविधाएं

[अनुवाद]

2542. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवा के संवर्ग के ऐसे सभी अधिकारियों, जिनके अपने स्वयं के अथवा अपने आरक्षितों के कोई मकान नहीं हैं, को सेवानिवृत्ति के बाद आवास सुविधाएं देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास सुलभता में बढ़ोत्तरी करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नामक एक संगठन की स्थापना की गयी है। यह संगठन सेवारत तथा/अथवा सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए और मृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पति/पत्नी के लिए "लाभ-हानि रहित" आधार पर मकानों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सेवा अधिकारियों के लिए आवास की सुविधाओं के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

"रणथम्भोर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करना"

[हिन्दी]

2543. श्री कुन्जी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला सवाई माधोपुर में रणथम्बोर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक किये गये कार्य की प्रगति क्या है;

(ग) इस संबंध में आकर्षण के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार रणथम्बोर टाईगर परियोजना का विकास कर रही है; यदि हां, तो उसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस संबंध में भविष्य के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(च) क्या इसके लिए कुछ विदेशी संस्थाओं से कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार रणथम्बोर बाघ परियोजना का विकास कर रही है। चालू प्रबंध योजना में निम्नलिखित विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल हैं :

1. वन्यजीवों के आवास स्थलों में सुधार करने के लिए जल संसाधनों का विकास;

2. वन्यजीवों के आवास स्थलों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए अवसंरचना का विकास;

3. सतत बहु प्रयोग के लिए बफर क्षेत्र का पारि-विकास;

4. आसपास के गांवों में पशुओं की दशा सुधारने के लिए पशु-चिकित्सा इकाइयों की स्थापना;

5. जलाने की लकड़ी के प्लाटों का विकास; और

6. बकाया चार गांवों के निवासियों को अन्यत्र बसाना।

उक्त विकास गतिविधियों के संबंध में कार्य शुरू किया जा चुका है।

(ङ) भावी योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

1. 11,000 हैक्टेयर क्षेत्र में पारि-विकास कार्य।

इसमें चारागाह भूमि और जल अवरोधन ढांचों का विकास शामिल होगा;

2. 1300 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जलाने की लकड़ी के लाट;

3. चैक पोस्टों के नेटवर्क का विकास;

4. छोटे बांधों और तालाबों का विकास करके कोर तथा बफर क्षेत्र में जल संसाधनों का विकास; और

5. संचार सुविधाओं का विकास।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ध्यान चन्द की स्मृति में हाकी टूर्नामेंट आयोजित करना

2544. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व के महानतम हाकी खिलाड़ी पद्मविभूषण ध्यान चन्द की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाकी का वार्षिक टूर्नामेंट आयोजित कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे प्रस्ताव सरकार की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार स्वायत्त खेल निकायों द्वारा भेजे जाते हैं। इस मामले में प्रस्ताव भारतीय हाकी संघ से प्राप्त होना चाहिए। सरकार को भारतीय हाकी संघ से एसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय जिला श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

[अनुवाद]

2545. श्री हाराधन राय :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

स्थलों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए अवसंरचना का **विकास;**

ए बफर क्षेत्र का पारि-विकास;

पशुओं की दशा सुधारने के लिए पशु-चिकित्सा इकाइयों

प्लाटों का विकास; और

निवासियों को अन्यत्र बसाना।

के संबंध में कार्य शुरू किया जा चुका है।

म्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

त्र में पारि-विकास कार्य।

और जल अवरोधन ढांचों का विकास शामिल होगा;

धिक क्षेत्र में जलाने की लकड़ी के लाट;

का विकास;

लाबों का विकास करके कोर तथा बफर क्षेत्र में जल संसाधनों

विकास।

की स्मृति में हाकी टूर्नामेंट आयोजित करना

र्मा :

स मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

चार विश्व के महानतम हाकी खिलाड़ी पद्मविभूषण ध्यान चन्

ड़ी का वार्षिक टूर्नामेंट आयोजित कराने का है; और

के क्या कारण है।

मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और

(कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा

कार की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार स्वायत्त खेल निकायों

ाव भारतीय हाकी संघ से प्राप्त होना चाहिए। सरकार को भा

प्राप्त नहीं हुआ है।

य जिला श्रम सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

ाय :

ाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) संबद्ध विभिन्न हितों से संबंधित नामांकन पहले ही मांगे जा चुके हैं।

पूर्वी चम्पारण जिले में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

2546. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है और क्या विद्यालयों में शिक्षकों के सभी पदों को भर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : बिहार के पूर्वी चंपारन जिले में कोई नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है।

केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

[अनुवाद]

2548. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत सब-डिवीजनल अस्पतालों/डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंतरंग रोगियों के परिचारकों के लिए निःशुल्क आवासी यूनिटों का निर्माण करने हेतु सहायता की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० ताराबेवी सिद्धार्थ) (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

छोटा नागपुर (बिहार) से निरक्षरता उन्मूलन के उपाय

[हिन्दी]

2549. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सर्वाधिक अशिक्षितों की संख्या छोटा नागपुर और संथाल परग (झारखंड) क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है; और

(ग) सरकार इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, छोटा नागपुर-संथाल परगना क्षेत्र में आने वाले धनबाद, लोहरदगा, रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और पूर्व सिंहभूम जिलों की साक्षरता दर बिहार की कुल साक्षरता दर के औसत से अधिक है। इसी प्रकार पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिब गंज और गोड्डा की साक्षरता दर बिहार की कुल साक्षरता दर के औसत से कम है।

(ख) बिहार की कुल जनजातीय जनसंख्या के 91 वें प्रतिशत से अधिक आबादी छोटा नागपुर-संथाल परगना क्षेत्र मे ही निवास करती है। हालांकि इस क्षेत्र में यहां की कुल जनसंख्या में, जन जातियों की जनसंख्या 30 प्रतिशत से कुछ ही ऊपर है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और व्यापक रूप से, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूलों मे बनाए रखने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाए जा रहे है जिनका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों (अनपढ़ों) को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है ताकि समूचे देश से निरक्षरता का उन्मूलन किया जा सके। ये सब देश में बड़े कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है। इन उपायों के अलावा उक्त क्षेत्र के दो जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान और बिहार शिक्षा परियोजना, जिसे यूनिसेफ की आंशिक सहायता से चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाना इस दिशा में किए जा रहे अतिरिक्त प्रयास हैं।

दिल्ली में स्लम में रहने वालों को पट्टे के अधिकार

[अनुवाद]

2550. श्री कालका दास :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्लम में रहने वाले कितने लोगों के लिए वर्ष 1984 में पट्टे के अधिकारों की अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) वर्ष 1984 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उक्त स्लम में रहने वालों से कितनी शुल्क-राशि प्राप्त किए जाने की संभावना है और इसका क्या मानदण्ड है; और

(ग) दिल्ली में स्वामी दयानन्द कालोनी चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, अम्बाबाग तथा पदम नगर में स्लम में निर्मित बस्तियों की लागत कैसे निर्धारित की जाती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित टेनामेंटों सहित 13212 स्लम टेनामेंट, आबंटितियों/दखलकारों को पट्टे के अधिकार प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दिनांक 11-6-1984 के आदेश के अन्तर्गत आते हैं।

इन स्लम टेनामेंटों की लागत वार्षिक आर्थिक लाइसेंस शुल्क का 20 गुणा निर्धारित है। आबंटितियों ने लागत-निर्धारण के विरुद्ध अभिवेदन किए हैं जो सरकार के विचाराधीन है। लागत को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्लम टेनामेंटों से सम्भाव्यत: वसूल किए जाने वाले प्रभारों की राशि का पता लगेगा।

गंगा कार्ययोजना का क्रियान्वयन

2551. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख योजनाओं में हुए व्यय और प्रगति की दृष्टि से गंगा कार्य-योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के कार्यान्वियन से पूर्व जल की शुद्धता की तुलना में 31 मार्च, 1991 तक गंगा की मध्य-धारा के जल की शुद्धता पर योजना का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) योजना की कुल लागत का संशोधित अनुमान कितना है और इसे किस तिथि तक पूरा किया जाना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 261 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनके लिए 356.72 करोड़ रुपए की संशोधित लागत आई है। इसमें से, जून, 1991 तक 172 स्कीमें पूरी की गई थीं, जिनपर 245.02 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ। सभी स्कीमों के पूरा होने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 1993 है।

(ख) गंगा नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों का लक्ष्य गंगा की मुख्य धारा पर बसे 25 श्रेणी-I के नगरों से 873 मिलियन लीटर अपशेष जल को प्रतिदिन दिशा-परिवर्तित करना एवं जैव आक्सीजन मांग (बी० ओ० डी०) तथा घुलित आक्सीजन (डी० ओ०) को "स्नानयोग्य" श्रेणी के स्तर पर लाने के लिए के जल गुणवत्ता में सुधार लाना था। पूरी की गई स्कीमों के फलस्वरूप, 368 मिलियन लीटर प्रतिदिन अपशेष जल का अब तक दिशा-परिवर्तन किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि नदी के किनारों पर स्थित सभी नगरों में जहां गंगा कार्य योजना का कार्य पूरा हुआ है। जैवीय आक्सीजन मांग में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप जल गुणवत्ता में सुधार आया है। 20 जल गुणवत्ता स्टेशनों पर परीक्षण किए गए, पूर्व-गंगा कार्य योजना (1986) और जून, 1990 के नदी जल के बी० ओ० डी० और डी० ओ० स्तरों का तुलनात्मक ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जल गुणवत्ता पर पूरे प्रभाव का, सभी स्कीमों के पूरा किए जाने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकेगा।

विवरण

गंगा जल गुणवत्ता के सन्दर्भ में गंगा कार्य योजना की स्कीमों का प्रभाव

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	डी० ओ० (मि० ग्रा० प्रतिलीटर) 1986	डी० ओ० (मि० ग्रा० प्रतिलीटर) 1990	जैव आक्सीजन मांग (मि० ग्रा० प्रतिलीटर 1986	जैव आक्सीजन मांग (मि० ग्रा० प्रतिलीटर 1990
1	2	3	4	5	6
1.	ऋषिकेश	8.1	7.1	1.67	1.53
2.	हरिद्वार (अधो प्रवाह)	8.1	6.9	1.80	1.77
3.	गढ़मुक्तेश्वर	7.8	उपलब्ध नहीं	2.20	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6
4.	कनौज (उपरिप्रवाह)	7.2	6.5	5.53	2.63
5.	कनौज (अघोप्रवाह)	उपलब्ध नहीं	6.1	उपलब्ध नहीं	3.03
6.	कानपुर ऊपरिप्रवाह)	7.2	उपलब्ध नहीं	7.17	उपलब्ध नहीं
7.	कानपुर (अघोप्रवाह)	6.7	4.4	8.57	3.45
8.	इलाहाबाद (ऊपरिप्रवाह)	6.4	8.0	11.40	2.58
9.	इलाहाबाद (अघोप्रवाह)	6.6	6.9	15.50	2.03
10.	वाराणसी (ऊपरिप्रवाह)	5.6	7.8	10.13	2.62
11.	वाराणसी (अघोप्रवाह)	5.9	7.2	10.60	5.94
12.	त्रिघाट	उपलब्ध नहीं	8.[illegible]	उपलब्ध नहीं	3.30
13.	बक्सर	8.1	7.9	1.93	0.40
14.	पटना (ऊपरिप्रवाह)	8.4	7.7	1.95	0.30
15.	पटना (अघोप्रवाह)	8.1	7.5	2.20	0.33
16.	राजमहल	7.8	7.8	1.80	0.30
17.	बहरामपुर	उपलब्ध नहीं	5.3	उपलब्ध नहीं	0.83
18.	पलटा	उपलब्ध नहीं	6.8	उपलब्ध नहीं	0.93
19.	दक्षिणेश्वर	उपलब्ध नहीं	6.5	उपलब्ध नहीं	0.[illegible]0
20.	उलुबेरिया	उपलब्ध नहीं	6.4	उपलब्ध नहीं	0.97

नोट : "स्नान योग्य" श्रेणी के लिए मानदण्ड इस प्रकार है :

जैव आक्सीजन मांग : 3 मिलीग्राम प्रति लीटर (अधिकतम)

घुलित आक्सीजन : 5 मिलीग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम)

बिहार में शहरी मूल सेवा योजना के अन्तर्गत विकसित शहर

[हिन्दी]

2552. श्री ललित उरांव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन नगरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान शहरी मूल सेवा योजना के अन्तर्गत विकसित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में उक्त योजना लागू करने के लिए चुने गये नगरों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष

1988-89 तथा 1989-90 के दौरान बिहार में शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत 12 कस्बों को शामिल किया गया था जिनके नाम इस प्रकार हैं :—पटना, दानापुर, खागोल, बाढ़, मोकामाह, फतूहा, खाशरूपुर, मसौढ़ी मनेर, फुलवारीशरीफ, बख्तियारपुर, दानापुर छावनी।

1990-91 तथा 1991-92 के दौरान "निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा" योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा सत्रह नये कस्बे चुने गये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, छपड़ा, बोकारो, सिम्देगा, जमतारा, तेहा, खरबावा, रांची, गया, भागलपुर, बिहार शरीफ, जमशेदपुर, आराह, कटिहार तथा धनबाद। 1991-92 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य को 146.00 लाख रुपये की राशि अन्तरिम रूप से नियतित की गई है।

कानपुर में औद्योगिक प्रदूषण

2553. **श्री केशरी लाल :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटमपुर, कानपुर में स्थित औद्योगिक इकाइयों और सीमेंट कारखानों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के संबंध में संघ सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये हैं;

(घ) उन इकाइयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक यह उपकरण नहीं लगाए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार ने एक निर्धारित समय के अन्दर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घाटमपुर, कानपुर, में स्थित औद्योगिक इकाइयों का एक सर्वेक्षण किया है। घाटमपुर में तीन बड़ी इकाइयां, जिनके नाम मैसर्स विक्रम सीमेंट्स (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स कृष्णा फर्टिलाइजर्स (प्रा०) लि०, मैसर्स इनफ्लक्स लेमिनेटर्स (प्रा०) लिमिटेड हैं और एक जल प्रदूषित करने वाली बड़ी इकाई है, जिसका नाम घाटमपुर सुगर कम्पनी लिमिटेड है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों ने उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय कर लिए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे और मंझोले शहरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत आवंटन/उपलब्धि

[अनुवाद]

2554. **श्री अमल दत्त :**

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान छोटे मंझोले शहरों के समेकित विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लक्ष्य क्या है, उसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसकी उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं पर धन किन स्रोतों से लगाया जाता है और सामान्यतया निधियां किस

प्रकार आवंटित की जाती है और यदि राज्यों को आवंटित निधियों में कोई अन्तर है, तो वह क्या है;

(ग) क्या यह योजना चालू वर्ष में जारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति योजना के लिये प्रत्येक वर्ष समग्र बजटीय नियतन, राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्टों और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कस्बों के लिए इंगित प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। छठी तथा सातवीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त कस्बो की संख्या तथा राज्यवार रिलीज की गई धनराशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के लिये निधियों की व्यवस्था शहरी विकास मन्त्रालय के वार्षिक बजट तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के बजट में भी की जाती है। वित्त-पोषण पैटर्न सभी राज्यों के लिये एक समान है। विद्यमान पैटर्न के अनुसार राज्य सरकारों को बराबरी के आधार पर परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 46 लाख रुपये तक, किस्तोंमें रिलीज किया जाता है। यह धनराशि 5 वर्ष के ऋण-स्थगन और 10.25% ब्याज दर पर 25 वर्ष में भुगतान योग्य दीर्घकालिक ऋण के रूप में रिलीज की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1990-91 के लिये बजट नियतन 1[illegible].00 करोड़ रुपये है।

विवरण

लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता (31 मार्च, 1991 तक)

(लाख रुपये में)

		छठी योजना		सातवीं योजना	
क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कस्बों की सं०	आई०डी०एस०एम०टी०	कस्बों की सं०	आई०डी०एस०एम०टी०
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	397.800	9	495.790
2.	असम	5	197.500	5	149.000
3.	बिहार	15	298.000	10	496.285
4.	गोवा	1	30.[illegible]00	1	70.000
5.	गुजरात	17	407.850	10	437.770
6.	हरियाणा	6	1[illegible]3.000	4	202.500
7.	हिमाचल प्रदेश	1	34.780	1	0 000
8.	जम्मू तथा काश्मीर	1	18.760	1	37.820
9.	कर्नाटक	16	252.000	7	458.910

1	2	3	4	5	6
10.	केरल	9	270.300	4	232.600
11.	मध्य प्रदेश	16	258 090	13	725.230
12.	महाराष्ट्र	22	648.160	12	628.056
13.	मणिपुर	2	9.100	2	51.000
14.	मेघालय	2	18.900	3	137.000
15.	मिजोरम	1	22.500	1	76.500
16.	नागालैण्ड	1	25.000	2	72.800
17-	उड़ीसा	6	212..500	7	258.950
18.	पंजाब	8	308·250	7	258.500
19.	राजस्थान	11	394.000	7	348.100
20.	सिक्किम	1	5.500	2	73.390
21.	तमिलनाडु	28	832.800	14	728.400
22.	त्रिपुरा	2	17.400	2	92.000
23.	उत्तर प्रदेश	23	458.600	13	690.000
24.	पश्चिम बंगाल	20	375.450	6	564.000
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	25.000	0	67.000
2.	दादर तथा नगर हवेली	1	25.000	0	70.220
3.	लक्षद्वीप	0	0.000	0	0.000
4.	पाण्डिचेरी	1	4.000	2	108.750
	योग :	235	5683.740	145	7530.651

गंदी बस्तियों में रहने वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं

[हिन्दी]

2555. **श्री तेजनारायण सिंह :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजधानी में गंदी बस्तियों मे रहने वालों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की किसी योजना को क्रियान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ऐसी योजना के कार्यान्वयन पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झुग्गी-झोपड़ी समूहों सहित सभी कालोनियों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु उन्होंने अनेक अस्पताल, पॉलि-क्लिनिक औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित झुग्गी-झोपड़ी समूहों में उनके द्वारा 20 गश्ती स्वास्थ्य क्लिनिकों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्होंने प्लान स्कीम को भी जारी रखा हुआ है जिसके अन्तर्गत समाज के निम्न स्तर वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर वर्ष में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं।

डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों में विद्यालय भवन

2556. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० बी० आर० अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के दौरान, डा० अम्बेडकर की स्मृति में विद्यालय, भवनों के निर्माण के लिए शताब्दी समारोह शीर्ष के बजट से अतिरिक्त धन स्वीकृत करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उन विद्यालय भवनों की संख्या कितनी है, जिनके लिए धन स्वीकृत किए और कितने नए विद्यालय खोले गए;

(ग) क्या यह धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए दी जा रही धनराशि के अतिरिक्त है;

(घ) विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए कितना धन देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके निर्माण के लिए अब तक धन स्वीकृत किया जा चुका है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन, दिल्ली का नियमन

[अनुवाद]

2557. धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1975-76 में अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन, हैदरपुर, दिल्ली में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्लाट आवंटित किये थे तथा वहां के निवासियों को नागरिक सुविधाएं मुहैया की हैं;

(ख) क्या ऐसी बस्ती को तकनीकी तौर पर प्राधिकृत कहेंगे या अनाधिकृत; और

(ग) दिल्ली में इस प्रकार की बस्तियों के प्राधिकरण का क्या मानदण्ड है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि 1975-76 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन, हैदरपुर दिल्ली में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 486 प्लाट आवंटित किये गये थे। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई भी जन-सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में निरक्षरता दूर करने हेतु कार्य कर रहे स्वयंसेवी

2558. **श्री जायनला अबेदिन** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में निरक्षरता दूर करने हेतु कुछ स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से संगठन हैं और ये संगठन इस क्षेत्र में कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) निरक्षरता दूर करने सम्बन्धी कितने केन्द्र ऐसे संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं और इनकी अवस्थापना का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संगठनों को पश्चिम बंगाल में जनशिक्षा परियोजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि जारी की गई है और इन संगठनों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार को इन संगठनों द्वारा उक्त धनराशि का दुरुपयोग करने का पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मई, 1988 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुभारंभ से लेकर अब तक जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को, उनके प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, जन शिक्षण निलयमों और साक्षरता अभियानों के लिए परियोजना के आकार और कार्य क्षेत्र सहित, सहायता अनुदान अनुमोदित किया गया था, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) योजना के उद्देश्यों के अनुसार, नवसाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता की सेवाओं के लिए सहायता दी गई हैं।

(ङ) अब तक जारी की गई सहायता अनुदान की राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि (रु० में)
1988-89	76,46,339/-
1989-90	38,20,336/-
1990-91	15,67,73,243/-
1991-92	
31 जुलाई, 1991 तक)	1,96,20,903/-

जिन स्वैच्छिक एजेंसियों का कार्य केन्द्र आधारित कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत किया गया है, उनकी मानिटरिंग निर्धारित प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों की परियोजनाओं को संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए संस्वीकृत किया गया है, उनका मूल्यांकन भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता द्वारा किया जाएगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) उन स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम जिन्हें केन्द्र आधारित कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया था।

	वर्ष	योजना का आकार	कार्यक्षेत्र
1	2	3	4
अखिल भारतीय जन शिक्षा एवं विकास परिषद, 60, पटुआ टोला लेन कलकत्ता	1988-89	600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	7 जिले
अरुणोदय तिलक भवन, 18, लूटरी महल अर्दली बाजार	1988-89	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	बैरक पुर
जिला --24 परगना, बैरकपुर	1989-90	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	वही
बंगाल समाज सेवा लीग	1988-89	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	कुल्पी
1/6 राजा विमेन्द्र स्ट्रीट	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	बैरक पुर II बरासात
कलकत्ता-700009	वही	10 जन शिक्षा निलयम	वही
कलकत्ता शहरी सेवासंघ	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	उलुबेरिया
16, सदरस्ट्रीट कलकत्ता	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	आम्ता I और II
आर्थिक ग्रामीण विकास सोसाईटी 6, किरन शंकर राय मार्ग कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	1989-90	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	तपन
भारतीय रेडक्रास सोसाईटी कलकत्ता	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	सागर और नाम खाना

1	2	3	4
स्वरोजगार प्रेरणा संस्थान 57, रिपन स्ट्रीट कलकत्ता-700016	1988-89	7 जन शिक्षण निलयम	लवपुर
जन शिक्षा प्रचार केन्द्र 57, बी० कालेज स्ट्रीट कलकत्ता-700016	1988-89	5 जन शिक्षण निलयम	जंगी पाड़ा चांदी तालब
झाड़ग्राम महकमा जन शिक्षा प्रसार समिति ग्राम० रघुनाथपुर पो० झाड़ग्राम जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल-721507	1989-90	66 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	बांकुड़ा
कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास (बंगाल शाखा) सत्य भारती भवन पो० नवग्रमा जिला हुगली पश्चिम बंगाल 712246	1989-90	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	नव ग्राम
मिलन संघ पो० बलघरिया ब्लाक कंटई III जिला मिदनापुर	1989-90	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	कंटई
भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ 1002, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-1	1989-90	66 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	पंसकुड़ा
पश्चिम बंग जटिया वयस्क शिक्षा परिषद इलियस मार्ग, कलकत्ता	1988-89 1989-90	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र वही	बोलपुर वही
राम कृष्ण मिशन जन शिक्षा मंदिर, बलूर मठ,	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	पंचला और दोमजूर
हावड़ा-711202	वही	4 जन शिक्षण निलयम	वही

(ख) उन स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम जिन्हें केन्द्र आधारित कार्यक्रम संस्वीकृत किया गया है।

	वर्ष	परियोजना का आकार	कार्यक्षेत्र
1	2	3	4
अखिल भारतीय सार्वजनिक शिक्षा और विकास परिषद, 60, पटुआटोलालेन कलकत्ता	1990-91	51 जन शिक्षण निलयम	7 जिले
बंगाल समाज सेवा लीग 1/6 राजा दिनेन्द्रस्ट्रीट कलकत्ता-700009 बरासात II	वही	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	कुल्पी
पश्चिम बंग खड़िया सवर कल्याण समिति ग्रा० पो० राज नव गढ़ जिला-पुरुलिया	वही	60 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	पंचमन बाजार। और बड़ा बाजार
राम कृष्ण मिशन जन शिक्षा मंदिर बेलूरमठ, हावड़ा-711202 पश्चिम बंगाल	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	पंचला और दोमजुर
राम कृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद, रामकृष्ण मिशन आश्रम पो० नरेन्द्रपुर 24 परगना (दक्षिण)	वही	व्यापक अभियान	9 जिले
राम कृष्ण विवेकानंद मिशन 7-नदी तट मार्ग बैरकपुर 24, परगना, पश्चिम बंगाल	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	कोटल पुर
टैगोर ग्राम विकास सोसाईटी रंग बलिया	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	गंगारामपुर

नोट :—इन स्वैच्छिक एजेंसियों की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

*** प्रौ० शि० के० = प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

ज० शि०मि० = जन शिक्षण निलयम

राम कृष्ण मिशन लोक शिक्षा	1988-89	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	नोबडा
परिषद, रामकृष्ण आश्रम	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	वही
पो० नरेन्द्र पुर, 24 परगना	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	डायमंड हार्बर
(दक्षिण)	वही	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	वही

1	2	3	4
श्री रामकृष्ण सत्या नन्द	1988-89	10 जन शिक्षण निलयम	इलम बाजार
	ए वही	वही	कुल्पी
आश्रम ग्राम जिरक पुर	वही	वही	रामपुरहाट
पो० बसीर हाट रेलवे स्टेशन	1989-90	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	इलम बाजार
जिला 24 परगना	वही	वही	कुल्पी
(उत्तरी)—743414	वही	वही	रामपुरहाट
(पश्चिम बंगाल)	1990-91	10 जन शिक्षण निलयम	सूरी-I
	वही	10 जन शिक्षण निलयम	सूरी-II
	वही	10 जन शिक्षण निलयम	कुल्पी
रामकृष्ण विवेकानंद मिशन	1988-89	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	कोटल पुर
7, नदी तट मार्ग, बैरक पुर,	1988-89	10 जन शिक्षण निलयम	कोटल पुर
24, परगना, पश्चिम बंगाल			
सिधू कानू ग्राम उन्नयन	1988-89	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	मेमारी-II
समिति, मेमारी जिला बर्दवान	वही	10 जन शिक्षण निलयम	मेमारी
	1990-91	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	मेमारी-II
	वही	10 जन शिक्षण निलयम	मेमारी
टैगोर ग्रामीण विकास	1988-89	100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	गंगारामपुर
सोसाईटी, रंगवलिया	वही	वही	बोलपुर
	वही	वही	गोसाबा
	वही	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	तपन
	वही	10 जन शिक्षण निलयम	गोसाबा
	1990-91	30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	तपन
	वही	3 जन शिक्षण निलयम	तपन

नोट :—इन स्वैच्छिक एजेंसियों ने परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया है। अतः बर्दवान, मिदनापुर, हुगली, बीरभूम, कूच-बिहार, बांकुड़ा, और उत्तरी 24 परगना इन स्वैच्छिक एजेंसियों को और अनुदानें स्वीकृत न करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि इन जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए जा चुके हैं।

(ग) उन स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम जिन्हें संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए संस्वीकृत किया गया था।

पौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र,
पश्चिम बंगाल,
बंगाल सामाज सेवा लीग
1/6 राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट
कलकत्ता-700009

मिदना पुर साक्षरता—ओ रोग
प्रतिषेध समिति
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
मिदनापुर

बर्दवान जिला साक्षरता समिति
जिला—बर्दवान (प०बं०)

हुगली जिला सार्विक साक्षरता-ओग-जन शस्त्र
शिक्षा प्रसार परिषद
मार्फत हुगली जिला परिषद
चिनसुरा, हुगली (प० बं०)

बीरभूम जिला साक्षरता समिति
मार्फत—जिला मजिस्ट्रेट,
बीरभूम

कूच-बिहार शिक्षण और विकास
(अग्रणी) सोसाइटी,
मार्फत जिला मजिस्ट्रेट बंगला
नीलकुटी, कूच-–बिहार (प० बं०)

बांकुड़ा साक्षरता समिति
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल)

उत्तरी 24 परगना साक्षरता समिति
मार्फत जिला मजिस्ट्रेट बरासत (प० बं०)

सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करना

[हिन्दी]

2559. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरों में स्थानान्तरित किए है;

(ख) यदि हां, तो उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कार्यालयों, जो अभी स्थानान्तरित किए जाने हैं, का कस्बों के नामों सहित अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) सरकारी कार्यालयों से संबंधित ब्यौरे :

पोस्टल स्टाफ कालेज अप्रैल, 1990 में गाजियाबाद में स्थानांतरित किया गया है। निम्नलिखित और कार्यालयों को भी स्थानांतरित किया जाना है :—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	जहां स्थानांतरित किया जाना है।	स्थानांतरण में विलम्ब के कारण
1	2	3	4
1.	तट रक्षक (मुख्यालय)	गाजियाबाद	अधिकांश मामलों में भूमि का अभी आवंटन किया जाना है। कुछ मामलों में, जिनमें भूमि आवंटित की गई है, भवन निर्माणाधीन है। कुछ मामलों में निर्णय के प्रतिधारण पुनर्विचार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
2.	अनुसंधान और विकास केन्द्र, डाक विभाग	गाजियाबाद	
3.	निरीक्षण निदेशालय, उत्तर निरीक्षण परिमंडल, पूर्ति विभाग	गाजियाबाद	
4.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन प्रभाग, गीत और नाटक प्रभाग तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय	गाजियाबाद	
5.	गृह मंत्रालय के अधीन अपराध अभिलेखन ब्यूरो	कोई भी दिल्ली महा-नगर क्षेत्र का नगर	—वही—

1	2	3	4
6.	दीपघर तथा दीप पोत विभाग	नोएडा	—वही—
7.	सेंट्रल इंस्टीटयूट आफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इम्प्लॉयमेंट सर्विस श्रम मंत्रालय	नोएडा	—वही—
8.	भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	कोई उपयुक्त स्थान, जैसे गुड़गांव	—वही—
9.	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद	—वही—
10.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान	गाजियाबाद	—वही—
11.	नेशनल अकैडमी ऑफ कस्टमस, एक्साईज एंड नारकोटिक्स	फरीदाबाद	—वही—
12.	अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग	नोएडा	—वही—
13.	औद्योगिक और वित्तीय पुन-निर्माण बोर्ड	नोएडा	—वही—

(II) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ब्यौरे

सरकार ने निम्नलिखित 25 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तथापि, इनमें से कोई भी वस्तुतः अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ है।

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम	स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालय की स्थिति
1	2	3
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	मुख्यालय
2.	स्टेट फॉर्मर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०	मुख्यालय
3.	सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन	क्षेत्रीय कार्यालय और निर्माण कक्ष
4.	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और जोनल कार्यालय (उत्तर)
5.	हॉस्पीटल सर्विसेज कंसलटेंसी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	मुख्यालय
6.	वायुदूत	मुख्यालय

1	2	3
7.	हेलीकाप्टर कार्पोरेशन आफ इंडिया	मुख्यालय
8.	एयरलाइन्स ऐलाइड सर्विसेज लि०	मुख्यालय
9.	भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	मुख्यालय
10.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	क्षेत्रीय कार्यालय
11.	राष्ट्रीय खाद निगम	मुख्यालय
12.	भारतीय खाद निगम	मुख्यालय
13.	हिन्दुस्तान खाद निगम लि०	मुख्यालय
14.	पाइराइट्स, फास्फेटस एंड कैमिकल्स लि०	मुख्यालय
15.	पारादीप फास्फेटस लि०	मुख्यालय
16.	इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि० (कैमिकल्स डिवीजन)	मुख्यालय
17.	नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन	मुख्यालय
18.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि०	क्षेत्रीय एकक
19.	भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि०	मुख्यालय
20.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	मुख्यालय
21.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०	मुख्यालय
22.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	मुख्यालय
23.	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०	मुख्यालय
24.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	मुख्यालय
25.	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया	मुख्यालय

तथापि, जहां इन उपक्रमों को स्थानांतरित किया जाना है, स्थलों का चयन संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर छोड़ दिया गया है। इन सार्वजनिक उपक्रमों को शीघ्र स्थानांतरित करने के मामले को संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों के साथ मंत्री स्तर पर उठाया है।

बाल सुधार गृह (चिल्ड्रन होम्स एण्ड रिमांड होम्स)

[अनुवाद]

2560. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल सुधार गृहों में बच्चों के आवास और प्रशिक्षण की समस्या का समाधान

करने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में उन किशोरों को अस्थायी रूप से प्रेक्षण गृह में रखने की व्यवस्था है जिनके विरुद्ध कोई जांच लम्बित हो प्रेक्षण गृहों को आवास, अनुरक्षण, डाक्टरी जांच और उपचार की सुविधाओं सहित लाभदायक व्यवसाय की सुविधाएं भी उपलब्ध करनी होती हैं।

(ख) जबकि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है, भारत सरकार द्वारा किशोर सामाजिक कुसंमंजन के निवारण तथा नियंत्रण की एक योजना शुरू की गई है जिसके अधीन प्रेक्षण गृहों में सेवाओं की व्यवस्था और स्तरोन्नयन पर हुए व्यय का 50% व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों को पारियों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

2561. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोगियों की सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों (एलोपैथिक) को प्रातः और सायं की पारी में प्रारम्भ करने का है जैसा कि पहले खुला करते थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति और दिशानिर्देश अपना रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) औषधालयों के कार्य करने के घंटों को सरल और कारगर बनाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, अब तक किन्हीं दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जबलपुर परियोजना

[अनुवाद]

2562. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989 में 'जबलपुर हैबिटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' नाम से कोई परियोजना प्रस्तुत की थी जिसमें पश्चिम जर्मनी से सहयोग करने का प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्यान्वयन कब शुरू करने की सम्भावना है तथा इस पर खर्च होने

वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। जबलपुर सहित चार शहरों में हैबीटाट सुधार परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने 1989 के दौरान भेजा था।

(ख) इन्दौर में चालू हैबीटाट परियोजना के घटिया निष्पादन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने परियोजना को बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं समझा। हैबीटाट परियोजना को बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व इंदौर परियोजना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को बेहतर निष्पादन प्रदर्शित करने की सलाह दी गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि

2563. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) उक्त योजना के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान नियतित की गई और दी गई तथा 1991-92 के लिए अन्तिम रूप से नियतित केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान नियतित की गई तथा दी गई और वर्ष 1991-92 के दौरान अनन्तिम रूप से नियतित केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

	1990-91		1991-92
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नियतन दी गई राशि क	ख	अनन्तिम नियतन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	796.91	812.29	851.98
बिहार	873.57	894.71	878.66
गुजरात	372.35	378.87	408.12

1	2	3	4
हरियाणा	156.34	160.95	155.53
कर्नाटक	847.55	868.72	342.74
केरल	328.81	335.78	345.27
मध्य प्रदेश	836.86	855.40	854.95
महाराष्ट्र	1059.03	1097.63	1034.27
उड़ीसा	307.54	316.60	294.43
पंजाब	295.64	301.04	287.37
राजस्थान	882.19	581.88	568.18
तमिलनाडू	895.40	914.04	958.64
उत्तर प्रदेश	2295.53	2353.29	2257.26
पश्चिम बंगाल	697.42	712.01	747.12
गोवा	26.04	26.04	29.31
अरुणाचल प्रदेश	25.05	25.46	34.25
असम	180.92	186.12	174.22
हिमाचल प्रदेश	54.95	54.96	66.52
जम्मू तथा कश्मीर	85.28	85.28	93.95
मणिपुर	39.42	39.42	42.81
मेघालय	28.15	28.16	39.90
मिजोरम	19.71	19.70	26.12
नागालैण्ड	33.02	33.02	41.47
सिक्किम	21.88	21.86	30.80
त्रिपुरा	19.21	19.24	25.83
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9.08	9.05	12.53
चण्डीगढ़	15.67	15.67	23.65
दादर तथा नगर हवेली	7.13	7.12	11.45
दमन तथा द्वीव	14.72	14.73	20.03
लक्षद्वीप	7.28	4.40	—

1	2	3	4
पांडिचेरी	26.88	26.88	29.75
दिल्ली	20.33	80.33	43.50
	योग : 10979.77	11213.75*	11140.00**

टिप्पणी : *मंत्रालय के अन्य प्रभागों से पुनर्विनियोजन द्वारा 233.98 लाख रुपये के उपलब्ध होने के कारण 1990-91 के दौरान बढ़ाई गई राशि दी गई थी।

**उपयुक्त उपयोगिता विवरणों की प्राप्ति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991-92 के लिए निधियां दी जाएगी।

भवन निर्माण में नई तकनीक

[हिन्दी]

2564. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में भवन निर्माण में एक नई तकनीक "सी० के० सी० पोरेक्स" का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार की देश भर में, विशेषकर दिल्ली में, भवन निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस तकनीक को विकसित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार को "सी० के० सी० पोरेक्स" नामक किसी उत्पाद की जानकारी नहीं है। तथापि, पुणे, महाराष्ट्र में एक फर्म द्वारा सिपोरेक्स के व्यावसायिक नाम के अन्तर्गत एक लाईट वेट परटिड सेलूलर कंक्रीट स्ट्रक्चरल मैटिरियल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी सरकारी निर्माण एजेंसियों का जहां तक सम्बन्ध है, फिलहाल इस तकनीक को अपनाने या विकसित करने की कोई योजना नहीं है। यद्यपि हाल ही में सरकार द्वारा एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद भवनों के निर्माण के लिए प्रिफेब्रीकेटिड प्रौद्योगिकी ही उन्नत करने के सतत प्रयास कर रही है। हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड भी वायुतन के व्यावसायिक नाम के अन्तर्गत प्रीफैब घटकों के निर्माण में लगा हुआ है। देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की प्रीफैब प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है।

रामेश्वरम तमिलनाडु में नेशनल मैरिन पार्क

[अनुवाद]

2565. डा० वी० राजेश्वरन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में रामेश्वरम के निकट पर्यटन के विकास के लिए कोई

नेशनल मैरिन पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने समुद्री जैव-विविधता सहित क्षेत्र की परिस्थितिकी के संरक्षण के उद्देश्य से रामेश्वरम के निकट मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीप समूहों में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बनाने की इच्छा व्यक्त की है।

सांस्कृतिक विस्तार योजना

[हिन्दी]

2566. श्री गिरधारीलाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परम्परा परियोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में सांस्कृतिक विस्तार योजना बनाई जानी थी।

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय परम्परा परियोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सांस्कृतिक विस्तार योजना न तो बनाई जानी थीं और न ही तैयार की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पिचावरम वन के चारों ओर अप्रवाही जल

[अनुवाद]

2567. डा० पी० वल्लल पेरूमन :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में पिचावरम वन के चारों ओर फैले अप्रवाही जल को स्वच्छ रखने के लिए कोई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस जलाशय से गाद निकालने और इसके जल स्तर को गहरा करने का है ताकि पर्यटक पिचावरम में समुद्री मार्ग से पहुंच सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पिचावरम के अप्रवाही जल की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम के तहत एक स्कीम शुरू की गई है। कच्छ वनस्पति के चारों ओर कंटीले तार लगाना, उथले जल चैनल का निकर्षण, गाद जमाव और मलवे की सफाई तथा कच्छ वनस्पतियों का पुनरुद्धार आदि इस

स्कीम के तहत शुरू की गयी कुछ गतिविधियां है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1988-89 के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 2.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू तारामंडल के लिए भूमि

[हिन्दी]

2568. श्री मोहन सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली के परिसर में नेहरू तारामण्डल बनाने के लिए भूमि का आबंटन किस मन्त्रालय द्वारा किया गया था; और

(ख) उसके लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पेय जल की कमी

2569. श्री राजवीर सिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने शहर हैं जिनमें पेय जल की कमी थी;

(ख) क्या संघ सरकार ने राज्य सरकार को उपर्युक्त अवधि के दौरान पेय जल की कथित कमी को दूर करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1989 में उत्तर प्रदेश में 276 शहरों में पेय जल की कमी थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए 24.92 करोड़ रुपये का अधिकतम व्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें 18.27 करोड़ रुपये की राशि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल कार्यक्रमों के लिए थी।

1990-91 से प्रत्येक राज्य के लिये आपद राहत कोष का गठन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेय जल के लिए व्यवस्था शामिल है और इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 90 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा 67.5 करोड़ रुपये का अंशदान 1990-91 के दौरान दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में विज्ञापन पटलों के खिलाफ अभियान

[अनुवाद]

2570. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनेक विज्ञापन पटलों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है;

(ख) क्या यही संख्या में गैर-सरकारी विज्ञापक विज्ञापन-पटल लगाने में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या विज्ञापन पटल लगाने से पूर्व नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम से अनुमति ले ली गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार उन विज्ञापकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। क्या उन्होंने अवैध रूप से विज्ञापन-पटल लगाये ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि कतिपय विज्ञापनदाता सरकारी/निजी भूमि पर इस काम में लगे हुए हैं। छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी ने सूचित किया है कि केवल एक निजी विज्ञापनदाता को बिजली-बत्ती के खम्भों पर विज्ञापन लगाने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जब भी अनधिकृत होर्डिंग्स का विज्ञापन तख्ते ध्यान में आते है, उनको हटा दिया जाता है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में निजी पार्टियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स का विवरण संलग्न है। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं ली गई है। कई विज्ञापनदाताओं ने होर्डिंग्स न हटाने के लिए विभिन्न न्यायालयों से रोक-आदेश लिए हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि होर्डिंग स्थल/विज्ञापन तख्ते पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को केवल खुली नीलामी में आवंटित किए जाते हैं।

(घ) 1960 में अधिसूचित विज्ञापन नियन्त्रण और नियमन से सम्बन्धित नई दिल्ली नगर पालिका उप-नियम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभिखण्डित किए गए थे। नई दिल्ली नगर पालिका ने नए उप-नियम बनाए हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी अधिसूचित किए जाने हैं।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि अवैध अनधिकृत होर्डिंग्स/विज्ञापन तख्तों को हटाया जाता है। निजी भवनों पर प्रदर्शित निजी होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक तीव्र अभियान भी चलाया गया है।

विवरण

निजी विज्ञापनदाताओं द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए होर्डिंग्स की सूची, जो न्यायालय से स्थगनादेश अधीन है।

क्रम संख्या	स्थान	होर्डिंग्स की संख्या	जिससे भूमि संबंधित है
1	2	3	4
1.	मिंटो रोड	3	रेलवे
2.	तिलक ब्रिज	1	—वही—
3.	रीगल बिल्डिंग की छत	1	निजी
4.	मरीन होटल के सामने दरगाह की छत	1	—वही—
5.	शिव मन्दिर पंचकुइयां रोड	3	—वही—
6.	शिव मन्दिर, लिंक रोड	1	—वही—
7.	ओबराय होटल के समीप ब्लाईंड रिलीफ एसोसिएशन बिल्डिंग की छत	1	—वही—
8.	ओबराय होटल के सामने दरगाह की छत	3	—वही—
9.	ओबराय होटल के बाहर मस्जिद की छत	2	—वही—
10.	जोधपुर मेन	1	सरकारी
11.	"एम" ब्लाक; कनाट प्लेस	1	निजी
12.	बंगला नं० 9, रेलवे कालोनी कनाट प्लेस	4	रेलवे
13.	रेलवे क्वार्टर्स बसन्त रोड	1	—वही—
14.	सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने शिव मंदिर	2	नई दिल्ली नगर पालिका
15.	सफदरजंग फ्लाई ओवर	2	—वही—
16.	ए० बी० ब्लाक, सरोजिनी नगर	1	सरकारी
17.	मस्जिद, कस्तूरबा गांधी मार्ग	2	निजी
18.	रेलवे ब्रिज अफ्रीकी एवेन्यू	4	रेलवे

3. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है;

4. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में मद्यनिषेध लागू करना

[अनुवाद]

2573. श्री आर० जीवरत्नम :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में मद्य निषेध नीति लागू करने पर राज्य सरकार को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव, भारत सरकार के परीक्षणाधीन है।

मद्यनिषेध का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

2574. श्री राम पूजन पटेल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मद्य निषेध लागू करके राष्ट्रपिता की भावनाओं का सम्मान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मद्यनिषेध लागू करने के लिए आवश्यक उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाने हैं।

(ख) मद्य निषेध को लागू करने के लिए किए जाने वाले तात्कालिक तथा दीर्घावधि उपायों को निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश राज्य सरकारों को भेजे जा चुके हैं।

वनों की कटाई

[अनुवाद]

2575. कुमारी उमा भारती :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वनों की कटाई से राज्यवार कितना क्षेत्र बंजर हो गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर खजुराहो जिले में वनों की कटाई सर्वाधिक है;

लि

केरल में विदेशी सहयोग से पेय जल आपूर्ति योजनाएं

2571. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विदेशी सहयोग से पेय जल आपूर्ति की कोई बड़ी योजना इस समय केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केरल सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए 316.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केरल शहरी विकास परियोजना पर एक प्रारम्भिक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव में कोछी, कोझीकोडे तथा थिरुवनन्तपुरम् के शहरों में शहरी मूलभूत सुविधाओं के विकास, यातायात और परिवहन तथा जल आपूर्ति पर विचार किया गया है।

चूंकि केरल जल आपूर्ति परियोजना, जिसका विस्तार तथा पुनर्गठन किया जा रहा है, पहले से ही चल रही है, अतः परियोजना को उसके वर्तमान स्वरूप में विश्व बैंक की सहायतार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, नई योजना के अन्तर्गत और अधिक जल आपूर्ति घटकों के मुद्दे को राज्य सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा गया है।

महाराष्ट्र में इस्पात संयन्त्रों द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

2572. श्री विलासराव गुण्डेवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न इस्पात संयन्त्रों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में विभिन्न इस्पात संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1 बम्बई महानगर क्षेत्र तथा तारापुर रोहो और पाताल गंगा के औद्योगिक क्षेत्रों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(1) के अन्तर्गत "वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र" घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में लोह और इस्पात इकाइयों को वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है और उन्हें 31-12-1991 तक निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

2. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह प्रतिबिंबिकी की दृश्य व्याख्या के जरिये देश में वन अच्छादन का हर दो वर्षों के पश्चात मूल्यांकन करता है जिसे "दि स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट" नामक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। "दि स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, तमिनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा दादर व नगर हवेली राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वास्तविक वन आच्छादन मे कमी आई है।

(ख) और (ग) उक्त रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में वास्तविक वन आच्छादन में 4.25% की वृद्धि हुई है।

(घ) 1. निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :—

(1) 1000 मी॰ से ऊपर की पहाड़ियों पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए वृक्षों को काटने पर प्रति प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना;

(2) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई न करना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य वन-वर्धन कारणों से कटाई अपरिहार्य हो वहां पहाड़ी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर और मैदानी क्षेत्रों में 25 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित होनी चाहिए।

2. जैविक हस्तक्षेप से वनों के संरक्षण के लिए अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों को मदद देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

3. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में जलाने की लकड़ी के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र

[हिन्दी]

2576. श्री राम प्रकाश चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा विशेषकर अम्बाला जिले में संघ सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र नहीं खोले गये हैं जिसके कारण ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान हरियाणा में खोले जाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) हरियाणा राज्य में अम्बाला जिले सहित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 365 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (तात्कालिक लक्ष्य का 100%) और 2293 उपकेंद्र (लक्ष्य का 92.7%) खोले गए हैं। ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाने हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है। अम्बाला जिले में सभी अपेक्षित 146 उप-केन्द्र और 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए गए हैं।

ग्रामीण जनता को उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा हमारी जानकारी के अनुसार उस राज्य में 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 8 ग्रामीण अस्पताल हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग द्वारा हरियाणा के लिए 1991-92 में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने से सम्बन्धित लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए थे। उप-केन्द्रों पर धन केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय सरकार का देश में कहीं भी 1991-92 के दौरान नए उपकेंद्रों के लिए धन देने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

जंगली जानवरों की समाप्त प्राय जातियों को संरक्षण देना

[अनुवाद]

2577. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अभयारण्यों में शेरों और गैंडों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जंगली जानवरों की समाप्तप्राय जातियों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश में शेरों और गैंडों की लगातार दो गणनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है—

शेर	239 (1985)	284 (1990)
गैंडा	1200 (1984)	1591 (1989)

(ग) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अन्तर्गत संकटापन्न प्रजातियों के शिकार और उनसे बनी वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

2. पादपों और जीव जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों के तथा उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइटस) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है।

3. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके चोरी-छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात के संरक्षण के लिए देश में लगभग 4.19 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में 411 वन्यजीव अभयारण्यों तथा 70 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेट वर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. बाघों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

6. चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों के सम्बन्ध में राज्यस्तर पर पुलिस तथा केन्द्र स्तर पर सीमा शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तट-रक्षक तथा थल सेना के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

7. चोरी-छिपे शिकार करने वालों तथा अवैध व्यापारियों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार प्रणाली शुरू की गई है।

8. "संकटापन्न प्रजातियों" की "बंधी प्रजनन" के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय युवा नीति

2578. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) क्या युवा नीति तैयार करते और कार्यान्वित करते समय युवा संगठनों से परामर्श किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) पहले से ही एक राष्ट्रीय युवा नीति है, जिसे 1988 के दौरान संसद में रखा गया था।

(ग) इसे राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकार के अधीन युवा संगठनों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय युवा नीति तैयार करने में युवा संगठनों से विचार विमर्श किया गया था। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी उन्हें शामिल किया जा रहा है।

दिल्ली में अधिकृत और अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

[हिन्दी]

2579. श्री राम बदन :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान दिल्ली की अधिकृत और अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कारण क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अनधिकृत नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जा रही है —

(i) पक्की/ईंट के खड़ंजों वाली सड़कों का निर्माण;

(ii) नालियों का निर्माण;

(iii) जल आपूर्ति की लाइनें बिछाना;

(iv) सीवर लाइनें बिछाना;

(v) जहां कहीं भूमि उपलब्ध हो, पार्कों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि अनधिकृत कालोनियां, जो 1-1-81 से पहले अस्तित्व में आईं थी और जिनको नियमित नहीं किया गया है उनमें जलापूर्ति और बिजली की सुविधा दी जाय।

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग

[अनुवाद]

2580. श्री अन्नारासु इरा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। बल्कि, सरकार एक पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित करने के लिए विचार कर रही है।

(ख) पिछड़ा वर्ग विकास निगम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

"हुडको" की सहायता से आंध्र प्रदेश में आवासीय परियोजनाएं

2581. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की आवास समस्या का समाधान करने के लिए "हुडको" के विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) "हुडको" में स्वीकृति के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) विजयवाड़ा नगर निगम द्वारा 2.14 करोड़ रुपये के एक ऋण के लिये पटरी वासियों हेतु रैन बसेरों के निर्माणार्थ प्रस्तुत दो योजनाएं आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) को प्रस्तुत की गई है।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य मे विभिन्न अभिकरणों से 17.60 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए 41 आवास योजनाएं तथा 11.20 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिये एक शहरी अर्द्धसंरचना योजना हुडको में प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं मे है। इसके अतिरिक्त, 122.20 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिये 123 योजनाएं हुडको मार्ग निर्देशों के अनुसार विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ आंध्र प्रदेश में उधार लेने वाले विभिन्न अभिकरणों के पास लम्बित है।

किशोर न्यायालय

2582. श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री भगवान शंकर रावत :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां किशोर नाम अधिनियम के अन्तर्गत बाल अपराधों के लिए अब तक किशोर न्यायालय और सुधार गृह स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या अधिकतर राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार किशोर न्यायालय हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, नागालैंड राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में स्थापित किए जा चुके है।

जहां, किसी क्षेत्र के लिए कोई किशोर न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है उस क्षेत्र में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अधीन शक्तियों का प्रयोग उस क्षेत्र के जिलाधीश अथवा सबडिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

अपराधी किशोरों के लिए सुधार गृह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित नहीं किए जाते है। तथापि अधिनियम के अन्तर्गत प्रेक्षण गृह, विशेष गृह तथा उत्तरवर्ती देखभाल संस्थायें स्थापित की जाती हैं।

(ख) और (ग) किशोर न्याय अधिनियम, 1986, का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्यायालय स्थापित करने के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लिखा पढ़ी की जाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एल० एल० एम० पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि करने की मांग

2583. श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को एल० एल० एम० में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या एल० एल० एम० पाठ्क्रम में सीटों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की गयी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार एल० एल० एम० की प्रवेश परीक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को अनुमति देने का है, जिन्होंने एल० एल० बी० में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वे सभी छात्र, जिनके एल० एल० बी० परीक्षा में 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक हैं, एल० एल० एम०के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय ने आगे यह सूचित किया है कि इस वर्ष एल० एल० एम० प्रवेश परीक्षा में 193 छात्र बैठे। स्थान बढ़ाने की मांग के प्रत्युत्तर में, विश्वविद्यालय ने चालू शैक्षिक सत्र में एल० एल० एम० पाठ्यक्रम की भर्ती क्षमता को बढ़ाकर 50 से 65 कर दिया है।

गैर-हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी का दर्जा

2584. श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-हिन्दी भाषी राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा में, माध्यमिक स्तर पर हिन्दी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गोआ गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा पंजाब और सिक्किम आदि राज्यों में, हिंदी माध्यमिक स्तर परएक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। तथापि, असम, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आदि राज्यों में, हिन्दी माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के निर्धारणों को पृष्ठांकित किया जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को अपनाना चाहिए तथा इसे तत्परता से लागू किया जाना चाहिए। अहिंदी भाषी राज्यों के संबंध में, सूत्र

में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिन्दी के अध्ययन का प्रावधान है। तदनुसार, सूत्र में अहिन्दी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अनिवार्य अध्ययन का प्रावधान है। तथापि, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यथा-उल्लिखित आठवां अहिन्दी भाषी राज्यों में, हिन्दी माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।

(ग) स्कूली शिक्षा की देखभाल तथा प्रबन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें तथा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूल स्तर पर भाषा सहित सभी विषयों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर हुआ व्यय

[हिन्दी]

2585. कुमारी विमला वर्मा :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में "जनसंख्या वृद्धि दर" में अब तक कितनी कमी आई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) क्या प्राप्त परिणाम लक्ष्य के अनुरूप सन्तोषजनक नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जनगणना के आधार पर 1951—61, 1961—71, 1971—81 और 1981—91 के दौरान मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धिदर क्रमशः 24.17, 28.67, 25.27 और 26.75 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को दी गई सहायता (दोनों नकद और वस्तु के रूप में) की धन-राशि और परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य द्वारा किए गए व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण-I में संलग्न है। पिछले 3 वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकलापों के अन्तर्गत नियत किए गए विधि-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर को रोकने के लिए नए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। इस संदर्भ में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ बारीकी से परामर्श करके समस्त कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल देना, नवीनतम ताजा सूचना, शिक्षा और संचार प्रयास शुरू करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, गर्भनिरोधकों की सप्लाई और उनके स्वीकारकर्ताओं के घरों पर गर्भनिरोधकों के वितरण की बेहतर व्यवस्था करना, उच्च प्रजनन क्षमता वाले युवा दंपतियों को अधिक से अधिक संख्या में गर्भनिरोधन की अंतराल

विधियों के अन्तर्गत शामिल करना, अंतरक्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने के तंत्र को संस्थागत बनाना, परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए और इन सेवाओं के प्रति मांग पैदा करने के लिए सरकार के प्रयासों को पूरक और अनुपूरक बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना शामिल है। मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा देने वाले बाह्य अभिकरणों से प्राप्त सहायता से क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। चयन किए गए जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार करने के लिए एक नई सूचना शिक्षा और संचार परियोजना चरणवार ढंग से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश सरकार को दी गई सहायता और 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य द्वारा व्यय की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

वर्ष	संघ सरकार द्वारा दी गई सहायता (नकद और सामग्री)	राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय (नकद और सामग्री)
1	2	3
1988-89	3658.44	4225.51*
1989-90	4673·44	5200.74*
1990-91	4797.84	5060.98*

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं बशर्ते कि व्यय के अंकेक्षित विवरण के आंकड़ों के साथ मिलान किया जाए।

विवरण-II

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां

परिवार नियोजन तरीके/मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	1988-89			1989-90			1990-91		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि*	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) परिवार नियोजन तरीके									
1. नसबंदी	400000	273584	68.4	350000	237386	67.8	350000	284815	81.4
2. आई० यू० डी० निवेशन	251000	306712	122.2	300000	334171	111.4	370000	357600	96.6
3. प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	961000	1002491	104.3	1150000	1230744	107.0	1100000	1317060	119.7
4. मुख सेवन गोली उपयोगकर्ता	132000	191491	145.1	20000	222042	111.0	220000	257054	116.8
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप									
(ख) रोगप्रतिरक्षण									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके	1771000	1253872	76.4	2176400	1411550	64.9	2159960	1633272	75.6
2. बच्चों को डी०पी०टी० के टीके	1460000	1498619	102.6	1626800	1674122	101.9	1835420	1754242	95.6
3. पोलियो	1460000	1390337	95.2	1626800	1654093	101.7	1835420	1783970	97.2
4. बी० सी० जी०	1460000	1568299	107.4	1626800	1867376	114.8	1835420	1956128	106.6
5. खसरा	1068000	1151262	107.8	1626800	1480284	91.0	1835420	1752339	95.5
6. बच्चों को डी० टी० के टीके	1656000	1177474	70.9	1600000	1345966	84.1	1350535	1143600	84.7
7. टी० टी० (10 वर्ष)	820000	653254	79.7	1546000	927337	60.0	1242492	977912	78.7
8. टी० टी० (16 वर्ष)	313000	370013	118.2	1475400	619041	42.0	1188471	721740	60.7
पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम									
1. कुल महिलाएं	1051000	1344995	128.0	1051000	1476627	140.5	1728000	1601555	92.7
2. बच्चे	2200000	1597046	72.6	2200000	2076222	94.4	2733300	1845395	67.5
(ग) विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम	2200000	4707896 (खुराकें)	107.0	2200000	4490026 (खुराकें)	102.0	2472700	4058166 (खुराकें)	82.1

*आंकड़े अनंतिम हैं।

औपचारिक शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य

2586. श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें औपचारिक शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है;

(ख) यह कार्यक्रम शुरू कब किया गया था; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) गैर-औपचारिक शिक्षा के नाम से ज्ञात अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू है। ये राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम सभी के सभी 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू है।

(ख) गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में 1979-80 में प्रारंभ किया गया था। 1987-88 में अरुणाचल प्रदेश को 10वें राज्य के रूप में इसके जोड़ा गया। वर्ष 1990-91 के अंत तक, अन्य 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने कामकाजी बच्चों के बाहुल्य वाली अपनी शहरी गन्दी बस्तियों, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा जन जातीय इलाकों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 5 मई, 1988 को प्रारंभ किया गया था।

(ग) गैर औपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत, वर्ष 1987-88 के पूर्व कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में क्रमशः 2 लाख, 2.75 लाख, 3.55 लाख और 3.55 लाख केन्द्रों को खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही। वर्ष 1979-80 से गैर-औपचारिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुल 223.10 करोड़ रु० की धन राशि खर्च की जा चुकी है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मामले में, वर्ष 1995 तक (15—35) आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ शिक्षुओं को साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केरल, गोआ और पांडिचेरी राज्यों के 45 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान के छेड़ देने के कारण कार्यक्रम प्रगति पर है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रारंभ होने के समय से अब तक, कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं पर कुल 3 2.45 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है।

भारत-अमरीका शिक्षा केन्द्र

[अनुवाद]

2587. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक भारत-अमरीका शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने इस केन्द्र की स्थापना करने में कितनी सहायता प्रदान करना स्वीकार किया है;

(ग) क्या यह केन्द्र जन शिक्षा तथा भारत-अमरीका संवाद का प्रमुख स्रोत होगा;

(घ) इस केन्द्र के अन्य उद्देश्यों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) ऐसे और केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हरिजन कालोनी और आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

2588. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार की केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, विशेष रूप से हरिजन कालोनियों और आदिवासी क्षेत्रों मे करने के लिए की गई मांग की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय की योजना में हरिजन बस्तियों अथवा आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों की परिकल्पना नहीं की गई है। अतः इस प्रकार के प्रस्तावों के हेतु विहित प्रपत्र में यह मद शामिल नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए जिन बातों पर ध्यान दिया जाता है वे हैं—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और/अथवा केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के कर्मचारियों की बाहुल्यता, प्रारंभिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि और भवन प्रदान करने की वचनबद्धता आदि। केन्द्रीय विद्यालयों का खोलना, निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त प्रस्तावों का प्रयोजन तथा प्रशासनिक मुद्दों पर निर्भर करता है।

खेतिहर मजदूर

[अनुवाद]

2589. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य वार कितने खेतिहर मजदूर हैं और उन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वे कितने प्रतिशत हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : 1981 की जनगणना के अनुसार राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में कृषि श्रमिकों की संख्या और उनकी प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार राज्य वार/सं०शा०क्षेत्र वार ग्रामीण जनसंख्या, कृषि श्रमिकों की संख्या और ग्रामीण जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता दिखाने वाला विवरण

भारत/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण जनसंख्या	कृषि श्रमिकों की संख्या	ग्रामीण ज० संख्या में कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता
1	2	3	4
भारत*	507,607,678	52,713,022	10.38
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	41,062,097	7,912,322	19.27
2. असम	1981 में असम में जनगणना नहीं की गई थी।		
3. बिहार	61,195,744	7,162,127	11.70
4. गुजरात	23,484,146	2,350,195	10.01
5. हरियाणा	10,095,231	560,289	5.55
6. हिमाचल प्रदेश	3,954,847	38,901	0.98
7. जम्मू और कश्मीर	4,726,986	54,976	1.16
8. कर्नाटक	26,406,108	3,379,223	12.80
9. केरल	20,682,405	1,819,565	8.80
10. मध्य प्रदेश	41,592,385	4,666,224	11.22
11. महाराष्ट्र	40,790,577	6,119,959	15.00
12. मणिपुर	1,045,493	22,220	2.13

1	2	3	4
13. मेघालय	1,094,486	55,847	5.10
14. नागालैंड	654,696	2,556	0.39
15. उड़ीसा	23,259,984	2,320,189	9.98
16. पंजाब	12,141,158	1,014,171	8.35
17. राजस्थान	27,051,354	71[illegible],831	2.64
18. सिक्किम	265,301	4,766	1.80
19. तमिलनाडु	32,456,202	5,647,523	17.40
20. त्रिपुरा	1,827,490	144,087	7.88
21. उत्तर प्रदेश	90,962,898	4,841,198	5.52
22. पश्चिम बंगाल	40,133,926	3,778,603	9.41
संघ शासित क्षेत्र			
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	139,107	2,303	1.66
2. अरुणाचल प्रदेश	590,411	7,609	1.29
3. चंडीगढ़	28,769	493	1.71
4. दादर और नागर हवेली	96,762	4,486	4.64
5, दिल्ली	452,206	11,359	2.51
6. गोवा दमन और द्वीव	734,922	29,927	4.07
7. लक्षद्वीप	21,620	—	—
8. मिज़ोरम	371,943	2,183	0.59
9. पांडिचेरी	288,424	46,950	16.28

* भारत की ग्रामीण जनसंख्या असम की जनसंख्या को छोड़कर है, जहां 1981 की जनगणना नहीं की गई थी।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिजों की प्रबन्ध समितियों के गठन संबंधी मानदंड

2590. श्री ई० अहमद :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिजों की प्रबन्ध समितियों के गठन के मानदण्डों का ब्योरा क्या है; और

(ख) केरल में कालीकट स्थित चेत्रमंगलम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज के शासी निकाय के सदस्यों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के शासी निकायों की संरचना एक जैसी ही है तथा इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सलाह और राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किया गया है।

(ख) केरल के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट, शासी के निकाय का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के शासी के निकाय की संरचना

(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केरल राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। (केरल राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं)

(2) से (4) केरल राज्य सरकार के तीन नामित व्यक्ति।

(5) से (7) केन्द्र सरकार के तीन नामित व्यक्ति।

(8) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि।

(9) कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर जिससे कालेज संबद्ध है।

(10) से (11) क्षेत्र के दो उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविज्ञ (गैर-सरकारी प्रतिनिधि) जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य सरकार के परामर्श से नामित किया जायेगा।

(12) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा नामित एक व्यक्ति।

(13) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति।

(14) से (15) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट के संकाय के दो प्रतिनिधि।

(16) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट के प्रधानाचार्य पदेन सदस्य सचिव के रूप में।

नसबंदी/नलबंदी आप्रेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

2591. श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लिए नसबंदी/नलबंदी आप्रेशन कराने वाले अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों अथवा उनके/उनकी पतियों/पत्नियों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे कर्मचारियों को अन्य रियायतें/वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सरकारी कर्मचारियों को तीन या इससे कम बच्चों के पश्चात् स्वयं या उनकी पति/पत्नी द्वारा नसबन्दी आपरेशन करवाने पर निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :—

(i) वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतन वृद्धि । इसे वेतन की भावी वृद्धियों में शामिल न किया जाए ।

(ii) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर में आधे प्रतिशत की छूट ।

(iii) पुरुष कर्मचारियों के संबंध में सात दिनों तक की और महिला कर्मचारियों के संबंध में चौदह दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी ।

(ख) और (ग) ऐसे कर्मचारियों को और कोई रियायतें/वित्तीय लाभ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि ये मौजूदा प्रोत्साहन यथेष्ट समझे जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए उप समिति

2592. श्री सूर्य नारायण सिंह :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 6 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त समिति ने अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की किसी मांग पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) मुख्यालय के उपायुक्त और सहायक आयुक्त, विभिन्न संघों की मांगों सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रशासन संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए गठित किसी अनौपचारिक समिति अथवा कार्य दल में शामिल हो सकते हैं । समय समय पर उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के मामलों की देखभाल करने की यह एक स्थायी व्यवस्था है । इसलिए परिणामों के रूप में इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती । इस अनौपचारिक कार्य दल ने, पदोन्नति कोटा में वृद्धि की मांग, विविध श्रेणियों के लिए पदोन्नति अवसर बढ़ाना, 8 वर्ष के बाद समय बद्ध पदोन्नति, स्थानांतरण नीति से सम्बन्धित मामलों, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी योजना के अन्तर्गत परिषद का गठन आदि जैसे मामलों पर विचार-विमर्श किया है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

2593. श्री माणिक्य गोवर्धन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 (जून के अन्त तक) के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित निगम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी;

(ख) इस निगम के प्रबंध मण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इस निगम का कार्यक्षेत्र क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जून, 1991 के अन्त तक किए गए संवितरण के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति लाभग्राहियों की संख्या थी :

1989-90	...	955
1990-91	...	5477
1991-92	...	19577

(जून, 1991 तक)

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :--

1. श्री बी० आर० वसु, भा० प्र० सेवा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री सी० के० मोदी, भा० प्र० सेवा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग-निदेशक
3. श्रीमती अनीता दास, भा० प्र० सेवा, वित्तीय सलाहकार, कल्याण मंत्रालय-निदेशक
4. श्री एस० ई० अरन्हा, प्रबन्ध निदेशक, कृषि वित्त परामर्शदाता लि०-निदेशक

(ग) निगम की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र है :—

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सृजन,

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को उनकी सहायता प्रदान करना,

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके उनके तकनीकी ज्ञान तथा दक्षता को स्तरोन्नत करना, और

(4) कार्य पूंजी, ऋण/वाणिज्यिक बैंकों से कम दरों पर आवधिक ऋण, और राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों से आवधिक ऋण/इक्यूटी पूंजी की व्यवस्था करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की सहायता करना ।

मस्तिष्क ज्वर के कारण आदिवासियों की मौतें

2594. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भारी संख्या में आदिवासी प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर से मरते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने आदिवासी और अन्य निवासी इसमें मरे; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों में जापानी एन्सेफ्लाइटिस फैला हुआ है और सुअर पालने वाले लोगों में इस रोग की व्यापकता दर अधिक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जापानी एन्सेफ्लाइटिस की मानीटरिंग केवल क्षेत्रीय आधार पर ही की जा रही है। पिछले तीन वर्षों की राज्य-वार रोग की घटना दर नीचे दी गई है।

क्र० सं०	राज्य	1988		1989		1990 (अनन्तिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	असम	102	56	1310	453	281	116
2.	आन्ध्र प्रदेश	135	50	3	2	667	293
3.	बिहार	201	53	212	76	220	72
4.	गोआ	18	2	7	—	16	2
5.	हरियाणा	—	—	—	—	294	205
6	कर्नाटक	81	27	49	18	130	43
7.	मणिपुर	8	—	13	3	33	8
8.	महाराष्ट्र	—	—	1	1	—	—
9.	उड़ीसा	—	—	254	102	—	—
10.	तमिलनाडु	247	122	321	194	243	170
11.	उत्तर प्रदेश	4485	1413	1574	548	183	73
12.	पश्चिम बंगाल	1590	681	2745	1025	849	309
	योग :	6867	2404	6489	2422	2916	1291

(ग) जापानी एन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निम्नलिखि कदम उठाए गए हैं :

1. कीटनाशक छिड़काव के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण।
2. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप तेज किए गए। क्षणिकाओं, पैम्फलेटों, छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का निर्माण किया तथा उन्हें विभिन्न राज्यों को भेजा गया।
3. राज्यों को जापानी एन्सेफ्लाइटिस के टीकों की भी आपूर्ति की गई है।
4. छिड़काव संबंधी कार्यों के लिए अति प्रभावित राज्यों को आसानी से इधर-उधर ले जा सकने वाली फॉगिंग मशीनों की आपूर्ति की गई है।

नन्द नगरी, दिल्ली में सीवर के कनेक्शन

[हिन्दी]

2595. श्री राम निहोर राय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नन्द नगरी पुनर्वास कालोनी में पांच वर्ष पूर्व निर्मित सीवर लाईनों में अब तक कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस कालोनी में निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयों को बन्द कर दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम के अधीन कार्यरत "सुलभ शौचालयों" के सेवा-शुल्क में 150% तक की गई अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सेवा-शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि आन्तरिक सीवरों को चालू नहीं किया गया था क्योंकि परिधीय/आउट फाल सीवर नहीं बिछाये गए थे। मान सरोवर पार्क सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक परिधीय सीवरों का कार्य प्रगति पर है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 37 शौचालय ब्लाकों में से नौ ब्लाकों, जिनमें 398 सीटें हैं, जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे, को बन्द कर दिया गया है और उन्हें गिराया जाना है।

(ग) और (घ) सुलभ शौचालय में प्रत्येक व्यस्क पुरुष से नाममात्र के केवल 20 पैसे वसूल किए जाते हैं। तथापि, महिलाओं और बच्चों से किसी प्रकार का प्रभार नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, 28 शौचालय ब्लाकों में 674 सीटें हैं जो निःशुल्क उपयोग के लिए है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने सेवा-प्रभारों में वृद्धि नहीं की है।

असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

[अनुवाद]

2596. श्री नुरूल इस्लाम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेघालय और उत्तरी बंगाल के कुछ भागों सहित धुबरी, गोलपारा, कोकाराझार, बोरपेटा जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु असम में धुबरी/गोलपारा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय असम की उच्च शिक्षा की आवश्यकतायें तीन राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा पूरी की जा रही है। सिलचर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बनाया जा चुका है। मेघालय तथा उत्तर बंगाल की उच्च शिक्षा की आवश्यकतायें क्रमश: शिलांग मे उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा दार्जलिंग में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय द्वारा पूरी की जा रही है। उपर्युक्त तथा संसाधनों के अत्याधिक दबाव को ध्यान में रखते हुए असम में एक और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए पर्याप्त औचित्य दिखाई नहीं देता।

पर्यावरण न्यायाधिकरण

[हिन्दी]

2597. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार लोग

[अनुवाद]

2598. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं।

(ख) क्या विभिन्न रोजगारों में निर्धारित योग्यता के सम्बन्ध में इन्हें कोई रियायत दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 19.9 लाख तथा 5.1 लाख थी। यह अनिवार्य नहीं कि सभी पंजीकृत व्यक्ति बेरोजगार हों तथा सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं होते ।

(ख) जहां तक निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई रियायत नहीं दी जाती। किन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अपेक्षित अनुभव में रियायत दी जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवोदय विद्यालयों का प्रबन्ध

[हिन्दी]

1999. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों के प्रबन्धन के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) आवंटित धनराशि को इन विद्यालयों और छात्रों पर किस विधि से उपयोग में लाया जाता है;

(ग) क्या नवोदय विद्यालयों में वितरित खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है और यदि हां, तो कैसे;

(घ) क्या ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नवोदय विद्यालयों का प्रबन्धन, नई दिल्ली स्थित नवोदय विद्यालय समिति तथा चंडीगढ़, भोपाल, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, शिलांग और जयपुर स्थित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विद्यालय प्रबन्धन समिति होती है।

(ख) आवंटित निधियों को, विभिन्न मदों, प्रक्रियात्मक मानदण्डों आदि पर अनुमत्य व्यय के रूप में समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदण्डों के अनुसार विद्यालयों और छात्रों पर खर्च किया जाता है।

(ग) विद्यालय की स्टाफ नर्स छात्रों को देने से पहले खाद्य पदार्थों की जांच करती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति होती है जिसके 6 अन्य सदस्य होते हैं जो नीचे दिए गए हैं :

1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. राज्य लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण) का कार्यकारी अभियन्ता।
3. स्थानीय कालेज अथवा सीनियर माध्यमिक विद्यालय अधिमानत: किसी आवासीय स्कूल का प्रिंसिपल।
4. नवोदय विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक।
5. जिला चिकित्सा अधिकारी।
6. जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकलाप

[अनुवाद]

2000. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) विभिन्न क्षेत्रों से कुछ शिकायतें, जिनमें परिषद के कार्यकलापों में वित्तीय कुप्रबंध और प्रशासनिक अनियमितताओं तथा परिषद के निदेशक पर तकनीकी रूप से असफल होने का आरोप लगाया गया था, प्राप्त होने के बाद सरकार ने इस आरोपों की जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति के रूप में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की थी। उनसे यह भी कहा गया था कि वे परिषद के अन्य अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच भी करें।

(ख) और (ग) जांच अधिकारी ने 28-2-91 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर यह मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी राय जानने के लिए भेज दिया गया है।

बौद्धिक संपत्ति अधिकारों तथा प्रतिलिप्यधिकार कानूनों में संशोधन

2601. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों तथा प्रतिलिप्यधिकार कानूनों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) क्या उपर्युक्त संशोधनों में वीडियो चोरी, साफ्टवेयर, किताबें और रिकार्ड किया हुआ संगीत भी शामिल किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या उक्त विधेयक में अमरीकी 'सुपर 301' में उठाई गई सभी आपत्तियों का निवारण हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) जनसाधारण से व्यापक राय जानने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विभिन्न वर्गों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए; सरकार का कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे और अधिक व्यापक और कारगर बनाया जा सके। यह प्रस्ताव आरम्भिक चरण में है। जहां तक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों से सम्बद्ध अन्य कानूनों का सम्बन्ध है, इस समय सरकार किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, यद्यपि जीव-प्रौद्योगिकी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभागों में दो समितियां बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के कुछ पहलुओं की जांच कर रही हैं और विदेशीनुमा नामों/ट्रेडमार्क के प्रयोग को विनियमित करने के प्रश्न की भी जांच, इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर औद्योगिक विकास विभाग में की जा रही है। इन मामलों की जांच विदेशी सरकारों के अनुरोध से प्रभावित न होकर बल्कि राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखकर की जा रही है।

गुजरात में वनों की कटाई

[हिन्दी]

2602. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात के भड़ौच और सूरत के जिलों में हो रही वनों की कटाई की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चरण-चार के बारे में राजस्थान सरकार के प्रस्ताव

2603. श्री रामनारायण बैरवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आप्रेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चरण-चार के बारे में राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा राज्य स्तर की समिति की बैठक कब तक आयोजित करने का विचार है;

(ग) क्या राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार का राज्य को और अधिक अनुदान देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) राज्य को चूंकि आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अन्तर्गत पूरी तरह से शामिल किया गया है अतः राज्य को और अनुदान देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों/दुकानों का बिना बारी का आवंटन

[अनुवाद]

2604. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के फ्लैटों/प्लाटों/दुकानों का आवंटन करने के लिए क्या मार्गनिर्देश दिए गए हैं;

(ख) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान बिना बारी के वर्षवार किए गए आग्रहों के विशेष

कारणों सहित किस आधार पर कितने फ्लैटों/प्लाटों/दुकानों का आबंटन किया गया और इसकी विगत वर्षों के दौरान किए गए वर्षवार आवंटन की तुलना में स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिना बारी के फ्लैटों का आबंटन करने में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में किए जा रहे भेदभाव की जानकारी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति का उपचार करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार की नीति और मार्गनिर्देशों के अनुसार उप राज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण एक वर्ष के दौरान आबंटित किए गए कुल फ्लैटों/भूखण्डों का ढाई प्रतिशत बिना बारी आधार पर आबंटन, अत्यंत अनुकम्पा और कठिनाई के मामलों में व विधवाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं उन अन्य विशेष मामलों में जो उनके विचार से विशेष ध्यान दिए जाने योग्य हो, करने के लिए सक्षम हैं।

दुकानों का आबंटन बिना बारी आधार पर नहीं किया जाता क्योंकि दुकानो के आबंटनार्थ कोई पंजीकरण योजना नहीं है। तथापि निम्नलिखित को दुकान आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प के अन्तर्गत उप-राज्यपाल दिल्ली को विवेकाधिकार है;

(i) उन भूतपूर्व सैनिकों, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई, की विधवाओं को,

(ii) उन सर्विस अधिकारियों, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई, की विधवाओं को,

(iii) सहानुभूति आधार पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताए गए मार्गनिर्देशों और फ्लैटों/दुकानों की उपलब्धता के अनुसार बिना बारी/विवेकाधीन आबंटन किए जाते हैं।

कम्प्यूटरीकृत भविष्य निधि केन्द्र

2605. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों का तत्काल निपटान के लिए सरकार का विचार सभी भविष्य निधि केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में भविष्य निधि धारकों को पेंशन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी हां। अब तक आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में भविष्य निधि सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। बाकी क्षेत्रों में 1991-92 के अन्त तक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों के लिए पेंशन योजना की व्यवस्था

करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(घ) प्रस्तावित पेंशन योजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण संबंधी मानदण्ड

2606. **श्री कदम्बुर एम० आर० जनार्दनन :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने का कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सहायता के पात्र सभी व्यक्तियों को लाभ मिल सके ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(ख) निम्नलिखित व्यक्ति सहायता के पात्र हैं :—

(क) किसी भी आयु और लिंग के भारतीय नागरिक

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी निम्नलिखित के संबंध में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा विकलांग प्रमाणित किया गया है;

दृष्टि विकलांग :

(1) पूर्ण रूप से दृष्टिहीन

(2) सुधार लेंसों सहित दृष्टि/एक्विटी 6/60 अथवा बेहतर आंख की 20/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं।

(3) दृष्टि के क्षेत्रों की सीमा 20 डिग्री अथवा इससे अधिक के कोण से कक्षांतरित हो।

आंशिक दृष्टि वाले :

• सर्वोत्तम संभव सुधार के पश्चात बेहतर आंख की दृष्टि/एक्विटी और 20/200 और (स्नेलन) के बीच हो।

श्रवण विकलांग :

श्रवण विकलांग वे व्यक्ति हैं जिनकी श्रवण शक्ति जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक नहीं है। बिल्कुल यहां तक कि वे श्रवण यंत्र लगाकर भी शब्द सुन/समझ नहीं सकते हैं। इस श्रेणी में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनके बेहतर कान की श्रवण क्षति (गहन क्षति) 90 डेसीबल्स से अधिक क्षति है अथवा दोनों कानों की श्रवण शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई है।

आंशिक रूप से श्रवण विकलांग :

आंशिक रूप से श्रवण विकलांग वे लोग हैं जो नीचे दर्शाई गई किसी भी श्रेणी के

अन्तर्गत आते हैं :—

श्रेणी	श्रवण एक्विटी
मामूली क्षति	बेहतर कान में 30 डेसिबल से अधिक लेकिन 45 डेसिबल से अधिक न हो।
गम्भीर क्षति	बेहतर कान में 45 डेसिबल से अधिक लेकिन 60 डेसिबल से अधिक न हो।
अतिगम्भीर क्षति	बेहतर कान में 60 डेसिबल से अधिक लेकिन 90 डेसिबल से अधिक न हो।

अस्थि विकलांग :—

अस्थि विकलांग वे हैं, जिनमें शारीरिक विकृति अथवा विरूपता है जो हड्डियों, मांस पेशियों और जोड़ों की सामान्य क्रिया में बाधा डालती है।

शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता से ग्रस्त कोई व्यक्ति जो उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिए जाने पर कि व्यक्ति की सामान्य कार्य करने अथवा लाभप्रद रोजगार में लगने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम हो गई है, इस श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

यह निर्णय लिया गया है कि नये अंग लगाने के केन्द्र उन क्षेत्रों/जिलों में खोले जाएंगे जहां पर अंग लगाने के केन्द्र नहीं हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए उन्हें स्वीकृत किए गए सहायतानुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र अंकेक्षित लेखे तथा लाभार्थियों की सूची भेजना आवश्यक होगा। कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल गठित किया गया है।

(ग) सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों को विशेष सहायक यंत्र तथा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। उन विकलांग व्यक्तियों को जिनकी आय 1200/-रु० प्रति माह है, सहायक यंत्र और उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं तथा 50 प्रतिशत लागत पर उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिनकी आय 1200/-रु० तथा 2500/-रु० प्रति माह के बीच हो

2. विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित सहायक यंत्र तथा उपकरण अनुमत्य हैं :—

विकलांग व्यक्तियों का स्वरूप	सहायक यंत्र तथा उपकरण
1	2
क. अस्थि विकलांग	कोर, ट्राई साइकिल तथा व्हील चेयर को छोड़कर आर्थोटिक अन्य प्रोस्थेटिक सहायक यंत्र
ख. श्रवण विकलांग	श्रवण सहायक यंत्र
ग. दृष्टि विकलांग	हाईस्कूल के छात्रों के लिए शैक्षिक किटें जिसमें ब्रेल स्लेट, ब्रेल पाकिट फ्रेम, गिनतारा और मापटेप

1	2
	शामिल है। संबंधित व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए माइक्रोमीटर, कैलीपर्स इत्यादि जैसे ब्रेल माप यंत्र। स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिल छात्रों के लिए ब्रेल टाइपराइटर और टेप रिकार्डर।
घ. मस्तिष्कीय पक्षाघात	रोलेटर (वाकर) विशेष कुर्सी, कार्नर सीट, प्रोनबोर्ड तथा कुर्सी।

(1) जब किसी अस्थि विकलांग व्यक्तियों को कोई अन्य सहायक यंत्र नहीं दिया गया है तो निम्न मानदण्ड के आधार पर तिपहिया साइकिल और व्हील कुर्सी दी जा सकती है :—

1. व्हील कुर्सी तथा तिपहिया कुर्सियां उन विकलांग व्यक्तियों को दी जा सकती हैं जो संपूर्ण रूप से विकलांग हैं और अन्य साधन से चल नहीं सकते हैं और जिनके ऊपर के अंगों में पर्याप्त शक्ति है। व्हील कुर्सियां उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जो स्वयं चल फिर नहीं सकते और उन्हें दूसरों द्वारा सहायता दी जाती है। विशेषज्ञ के निर्णय पर किसी एक व्यक्ति को व्हील कुर्सी तथा तिपहिया साइकिल दोनों दिए जा सकते है।

2. डाक्टर के प्रमाणपत्र के आधार पर आर्थोपेडिक जूते, 180/-50 प्रति जोड़ तक की लागत पर प्रदान किए जा सकते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

2607. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले गए और उनके खोले जाने की तिथियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में क्रमशः 58 केन्द्रीय विद्यालय और 52 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(ख) राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की सूचना निम्नलिखित हैं :

स्थान	जिला	शुरूआत का वर्ष
केन्द्रीय विद्यालय		
(I) अन्ता	कोटा	1988-89
(II) चूरू	चूरू	1989-90

नवोदय विद्यालय

(I)	महीवाली	श्रीगंगानगर	1988-89
(II)	तिलवसनी	जोधपुर	1988-89
(III)	छान	टोंक	1988-89
(IV)	पचवहार	झालावाड़	1988-89
(V)	खैरथाल	अलवर	1988-89
(VI)	जोजावर	पाली	1988-89

नवोदय विद्यालय

[अनुवाद]

2608. डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्थापित नवोदय विद्यालयों में बेहतर किस्म की शिक्षा दी जाती है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में धनी और समृद्ध वर्ग के छात्रों को ही शिक्षा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन्हें जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा पर विचार किए बिना अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, खोले जाते है। किसी भी विद्यालय में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चयन किए गए उम्मीदवारों से भरे जाते हैं और शहरी क्षेत्रों से 25% से अधिक स्थान नहीं भरे जाते। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में किया जाता है बशर्ते कि किसी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो। प्रत्येक विद्यालय में कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को जल तथा मल-व्ययन परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

2609. श्री राम नाईक :

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र जल आपूर्ति और मल-व्ययन परियोजना, चरण-दो, मुम्बई, विश्व बैंक सहायता न मिलने के कारण अधूरी पड़ी है; और

(ख) विश्व बैंक सहायता शीघ्र प्राप्ति हेतु उठाये गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं तथा इस हेतु

समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित महाराष्ट्र जल आपूर्ति और मल-व्ययन परियोजना चरण-II की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इसमें और परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। विश्व बैंक सहायता के लिए शीघ्रता करने का प्रश्न, सुदृढ़ प्रस्ताव बनाने और भारत सरकार द्वारा उसे अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उठेगा।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, दिल्ली को भंग करना

2610. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड, दिल्ली को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मई, 1991 में भंग कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत से सदस्य, जिन्होंने 3.10.89 को गठित बोर्ड के निर्वाचन में भाग लिया और मतदान किया, अपात्र थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिक पंजीकरण शुल्क नहीं दिया था। इसलिए बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन 27.5.91 को राजपत्र-अधिसूचना के तहत शून्य घोषित किया गया था।

पश्चिम बंगाल को सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

2611. श्री सुधीर गिरि :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 तक सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में वन और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार के पास कितने मामले आए हैं; और

(ख) पश्चिम बंगाल से प्राप्त इस प्रकार के मामलों में से कितने मामलों का निपटान कर दिया गया है तथा कितने मामलों का निपटान अभी किया जाना बाकी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल से अब तक केवल 11 सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी के लिए भेजी गई हैं। इन परियोजनाओं पर किए गए विचार के सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं० परियोजना का नाम	किए गए विचार के सम्बन्ध में स्थिति
क : पर्यावरणीय स्वीकृति :	
1. अजय जलाशय परियोजना 2. ऊपरी कंगसाबती परियोजना 3. कंगसाबती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण 4. स्वर्णरेखा बांध परियोजना	अपेक्षित आंकड़े और कार्य योजनाएं न भेजे जाने के कारण अस्वीकृत
ख : वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति :	
1. नहरों की खुदाई	स्वीकृत
2. एम० आई० विभाग द्वारा पाइप-लाइन बिछाना	स्वीकृत
3. तिस्ता पुल के लिए अस्थायी शिविर का निर्माण	स्वीकृत
4. कंगसाबती नहर मंडल सं० 6 की मुख्य नहर टी०एस०एम०सी० (एन०) से दिनहर की खुदाई 5. तिस्ता बांध परियोजना की तिस्ता—महानदी सम्पर्क नहर का निर्माण	अपेक्षित आंकड़े और कार्य योजनाएं न भेजे जाने के कारण अस्वीकृत
6. तिस्ता बांध की मुख्य नहर जलधारा	मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।
7. महानदी-तिस्ता सम्पर्क नहर की सहायक सं०-1.	मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है।

अच्छी गुणवत्ता की लेखन सामग्री

2612. **श्री मुकुल वासनिक :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साक्षरता, स्कूल में उपस्थिति और उच्च शिक्षा में वृद्धि के साथ-साथ लेखन सामग्री की मांग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता की लेखन सामग्री के उत्पादन हेतु इससे सम्बन्धित अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कापियों की कीमतें अनिवार्यतः सफेद मुद्रण कागज की कीमतों क अनुसार निर्धारित की जाती है। सहारनपुर स्थित दि सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इन्स्टीचूट कागज से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्य-कलापों से संबद्ध है। उद्योग में अनुसंधान तथा विकास को प्रोन्नत करने के लिए पहले ही अनेक वित्तीय प्रोत्साहन है जिनका लाभ कागज उद्योग द्वारा उठाया जा सकता है।

देवदासियों के बच्चों को शिक्षा

2613. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा० ए० के० पटेल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वास्थ्य संगठन ने यह सिफारिश की है कि देवदासियों के बच्चों और इस प्रथा को अपनाने वाले परिवारों के बच्चों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे इस प्रथा के बारे में कल्पनाओं और गलत धारणाओं को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार का देवदासी प्रथा को प्रोत्साहन न देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) भूतकाल में क्या कदम उठाये गये हैं तथा तत्संबंधी परिणाम क्या निकले ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) 1978 और 1986 में यथासंशोधित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के उपबंध महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री, भगा ले जाने और अवैध नजरबन्दी के विरुद्ध मूल कानूनों के उपबन्धों के अनुपूरक हैं। इस अधिनियम में बचाई गई महिलाओं और लड़कियों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, शिक्षा और पुनर्वास के लिए संरक्षण गृह अथवा सुधार संस्थाएं स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर लागू है। इसका कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का काम है। इस धन्धे की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के अपने-अपने अधिनियम हैं।

नवोदय विद्यालयों का कार्य निष्पादन

2614. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवोदय विद्यालय योजना के कार्य निष्पादन की कभी समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि योजना के निष्पादन पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जाती है, फिर भी मूल्यांकन के लिए अध्ययन करने के आदेश नहीं दिए गए हैं क्योंकि अभी भी यह एक नई योजना है।

(ग) इस योजना पर 31-3-1991 तक 352.28 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) नवोदय विद्यालयों में दाखिला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित तथा डिजाईन की गई परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। किसी भी विद्यालय में कम से कम 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चयन किए गए उम्मीदवारों से भरे जाते हैं और शहरी क्षेत्रों से 25% से अधिक स्थान नहीं भरे जाते। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थानों का आरक्षण सम्बन्धित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में किया जाता है बशर्ते कि किसी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो। प्रत्येक विद्यालय में कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिक केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने का अनुरोध

[हिन्दी]

2615 श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में अधिक केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में 1990 के दौरान ये विद्यालय खोले गये हैं; और

(ग) वर्ष 1991 के दौरान खोले जाने वाले ऐसे विद्यालयों की प्रस्तावित संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलना, प्रायोजक एजेंसियों के प्रस्तावों की उपलब्धता जो भूमि उपयुक्त भवन और अन्य अवस्थापना के प्रावधान सहित सभी तरह से पूर्ण हों, और संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक मुद्दों पर निर्भर करता है।

1990-91 के दौरान देश में कोई केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया है।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

क्रम सं०	स्थान का नाम	सुविधाओं के ब्यौरे					
		भूमि (एकड़ों में) अपे०/उप०		अस्थायी आवास अपे०/उप०		रिहायशी आवास अ०पे०/उप० (स्टाफ क्वाटरों का %	
1.	सराय छाबिल जिला बुलन्द शहर	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
2.	दादरी, जिला गाजियाबाद	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
3.	बलिया	15	5.80	12	बैरेक्स	50%	7+1
4.	देवरिया	15	16.5	12	16 किराये का आवास	50%	5

जहां तक नवोदय विद्यालयों का सम्बन्ध है 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 5 स्थानों पर विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है :—

क्रम० सं०	स्थान	जिला
1.	ज्ञानपुर	भदोही
2.	बहराईच	गाजीपुर
3.	दलीप नगर	देवरिया
4.	पिहानी	हरदोई
5.	मारगाईन	एटा

आर०के० पुरम्, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों की चिमनियों को तोड़ना

2616. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर० के० पुरम्, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वाटरों में रसोई की चिमनियों को तोड़ने के लिए इसके आवंटियों से कुछ धनराशि वसूल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार निधियों की उपलब्धता पर समस्त सरकारी मकानों में गैर-संरचनात्मक प्रकृति के

परिवर्धन/परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से समान रूप से किए जाते हैं। तथापि, यदि कोई आबंटित अपने मकान में इस प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहता है तो उसे, उस पर खर्च होने वाली लागत का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में वहन करना होगा।

चूंकि सभी सरकारी मकानों की चिमनियों को तोड़ने में पर्याप्त व्यय होगा अतः उन आबंटितियों से लागत का 10 प्रतिशत प्रभारित किया जा रहा है जो इन चिमनियों को प्राथमिकता के आधार पर तुड़वाने के इच्छुक हैं।

आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सकों को समान अवसर दिया जाना

2617. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि समान है;

(ख) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को विशेष (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार दोनों प्रणालियों के चिकित्सकों को समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) शैक्षिक पाठ्यक्रमों, अर्थात आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों, की अवधि 5½ वर्ष है।

(ख) और (ग) आयुर्वेद में विभिन्न विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और देश भर के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थानों और आयुर्वेद कालेजों के दर्जा बढ़ाए गए विभागों में आयोजित किए जाते हैं। इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दाखिले दिए जाते हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध नये कालेज खोलना

[अनुवाद]

2618. श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्पूर्ण देश में, विशेषतः महाराष्ट्र में, विभिन्न संकायों में प्रवेश की मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 199 -92 और 1992-93 में खोले जाने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय कालेजों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यमान कालेजों में अपर्याप्त सीटें होने के कारण अनेक छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के शेष अवधि और 1992-93 के दौरान सभी राज्य

सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध और कालेज खोलने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। कालेजों की स्थापना सामान्यतः राज्य सरकारों अथवा निजी न्यासों/पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र/प्रदेश की शैक्षिक आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर की जाती है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की मांग, नए कालेज खोलने के अलावा, वर्तमान कालेजों की क्षमता में वृद्धि करके, नए पाठ्यक्रम आरंभ करके तथा उच्च शिक्षा के वैकल्पिक माध्यमों के प्रावधान द्वारा पूरी की जा रही है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को राष्ट्र के शैक्षिक ढांचे में खुला विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने और प्रोन्नत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 राज्य खुला विश्वविद्यालय, जिसमें एक महाराष्ट्र का विश्वविद्यालय शामिल है, तथा 40 अन्य विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे है। कई विश्वविद्यालय बाह्य छात्रों को भी अनुमति देते हैं, जो परीक्षा मे बैठने के लिए घर में पढ़ाई करते हैं।

राजस्थान में वर्गीकृत वन

[हिन्दी]

2619. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में वर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या वन-रहित क्षेत्र राज्य की परिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में वनों के विकास के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इंडियाज फारेस्ट, 1987 के अनुसार राजस्थान में वर्गीकृत वन इस प्रकार है :

आरक्षित वन	13,970 वर्ग किमी०
सुरक्षित वन	14,170 वर्ग किमी०
अवर्गीकृत वन	3,150 वर्ग किमी०
कुल वन क्षेत्र :	31,290 वर्ग किमी०

(ख) और (ग) ऐसे कोई आंकडे उपलब्ध नहीं है जिनसे यह संकेत मिलता हो कि गैर-वन क्षेत्रों का राज्य की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

तथापि, सामाजिक, वानिकी सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत व्यापक वनरोपण कार्यक्रम चलाया गया है।

जैवीय हस्तक्षेप से वनों की रक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

2620. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1991 में राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन विशेष मुद्दों पर चर्चा किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) प्रारंभिक तौर पर सितम्बर, 1991 में श्रम राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी रामानुजम समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जायेगा।

बसन्त कुंज, नई दिल्ली में कमरों का निर्माण

[हिन्दी]

2621. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली के बसन्त कुंज, सैक्टर बी, पाकेट 10 में कुछ आवंटितियों द्वारा "प्लिंथ लेवल" तक खुदाई करके ओपन स्पेस और बेसमेंट में कमरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। जिन मामलों में अनधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन का पता लगा है, आबंटन की शर्तों तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही आरंभ की गई है। सैक्टर "बी" पॉकेट 10, बसन्त कुंज में पता लगाये गये ऐसे मामलों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

केन्द्रीय विद्यालयों में काम के घंटे कम करने की मांग

2622. श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के काम के घंटों को कम करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने विद्यालय की 6 घंटे 10 मिनट की समयावधि को घटाकर 5 घंटे 30 मिनट करने तथा पांच दिवस का सप्ताह लागू करने की मांग की है।

वर्तमान मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालय 5 घंटे 10 मिनट तक चलाये जाते हैं जबकि कक्षा VI और उससे ऊपर की कक्षाओं में 6 घंटे 10 मिनट तक कार्य किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय हर महीने के दूसरे शनिवार को बन्द रहते हैं।

पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय की दृष्टि से विद्यालय के समय को कम करना छात्रों के हित में नहीं है।

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना

2623. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :
श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना का मानसिक रूप से अविकसित व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके अन्तर्गत कितने विकलांग बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या यह परियोजना केवल कुछ राज्यों में ही चल रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार शेष राज्यों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना (पी० आई० ई० डी०) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित स्कीम (आई० ई० डी० सी०) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। यह परियोजना (पी० आई० ई० डी०) प्रयोग के आधार पर हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के साथ-साथ दिल्ली और बड़ोदा नगर निगमों के प्रत्येक खण्ड में कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना में मानसिक और शारीरिक विकलांगता सहित सभी प्रकार की असमर्थताओं वाले बच्चों को सम्मिलित करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना की व्यापक रूपरेखाएं इस प्रकार हैं :—

(1) विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की आयोजना और प्रबंधन के लिए कम्पोजिट एरिया एप्रोच,

(II) बहु-वर्गीय प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों की सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य शिक्षा ढांचे का उपयोग,

(III) पुनर्वास पहलुओं में सहायता देने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और महिला तथा बाल विकास जैसे अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध संरचनाओं का उपयोग,

(IV) कार्यात्मक मूल्यांकन पर आधारित शिक्षण अधिगम सहायता और उपस्करों का प्रावधान,

(V) अभिभावक और सामुदायिक सहायता का संघटन,

(VI) परियोजना क्षेत्र मे बच्चों की प्रगति की निरन्तर मॉनीटरिंग।

एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 12,914 विकलांग बच्चे सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

एक ओर जहां विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना (पी० आई० ई० डी०) चुनिन्दा क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और यह यूनीसेफ और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है वहीं दूसरी ओर आई० ई० डी० सी० की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के लिए विशेष अदालतें

[हिन्दी]

2624. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में विचाराधीन मामलों के समय पर निपटान के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष न्यायालय स्थापित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है, जहां जून, 1991 तक विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किये गये हैं; और

(ग) सरकार का उन राज्यों में ऐसे न्यायालय कब तक स्थापित करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आयोग द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों के गठन की सिफारिश की गई है।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर दिए गए है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के परीक्षण हेतु राजस्थान राज्य द्वारा छः अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी घोषित करना

[अनुवाद]

2625. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मंडल और उप-मंडल कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं अनिवाय सेवाएं है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मंडल और उप-मंडल कार्यालयों में कार्यरत अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों अर्थात् कार्य प्रभारित कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत इस बीच औद्योगिक कर्मचारी घोषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यालय कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बीच भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं, इनको अनिवार्य सेवा घोषित नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मंडल तथा उप-मंडल कार्यालयों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को औपचारिक रूप से औद्योगिक कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है। तथापि, छुट्टी प्रदान करना, मजदूर संघ की सदस्यता, आदि जैसे कुछ मामलों में कार्यप्रभारित स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाता है तथा इन्हें देश के औद्योगिक कानूनों, जो भी लागू हों, द्वारा शासित किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वीर टिकेन्द्रजीत के नाम पर मार्ग

2626. श्री याइमा सिंह युमनाम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजधानी में किसी मार्ग/गली का नाम शहीद वीर टिकेन्द्रजीत के नाम पर रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है जो मुख्यत: इस मामले से संबंधित है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मोतियाबिन्द से पीड़ित लोग

[हिन्दी]

2627. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लाखों लोग मोतियाबिन्द से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या मोतियाबिन्द से पीड़ित लोग समय पर इलाज न होने के कारण अंधे हो जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो संघ सरकार का उनका इलाज करने के लिए क्या कारंवाई करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986—89 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 81% दृष्टिहीनता मोतियाबिंद के कारण होती है। 1981 की जनगणना के अनुसार मोतियाबिंद के कारण व्याप्त दृष्टिहीनता का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 1976 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। निरंतर चलने वाले इस कार्यक्रम में परिधीय क्षेत्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) मध्यवर्ती क्षेत्र (जिला अस्पताल और जिला मोबाइल यूनिटें) और केन्द्रीय क्षेत्र (चिकित्सा कालेज, क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थान आदि) में नेत्र परिचर्या सेवाओं में वृद्धि की गई है। मोबाइल यूनिटों के जरिये "नेत्र-शिविर माध्यम" को अपनाया गया है। ये मोबाइल यूनिटें मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए परिधीय क्षेत्रों में समय-समय पर नेत्र शिविरों का आयोजन करती हैं।

1. मध्यवर्ती स्तर पर, जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया गया है। मोतियाबिंद की शल्यचिकित्सा करने के लिए नेत्र चिकित्सा सर्जन और नेत्र-चिकित्सा सहायक और साथ ही नेत्र-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण भी जुटाए गए हैं।

2. केन्द्रीय क्षेत्र के स्तर पर सरकार ने अब तक देश के 60 मेडिकल कॉलिजों और 10 क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थानों में नेत्र चिकित्सा विभाग का दर्जा बढ़ाया है। ये भी अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं।

3. स्वैच्छिक संगठन भी मोतियाबिंद के ऑपरेशनों के लिए शिविरों का आयोजन करते हैं। भारत सरकार मोतियाबिंद के प्रत्येक ऑपरेशन के लिए 60/-रु० की वित्तीय सहायता उन स्वैच्छिक संगठनों को दे रही है जो सरकारी मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 40/-रु० प्रति मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए उन संगठनों को दे रही है जो सरकारी मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों के छोटे नेत्र अस्पतालों के

साथ-साथ उप-डिवीजनों के क्षेत्रों (तालुक क्षेत्र) के विकास और सुदृढ़ीकरण की योजना चरणवार तरीके से बनाई गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मोतियाबिंद के रोगियों की संख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15.690
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.154
3.	असम	लागू नहीं
4.	बिहार	19.140
5	गोवा	0.320
6.	गुजरात	7.100
7.	हरियाणा	2.280
8.	हिमाचल प्रदेश	0.520
9.	जम्मू और कश्मीर	2.540
10.	कर्नाटक	15.120
11.	केरल	6.610
12.	मध्य प्रदेश	18.000
13.	महाराष्ट्र	16.560
14.	मणिपुर	0.146
15.	मेघालय	0.000
16.	मिजोरम	0.000
17.	नागालैंड	लागू नहीं
18.	उड़ीसा	9.212
19.	पंजाब	1.870
20.	राजस्थान	10.7[illegible]6
21.	सिक्किम	0.026

1	2	3
22.	तमिलनाडु	7.350
23.	त्रिपुरा	0.383
24.	उत्तर प्रदेश	6.060
25.	पश्चिम बंगाल	4.000
26.	पांडिचेरी	0.031
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.021
28.	चंडीगढ़	0.152
29.	दादरा और नगर हवेली	लागू नहीं
30.	दमण और दीव	लागू नहीं
31.	दिल्ली	0.530
32.	लक्षद्वीप	0.006
	योग	184.656

ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

2628. श्री रवि राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें सरकार को पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने 31 जुलाई, 1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसने ग्रामीण श्रमिकों की हालत सुधारने के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं, जिनमें ग्रामीण श्रमिकों का कल्याण, आर्थिक एवं अन्य पहलू शामिल है। सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

दिल्ली दूरभाष विभाग के कर्मचारियों को सरकारी आवास

[हिन्दी]

2629. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय के अधीन अन्य पूलों में डाक एवं तार विभाग का भी पूल है;

(ख) दिल्ली दूरभाष विभाग में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस पूल से मकानों का आवंटन किया गया है;

(ग) सामान्य पूल के आवास को डाक एवं तार विभाग के पूल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है तथा इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने का अधिकार किसे है; और

(घ) उन अधिकारियों का विवरण क्या है जिनके सामान्य पूल के आवास को डाक एवं तार विभाग के पूल में परिवर्तन करने के आवेदन विचाराधीन हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) डाक एवं तार विभाग का अपने कर्मचारियों को वास के आवंटन के लिए एक अलग पूल है। सामान्य पूल वास को डाक एवं तार पूल में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि अपवादिक मामलों में एक पूल से दूसरे पूल में क्वार्टरों की पारस्परिक अदला-बदली की अनुमति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दी जाती है।

(घ) चूंकि, इस प्रकार के कोई आंकड़े रखे नहीं जाते हैं इसलिए, सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घेघा रोग से पीड़ित रोगी

2630. **श्री साइमन मरान्डी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को देश में 'घेघा' से पीड़ित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या थी;

(ख) क्या बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में 'घेघा' रोग एक साथ फैल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने राज्य सरकार को बीमारी के पूरी तरह उन्मूलन के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) घेघा रोग का कब तक पूरी तरह उन्मूलन करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 74.34 मिलियन व्यक्ति घेघा के विभिन्न स्तरों से ग्रस्त हैं।

(ख) घेघा एक गैर-संचारी रोग है और आयोडीन की कमी और पर्यावरणिक घटकों के कारण होता है और इसका क्षेत्र के पिछड़ेपन से सीधा कोई संबंध नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सहित सभी राज्य सरकारों को खाद्य प्रयोजनों के लिए आयोडीकृत नमक से भिन्न नमक पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 1-4-1988 से खाद्य प्रयोजनों के लिए आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध

लगाने संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है।

भारत सरकार भी बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीचे दिए प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता दे रही है—

(i) घेघा नियंत्रण सेल की स्थापना।

(ii) स्वास्थ्य क्रियाकलापों का संवर्धन।

(iii) 10,000 रुपये प्रति जिले की दर से सर्वेक्षण।

(ङ) चूंकि घेघा पर्यावरणिक आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए घेघा के सम्पूर्ण उन्मूलन का सही समय बताना संभव नहीं है। तथापि, आयोडीकृत नमक के नियमित उपयोग से जो प्रभावकारिता का सबसे आसान, सस्ता और प्रमाणित तरीका है, घेघा के निवारण और नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी।

प्रदूषित नदियों को साफ करने के लिए धन

[अनुवाद]

2631. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार प्रदूषित नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन नदियों की सफाई के लिए कोई निधि बनाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वर्षवार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित नदियों के कुछ हिस्से अत्यधिक प्रदूषित हैं—गुजरात में साबरमती, बिहार में स्वर्ण रेखा, महाराष्ट्र में गोदावरी और कृष्णा, पंजाब में सतलज, उत्तर प्रदेश में यमुना, हिन्डन, गोमती और काली, बिहार और पश्चिम बंगाल में दामोदर तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान मे चम्बल।

(ख) और (ग) गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने संबंधी कार्यों को जारी रखने के लिए चालू वर्ष के बजट में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल
1988-89	16.54	12.44	25.79
1989-90	22.62	8.80	26.24
1990-91	19.85	6.12	24.39

बाल श्रमिकों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा

[हिन्दी]

2632. श्री राम टहल चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा से संबंधित कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) वर्ष 1979 के दौरान चुने हुए उद्योगों में नैदानिक अध्ययन किया गया था और 1981 में श्रम ब्यूरो ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार बहुत अधिक गरीबी, लाभकारी नियोजन के अवसरों की कमी, आय की अनिश्चितता और निम्न जीवन स्तर बाल श्रमिकों की बहुलता का मुख्य कारण है।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नई दिल्ली में एच० एस० जी० का परीक्षण

2633. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के स्त्रीरोग विज्ञान विभाग में अस्पताल अधिकारियों द्वारा रोगियों के दिए गए नियत तिथि पर उनका एच०एस०जी० परीक्षण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी, 1991 से 31 जुलाई, 1991 के बीच कितने रोगियों को एच० एस० जी० परीक्षण करने की दो बार तिथि दिए जाने के बावजूद भी उनका उक्त परीक्षण न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संघ सरकार का डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के बहिरंग रोगी स्त्रीरोग-विज्ञान विभाग के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार है ताकि रोगियों को दी गई नियत तिथि पर उनका एच ० एस० जी० परीक्षण किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) हिस्टो सैलपिंगो-ग्राफ (एच० एस०जी०) परीक्षण निम्नलिखित कारणों से नियत तारीख को नहीं किया जा सकता है :—

चिकित्सीय कारण

(i) रोगी की माहवारी में अनियमितता आ जाने से (जैसा कि कभी-कभी अप्रजननक्षम

महिला रोगियों में होता है, जिससे की रोगी को परीक्षण हेतु नियत की गई तारीख उसकी डिम्ब-रक्षण-पूर्व अवधि से मेल नहीं खाती।

(ii) निश्चित तारीख लेने के बाद रोगी को महावारी न आना तथा उसके गर्भवती होने की आशंका होना।

(iii) अस्पताल में जाने की अंतिम तारीख और हिस्टो-सैलपिंगो-ग्राफ (एच०एस०जी०) परीक्षण की तारीख के सप्ताहों के बीच रोगी का वास्तव में गर्भधारण करना।

(iv) रोगी को बुखार, (श्रेणी-शोथ) पेल्विक इनफ्लेमेशन आदि जैसी कुछेक मध्यवर्ती बीमारियों का होना। इसलिए बीमारी के दौरान हिस्टो-सैलपिंगो-ग्राफ (एच० एस० जी०) परीक्षण के परिणाम प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं।

(v) रोगी का अपने मासिक धर्म की ठीक तारीख को भूल जाना।

तकनीकी कारण

चिकित्सा विभाग में एक्स-रे उपकरण का कार्य न करना।

(ग) जनवरी, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक 63 रोगियों पर हिस्टो-सैलपिंगो-ग्राफ (एच०एस०जी०) परीक्षण किया गया है। चूंकि, इस परीक्षण हेतु तिथि नियत करने संबंधी कोई रजिस्टर नहीं रखा गया है, अतः उन रोगियों के बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है, जिनको उक्त अवधि में दो बार तारीख दी गई थी।

(घ) और (ङ) इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं कि हिस्टो-सैलपिंगो-ग्राफ (एच० एस० जी०) परीक्षण स्थगित नहीं किए जायें। लेकिन यदि ऐसा करना परिहार्य नहीं होता है तो रोगी को सूचित कर दिया जाता है और दूसरी तारीख दे दी जाती है। उपर्युक्त चिकित्सीय कारणों से तिथि स्थगित करने को रोका नहीं जा सकता।

मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण

2634. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरों में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में जानकारी है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राजस्थान में उन शहरों के नाम क्या हैं, जो मोटर वाहनों द्वारा होनेवाले प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। जिन क्षेत्रों में यातायात की अधिकता है, वहां वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अनुमान है कि महानगरों में होने वाले वायु प्रदूषण का 50 से 60 प्रतिशत तक प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले निस्रावों से होता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 महानगरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का सर्वेक्षण

किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार वाहनों की संख्या में वृद्धि की दर लगभग दो से 6 प्रतिशत तक है।

(ख) प्रदूषण को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए है, उनमें निम्नलिखित शामिल है :—

1. सड़क पर चल रहे सभी प्रकार के वाहनों के लिए मोटर-गाड़ी नियमावली, 1989 के तहत ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और वे मानक 1 मार्च, 1990 से लागू हो गए है।

2. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को ठोस उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

3. मोटर-वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित वाहनों का एक आदि-प्ररूप प्रस्तुत करना होता है, जिसकी जांच सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एक एजेंसी द्वारा की जाती है और वह इस आशय का प्रमाण-पत्र देता है कि उत्पादन उत्सर्जन मानकों सहित नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए किया गया है। यह उपबन्ध 1 अप्रैल 1991 से लागू हो गया है।

4. मोटर गाड़ी नियमावली, 1989 के तहत वाहनों के लिए द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से संबंधित मानक 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गए हैं और डीजल से चलने वाले वाहनों से संबंधित मानक 1 अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

5. पेट्रोलियम उद्योग से कहा गया है कि पेट्रोल में सीसे की मात्रा कम करके 1993 तक इसे प्रति लीटर 0.15 ग्राम कर दें।

6. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून देश में एक दीर्घावधि यानीय उत्सर्जन नीति पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

7. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1995 और 2000 की अवधि के लिए वाहनों (पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाले) के लिए द्रव उत्सर्जन मानक तैयार करने और प्रस्तावित मानकों को पूरा करने के लिए इन्जिन के डिजाइन में वांछित परिवर्तन की किस्म, जिसमें किसी प्रकार के उपकरण को लगाना भी शामिल है, का पता लगाने के लिए मार्च, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

8. राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर सड़क पर चल रहे वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए देशी-उत्प्रेरक कन्वर्टर तैयार कर रहा है।

9. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(ग) वाहनों से निकलने वाले प्रदूषणों से प्रभावित होने वाले शहरों में सबसे पहले दिल्ली आता है और और उसके बाद बम्बई, बंगलोर, कलकत्ता तथा अहमदाबाद आते हैं। राजस्थान में केवल जयपुर ही ऐसा शहर है, जिसका सर्वेक्षण में अध्ययन किया गया। जयपुर में परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तर निर्धारित मानकों के अन्दर पाए गए।

चम्बल नदी के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय

2635. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाली का पानी, मानव मल-मूत्र और कोटा के कारखानों से निकलने वाले अन्य अवशिष्ट पदार्थ चम्बल नदी में छोड़े जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई जल-मल निकासी योजना भी स्वीकृत की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है और उनपर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) उस योजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना को निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने में देरी करने के यदि कोई कारण है तो वे क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहिस्रावों की गुणवत्ता तथा चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोड़े गए बहिस्राव बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है तथा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

(ग) से (च) चम्बल नदी के प्रदूषण के निवारण हेतु कोटा के लिए नगरीय अपशिष्ट जल प्रबंध स्कीम तैयार करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमशः दिनांक 21-12-1990 और 2-4-1991 को 5-5 लाख रुपये की दो किश्तें बंटित की हैं। इस रिपोर्ट में मलजल अवरोधन, इसे अन्यत्र परिवर्तित करने और इसकी सफाई के लिए अनुमानित लागत शामिल होगी।

उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं की धीमी प्रगति

[अनुवाद]

2636. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत धीमी गति से प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में नवपरिवर्तनकारी/प्रायोगिक अनौपचारिक शिक्षा परियोजनायें शुरू करने के लिए कितने स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(घ) उन्होंने उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र में ये परियोजनायें चलाई;

(ङ) ऐसी और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) उसकी उपलब्धियां/परिणाम क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग), (घ) और (च) :

मद	1989-90	1990-91
1. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की परियोजनाओं को चलाने के लिए सहायता पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	89	90
2. स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	6430	6455
3. स्वैच्छिक संगठनों की संस्वीकृत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या	160750	101075
4. अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक व नव परिवर्तनकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सहायता पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	दो परियोजनायें	दो परियोजनायें
5. अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला संसाधन एककों के गठन के लिए सहायता पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	—	4

(ङ) उड़ीसा के स्वैच्छिक संगठनों से मंत्रालय को प्राप्त हो रहे अनौपचारिक शिक्षा के लिए नए परियोजना प्रस्तावों पर संस्वीकृति के लिए यथा समय विचार किया जाएगा

नेशनल इन्सटिट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस

2637. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में खेल कूद-शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई सरकार की योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों की तरह उड़ीसा में भी एक नेशनल इन्सटिट्यूट आफ फिजिकल एज्यूकेशन एंड स्पोर्टस स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में उल्लेख है कि: —

> "खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें मूल्यांकन कार्य में शामिल किया जाएगा। राष्ट्र-स्तर पर शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के लिए बुनियादी सुविधाएं शिक्षण भवनों में निर्मित की जाएगी।"

प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1988 में निकाले गये ढांचे में सिफारिश की गई है कि विद्यालयीन शिक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण समय का 10% तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण समय का 9% खेल-कूद सहित स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर लगाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को लागू करते समय राज्य सरकारें इस पाठ्यक्रम को लागू करेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर स्नातक स्तर पर "शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलों में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम" तैयार किया है जिसमें खेल पाठ्यक्रम का एक भाग है। इस पाठ्यक्रम को प्रत्येक जिले में सामान्य शिक्षा के (कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा बहु-अनुशासन कालेज) एक कालेज में ही लागू करना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आयोग को उड़ीसा के कालेजों अर्थात् गुनपुर कालेज तथा गंजम कालेज (बरहमपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) से दो अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कालेजों से सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करके प्रस्ताव भेजने का दो बार अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक उनकी प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु वन्य-उत्पाद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

2638. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु वन-उत्पादन वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार दी गई सहायता संबंधी ब्योरा क्या है तथा उसके अन्तर्गत उड़ीसा की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, राज्य सरकारों, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, को औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज के वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) उड़ीसा राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और विगत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा

राज्य में लघु वनोपज उत्पाद के वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1989-90	54.18	1148
1990-91	60.00	1996

उड़ीसा में क्षेत्र विकास परियोजना

2639. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ब्रिटेन द्वारा दी गई सहायता से क्षेत्र विकास परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उन जिलों का ब्योरा क्या है जहां परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ग) अब तक हुई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) चरण-II परियोजना निम्नलिखित पांच जिलों मे कार्यान्वित की जा रही है :—

1. ढेकनाल
2. क्योंझर
3. मयूरभंज
4. सम्बलपुर
5. सुन्दरगढ़

(ग) विशेषरूप से ग्रामीण और आदिवासी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के विकास के लिए समन्वित और गहन दृष्टिकोण अपनाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्तर को सुदृढ़ करने और उसमें सुधार लाने के समग्र उद्देश्य से 1989 में परियोजना आरम्भ की गई थी।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण और उन्हें सुदृढ़ करने, चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने आदि के लिए विभिन्न कार्य-कलाप किए गए हैं। आशा है कि इस परियोजना के उद्देश्य परियोजना अवधि अर्थात् मार्च, 1995 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे।

विभिन्न मेडिकल कालेजों में सीटें

[हिन्दी]

2640. श्री ललित उरांव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मेडिकल कालेजों में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए राज्य-वार सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1989, 1990 और 1991 में आज तक रिक्त आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन सीटों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कुछ अन्य चिकित्सा संस्थाओं से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा प्रवेश परीक्षा में बैठे छात्र

[अनुवाद]

2641. श्री पी॰ सी॰ थामस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा प्रवेश परीक्षा में राज्यवार कितने छात्र बैठे और उनमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए; और

(ख) उनके प्रवेश हेतु मेडिकल कालेजों को आबंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) एम॰ बी॰ बी॰ एस॰/बी॰ डी॰ एस॰ कोर्स के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में 94,498 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे जिनमें से 1600 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इस वर्ष विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्य क्रमों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में विभिन्न पाठ्य क्रमों के लिए, अर्थात् एम॰ डी॰/एम॰ एस॰/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 18311 उम्मीदवार और एम॰ डी॰ एस॰ पाठ्य-क्रमों के लिए 540 उम्मीदवार थे जिनमें से 1495 उम्मीदवार एम॰ डी॰/एम॰ एस॰/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए और 41 उम्मीदवार एम॰ डी॰ एस॰ पाठ्यक्रमों के लिए चयन किए गए हैं। परीक्षा-राज्य स्तर पर आयोजित नहीं की जाती और न ही राज्यवार स्तर पर सीटों का आबंटन किया जाता है।

(ख) सीटों का आबंटन उपलब्ध रिक्तयों के अनुसार पूर्णतया योग्यता और अभिरुचि के आधार पर किया जाता है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर द्वारा प्रदूषण फैलाना

2642. श्री पी० सी० थामस :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ईर्नाकुलम के पास फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड कोचीन एण्ड द्वारा चियिपूझा नदी में अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की हानि होती है और कृषि भूमि अनुत्पादक बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। फैक्ट्री से बिसर्जित बहिस्रावों के कारण फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के पास धान की खेती प्रभावित हुई है।

(ख) केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसरण में कम्पनी ने जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं। लेकिन यह उपकरण हर समय निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। बहिस्राव शोधन संयंत्र के कार्य में सुधार करने और निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए उद्योग को 31 दिसम्बर, 1991 तक समय दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को किसी भी तरह के मुआवजे के लिए कोई विशेष मांग प्राप्त नहीं हुई।

अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद

2643. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सरकारी अस्पतालों द्वारा बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के रोगियों को बेहतर उपचार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद किये जाने की आवश्यकता का पता लगाया है;

(ख) क्या कुछ अस्पतालों में विद्यमान चिकित्सा उपकरणों के चालकों के पास तकनीकी जानकारी के अभाव में तीन उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ग) क्या रोगियों के सही इलाज को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश-व्यापी ऐसा कोई पता नहीं लगाया गया है। चूंकि

"स्वास्थ्य" एक राज्य-विषय है, इसलिए अपने-2-अस्पतालों की जरूरतों का पता लगाना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है।

(ख) जब कभी केन्द्रीय सरकार के किसी अस्पताल में कोई अत्याधुनिक उपकरण लगाया जाता है तो उस उपकरण पर कार्य करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण देने में हमेशा सावधानी बरती जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में रोगियों के लिए संसाधना के भीतर यथा संभव तरीके से सेवाओं को बनाए रखने हेतु हर संभव प्रयास किये जाते है। अस्पताल की कार्य-स्थितियों का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है और उनमें सुधार करने हेतु संगठित प्रयास किए जाते हैं।

संघ सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के कालेजों को अनुदान

2644. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थित स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दी गयी शैक्षिक सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या संघ सरकार को गैर-सरकारी प्रबन्धन वाले कुछ कालेजों में धनराशि का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने निम्नलिखित योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न पात्र कालेजों को 1988-89 में 372.42 लाख रु० तथा 1989-90 में 671.40 लाख रु० का अनुदान दिया :

(I) प्रौढ़, सतत व विस्तार शिक्षा;

(II) पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन।

(III) कालेजों का सामान्य संरचनात्मक विकास; कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी० ओ० एस० आई० पी०); कालेज मानविकी व सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी० ओ० एच० एस० एस० आई० पी०)

(IV) शोध परियोजनाएं/शोध की प्रोन्नति।

(V) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक व शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए सुविधाएं।

(VI) शारीरिक शिक्षा व खेल कूद में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार आयोग को 16 कालेजों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें सामान्यत: विश्व०अनु०आ० के अनुदान, जिस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत किए गए हैं, उसके स्थान पर दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने व कथित कुप्रबन्ध से सम्बन्धित थीं। डी० एस० कालेज, अलीगढ़ व श्री वारर्णेय कालेज, अलीगढ़ के मामले में आयोग ने समिति के माध्यम से जांच की थी तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन कालेजों का आगे का अनुदान रोकने का निर्णय लिया। जहां तक शेष: कालेजों का सम्बन्ध है सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों से यह कालेज सम्बद्ध है, उनके कुलपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले की जांच करें तथा आयोग द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने से पहले अपनी टिप्पणियां दें।

विवरण

क्रम संख्या	कालेज का नाम	उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे कालेज संबद्ध है।
1.	डी० एस० कालेज, अलीगढ़	आगरा विश्वविद्यालय
2.	एस० वी० कालेज अलीगढ़	आगरा विश्वविद्यालय
3.	दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय, फिरोजाबाद	आगरा विश्वविद्यालय
4.	साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली	रोहिलखंड विश्वविद्यालय
5.	गुलाब सिंह हिन्दू (स्नातकोत्तर) कालेज, बिजनौर	रोहिलखंड विश्वविद्यालय
6.	आर० एच० राजकीय (स्नातकोत्तर) कालेज, काशीपुर	कुमाऊं विश्वविद्यालय
7.	आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई	कानपुर विश्वविद्यालय
8.	डी० ए० वी० कालेज, बुलंदशहर	मेरठ विश्वविद्यालय
9.	जी० एस० डिग्री, कालेज सुल्तानपुर	अवध विश्वविद्यालय
10.	जी० बी० पंत डिग्री कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय
11.	तिलक धारी कालेज, जौनपुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय
12.	एस० वी० डिग्री कालेज, बादलपुर	पूर्वांचल विश्वविद्यालय
13.	रत्नसेन डिग्री कालेज, सिद्धार्थ नगर	गोरखपुर विश्वविद्यालय
14.	जे० एल० एन० एस० पी० जी० कालेज, गोरखपुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय
15.	स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मथलर, देवारिया	गोरखपुर विश्वविद्यालय
16.	महाविद्यालय, दुबे चापरा, बलिया	पूर्वांचल विश्वविद्यालय

दिल्ली में सड़कों पर अतिक्रमण

2645. श्री मदनलाल खुराना :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 13 जुलाई, 1991 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में "पुलिस ट्रेडर नेक्सस आन रोड एन क्रोचमेंट इन कैपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अतिक्रमणों के हटाये न जाने के कारण रुकी पड़ी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सड़कें चौड़ी करने की परियोजनाओं की सूची :

1. सुभाष नगर में बस मार्गों को चौड़ा करना और सुधार करना।
2. करमपुरा में सड़कों को चौड़ा करना व उनमें सुधार करना।
3. रोड नं० 34 के एन० जी० रोड के चौराहे का सुधार।
4. मानसरोवर गार्डन में 60 फुट की सड़क को चौड़ी करना व उसमें सुधार करना।
5. एन० जी० रोड को रिंग रोड के साथ मिलाने वाली सड़क को चौड़ी करना व उसमें सुधार करना।
6. मानसरोवर गार्डन में 80 फुट की सड़क को चौड़ा करना व उसमें सुधार करना।
7. मालवीय नगर की एस० बैण्ड रोड।
8. सूरज कुण्ड रोड।
9. दीन दयाल उपाध्याय मार्ग की सड़क चौड़ी करना।
10. राजा गार्डन चौक से तिलक नगर चौराहे तक नजफगढ़ रोड को चौड़ा करना व उसमें सुधार करना। उप कार्य सुभाष नगर पैट्रोल पम्प से तिलक नगर थाने तक सर्विस रोड का निर्माण।
11. तमिल संगम मार्ग से बाहरी रिंगरोड तक काम कोटि मार्ग को चौड़ा करना व उसका सुधार करना। उप कार्य बाहरी रिंग रोड के साथ चौराहे का सुधार।

गंगा सफाई योजना

[हिन्दी]

2646. श्री बाळ दयाल जोशी :

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के पानी को प्रदूषण रहित बनाने सम्बन्धी गंगा सफाई योजना कब से लागू की गई है;

(ख) मूल कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 1989 तक इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई और यह राशि किन-किन स्थानों पर खर्च की गई है;

(घ) इस योजना के प्रशासकीय तथा अन्य खर्चों सहित उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनपर यह राशि खर्च की गई; और

(ङ) इस योजना का क्या परिणाम निकला ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना 1985 में आरम्भ की गई थी।

(ख) जून, 1989 तक 129.64 करोड़ रुपए की धनराशि गंगा कार्य योजना की स्कीमों पर खर्च की गई थी। जिन नगरों में प्रदूषण निवारण स्कीमें हाथ में ली गई हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत जून, 1989 तक स्कीम-वार व्यय तथा प्रशासकीय व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) गंगा कार्य-योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई जल प्रदूषण निवारण की 261 स्कीमों में से 172 स्कीमें जून, 1991 तक पूरी की जा चुकी हैं जिसके फलस्वरूप, सभी स्कीमों के पूरा हो जाने पर 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम० एल० डी०) लक्ष्य में से, लगभग 368 मिलियन लीटर प्रतिदिन जिसमें अधिकांश म्युनिसिपिल अपशेष जल है, का दिशा-परिवर्तन किया गया है।

(ङ) मूल कार्य योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

नगरों की सूची, जहां गंगा कार्य योजना स्कीमें हाथ में ली गई हैं।

1. उत्तर प्रदेश	1. हरिद्वार/ऋषिकेष
	2. फतेहगढ़/फर्रुखाबाद
	3. कानपुर
	4. इलाहाबाद
	5. मिर्जापुर
	6. वाराणसी

2. बिहार	7.	छपरा
	8.	पटना
	9.	मुंगेर
	10.	भागलपुर
3. पश्चिम बंगाल	11.	हावड़ा
	12.	बाली
	13.	हुगली चिनसुरा
	14.	चंदन नगर
	15.	सेरामपुर
	16.	भाटपारा
	17.	टीटागढ़
	18.	पानीहाटी
	19.	नईहाटी
	20.	बैरकपुर
	21.	बड़ानगर
	22.	कामारहाटी
	23.	कलकत्ता नगर निगम
	24.	बहरामपुर
	25.	नवद्वीप

विवरण-II

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत जून, 1989 तक किए गए व्यय का स्कीमवार ब्योरा

(करोड़ रुपयों में)

क्र०सं०	स्कीम की श्रेणी	व्यय की गई राशि			
		उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल
1	2	3	4	5	6
क					
1.	सीवेज अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	19.64	11.87	29.87	61.38
2.	सीवेज उपचार संयंत्र	19.77	1.95	6.96	28.68
3.	अल्प-लागत स्वच्छता	5.76	3.94	5.92	15.62

1	2	3	4	5	6
4.	विद्युत शवदाह गृह	0.85	2.48	6.74	10.07
5.	नदी-तटाग्र सुविधा	0.05	0.16	3.44	7.65
6.	अन्य स्कीमें	4.74	1.41	0.09	6.24
	कुल - क	54.81	21.81	53.02	129.64

ख

1. मार्च, 1989 तक प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	5.18
कुल	134.82

विवरण-III

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मूल रूप से संस्वीकृत स्कीमों का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र०सं० स्कीमों की श्रेणी	स्कीमों की संख्या राज्यवार				संस्वीकृति धनराशि राज्यवार			
	उ०प्र०	बि०	प०बं०	कुल	उ०प्र०	बि०	प०बं०	कुल
1. सीवेज अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन	40	17	31	88	29.62	15.11	51.31	96.04
2. सीवेज उपचार संयंत्र	13	7	15	35	60.60	8.71	37.95	107.26
3. अल्प-लागत स्वच्छता	14	7	22	43	9.99	4.61	6.22	20.82
4. विद्युत शवदाहगृह	3	8	17	28	1.03	2.97	6.53	10.53
5. नदी तटाग्र सुविधाएं	7	3	24	34	5.48	0.85	6.85	13.18
6. अन्य	29	3	1	33	9.47	1.06	0.31	10.84
कुल	106	45	110	261	116.19	33.31	109.17	258.67

शहरों में जल आपूर्ति हेतु अन्तर घाटी जल का अन्तरण

[अनुवाद]

2647. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-2000 के दौरान शहरी इलाकों में जल आपूर्ति के लिए अंतर घाटी जल के अंतरण हेतु कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जल संसाधनों के विकास के लिये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों में में घाटी में से सिंचाई औद्योगिक और घरेलू उपयोगों के लिए जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घाटी/उप-घाटी वार जल अधिशेष/कमी का निर्धारण और अंतः घाटी अन्तरण प्रस्ताव शामिल है।

हरियाणा द्वारा दिल्ली के लिए जल छोड़ना

2648. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने हरियाणा सरकार को दिल्ली के लिए और अधिक जल छोड़ने का आग्रह किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने दिल्ली के लिए अधिक जल छोड़ने के आग्रह को मान लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वजीराबाद बांध पर नदी का जल स्तर 674 फीट सुरक्षित रखा जाता है। जब कभी यह स्तर उतार की ओर प्रवृत्त होता है, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड/हरियाणा सिंचाई विभाग को अतिरिक्त जल रिलीज करने के लिए एक मांग पत्र भेजा जाता है। चूंकि जुलाई के पहले सप्ताह में जल स्तर गिरना आरम्भ हुआ, सिंचाई विभाग हरियाणा को अतिरिक्त जल जारी करने का अनुरोध किया गया था जो उन्होंने रिलीज कर दिया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

जनजातीय उप योजना की समीक्षा

[हिन्दी]

2649. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के लिए आरम्भ की गई उप-योजना की इस बीच समीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम वार और नीति वार इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय आबंटन और प्रशासन के लिए क्या नीति अपनायी गई; और

(घ) आठवां पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी उपयोजना कार्यनीति सातवीं योजना में जारी रखी गई है। उपलब्धियां सराहनीय रही हैं। आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उनके आय स्तर को ऊंचा उठाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान भी जारी रखे गए। 41.56 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 52.89 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई नीति निम्नलिखित हेतु थी--

1. समेकित क्षेत्र विकास

2. विधायी उपायों द्वारा सब प्रकार के शोषण की समाप्ति।

3. आय पैदा करने वाली योजनाओं तथा अन्य तरीकों से समाजार्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना।

4. उपयुक्त संरचनात्मक तन्त्र द्वारा आदिवासियों की संगठनात्मक क्षमता बेहतर बनाना।

(घ) परिवर्तनों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया

2650. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थापना लोगों में किताबों के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ट्रस्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो लोगों में किताबों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए ट्रस्ट ने क्या उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मुख्य उद्देश्य जैसे कि संघ ने अपने ज्ञापन में बताए हैं, निम्नलिखित हैं :—

(क) अच्छे सहित्य के निर्माण और प्रकाशन को प्रोत्साहित करना और जनता को कम कीमत पर ऐसा साहित्य उपलब्ध कराना;

(ख) उपरोक्त उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में इस प्रकार की विशेष पुस्तकों को और अधिक प्रकाशित किया जाएगा :---

(I) भारत का श्रेष्ठ साहित्य

(II) भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियां और एक भारतीय भाषा से दूसरी में उनका अनुवाद;

(III) विदेशी भाषाओं से उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद;

(IV) लोकप्रिय प्रसार के लिए आधुनिक ज्ञान की उत्कृष्ट पुस्तकें;

(ग) पुस्तक सूची प्रकाशित करना प्रदर्शनियां तथा सेमिनार आयोजित करना और लोगों को पुस्तक मनस्क बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;

न्यास ने पुस्तको में रूचि पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(I) अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बंगाला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू में विभिन्न विषयों पर सामान्य पाठक के लिए उच्च कोटि का कथा-साहित्य और गैर कथा साहित्य की कृतियों का प्रकाशन और यह ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराना जिसे पुस्तकें पढ़ने वाली जनता आसानी से अपने संसाधनों में प्राप्त कर सके।

(II) डिप्लोमा, अवर स्नातक और उत्तर स्नातक स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के लेखकों तथा प्रकाशनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके उच्च शिक्षा के लिए उचित दामों पर पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।

(III) बच्चों और नव-साक्षरों के वास्ते पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना;

(IV) नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला सेमिनारों संगोष्ठियों और कार्यशालाओं सहित पुस्तक मेलों, उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से देश भर में पुस्तकों और पुस्तकें पढ़ने की आदत को प्रोन्नत करना।

(V) पुस्तक प्रदर्शनियां/मेले आयोजित करने के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(VI) अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का समारोह आयोजित करना जिसमें शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक विक्रेता प्रकाशक, इत्यादि शामिल है।

(VII) पुस्तकें पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना और शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से स्कूलों में रीडर्स क्लब की स्थापना करने के लिए एक योजना कार्यान्वित करना;

(VIII) विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत की सहभागिता का आयोजन करके विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोन्नत करना।

पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के संबंध में स्वैच्छिक प्रकटन योजना

[अनुवाद]

2651. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार का प्रस्ताव एक स्वैच्छिक प्रकटन योजना लागू करने का है जिसके अनुसार विभिन्न उद्योग स्वयं द्वारा किये गये पर्यावरण कानूनों अथवा सुरक्षा उपायों के उल्लंघनों को

प्रकट कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत क्या रियायतें/प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में वनों की कटाई

2652. श्री अन्ना जोशी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने क्षेत्र में प्राकृतिक वन विद्यमान है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस राज्य में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में वनों के इस भारी विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान वन क्षेत्र 63,842 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) राज्य से बड़े पैमाने पर वन कटाई के मामले की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पेड़ों की अवैध कटाई के मामलों का जब भी पता चला है, उन पर कानून के उपबन्धों के अनुसार कारंवाई की जाती है।

(ग) पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. फील्ड कर्मचारी और पर्यवेक्षक कर्मचारी गश्त और वन क्षेत्रों की जांच तेज कर देते हैं।
2. इस समय प्रत्येक वन प्रभाग में विशेष रूप से अवैध कटाई रोकने के लिए 8 परिमण्डलों में सतर्कता सेल और चलते-फिरते दस्ते हैं।
3. महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक प्रभाग में वन सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है।
4. इसके अलावा, वनों को जैवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए आधार भूत ढांचे के विकास हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

साक्षरता दर

2653. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार राज्यवार तथा पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग साक्षरता दर कितनी है;

(ख) सातवीं योजनावधि के अन्त तक कितनी साक्षरता दर अपेक्षित थी और वास्तव में

उपलब्ध साक्षरता दर इसकी तुलना में कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए तत्संबंधी लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार देश में राज्यवार और पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर को अलग-अलग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) दस वर्षीय जनगणना कार्य के जरिए देश में साक्षरता के आंकड़ों को एकत्र किया जाता है । जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे देश के लिए किसी विशेष साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि देश में 7 वर्ष और इससे अधिक आयु वालों की जनसंख्या में साक्षरता की दर 1981 में 43.56 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 52.11 प्रतिशत हो गई है । पिछले दशक के दौरान 8.55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है ।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और अनौपचारिक शिक्षा के संबंधित मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जरिए संपूर्ण साक्षरता अभियानों के तहत लगभग 25-30 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 के दौरान गोवा और केरल के समूचे राज्य में संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, गुजरात के 100 तालुकों में और विभिन्न राज्यों के 42 जिलों में ऐसे अभियान बहुत पहले से ही शुरू किए गए हैं ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1981			1981		
		साक्षरता दर					
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत राज्य	43.56	56.37	9.752	5211	63.86	39.42
1.	आंध्र प्रदेश	35.66	46.83	84.16	45.11	56.24	33.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.54	35.11	14.01	41.22	51.10	29.37
3.	असम	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	53.42	62.34	43.70
4.	बिहार	32.03	46.58	46.51	38.51	52.63	23.10
5.	गोवा	65.71	76.01	55.17	76.96	85.48	68.20
6.	गुजरात	52.21	65.14	38.46	60.91	72.54	48.50
7.	हरियाणा	43.85	58.49	26.89	55.33	67.85	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	51.17	64.27	37.72	63.54	74.57	52.45

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू तथा कश्मीर*	32.68	44.18	19.55	नहीं	उ.न.	उ.न.
10.	कर्नाटक	46.20	[illegible]	33.16	55.98	67.25	44.34
11.	केरल	81.56	87.74	75.65	90.59	94.45	86.93
12.	मध्य प्रदेश	34.22	48.41	18.99	43.45	57.43	28.38
13.	महाराष्ट्र	55.83	69.66	41.01	63.05	74.84	50.55
14.	मणिपुर	49.61	64.12	34.61	60.96	72.98	48.64
15.	मेघालय	[illegible]	46.62	37.15	48.26	51.57	44.78
16.	मिजोरम	74.26	79.37	68.60	81.23	84.06	78.09
17.	नागालैन्ड	50.20	58.52	[illegible]	61.30	66.09	55.72
18.	उड़ीसा	48.96	56.45	[illegible]	48.55	62.37	34.40
19.	पंजाब	48.12	55.52	39.64	57.14	63.68	49.72
20.	राजस्थान	30.09	44.76	13.99	38.81	55.07	20.84
21.	सिक्किम	41.57	52.98	[illegible]	56.53	64.34	47.23
22.	तमिलनाडु	54.38	68.05	40.43	63.72	74.88	52.29
23.	त्रिपुरा	50.10	61.49	38.01	60.39	70.08	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	33.33	47.43	17.18	41.71	55.35	26.02
25.	पश्चिम बंगाल	48.84	59.93	36.07	57.72	67.24	47.15
	संघ शासित प्रदेश —						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	63.16	70.28	53.15	73.74	79.68	66.22
2.	चंडीगढ़	74.81	78.89	69.31	78.73	82.67	73.61
3.	दादर व नगर हवेली	32.70	44.69	20.38	39.45	52.07	26.10
4.	दमन और द्वीव	59.91	74.45	46.51	73.58	85.67	61.38
5.	दिल्ली	71.93	79.28	62.57	76.09	82.63	68.01
6.	लक्षद्वीप	68.42	81.24	55.32	79.23	87.06	70.88
7.	पाण्डिचेरी	65.14	77.09	53.03	74.91	83.91	65.79

* जम्मू और कश्मीर में अभी 1991 की जनगणना नहीं की गई है। एन० ए० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान

2654. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में अध्यापकों को केन्द्रीय विद्यालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापकों को दिए जा रहे वेतनमानों से काफी ऊंचे वेतनमान दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) कुछ राज्यों में शिक्षक केन्द्रीय विद्यालयों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन से अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक चूंकि राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं अतः अपने वित्तीय संसाधनों आदि को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान निर्धारित करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

2655. डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक ऐसा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) देश में 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० से सम्बद्ध करना

2656. डा० सी० सिलवेरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन के स्कूलों की सम्बद्धता संबंधी कुछ आदेशों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) निजी स्कूलों के संबंधन के

मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) द्वारा लिए गए फैसलों के विरुद्ध स्वतंत्र स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ और दिल्ली मान्यता प्राप्त सेकेन्डरी स्कूल एसोसिएशन से प्रतिवेदन मिले थे। शिकायतें मुख्यत: सी०बी०एस०ई० द्वारा निर्धारित संबन्धन के उन उप नियमों के बारे में थीं जिनमें जमीन और वेतन संबंधी जरूरतें निर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें बोर्ड का सम्बन्धन प्राप्त करने वाले किसी भी स्कूल के लिए पूरा करना अपेक्षित होता है।

(ग) सी०बी०एस०ई० से प्राप्त सूचना के मुताबिक अभ्यावेदनों में उल्लिखित कुछ स्कूलों ने कमियों को पहले ही पूरा कर लिया है। सी०बी०एस०ई० ने भी नियमों में कुछ उदारता बरती है। उदार मानदंडों के अन्तर्गत स्कूलों को एक वर्ष के लिए तदर्थ सम्बन्धन दिए जाने पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे बोर्ड के संबंधन उपनियमों में निर्धारित वेतन संबंधी जरूरत सहित अन्य शर्तों को पूरा करते हैं तथा उन्हें या तो सम्बद्ध शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है या सम्बन्धन के लिए उनके आवेदनों को शिक्षा विभाग बोर्ड के पास अग्रेषित करता है।

अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 को लागू करना

2657. डा० सी० सिलवेरा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 को लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह अधिनियम, सभी योजनाओं और श्रेणियों के फ्लैटों पर लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 को चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण में, स्ववित्त पोषित योजना के 15345 फ्लैटों के लिए 50 कालोनियों के आवंटितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सभी योजनाओं तथा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले फ्लैटों के लिए यह अधिनियम अनुमेय होगा।

चंडीगढ़ के स्कूलों में बच्चों का नामांकन

2658. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ के स्कूलों में नामांकित 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों का क्या प्रतिशत है;

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र में छठी कक्षा तक पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों का क्या अनुपात है; और

(ग) वहां पर चार से छ: वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में कुल नामांकन अनुपात निम्न प्रकार से था :

कक्षा I-V में जो 6-11 वर्ष आयु वर्ग का नामांकन करता है	60.78%
कक्षा VI-VIII में जो 11-14 वर्ष आयु वर्ग का नामांकन करता है।	55.31%

आयु विशिष्ट वर्ग विशिष्ट आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986-87 के दौरान स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों का अनुपात कक्षा (I-V) के लिए 5.32 प्र० श० तथा कक्षा (I-VIII) के लिए 14.63 प्रतिशत था।

(ग) चंडीगढ़ संघ शासित प्र क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 5 (प्लस) वर्ष है। अभिभावकों को अपने बच्चे स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्न प्रकार है :

(i) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के जरिए स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना।

(ii) बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, पूर्वकालिक स्कूल में भाग न लेने पानेवाली बालिकाओं कामकाजी बच्चों और स्कूलों से रहित स्थानों के बच्चों के लिए निःशुल्क अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान।

(iii) सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान-निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन आदि।

ईसाईयों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

2659. श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को धर्मान्तरित ईसाईयों की ओर से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का संवैधानिक संशोधन लाने तथा दलित ईसाई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला परीक्षणाधीन है।

नेहरू युवक केन्द्र

2660. श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे नेहरू युवक केन्द्रों के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) केरल में इन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने नेहरू युवक केन्द्रों के काम का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल-विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) संलग्न विवरण-1 के अनुसार।

(ख) केरल में 10 नेहरू युवा केन्द्र हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) संलग्न विवरण-2 के अनुसार।

विवरण-1

देश में संचालित नेहरू युवा केन्द्रों का लक्ष्य ग्रामीण और गैर-छात्र युवाओं को राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा अपने व्यक्तित्व एवं कौशल का विकास करने के अवसर प्रदान कराना है स्वीकृत राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे—आत्मनिर्भरता, अपने देश पर गर्व की भावना, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अखंडता आदि को लोकप्रिय बनाना तथा युवाओं में और युवाओं के माध्यम से वैज्ञानिक मनःस्थिति का विकास करना भी योजना का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें चरित्र-निर्माण, शारीरिक उपयुक्तता तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

विवरण-2

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आयोजित कार्यकलापों के मूल्यांकन के लिए अन्तः निर्मित व्यवस्था है, जिसे चार आसूचना विकास तथा संसाधन एजेंसियों द्वारा किया जाता है यथा—

1. लिटरेसी हाऊस, लखनऊ
2. आर० के० मिशन, नरेन्द्रपुर
3. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
4. भारतीय युवा कल्याण संस्थान, नागपुर

इन आसूचना विकास तथा संसाधन एजेंसियों को पूरी धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश के सभी 398 केन्द्रों में आंतरिक लेखा परीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई कर ली गई है।

मई 1990 में योजना आयोग से नेहरू युवा केन्द्र योजना का शीघ्र मूल्यांकन करने के लिए अनुरोध किया गया था। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च, 1991 को प्रस्तुत की। मूल्यांकन में यह स्पष्ट किया गया है कि इस योजना ने ग्रामीण युवाओं में अपने पर्यावरण, राष्ट्रीय मूल्यों और मुद्दों, विकास कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में जागरुकता पैदा की है। रिपोर्ट में युवा क्लबों की उत्प्रेरक भूमिका के बारे में काफी कुछ

कहा गया है, जो परिसम्पत्ति सृजन तथा जनसाधारण में जागरुकता फैलाने में एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र

[हिन्दी]

2661. प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कुल कितने नए परिवार कल्याण केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या मांग को पूरा करने के लिए यह परिवार कल्याण केन्द्र पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे नए संस्थान खोले गए हैं। जो छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) देश में आदिवासी क्षेत्रों सहित सातवीं योजना से परिवार कल्याण केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के अलावा छोटे परिवार के आदर्श का प्रचार-प्रसार करने के लिए उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1990 को आदिवासी क्षेत्र में 18872 उप-केन्द्र और 2878 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31-12-90 को देश में 138665 उप-केन्द्रों और 23780 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुकाबले 130533 उप-केन्द्र और 20540 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। आदिवासी क्षेत्रों में 31-12-90 को तथा देश में 31-12-1990 को अपेक्षित और कार्यरत उप-केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

धन की कठिनाई के कारण यह निर्णय किया गया था कि 1990-91 में किसी नए उप-केन्द्र को खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाएगा।

विवरण-I

आदिवासी क्षेत्रों में 31-12-90 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित और कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप-केन्द्र	
		अपेक्षित	कार्यरत	अपेक्षित	कार्यरत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश*	137	116	915	654
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	24	190	155

1	2	3	4	5	6
3.	असम	121	74	804	445
4.	बिहार	489	208	35[illegible]2	1824
5.	गोवा	—	—	—	—
6.	गुजरात	294	163	1930	1632
7.	हरियाणा	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	10	15	64	96
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	266	307	1855	1850
11.	केरल	55	56	369	131
12.	मध्य प्रदेश	752	633	5019	4935
13.	महाराष्ट्र	265	265	1662	1603
14.	मणिपुर	35	35	221	221
15.	मेघालय*	67	45	447	235
16.	मिजोरम*	55	55	220	220
17.	नागालैण्ड*	40	65	267	213
18.	उड़ीसा	354	349	2300	1485
19.	पंजाब	—	—	—	—
20.	राजस्थान	135	125	1019	931
21.	सिक्किम	2	8	10	18
22	तमिलनाडु	12	13	7[illegible]	111
23.	त्रिपुरा	33	32	222	233
24.	उत्तर प्रदेश	219	189	1381	1376
25.	पश्चिम बंगाल	107	91	712	417
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	2	30	25
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली*	5	5	34	34
29.	दमण और दीव	2	1	17	14

1	2	3	4	5	6
30.	दिल्ली	6	—	—	—
31.	लक्षद्वीप*	2	7	14	14
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	योग	3485	2878	23294	18872

*आदिवासी बहुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां अलग से कोई टी०एस०पी० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

-- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

विवरण-II

31.2.90 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित और कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-90 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कार्यरत	31-12-90 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित उप-केन्द्र	कार्यरत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1735	1283	10129	7894
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	28	190	155
3.	असम	438	442	5132	5110
4.	बिहार	2391	2001	14799	14799
5.	गोवा	20	20	145	145
6.	गुजरात	1000	706	6656	6433
7.	हरियाणा	394	366	2367	2299
8.	हिमाचल प्रदेश	239	201	1512	1502
9.	जम्मू व कश्मीर	348	267	1976	1460
10.	कर्नाटक	1164	1133	7025	7793
11.	केरल	1011	886	5094	5094
12.	मध्य प्रदेश	1471	1181	12000	11910
13.	महाराष्ट्र	1850	1647	10810	9364

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	72	68	420	420
15.	मेघालय	40	71	447	315
16.	मिजोरम	37	35	220	220
17.	नागालैंड	36	33	257	201
18.	उड़ीसा	1034	924	5927	5426
19.	पंजाब	2061	2036	2853	2853
20.	राजस्थान	1275	1048	8000	8000
21.	सिक्किम	20	22	132	137
22.	तमिलनाडु	1546	1386	8860	8681
23.	त्रिपुरा	54	49	530	494
24.	उत्तर प्रदेश	3753	3103	22212	21653
25.	पश्चिम बंगाल	1685	1544	10700	7875
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	12	16	73	97
27.	चंडीगढ़	—	शून्य	12	12
28.	दादरा व नगर हवेली	6	5	34	34
29.	दमण व दीव	8	4	14	30
30.	दिल्ली	7	8	42	42
31.	लक्षद्वीप	20	7	24	14
32.	पाण्डिचेरी	23	22	73	73
	योग :	23780	20540	138665	130533

भ्रूण परीक्षण के लिए सोनोग्राफी

2662. प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनोग्राफी का आविष्कार भ्रूण परीक्षण के लिए किया गया था किन्तु इसका प्रयोग भ्रूण हत्या के लिए किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) अल्ट्रा सोनोग्राफी प्रसव-पूर्व निदान के कई तरीकों में से एक है और इसका इस्तेमाल भ्रूण के

लिंग निर्धारण के लिए किया जा सकता है। वैसे, सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्ट्रा-सोनोग्राफी सहित विभिन्न प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों का भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में कन्या-भ्रूण की हत्या होती है।

(ख) प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों को विनियमित करने और भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

अपंग और विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा

[अनुवाद]

2663. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का अपंग और विकलांग व्यक्तियों के बीच शिक्षा के प्रसार हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 में अपंग व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित सहायता और 1990-91 में दी गई वास्तविक सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या निदेश जारी किये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन निदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(I) सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु समेकित शिक्षा।

(II) अपंगों के लिए स्कूल चलाने हेतु विकलांग व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की स्कीम।

(III) राज्य सरकारों के माध्यम से विकलांग बच्चों को कक्षा IX और इससे आगे के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर तक और व्यावसायिक/तकनीकी अध्ययन कर सकें।

(IV) मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकलांग और नेत्रहीनों तथा बधिरों के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल चला रहे हैं।

(ख) उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों/स्वैच्छिक संगठनों

को वर्ष 1990-91 में दी गई वास्तविक सहायता और वर्ष 1991-92 में दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता इस प्रकार है :—

रु० लाखों में

स्कीम	1990-91 वास्तविक	1991-92 प्रस्तावित
विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	343.00	400.00
विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता	540.00	475.00
विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां	459.00	525.00
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकलांग तथा दृष्टिहीनों और बधिरों के लिए स्थापित संस्थान	898.00	1053.00

(ग) और (घ) कार्यान्वयन के ब्यौरे से युक्त ये स्कीमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित की जाती हैं। कार्यान्वयन के प्रगति की आवधिक समीक्षा की जाती है। लगभग 28,000 विकलांग बच्चे वर्तमान में समेकित विकलांग बाल शिक्षा स्कीम में शामिल किए जा रहे हैं। औसतन, 50,000 विकलांग बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां दी जाती है।

नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2664. प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का है; और

(ख) केरल जैसे राज्यों को, जहां पर प्राथमिक शिक्षा पहले से ही नि:शुल्क है, क्या सहायता दी जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक निर्देशों के अनुसरण में सभी राज्य सरकारों ने उनके द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी है। 14 राज्यों तथा 4 संघ शासित प्रशासनों ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए विधान बनाए हैं।

(ख) राज्यों को अनुदान देना राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं तथा प्रस्तावों पर आधारित करता है।

साक्षरता के लिए केरल को वित्तीय सहायता

2665. प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को 100% साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने पर अनुवर्ती कार्यक्रम के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को दिन के भोजन के कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल को 10 + 2 स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केरल राज्य में पूर्ण साक्षरता अभियान, केरल साक्षरता समिति तिरुवनतपुरम द्वारा कार्यान्वित किया गया था। यह समिति, केरल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक पंजीकृत सोसाइटी है। अभियान 18 अप्रैल, 1991 को हुए समारोह में अपने चरमोत्कर्षतक पहुंच गया।

इसके पूर्व, केरल साक्षरता समिति ने, केरल में "उत्तर साक्षरता व शिक्षा के सततीकरण" के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस बीच, मंत्रालय द्वारा पूछे जाने पर केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार को केरल साक्षरता समिति से संगठन को विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि चूंकि केरल राज्य को पूर्ण साक्षरता अभियान के पूरे होने पर पूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया जा चुका इसलिए केरल साक्षरता समिति के माध्यम से कार्यान्वित वर्तमान कार्यक्रम को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्य में नव-साक्षरों की शिक्षा को जारी रखने के लिए साक्षरता कार्यक्रम के दूसरे चरण और जन-जातियों, मछुआरों व तमिल भाषी निरक्षरों के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन कार्यक्रमों के लिए परियोजना-प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और परियोजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।

(ख) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है और इसके लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) 10 + 2 स्तर तक की शिक्षा के निःशुल्क करने के लिए केरल राज्य को केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यापकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करना

[हिन्दी]

2666. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट ट्यूशन करने वाले अध्यापकों पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान कब तक किया जायेगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : केन्द्रीय सरकार के शिक्षकों द्वारा पैसे लेकर

प्राइवेट ट्यूशन करने की केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के अंतर्गत मनाही है। जहां तक राज्य सरकारों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ट्यूशन करने की मनाही का सम्बन्ध है, वर्ष 1989 में राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने शिक्षकों द्वारा की जाने वाली प्राइवेट ट्यूशनों को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। कुछ राज्यों/संघ शासित प्रशासनों के शिक्षा अधिनियमों में भी प्राइवेट ट्यूशनों पर प्रतिबंध हैं।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

2667. **कुमारी उमा भारती :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य-वार, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन हेतु बहुत कम राशि दी गइ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों, जिनमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है, के लिए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 43.63 करोड़ रु० के आबंटन की तुलना में वर्ष 1991-92 का कुल आबंटन 60.73 करोड़ रुपये है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों हेतु धनराशि का राज्यवार आबंटन

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1924.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	624.64
3.	असम	2127.65*
4.	बिहार	4245.00
5.	गोवा	104.65
6.	गुजरात	5819.69

1	2	3
7.	हरियाणा	3037.75
8.	हिमाचल प्रदेश	2754.98
9.	जम्मू व कश्मीर	1997 00
10.	कर्नाटक	5577.51
11.	केरल	1991.50
12.	मध्य प्रदेश	6073 84
13.	महाराष्ट्र	5177.87
14.	मणिपुर	491.12
15.	मेघालय	143.83
16.	मिजोरम	290.00
17.	नागालैंड	433.76*
18.	उड़ीसा	3669.36
19.	पंजाब	944.12
20.	राजस्थान	770 .66
21.	सिक्किम	494.73
22.	तमिलनाडु	177.369
23.	त्रिपुरा	1326.30
24.	उत्तर प्रदेश	9742.99
25.	पश्चिम बंगाल	2740.31
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	120.00
27.	चण्डीगढ़	15.52*
28.	दादर व नगर हवेली	93.54
29.	दमण व दीव	12.95*
30.	दिल्ली	137.95*
31.	लक्षद्वीप	8.50
32.	पाण्डिचेरी	88.57
		72586.98

* अनंतिम

दिल्ली में निर्माणाधीन अस्पताल

[हिन्दी]

2668. श्री राम प्रकाश चौधरी :

श्री सज्जन कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निर्माणाधीन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है और उनका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था;

(ख) क्या इन अस्पतालों को शुरू करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन के अधीन 100 बिस्तरों वाले तीन अस्पताल निर्माणाधीन हैं। इन अस्पतालों के नाम और उनके निर्माण कार्य शुरू होने के वर्ष नीचे दिए गए हैं :—

	अस्पताल का नाम	निर्माण कार्य शुरू होने का वर्ष
I.	राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल, जाफरपुर	1985
II.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर	1988
III.	जहांगीरपुरी में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	1989

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इन अस्पतालों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता को लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित बैठकों में विशेष मामले के रूप में उठाया जाता है। निर्माण कार्य में हुई प्रगति और इन अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग सेवाएं शुरू होने के संभावित समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) जाफरपुर में 100 बिस्तरों वाला राव तुलाराम अस्पताल	अस्पताल के निर्माण की परियोजना संभव तथा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाएगी और प्रशासन को सौंप दी जाएगी। बाह्य रोगी विभाग सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।
(ii) खिचड़ीपुर में 100 बिस्तरों वाला लालबहादुर शास्त्री अस्पताल	आन्तरिक बाह्य रोगी विभाग खण्ड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बाह्य रोगी विभाग खण्ड का 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) जहांगीरपुरी, दिल्ली में 100 विस्तरों वाला अस्पताल	बाह्य रोगी विभाग खण्ड का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। आंतरिक खंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना संभवतया 1992-93 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में नई पंजीकरण योजना

2669. श्री राम प्रकाश चौधरी :

श्री सज्जन कुमार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का उन व्यक्तियों के लिए एक योजना घोषित करने का विचार है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन के लिए पिछली पंजीकरण योजना में अपने नाम पंजीकृत नहीं करा सके;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की पिछली पंजीकरण योजना की घोषणा कब की गई थी; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नई पंजीकरण योजना की घोषणा कब की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष, 1989 में।

(ग) चल रही योजनाओं के अन्तर्गत भारी पिछले बकाया को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में नया पंजीकरण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

अम्बाला में विशेषज्ञतायुक्त अस्पताल खोलना

2670. श्री राम प्रकाश चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में अम्बाला और उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञतायुक्त अस्पतालीय सेवाओं के अभाव में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आना पड़ता है और दिल्ली में अस्पताल पहुंचने में देरी होना प्रायः रोगी की मृत्यु का कारण बनता है;

(ख) क्या सरकार का अम्बाला में अ० भा० आ० संस्थान जैसा विशेषज्ञतायुक्त अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) इस मामले में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य से जितने रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला कराया गया उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

1988-89	—3653
1989-90	—3643
1990-91	—2083

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ जो कि हरियाणा राज्य सहित पड़ोसी राज्यों से आए रोगियों की जरूरतें भी पूरी कर रहा है, में विशेषज्ञतायुक्त उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अनिवार्य विशेषज्ञतायुक्त उपचार सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का काम है क्योंकि "स्वास्थ्य" राज्य सरकार का विषय है।

एड्स रोगी

2671. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार एड्स पीड़ित कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के तारा देवी सिद्धार्थ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 48 पूर्ण रूप से ग्रस्त एड्स संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इन 48 मौतों का राज्य-वार/-वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

30-6-91 तक (अनन्तिम)

क्र० संख्या	राज्य	1989	1990	1991	कुल	मौतें
1.	चण्डीगढ़	1	—	—	1	1
2.	दिल्ली	1	1	8	10	8
3.	केरल	1	1	—	2	2
4.	महाराष्ट्र	8	5	4	17	15
5.	पांडिचेरी	1	1	—	2	2
6.	मद्रास	6	2	—	8	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1	—	—	1	1
8.	गोवा	1	1	—	2	2
9.	गुजरात	1	—	—	1	1
10.	मणिपुर	—	3	1	4	4
11.	असम	—	1	—	1	1
12.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	1	[illegible]
13.	राजस्थान	—	1	—	1	[illegible]
14.	आंध्र प्रदेश	1	—	—	1	1
	कुल	23	16	13	52	48

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां

2672. श्री राम बदन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियां व इनके आस-पास की गंदगी को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) इस इलाके का क्षेत्राधिकार रखने वाले भूमि-स्वामित्व अभिकरणों को निकट निगरानी रखने के अनुदेश दिये गये है ताकि, भूमि को और अतिक्रमण से बचाया जा सके। झुग्गी-झोपड़ी समूहों के आस-पास के क्षेत्र में से कूड़ा-करकट हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा विशेष कर्मचारी लगाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई

2673. श्री राम बदन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में लालकुंआ क्षेत्र में सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कौन से सुधारात्मक कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्गीय राजीव गांधी का राष्ट्रीय स्मारक

[अनुवाद]

2674. श्री अन्नासाहु इरा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राजीव गांधी की स्मृति में श्रीपेराम्बुदूर में, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी, एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) श्रीपेराम्बुदूर में, जहां पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने स्थल पर एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए उन्होंने भूमि का अधिग्रहण पहले से ही कर लिया है।

पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें

2675. श्री अम्बारासु इरा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालय पर पुनरीक्षा समिति जिसने तीन वर्ष पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, की सिफारिशों में से कुछ या किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत समिति द्वारा जांच की गई थी। शासी मंडल ने समीक्षा समिति की सिफारिशों तथा प्राधिकृत समिति की टिप्पणियों को नोट किया है तथा सरकार के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के तरीके सुझाने हेतु एक उप समिति गठित की है।

केन्द्रीय विद्यालय में किसी एक कक्षा हेतु विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या

2676. श्री अम्बारासु इरा :
डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय की किसी एक कक्षा के एक कक्ष (सेक्शन) में छात्रों के प्रवेश के लिए कोई सीमा निर्धारित की गयी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामान्य रूप से महानगरों और विशेष रूप से दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में स्वीकृत संख्या 50 से 80 छात्र तक बढ़ गयी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष (सेक्शन) न खोलने या दूसरी पारी न प्रारंभ किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों में एक कक्षा के एक अनुभाग में छात्रों की अधिकतम निर्धारित संख्या 35 है सिवाय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जहां अधिकतम निर्धारित संख्या 40 है।

(ख) जी हां, यह सही है कि दिल्ली सहित महानगरों के कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में एक अनुभाग में छात्रों की संख्या 50 अथवा इससे ज्यादा तक पहुंच गई है।

(ग) ऐसी अवस्थापना सुविधाओं और कार्मिकों की अनुपलब्धता तथा दाखिले की बढ़ती हुई मांग के कारण है।

गर्भवती महिलाओं में कुपोषण

2677. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है जो कुपोषण के कारण जो शारीरिक रूप से अपूर्ण बच्चों को जन्म देती हैं;

(ख) संघ सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो गर्भवती महिलाओं को सहायता के लिए तैयार की गई है;

(ग) क्या इन सेवाओं के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो इस अध्ययन की रिपोर्ट का ब्योरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी लक्ष समूहों को इनसे कितना लाभ हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) गर्भवती माताएं, जो कुपोषण की वजह से शारीरिक रूप से अपूर्ण बच्चों को जन्म देती हैं, के सही प्रतिशत का पता नहीं है। तथापि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित अध्ययन यह दर्शाते है कि महिलाओं के 15 प्रतिशत उत्पन्न शिशु जन्म के समय कम वजन (2500 ग्राम से कम) के होते है जो कि गर्भवती महिलाओं में कुपोषण दर्शाता है।

(ख) देश में गर्भवती महिलाओं में पोषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग-निरोधन योजना शुरू की गई जिसमें प्रतिवर्ष 300 लाख महिलाओं को कवर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक गर्भवती माता को 100 दिनों के लिए एक गोली आयरन और एक फॉलिक एसिड की दी जाती है जिसमें 60 मि०ग्रा० एलीमेंटरी आयरन और 0.5 एम० सी० फॉलिक एसिड होता है।

आई० सी० डी० एस० योजना 24 लाख माताओं को उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए पोषण सहायता प्रदान करती है। घरेलू महिलाओं की पोषण परिस्थितियों और घरेलू उपभोग के लिए फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं को सुधारने के लिए 67 क्षेत्रीय एककों के जरिए पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण का अलग कार्यक्रम चलाया गया है। यह पौष्टिक भोजन, खाद्य पदार्थों के पुष्टिकरण और सवृद्धि इत्यादि में भी सहायता करता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग, न्यूट्रीशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा आयोजित आई० सी० डी० एस० योजना के मूल्यांकन अध्ययन दर्शाते है कि देश में गम्भीर कुपोषण की घटनाएं कम हो रही हैं। जन्म के समय बच्चों के वजन में वृद्धि पाई गई है और उनमें विटामिन "ए" की न्यूनता और रक्ताल्पता में भी कमी हुई है।

सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण पर खर्च की गई राशि

2678. श्री वी० शामनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों, अल्पसंख्यक तबकों के गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण पर केन्द्र सरकार द्वारा 1989-90 के दौरान श्रेणी-वार खर्च कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) ऐसी कल्याण योजनाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा

1989-90 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर निम्नलिखित राशियां व्यय की गई :—

	व्यय की गई राशियां
अनुसूचित जाति	338.86 करोड़ रुपए
अनुसूचित जनजाति	28.2[illegible] करोड़ रुपए

इसके अतिरिक्त राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक तंत्र के माध्यम से 2108.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष वित्तीय सहायता पर 205.50 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ख) 1989-90 के दौरान, 24,42,954 अनुसूचित जाति परिवार और 10.25 लाख अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित हुए।

अपाहिज और विकलांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय

2679. श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री भगवान शंकर रावत :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपाहिज और विकलांग व्यक्तियों के लिए अब तक कितने विद्यालय खोले गए; और

(ख) ऐसे विद्यालय कब तक देश के प्रत्येक जिले में खोल दिये जायेंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों द्वारा स्थापित विकलांगों तथा अपंगों के लिए 1037 विशेष विद्यालय हैं। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार द्वारा और विशेष विद्यालय खोलना संसाधनों की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होगा।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	विकलांगों तथा अपंगों के लिए विशेष विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	51
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	8

1	2	3
4.	बिहार	34
5.	गोवा	9
6.	गुजरात	90
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	75
11.	केरल	96
12.	मध्य प्रदेश	41
13.	महाराष्ट्र	229
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	1
18	उड़ीसा	38
19.	पंजाब	20
20.	राजस्थान	22
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	131
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	49
25.	पश्चिम बंगाल	65
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चण्डीगढ़	4
28.	दादर एवं नगर हवेली	—
29.	दिल्ली	36
30.	दीव और दमन	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	3
	कुल	1,037

मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में और केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

2680. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें संघ सरकार से और केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुरोध करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक राज्य के और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के आज तक के लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) संघ सरकार के पास लम्बित पड़े प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय खोलना, प्रायोजक एजेंसियों द्वारा भूमि अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था सहित सभी तरह से पूर्ण प्रस्तावों की उपलब्धता और संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक मुद्दों पर, आधारित होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र० सं०	स्थान का नाम	सुविधाओं के ब्यौरे					
		भूमि (एकड़ों में) अपे०/	उप०	अस्थायी आवास अपे०/	उप०	रिहायशी आवास अपे०/उप० (स्टाफ क्वार्टरों का %)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	गुजरात						
1.	हिम्मत नगर जिला साबरकंठा	15	12	12	12	50%	6
	मध्य प्रदेश						
2.	रायपुर	15	15	12	06 (बैरेक्स)	50%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बालाघाट	15	15	12	*शून्य	50%	50%
4.	देवास	1[illegible]	15	12	06	50%	50%
5.	धार	15	शून्य	12	22	50%	3 कमरे
6.	सागर	15	15	12	शून्य	50%	शून्य
7.	सिद्धी	15	15	12	19	50%	शून्य
8.	दमोह	15	15	12	32	50%	50%
9.	सतना	15	14	12	12 (किराये के)	50%	शून्य
10.	मंदसौर	15	15	12	शून्य	50%	शून्य
	राजस्थान						
11.	बयावर, जिला अजमेर	15	15	12	08	50%	शून्य
12.	खंडेला	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	चित्तौड़गढ़	1[illegible]	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
14.	धौलपुर	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
15.	कोटा	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
16.	दौसा	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
17.	टोंक	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
18.	डूंगरपुर	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
19.	सिरोही	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
20.	बूंदी	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
	उत्तर प्रदेश						
21.	सराय छाबिल, जिला बुलंदशहर	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
22.	दादरी, जिला गाजियाबाद	15	शून्य	12	शून्य	50%	शून्य
32.	बलिया	15	5.80	12	बैरेक्स	50%	7+1
24.	देवरिया	15	16.5	12	16 किराये का आवास	50%	5

* 10 का बचन दिया है।

गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

2681. श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रौढ़ कार्यक्रम, महिला समाख्या और अनौपचारिक शिक्षा के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को राज्यवार और कार्यक्रमवार अलग अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान संघ सरकार ने उपर्युक्त राज्यों को कितनी धनराशि दी;

(ग) क्या उपर्युक्त राज्यों में से किसी राज्य द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के मामलों की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) इस कार्यक्रमों से राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(च) उपयुक्त कार्यक्रमों के लिए आठवीं योजनावधि के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, महिला सामाख्या और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आवंटन पूर्ण रूप से आवश्यकता पर आधारित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत गुजरात को 2223.15 लाख रु०, मध्य प्रदेश को 2397.39 लाख रु०, राजस्थान को 2475.96 लाख रु०, उत्तर प्रदेश को 4260.96 लाख रु०, जारी किया। महिला समाख्या कार्यक्रम को केवल वर्ष 1988-89 में ही शुरू किया गया और इन राज्यों में से गुजरात को इस योजना अवधि के भाग के दौरान 110.64 लाख रु० दिया गया। अनौपचारिक शिक्षा के तहत, केन्द्र सरकार ने गुजरात को 40.74 लाख रु०, मध्य प्रदेश को 17.7.16 लाख रु०, राजस्थान को 752.50 लाख रु०, और उत्तर प्रदेश को 2463.71 लाख रु० जारी किए। कभी-कभी व्यक्तियों से कुछ शिकायतें मिलीं, किन्तु जांच करने पर उन्हें निराधार पाया गया। गुजरात से 20.77 लाख रु०, मध्य प्रदेश से 41.24 लाख, राजस्थान से 21.91 लाख और उत्तर प्रदेश से 48.30 लाख शिक्षुओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। महिला समाख्या का कार्य 1:00 गांवों में चल रहा है। इस योजना अवधि के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा से गुजरात में 0 60 लाख शिक्षु, मध्य प्रदेश में 8.52 लाख शिक्षु, राजस्थान में 2.60 लाख शिक्षु और उत्तर प्रदेश में 15.08 लाख शिक्षु लाभान्वित हुए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इन सभी कार्यक्रमों के वास्ते निधियों के आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

2682. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "बैकलाग राइजेज डी० डी० ए० सिट्स प्रैटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण गत पांच वर्षों के दौरान मकान के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहा है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण के संबंध में वायदा पूरा न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) आगामी कुछ वर्षों के दौरान पर्याप्त संख्या में फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश देने के संबंध में सरकार का अगले क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में बनाये गये फ्लैटों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बनाये गये फ्लैटों की कुल संख्या	फ्लैट बनाने के लिए लक्ष्य
1986-87	8828	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।
1987-88	18758	
1988-89	23931	21473
1989-90	21012	21637
1990-91	8846	12500

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान गिरावट के कारण, इस प्रकार है :—

(1) बाह्य विद्युतीकरण कार्य और कनेक्शन विलम्ब से पूरे होना;

(2) पानी और मल-निर्यास प्रणाली का विलम्ब से कनेक्शन;

(3) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति।

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान फ्लैटों के निर्माण के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए गए हैं; जो इस प्रकार है :—

क्रम सं०	वर्ष	फ्लैटों के निर्माण के लिए लक्ष्य
1.	1992-93	26000
2.	1993-94	26500
3.	1994-95	36000
		88500

नकली औषधियों की भरमार

2683. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री बलराज पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लघु एककों द्वारा किए जाने वाले औषधियों और दवाओं के उत्पादन पर निगरानी रखने का है ताकि नकली औषधियों की बढ़ती हुई मात्रा पर नियंत्रण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान नकली औषधियों के सेवन से देश में कितनी मौतें हुई;

(घ) क्या सरकार ने देश में नकली औषध निर्माताओं पर कोई छापे मारे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार का देश में नकली औषधियों की बिक्री और उत्पादन को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसमें दिए गए नियमों के अन्तर्गत देश में छोटे पैमाने की इकाइयों सहित सभी कम्पनियों द्वारा विनिर्मित, बेची गई और वितरित औषधों पर नियम लागू करने और नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

(ग) आयुक्त, खाद्य और औषध प्रशासन, महाराष्ट्र ने सूचित किया था कि मैसर्स इन्द्रा लैबोरेटरीज, पटना, बिहार द्वारा विनिर्मित सोडियम बाई-कोर्बोनेट इन्जेक्शन के दिए जाने से बम्बई अस्पताल, बम्बई में एक रोगी की मृत्यु हुई।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में नकली दवाइयों के विनिर्माताओं पर केन्द्रीय औषध निरीक्षकों द्वारा मारे गए छापों के ब्योरे देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान पता लगाए गए नकली दवाईयों के विनिर्माताओं पर केन्द्रीय औषध निरीक्षकों द्वारा मारे गए छापों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	दवाई का नाम	विनिर्माता का नाम	की गई कार्रवाई, (अनुवर्ती कार्रवाई)
1	2	3	4
1.	सायसोल आई०पी०	मैसर्स बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल पर विनिर्माण का दोषारोपण	मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल, कलकता के नाम से यह नकली दवाई बनाने और बेचने के कारण मैसर्स ऐ० के० फार्मास्युटिकल्स मद्रास के विरुद्ध विधि न्यायालय में केस चलाया जा चुका है।
2.	(क) सल्फाडायजीन गोलियां (ख) ट्रिमिथोप्रिम और सल्फेमथोक्जोल गोलियां	मैसर्स माडर्न फार्मास्युटिकल, तिरूर, केरल	मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य औषध नियंत्रक, केरल को सौंप दिया गया है।
3.	(क) केमिट्रान गोलियां (ख) केमिसिलिन केपसूल	मैसर्स सिन्थोकेम फार्मास्युटिकल्स नावाद, कर्नाटक	यह एक फर्जी फर्म है। दोषी लोगों को हैदराबाद पकड़ा गया था। जांच पड़ताल प्रगति पर है।

1	2	3	4
4.	(क) टेट्रासाइक्लिन केप्सूल	मेसर्स क्यूरिअल इन्डिया मंगलौर, कर्नाटक	औषध नियंत्रक, कर्नाटक ने फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
	(ख) एम्पीसिलीन केप्सूल		
5.	डोक्सीसिलीन केप्सूल	मेसर्स केमिबायोटिक्स, हैदराबाद आंध्रप्रदेश	मामले को औषध नियंत्रक, आंध्र प्रदेश को सौंपा गया था जिसने फर्म का विनिर्माण लाइसेन्स रद्द कर दिए हैं।
6.	(क) इंजेक्शन आई० पी० के लिए पानी (ख) आसीटासीन इन्जेक्शन	विनिर्माता विना वैध लाइसेन्स वोरिंग रोड पटना, बिहार में स्थित है जो सारण, बिहार के मैसर्स दियो केमिकल्स (प्रा० लि०) के लेबल का प्रयोग कर रहा है।	राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण, पटना, बिहार द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई।

श्रम न्यायालय

2684. श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री बलराम पासी :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम न्यायालयों में इस समय कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनमें से कितने मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) क्या दिल्ली में कुछ और श्रम न्यायालयों की स्थापना हेतु गत दो वर्षों के दौरान लिए गए निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में श्रम और औद्योगिक न्यायालयों द्वारा मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवनसिंह घाटोवार) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-6-1991 तक 42,216 मामले लम्बित थे, जिनमें से 3911 मामले 5 साल से अधिक समय से लम्बित थे।

(ख) 1990-91 के दौरान सहायक कर्मचारियों सहित दो श्रम न्यायालय संस्वीकृत किए गए थे। जैसे ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारी उपलब्ध कराए जाएगे, ये न्यायालय कार्य करना शुरू कर देंगे।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि—

(i) औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के समक्ष मामलों के शीघ्र निपटाने में अड़चनों को दूर करने के लिए समीक्षा की गई है;

(ii) श्रम न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से उपाय किए जा रहे हैं; और

(iii) सरांधन अधिकारियों को औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए सार्थक प्रयास करने को कहा गया है ताकि अधिनिर्णय के लिए औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में भेजे गए मामलों को कम किया जाए।

बिहार में वन आदिवासियों को भूमि सौंपना

[हिन्दी]

2685. श्री ललित उरांव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में वन भूमि क्षेत्र कितना है;

(ख) कितने वन भूमि क्षेत्र में आदिवासी लोग पिछले दस वर्षों से खेती करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी लोगों को उक्त वन भूमि क्षेत्र का मालिकाना हक देने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) बिहार राज्य के छोटा नागपुर और सन्थाल परगना क्षेत्रों में वन क्षेत्र और पिछले दस वर्षों से जनजातियों द्वारा जोते जा रहे वन क्षेत्र से संबंधित सही सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उन पात्र मामलों में वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है जहां राज्य सरकारों ने पात्रता मापदण्ड बना लिए थे और अवैध कब्जों को नियमित करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन जिसको 24-10-1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बन जाने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 24-10-1980 के बाद किए गए अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जाना है।

आंगनवाड़ी योजनाएं

2686. श्री ललित उरांव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंगनवाड़ियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 31-7-91 की स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय क्षेत्र में स्वीकृत आंगनवाड़ियो की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत राज्यवार आबंटित धनराशि दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

31-7-1991 की स्थिति अनुसार केन्द्रिय प्रायोजित समेकितबाल विकास सेवा परियोजनाओं में स्वीकृत आंगनवाड़ियों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/के०शा०प्र० का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18310
2.	अरुणाचल प्रदेश	142

1	2	4
3.	असम	7304
4.	बिहार	25291
5	गोवा	1100
6	गुजरात	17763
7.	हरियाणा	5316
8.	हिमाचल प्रदेश	3597
9.	जम्मू और कश्मीर	3371
10.	कर्नाटक	21955
11.	केरल	8472
12.	मध्य प्रदेश	26043
13.	महाराष्ट्र	26227
14.	मणिपुर	2102
15.	मेघालय	1650
16.	मिजोरम	1139
17.	नागालैंड	2065
18.	उड़ीसा	11823
19.	पंजाब	6904
20.	राजस्थान	14700
21.	सिक्किम	381
22.	तमिलनाडु	11628
23.	त्रिपुरा	2479
24.	उत्तर प्रदेश	35978
25.	पश्चिमी बंगाल	25604
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	245
27.	चंडीगढ़	200
28.	दादर और नागर हवेली	125
29.	दिल्ली	2917

1	2	3
30.	दमन और द्वीव	79
31.	लक्षद्वीप	60
32.	पांडिचेरी	695
	भारत—कुल योग :	286947

विवरण-2

समेकित बाल विकास सेवा योजना के सतत् कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय अनुदान राशि का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/के०शा०प्र० का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1,	आंध्र प्रदेश	1186.59	957.83	1157.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	124.67	96.04	136.80
3.	असम	457.97	543.61	762.91
4.	बिहार	1201.15	1374.47	2383.01
5.	गोवा	93.[illegible]6	112.99	145.05
6.	गुजरात	1513.29	1170.40	1801.49
7,	हरियाणा	414.97	408.77	444.24
8.	हिमाचल प्रदेश	266.81	216.46	342.05
9.	जम्मू और कश्मीर	143.90	189.90	313.14
10.	कर्नाटक	926.16	1048.74	1217.43
11.	केरल	625.15	566.56	931.50
12.	मध्य प्रदेश	1242.67	1390.29	1814.89
13.	महाराष्ट्र	1282.58	1670.94	2444.88
14.	मणिपुर	133.29	198.65	209.69
15.	मेघालय	128.53	133.23	179.92
16.	मिजोरम	136.54	156.45	229.91

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	181.41	18.233	231.82
18.	उड़ीसा	7 5.83	941.17	923.54
19.	पंजाब	513.00	410.36	589.48
20.	राजस्थान	787.00	888.40	1270.69
21.	सिक्किम	31.00	37.78	53.12
22.	तमिलनाडु	529 91	845.73	1155.32
23.	त्रिपुरा	130.37	213.01	120.01
24.	उत्तर प्रदेश	1493.13	2238.76	2422.89
25.	पश्चिम बंगाल	1467.01	15 3.17	1693.57
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	25.00	27.00	27.36
27.	चण्डीगढ़	21.50	21.00	24.00
28.	दादर और नगर हवेली	11.00	11.00	12.70
29.	दमन और द्वीव	8.00	8.00	8.00
30.	दिल्ली	287.5	291.12	373.62
31.	लक्षद्वीप	6.00	6.00	6.42
32.	पांडिचेरी	55.13	65.00	70.00
	योग :	16200 28	18003.11	23500.00

ट्राइबल सब-प्लान एण्ड स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

2687. **श्री ललित उरांव :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को ट्राइबल सब-प्लान एंड स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) बिहार में उक्त अवधि के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों का जिलावार ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत एक योजना के रूप में निधियों का आबंटन करता है। राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन भी निधियां आबंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष

केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बिहार को आबंटित की गई राशियां निम्न प्रकार है : —

वर्ष	आदिवासी उपयोजना	विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
1988-89	24.72	16.37	7.45
1989-90	27.72	16.18	19.87
1990-91	29.32	22.46	9.20

(ख) लाभान्वित परिवारों के जिलावार ब्योरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल रख दिए जाएंगे।

भारत उत्सव

[अनुवाद]

2688. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमेरिका में भारत के सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया था;

(ख) क्या छह वर्ष पूर्व ऐसा ही एक उत्सव अमेरिका की सरकार ने आयोजित किया था; और

(ग) यदि हां तो ये उत्सव भारत-अमेरिकी संबंधों को किस सीमा तक सुदृढ़ बनाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरीका में भारत का सांस्कृतिक उत्सव आयोजित नहीं किया है। तथापि, यह पता लगा है कि ऐसा ही एक सांस्कृतिक उत्सव संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित दो निजी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका में भारत महोत्सव जून, 1985 से 1986 के अन्त तक आयोजित किया था। इसके बदले में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत में कोई उत्सव आयोजित नहीं किया गया। सरकार द्वारा आयोजित भारत महोत्सव द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ है और इससे संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों की भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी बढ़ी है।

महिला कल्याण पर अध्ययन रिपोर्ट

2689. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कल्याण शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन संस्थान ने

गूढ़ अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) क्या सरकार का विचार महिला कल्याण हेतु कोई नया पैकेज देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने 1990 में "महिलाएं और विकास" नामक एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है।

यह रिपोर्ट जिला स्तरीय आंकड़ों पर आधारित है और इसमें महिलाओं की समृद्धि के स्तरों के विभिन्न पहलुओं को लिया गया है, जैसे कि शिक्षा, जनसंख्या वैवाहिक स्थिति, प्रजनन स्थिति और आर्थिक कार्य कलाप इत्यादि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है :—

(1) यद्यपि देश ने महिला विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

(2) महिला विकास के विभिन्न क्षेत्र परस्पर निर्भरता की पद्धति में आपस में जुड़े हुए हैं।

(3) 144 जिले ऐसे है जिन्हें महिलाओं की सामाजिक प्रगति के सम्बन्ध में पिछड़े जिले कहा जा सकता है।

(4) इन 144 जिलों में से 122 जिले आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पांच राज्यों में है।

(5) महिला विकास के लिए नियोजन कार्यों में पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(6) महिला विकास के लिए समेकित प्रयास क्षेत्र-विशेष के लिए करने अपेक्षित हैं।

(ग) से (ङ) इस रिपोर्ट का प्रयोग प्राथमिकता वाले ऐसे क्षेत्रों के चयन के लिए किया जा रहा है जिन्हें महिलाओं के विकास के लिए सरकार के मौजूदा कार्यक्रमों और नये प्रयासों के अन्तर्गत कवर किया जाना है, जैसे कि महिलाओं के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम और महिलाओं के लिए नेशनल क्रेडिट फण्ड की स्थापना करना।

कर्नाटक में भारतीय जनसंख्या परियोजना का कार्यान्वयन

2690. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त भारतीय जनसंख्या परियोजना को कर्नाटक में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना में शामिल किए गए जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक की सरकार ने मंजूर की गयी परियोजना में संशोधन किया है और उसमें

दक्षिण कनारा जिले को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या संघ सरकार इस संशोधन से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में शामिल जिले हैं—गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बीजापुर, धारवाड़ और बेलगाम।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने नए जिलों में भारत जनसंख्या परियोजना के विस्तार के लिए दक्षिण कनारा जिले को शामिल करने के लिए पूरक प्रस्ताव में सिफारिश की थी। बहरहाल, संसाधनों की कठिनाइयों के कारण पूरक प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

केरल में हाथियों की हत्या

2691. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वन्यजीवों की विशेषकर "परमबिकुलम अभयारण्य" में हाथियों की हत्या किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभयारण्य की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "परमबिकुलम अभयारण्य" में बड़े पैमाने पर वन कटाई अथवा पशुओं के चोरी-छिपे शिकार किए जाने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, अभयारण्य के भीतर 1990 में एक हाथी के मारे जाने की सूचना मिली है, किन्तु 1991 मे अभयारण्य के भीतर हाथियों के अवैध रूप से मारे जाने का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) परमबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य में पशुओं के अवैध रूप से मारे जाने अथवा वन-नाशन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए वन्यजीव कर्मचारियों द्वारा अभयारण्य में नियमित गश्त लगाई जाती है। भारत सरकार ने चोरी-छिपे शिकार-विरोधी आधारभूत ढांचे-जैसे जीप, अग्नि-शस्त्र तथा वन गार्ड चौकियों के निर्माण आदि पर बल देने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

केरल में नए आयुर्वेदिक अस्पताल

2692. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकार तथा केन्द्रीय/राज्य गैर-सरकारी निकायों द्वारा कितने आयुर्वेदिक अस्पताल और कितने आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केरल सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 110 सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, 3 सरकारी आयुर्वेदिक कालेज और प्राईवेट सैक्टर के 2 आयुर्वेदिक कालेज हैं । प्राईवेट प्रतिष्ठानों द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग) चिकित्सा सहायता देना और आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना करना मूल रूप में राज्य-विषय है। इस समय इस मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में नए आयुर्वेदिक अस्पताल और संस्थाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल राज्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और स्मारक

2693. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत प्राचीन चर्च, मन्दिर, मस्जिद, स्मारक और अन्य ऐतिहासिक महत्व की कितनी इमारतें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केरल में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की जिलावार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केरल में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र० सं०	स्थान		स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3	4
		जिला एर्नाकुलम	
1.	कोचीन		सेंट फ्रांसिस चर्च
2.	मट्टनचेरी		मट्टनचेरी महल की दीवारों पर भित्तिचित्र (16वीं-17वीं शताब्दी)
		जिला कन्नानोर	
3.	कन्नानोर		सेंट एंगलो किला
4.	पाल्लीकेरे		बेकलकिला

1	2	3	4
5.	वेल्लीचेरी *(तल्लाइचेरी)		टेल्लीचेरी किला
		जिला कोझीकोड़	
6.	कीतनगनद		जैन मंदिर
		जिला पालघाट	
7.	याकारा देसम		पालघाट किला
8.	पत्याग्वी		नेतृमंगलन के शिव मंदिर
		जिला त्रिरुवनायपुरम	
9.	एंगेगो		एगेंगो किला
10.	त्रुवाल्लाम		परसुराम, ब्रह्मा, शिव और मत्स्य के मंदिर
11.	विर्शाम्जम		शैल निर्मित गुफा
	*(स्थान का वर्तमान नाम)		
		जिला त्रिसूर	
12.	अरियान्नूर		अरियान्नूर छत्र, सात या अधिक बड़कलों अथवा छत्र पत्थरों वाला प्रागैतिहासिक स्थल।
13.	चेरामानगढ़		कुड़ोकल्लू पराम्बू पचास से साठ कड़कलों या छत्र स्मारकों वाला प्रागैतिहासिक स्थल
14.	चोलान्नूर		दफन गुफा
15.	एयात		दफन गुफा
16.	—वही—		चेम्मान थपट्टा के शिव मंदिर की श्री कोइल की दीवारों पर भित्ति चित्र (17वीं-18वीं शताब्दी)
17.	—वही—		शिव मंदिर परिसर
18.	कन्वानास्सेरी		दफन गुफा

1	2	3
19.	कटावल्लूर	विष्णु मंदिर के श्रीकोइल की बाहरी दीवारों पर उन्नतीस लकड़ी की कोष्ट प्रतिमाएं और उसी मंदिर में कला के अन्य कार्य
20.	कट्टाकम्पाल	दफन गुफा
21.	कुम्भाकुलम	कार्यकाल की दफन गुफा
22.	थोरुवनचीकुलम	शिव मंदिर की दीवारों पर (16वीं 17वीं शताब्दी की) भित्तिचित्र
23.	थोरुवनचीकुलम	शिव मंदिर परिसर
24.	त्रिचूर	कैलासनाथ मंदिर की दीवारों पर (16वीं-17वीं शताब्दी) भित्ति-चित्र
25.	त्रिप्रायार	श्री रामस्वामी मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र
26.	इरामक	पेरुवानम के शिव मंदिर की श्री कोइल की दीवरों पर 17वीं 18वीं शताब्दी के भित्तिचित्र और इसी सराय की श्री कोइल पर इससे भी पूर्वकाल की लकड़ी की कोष्ट प्रतिमाएं।
27.	—वही—	शिव मंदिर परिसर
28.	वादाक्काचेरी	पल्लीमान्ना मंदिर की श्री कोइम की दीवारों पर भित्ति चित्र

दिल्ली में श्रेणी-1 के बंगलों का खाली कराया जाना

[हिन्दी]

2694. श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्रेणी-1 के कुछ बंगले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) इन बंगलों को खाली न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जिन भूत-पूर्व मंत्रियों/संसद सदस्यों को मंत्रियों/संसद सदस्यों के पदों पर रहते हुए सामान्य पूल से आवास आबंटित किए गए थे लेकिन जिनकी स्थिति अब मंत्रियों/संसद सदस्यों की नहीं रह गई है और जिनका सरकारी आवास का कब्जा अब अनधिकृत हो गया है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। विवरण में शामिल किए गए सभी मामलों में आवटन रद्द कर दिया गया है । बंगलों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है । जो पूर्व मंत्री/संसद सदस्य इन बगलों में रह रहे हैं उनके साथ भी बंगलों को खाली कराने का मामला उठाया गया है। इन लोगों पर बकाया देय राशि की जानकारी एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	निवासी का नाम
1	2
1.	सर्वश्री दिनेश सिंह 1-त्यागराज मार्ग
2.	,, एच० के० एल० भगत, 34-पृथ्वी राज मार्ग
3.	,, जनार्दन पुजारी, 7-अकबर रोड,
4.	,, महावीर प्रसाद, 17-तीनमूर्ति मार्ग
5.	,, एम० थंबीदुरई, 2‘-तुगलक रोड
6.	,, वसंत पी० साठे, 3-कृष्ण मेनन मार्ग
7.	,, अजय सिंह 5-सफदरजंग लेन
8.	,, आरिफ मोहम्मद खान, 3-सुनहरी बाग रोड
9.	,, जगदीप धनकर, 4-डुप्लैक्स रोड
10.	,, मधु दण्डवते 10-अशोक रोड
11.	,, मुफ्ती मोहम्द सईद 10 अकबर रोड
12.	,, नीलमणि राउतराय, 1-सुनहरी बाग रोड
13.	,, एस० पी० मलिक, 9-तीनमूर्ति मार्ग
14.	,, शरद यादव, 9-अकबर रोड
15.	,, सरवर हुसैन, 57-लोधी एस्टेट
16.	,, शफिकुर्रहमान, 1-मोतीलाल नेहरू मार्ग
17.	,, के० सी० पंत, 10-त्यागराज मार्ग

1	2
18.	,, एन० डी० तिवारी, 2-जन्तर-मन्तर रोड
19.	,, श्रीमती टी० के० वाजपेयी, 6-अशोक रोड
20.	,, मनोज पाण्डेय, सी-2/67-मोतीबाग
21.	,, जी० के० मूपनार, 24-अकबर रोड
22.	,, जगतपाल सिंह, 20-केनिंग लेन
23.	,, स्व० श्री दरबारा सिंह, 9-कृष्णा मेनन मार्ग
24.	,, डा० जगन्नाथ मिश्र, 8-सफदरजंग लेन,
25.	,, पुरुषोत्तम कौशिक, 13-बलवन्त राय मेहता लेन
26.	,, श्रीमती टी० एम० अंजैया, 14-सी फिरोजशाह रोड़
27.	,, ब्रह्मदत्त सी-1/5 हुमायूं रोड
28.	,, श्रीमती उमा गजपति राजू, 8-तुगलक लेन
29.	,, श्रीमती वैजंतीमामा बाली, 76-लोधी एस्टेट
30.	,, श्री जनेश्वर मिश्र, 23-सफदरजंग रोड
31.	,, राजमंगल पाण्डेय, 3-त्यागराज मार्ग
32.	,, हरमोहन धवन, 11-तीनमूर्ति मार्ग
33.	,, एस० के० सहाय, 12-सफदरजंग रोड
34.	,, भक्तचरण दास, 14-तीनमूर्ति लेन
35.	,, रामजी लाला सुगल, 20-बिलिंगडन क्रिसेंट
36.	,, दशाई चोधरी, 83-लोधी एस्टेट
37.	,, जयप्रकाश, 9-तीनमूर्ति लेन
38.	,, मनूभाई कोटाडिया, 2-अकबर रोड
39.	,, श्रीमती उषा सिंह, 6-जी० आर० सी० रोड
40.	,, जे० बी० शाह, 5-बी० आर० मेहुता लेन
41.	,, देवीलाल, 1-बिलिंगडन क्रिसेट

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या

[अनुवाद]

2695. श्री भाग्ये गोवर्धन :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग अनुमानित जनसंख्या कितनी है; और

(ख) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में ग्रुप "ए", "बी", "सी" और "डी" के पदों पर प्रत्येक ग्रुप में कुल पदों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आंकड़ों का सारणीकरण और उन पर कार्रवाई प्रगति पर है।

(ख) शहरवार सूचना एकत्र नहीं की जाती है। दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत स्थिति इस प्रकार है :

पदों की कुल संख्या	ग्रेड "क"	ग्रेड "ख"	ग्रेड "ग"	ग्रेड "घ"
	2478	2679	1,00,702	15123

कर्मचारियों की कुल संख्या	ग्रेड "क"		ग्रेड "ख"		ग्रेड "ग"		ग्रेड "घ"	
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
	197	39	283	32	12509	2702	5441	931

भर्ती और प्रवेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2696. **श्री मान्ये गोवर्धन :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों की भर्ती तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 15% और $7\frac{1}{2}$% पद आरक्षित हैं। तदनुसार, संघशासित क्षेत्र दिल्ली की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं/स्कूलों में पदों की भर्ती में भी यह आरक्षण लागू है।

जहां तक स्कूल दाखिले में आरक्षण का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन स्कूलों में दाखिला सभी के लिए खुला है और इसलिए आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। नवयुग विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय आदि जैसे विशेष श्रेणी के विद्यालयों में जहां आवश्यक होता है अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। दिल्ली प्रशासन ने मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% आरक्षण

प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

जहां तक संघशासित क्षेत्र दिल्ली के विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है, सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए $7\frac{1}{2}$% स्थान आरक्षित किए जाते हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में भी सरकारी निर्देशों के अनुसार कड़ाई से आरक्षण किया जाता है।

सार्वत्रिक साक्षरता लक्ष्य

2697. श्री माग्ये गोवर्धन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सार्वत्रिक साक्षरता लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति हेतु कौन से कार्यक्रम शुरू किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) देश में निरक्षरता का परिमाण, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और यहां तक कि एक ही क्षेत्र के अंदर भिन्न-भिन्न होता है। निरक्षरता के लिए जिम्मेवार कारण भी व्यापक तौर पर भिन्न-भिन्न होते है और इसलिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की निरक्षरता-उन्मूलन की समस्या से निपटने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यनीतियों को अपनाए जाने की जरूरत होती है। इसको ध्यान में रखते हुए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जैसी समय-सारणी निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और वर्ष 1995 तक (15—35) आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का उद्देश्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए निर्धारित व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

प्रत्येक जिलों मुख्यालयों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

2698. श्री नूरूल इस्लाम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऐसे कितने संस्थान खोले जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) प्रत्येक जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय खुला विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में नगर निगम

[हिन्दी]

2699. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नगर निगम कार्यरत है;

(ख) कितने नगर निगमों में चुने गए प्रतिनिधि कार्य कर रहे है;

(ग) देश में भंग नगर निगमों की संख्या कितनी है जहां प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे स्थानों पर चुनाव कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ये चुनाव कब तक कराए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य का विषय है अत: अपने नियंत्रणाधीन भंग हुए नगर निगमों के चुनाव कराने का निर्णय लेना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य में नगर निगमों की संख्या	उन नगर निगमों की संख्या जिनमें चुने गए प्रतिनिधि कार्य कर रहे है	भंग हुई नगर निगमों की संख्या जहां प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	6	*5	नहीं	* एक नगर निगम के बारे में सूचना नहीं भेजी गई है।
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	2	1	
3.	मध्य प्रदेश	17	शून्य	17	
4.	दिल्ली	1	शून्य	1	
5.	पंजाब	3	3	शून्य	
6.	असम	1	शून्य	1	
7.	केरल	3	3	शून्य	

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	6	6	शून्य	
9.	प० बंगाल	3	3	शून्य	

जैसा कि सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है, निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई निगम नहीं है।

1. उड़ीसा
2. पाण्डिचेरी
3. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
4. लक्षद्वीप
5. मेघालय
6. हरियाणा
7. जम्मू और कश्मीर
8. राजस्थान

वानिकी में आदिवासियों की भूमिका

2700. श्री मोरेश्वर सावे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास सम्पूर्ण देश में वन सम्पदा और वन भूमि में आदिवासियों को भागीदारी देने की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी व्यक्ति को वन भूमि के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है। लेकिन, जून, 1991 में सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि आदिवासी लोगों सहित ग्रामीण समुदायों को भोगाधिकार के बंटवारे के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार और संरक्षण के कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। इससे उन्हें रोजगार तथा आर्थिक मजबूती का आधार प्राप्त होगा।

पर्यावरण के संरक्षण के लिए विनियम

[अनुवाद]

2701. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को यह जानकारी है कि राज्य सरकारें पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए बने विनियमों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके बारे में संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

2702. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और उनका वर्षवार और राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या वर्षवार 1991-92 के दौरान नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का राज्यवार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 795 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है जैसा कि राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा निश्चित किया गया है।

(ग) राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1998-89	1989-90	1990-91	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	1	शून्य	—
3.	असम	49	3	2	13	3	3
4.	बिहार	407	शून्य	493	20	शून्य	i0
5.	गोवा	2	1	—	1	"	शून्य
6.	गुजरात	47	25	—	34	1	i5
7.	हरियाणा	30	33	29	2	8	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	15	30	—	—	3	"

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	61	शून्य	1	2	शून्य	,,
10.	कर्नाटक	282	307	शून्य	21	20	,,
11.	केरल	127	167	25	शून्य	25	,,
12.	मध्य प्रदेश	200	46	1	32	25	3
13.	महाराष्ट्र	शून्य	107	1	शून्य	6	शून्य
14.	मणिपुर	13	6	शून्य	1	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	7	11	8	—	,,	,,
16.	मिजोरम	4	शून्य	—	1	,,	,,
17.	नागालैंड	4	2	शून्य	शून्य	,,	,,
18.	उड़ीसा	96	112	100	,,	1	,,
19.	पंजाब	85	95	शून्य	12	12	,,
20.	राजस्थान	300	150	275	50	50	15
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	384	164	43	शून्य	,,	1
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	503	124	535	43	32	20
25.	पश्चिम बंगाल	127	6	अनुबन्ध	3	3	अनुपलब्ध
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	2	1	1	—
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	—
28.	दादरा और नगर हवेली	1	शून्य	—	—		शून्य
29.	दमण और दीव	शून्य	2	शून्य	—	शून्य	—
30.	दिल्ली	शून्य	—	—	—	शून्य	—
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य	—	2	—	शून्य	1
	योग	2751	1393	1523	237	190	68

स्रोत : बुलेटिन ऑन रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया—मार्च, 1991—आर० एच० डी० स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी।

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 के लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य 1991-92	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य 1991-92
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	2
3.	असम	50	10
4.	बिहार	—	—
5.	गोआ	2	2
6.	गुजरात	—	—
7.	हरियाणा	—	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3
9.	जम्मू और कश्मीर	20	2
10.	कर्नाटक	50	10
11.	केरल	80	15
12.	मध्य प्रदेश	290	50
13.	महाराष्ट्र	—	—
14.	मणिपुर	2	7
15.	मेघालय	6	4
16.	मिजोरम	3	1
17.	नागालैण्ड	2	1
18.	उड़ीसा	40	85
19.	पंजाब	12	16
20.	राजस्थान	50	15

1	2	3	4
21.	सिक्किम	1	1
22.	तमिलनाडू	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	154	49
25.	पश्चिम बंगाल	20	30
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	—	1
29.	दमण और दीव	—	—
30.	दिल्ली	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	2
32.	पांडिचेरी	3	1
	योग	795	268

बरेली में अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

2703. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बरेली में 500 बिस्तरों वाला एक अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल के निर्माण के लिए धनराशि कब तक उपलब्ध कराएं जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 27.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विदेशी सहायता मांगते हुए बरेली में 500 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

स्कूलों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा

[अनुवाद]

2704. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को संपूर्ण विश्व में प्रौद्योगिकी का व्यापक विकास होने और उनमें कम्प्यूटर की भूमिका की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी स्कूलों में सातवीं कक्षा और उससे आगे की कक्षाओं के छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का बिना बारी आवंटन पाने के लिए किए गए आवेदन पत्रों को नामंजूर करना

2705. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन को बिना पारी का आवंटन पाने के लिए किए गए कितने आवेदन पत्रों को नामंजूर करने के कारण कितने व्यक्तियों ने अपील की है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1.8.90 से 31.7.1991 के दौरान बिनाबारी आवंटन के लिए आवेदनों को नामंजूर किए जाने के विरुद्ध 34 अपीलें प्राप्त हुई।

(ख) इन मामलों के विवरण और की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

क्र० सं०	आवेदक का नाम	अपील की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्रीमती सुमित्रा देवी	18.1.1991	अस्वीकृत
2.	श्री सुभाष अग्रवाल	25.4.1991	अस्वीकृत

1	2	3	4
3.	श्रीमती बिन्देश्वर	22.11.1990	—वही—
4.	श्री प्रभाकर एस० खप्पर	18.1 1991	—वही—
5.	श्रीमती पुष्पा ढांढु	11.3.1991	अस्वीकृत
6.	श्री दिव्येंदु राय	6.3.1991	—वही—
7.	श्रीमती सरिताबिज	18.7.1990	—वही—
8.	श्री जय कुमार	3.8.1990	—वही—
9.	श्रीमती फनोसो देवी	24.8.1990	—वही—
10.	श्री विनोद कुमार	19.12.1990	—वही—
11.	श्री रितेश कुमार	10.1.1991	—वही—
12.	श्री बी० पी० श्रीवास्तव	17.1.1991	—वही—
13.	श्री टी० नारायण	8.12.1990	—वही—
14.	श्री यशपाल चड्ढा	11.4.1991	—वही—
15.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	7.5.1991	—वही—
16.	श्री एम० सी० डाकुआ	15.3.1991	—वही—
17.	श्रीमती कमला राजपूत	25.4.1991	वही—
18.	श्रीमती सरला आर्या	8.3.1991	—वही—
19.	श्री टी० डी० फुलवे	24.1.1991/15.5.1991	—वही—
20.	श्रीमती सरोज रानी पाल	9.4.1991	—वही—
21.	श्रीमती इन्दु कुमारी	7.3.1991	एम० आई० जी० फ्लैट आवंटन के लिए स्वीकृत
22.	श्रीमती सुमन कोहली	17.5.1991	—वही—
23.	श्रीज्ञान सिंह सैनी	1.3.1991	—वही—
24.	श्रीमती शांति देवी	22.3.1991	एम० आई० जी० फ्लैट के लिए आवंटन हेतु स्वीकृत
25.	श्रीमती राजबाला	4.3.1991/8.4.1991	जनता फ्लैट आवंटन हेतु स्वीकृत

1	2	3	4
26.	श्री जमुना प्रसाद	20.3.1991	जनता फ्लैट के लिए आवंटन हेतु स्वीकृत
27.	श्री लालमन तिवारी	27.2.1991	—वही—
28.	श्री एस० जे० पिल्ले	22.1.1991	एम० आई० जी० फ्लैट आवंटन हेतु स्वीकृत
29.	श्री सी० डी० सिंह	2 .2.1991	—वही—
30.	श्री नागराज	31.1.1991/12.3.1991	अस्वीकृत
31.	श्री कृष्ण भोला	25.3.1991	—वही—
32.	श्री सुनील शर्मा	18.4.1991	—वही—
33.	श्री बी० पी० पोखरिलाल	22.4.1991	—वही—
34.	डा० मिसेज अमरजीत कौर	17.1.1991	एम० एस० एस० फ्लैट आवंटन हेतु स्वीकृत

सरकारी आवास को स्थानान्तर होने पर रोके रखना

2706. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण होने पर पहले स्थान पर सरकारी आवास को तब तक रोके रखने के लिए नियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान है जब तक कि स्थानान्तरण होने के नए स्थान पर आवास नहीं मिल जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले कार्य स्थान पर आवास को रोके रखने की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाये हैं;

(घ) दिल्ली से बाहर जिन स्थानों पर सरकारी आवास उपलब्ध है उनका यह टाइपवार तथा संख्यावार ब्यौरा क्या है और क्या वे आवास पर्याप्त हैं अथवा आवश्यकता से कम हैं; और

(ङ) इन स्थानों तथा उनमें जहां कोई आवास सुविधा नहीं है, पर और अधिक मकानों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर सामान्य लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर दो महिने की अवधि के लिए सरकारी वास रखने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में न रखते हुए कि तैनाती के नये स्टेशन पर सरकारी वास उपलब्ध है अथवा नहीं,

चिकित्सा/शिक्षा के आधार पर सामान्य से दुगुने लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर और 6 माह के लिए वास रखने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य पूल रिहायशी वास की अत्यधिक कमी को देखते हुए, ऐसे स्थान जहां पर सरकारी वास उपलब्ध नहीं है, पर स्थानान्तरण के मामले में भी अवधि से अधिक वास रखने की अनुमति देना संभव नहीं है।

(घ) दिल्ली से बाहर विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध टाइपवार वास, मांग और कमी सहित दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) किसी स्थान विशेष पर सरकारी वास का निर्माण संसाधन बाधाओं और सरकारी कर्मचारियों के केन्द्रीकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

क्षेत्रीय स्टेशनों पर 31.12.90 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सामान्य पूल रिहायशी वास को दर्शाने वाला विवरण

शहर	टाइप I	II	III	IV	V	VI	VII	होस्टल	कुल उपलब्धता	मांग +	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बम्बई	3139	3341	1091	532	192	89	—	—	8384	41,780	33,396
कलकत्ता	1476	1893	1118	141	138	105	—	84	4905	8,767	3,862
मद्रास	450	824	331	323	85	16	—	41	2073	3,777	1,704
शिमला	364	239	87	29	24	5	4	—	752	2,485	1,733
नागपुर	216	627	245	126	55	12	1	—	1282	1,973	691
फरीदाबाद	390	704	200	140	52	16	—	—	1502	2,091	589
गाजियाबाद	176	304	132	—	—	—	—	—	612	768	156
चंडीगढ़	411	664	304	32	4	2	—	—	1447	5,766	4,319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लखनऊ	128	168	112	48	—	—	—	52	508*	4,713	4,205
बेंगलोर	284	280	154	84	26	—	—	—	828	2,616	1,788
हैदराबाद	152	296	160	32	36	—	—	—	676*	569	107
शिलोंग	20	32	24	—	—	—	—	—	76	1,899	1,823
इंदौर	144	115	14	14	11	—	—	—	29[illegible]*	653	327
इम्फाल	4	12	16	—	—	—	—	—	34*	41	—
कोहिमा	8	16	13	—	—	—	—	—	37*	81	54
अगरतला	22	8	10	—	—	—	—	—	40*	40	—

* यह सूचना इन स्टेशनों के सम्बन्ध में 31.12.89 को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बन्धित है।

* यह मांग चालू आबंटन वर्ष 1990-91 में आमंत्रित सिमित आवेदनों की संख्या पर आधारित है।

सरकारी अस्पतालों/सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों में अलर्क रोग (एंटी-रैबिज) का उपचार

2707. श्री मदन लाल खुराना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी देश के सरकारी अस्पतालों/सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियों में अलर्क रोग (एंटी-रैबिज) का उपचार लेने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभ-भोगियों को चिकित्सा अवधि के दौरान पेट में चौदह इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं;

(घ) क्या इन चौदह इंजेक्शनों को मिलाकर एक इंजेक्शन विकसित किया गया है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/ अस्पतालों में अलर्करोधी उपचार पाने के हकदार हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं और रोगी को अस्पताल भेजते हैं। अस्पताल सभी श्रेणी के रोगियों को चौबीसों घंटे उपचार प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) लाभार्थियों को अलर्करोधी वैक्सीन के 1‌0 इंजैक्शनों का एक कोर्स लेना पड़ता है जो उदरीय अग्रभाग में अवत्वक् रूप में दिया जाता है। अलर्करोधी वैक्सीन (ए० आर० वी०) के विकल्प में इन्जैक्शन रबीपुर/इंजैक्शन, एच० डी० सी० वी० (हयूमेन डिप्लॉयड सैल वैक्सीन) है, जो उन रोगियों को दिया जाता है, जिन्हें ए० आर० आर० वी० से प्रत्यूर्जा होती है अथवा ग्रेड-III बाइट्स, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दिया जाता है।

(च) सभी सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार पाने के हकदार हैं।

शहरी विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा सहायता

2708. श्री अमल दत्त :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा प्रदत्त सहायता से छठी और सातवीं पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान विश्व बैंक से आरम्भ की गई शहरी विकास परियोजनाओं की मूल, संशोधित/अंतिम लागत कितनी है;

(ख) योजनाओं को कहां तक पूरा किया गया है और यदि ये योजनायें अधूरी हैं तो इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है;

(ग) इन योजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितना मूल और संशोधित/अंतिम ऋण लेने का अनुमान था;

(घ) शेष राशि के लिये निधियों का स्त्रोत क्या है; और

(ङ) वर्तमान में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सियां किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी/द्विपक्षीय विदेशी आर्थिक सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है जिन पर वार्ता चल रही है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सम्पूर्ण परियोजना आवश्यकताओं के लिए प्रारम्भिक बजट की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ; बाद में उधार देने वाली एजेंसियों द्वारा सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियो को परियोजना की प्रगति पर निर्भर करते हुए समय-समय पर सहायता की मान्य प्रतिशतता की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । ऋण सहायता की प्रतिशतता प्रत्येक परियोजना और परियोजना के भीतर भिन्न-भिन्न संघटकों के लिए अलग-अलग होती है। शेष धन-राशि की व्यवस्था आमतौर पर राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा अपने बजट और आवश्य-कतानुसार संस्थागत वित्त पोषण के माध्यम से की जाती है ।

(ङ) आज की तरीख तक कोई भी परियोजना एजेंसियों से चर्चा के लिए तैयार नहीं है।

विवरण

छठी और सातवीं योजना अवधि के दौरान विश्व बैंक की सामूहिक सहायता के लिए सहयोजित शहरी विकास परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	करार की तारीख	परियोजना की अनुमनित लागत (रु० करोड़/मिलियन)	विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की आरंभिक वचनबद्धता मिलियन अमरीकी डालर समतुल्य	समाप्ति की तारीख	30.6.91 तक (मिलियन डालर) संचई वितरण
1	2	3	4	5	6	7
			छठी योजना (1980—85)			
1.	द्वितीय मद्रास शहरी विकास	19.1.83	73.9/87.9	42.00	31.3.88	पूर्ण वितरित और बन्द
2.	कानपुर शहरी विकास	4.2.83	41.4/51.7	25.00	30.6.87	21.6 मिलियन डालर
3.	तृतीय कलकत्ता शहरी विकास	8.6.83	330.0/347.3	147.00	31.3.92	94.8

1	2	3	4	5	6	7
4.	मध्य प्रदेश शहरी विकास	19.7.8[illegible]	47.7/50.1	24.10* (6 मिलियन डालर रद्द)	30.6.9[illegible]	[illegible]
5.	बम्बई शहरी विकास	1.3 85	2[illegible]2.3/256.7	38.00**	30.9.9[illegible]	74 7
			सातवीं योजना (1985—90)			
6.	गुजरात शहरी विकास	15.4.86	156.6/130.5	62.00	31[illegible]92	32.3
7.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	21.12.87	309.2/237.83	150.00	3[illegible]3.96	46.1
8.	तमिलनाडु शहरी विकास	16.9.88	632.55/443.73	300.20	30.9.95	72.2

* मध्य प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के करीब परियोजना की अन्तिम तारीख बढ़ाने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा है ताकि राज्य सरकार सम्पूर्ण धनराशि को खर्च कर सके।

** परियोजना का पुनर्गठन करने व उसके अन्तिम तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेज दिया गया है।

रक्त-उत्पादों का उत्पादन करने वाले एकक

2709. श्री अमल दत्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त-उत्पादों का उत्पादन करने वाले एकक "एड्स" के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावशाली जांच सुविधायें स्थापित करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) संघ सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अधीन क्षेत्र

[हिन्दी]

2710. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में आने वाले दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु अपनाये गये मानदंड क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त योजना में आगरा और ग्वालियर को भी सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) इन क्षेत्रों की रूपरेखा के लिए अपनाए गए मानदण्ड मुख्यतः इस प्रकार थे :

(i) जनसंख्या की वृद्धि दर और सघनता

(ii) बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

(iii) दिल्ली की ओर प्रव्रजन

(iv) व्यावसायिक ढांचा

(v) दिल्ली के लिए दूध, फल और सब्जियों हेतु सप्लाई जोन।

(vi) भू-आकृति

(ग) जी, नहीं।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची में दिए गए अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र का वर्णन ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :—

दिल्ली

सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र

हरियाणा :

(i) गुड़गांव, नूह, पटौदी और फिरोजपुर—झिरका तहसीलों से बना सम्पूर्ण गुड़गांव जिला;

(ii) बल्लभगढ़, पलवल, हतीन तहसीलों से बना सम्पूर्ण फरीदाबाद जिला;

(iii) रोहतक झज्जर, बहादुरगढ़, मेहम और कोसली तहसीलों से बना सम्पूर्ण रोहतक जिला;

(iv) सोनीपत, गन्नौर और गोहाना तहसीलों से बना सम्पूर्ण सोनीपत जिला; और

(v) करनाल जिले की पानीपत तहसील और महेन्द्रगढ़ जिले की रिवाड़ी तहसील ।

उत्तर प्रदेश :

(i) अनूपशहर, बुलन्दशहर, खुरजा और सिकन्दराबाद तहसीलों से बना सम्पूर्ण बुलन्दशहर जिला;

(ii) मेरठ, बागपत, मवाना, सरधाना तहसीलों से बना सम्पूर्ण मेरठ जिला; और

(iii) गाजियाबाद, हापुड़, दादरी और गढ़मुक्तेश्वर तहसीलों से बना सम्पूर्ण गाजियाबाद जिला ।

राजस्थान :

अलवर जिले की निम्नलिखित सम्पूर्ण तहसीलें नामतः

बहरूर, मंडावर, किशनगढ़, तिजारा, अलवर और रामगढ़

दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास

2711. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की कुल संख्या क्या है, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक छात्रावास की क्षमता क्या है;

(ख) उनमें प्रवेश का मानदंड क्या है;

(ग) क्या छात्रों को कमरों के आवंटन के सम्बन्ध में सभी नियमों तथा विनियमों का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रावासों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय छात्रावासों में प्रवेश के नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि आवेदक पूर्ण-कालिक मूल विद्यार्थी होना चाहिए., उसके माता-पिता दिल्ली में नहीं रहते हों, उसको रोजगार नहीं होना चाहिए, उसने छात्रावास में 5 वर्ष पूरे न किए हों, इत्यादि। अवर स्नातक छात्रों को कालेज छात्रावासों में अपने-अपने कालेजों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवास दिया जाता है।

विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कुल मिलाकर छात्रावासों में प्रवेश देते समय नियमों के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पुरुषों तथा महिलाओं के लिए, विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रावासों के नाम उनकी क्षमता सहित नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	छात्रावास का नाम	सीटों की संख्या
1	2	2
1.	पुरुषों के विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रावास	
1.	इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस	100
2.	जुबली हाल	204
3.	ग्वायर हाल	100
4.	स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास	100
5.	मानसरोवर छात्रावास	160
6.	सेंट स्टीफन्स कालेज	340
7.	हिंदू कालेज	198
8.	रामजस कालेज	161
9.	किरोड़ी मल कालेज	125

1	2	3
10.	हंस राज कालेज	180
11.	श्री राम कालेज आफ कामर्स	150
12.	जाकिर हुसैन कालेज	040
ख.	महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय तथा कालेज छात्रावास	
1.	स्नातकोत्तर महिला छात्रावास	274
2.	मिरांडा हाउस	240
3.	दौलत राम कालेज	127
4.	इंद्रप्रस्थ कालेज	201
5.	लेडी श्री राम कालेज	300

टिप्पणी : दक्षिण दिल्ली कैम्पस का गीतांजली महिला छात्रावास, जिसमें इस समय 50 सीटों की क्षमता है, पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है।

एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच

2712. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने कोई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच अथवा टेस्ट मैच खेला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कप्तान, उप-कप्तान और चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष में भारत ने कुल 19 मैच खेले हैं जिनमें 7 टैस्ट मैच और 12 एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं।

(ग) भारत ने अन्तिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1990-91 (अर्थात् एशिया कप टूर्नामेंट) में खेला, इस टीम में निम्नलिखित शामिल थे :---

1 मोहम्मद अजहरूद्दीन (कप्तान)

2. रवि शास्त्री

3. नवजोत सिंह सिद्धू

4. संजय मंजरेकर
5. सचिन तेंदुलकर
6. कपिल देव
7. किरन मोरे
8. डब्ल्यू० वी० रमन
9. मनोज प्रभाकर
10. अतुल वासन
11 सरबिंदु मुखर्जी
12. राजू कुलकर्णी
13. वेंकटापती राजु
14. प्रवीण आम्रे

टीम के श्री अब्बास अली बेग प्रबंधक तथा डा० अली इरानी फिजियोथरापिस्ट थे।

चयन समिति में निम्नलिखित शामिल थे :—

1. श्री नरेन तमहाने (अध्यक्ष)	(पश्चिमी क्षेत्र)
2. श्री जी० आर० विश्वनाथ	(दक्षिण क्षेत्र)
3. श्री रूसी जीजीभोय	(पूर्वी क्षेत्र)
4. श्री आनंद शुक्ल	(केन्द्रीय क्षेत्र)
5. श्री अकाश लाल	(उत्तरी क्षेत्र)

स्वास्थ्य मानदंड

[अनुवाद]

2713. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोगों का सामान्य स्वास्थ्य स्तर क्यूबा जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस देश में लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकृत रूप से उपलब्ध न होने वाली दवाइयों और साधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें अब तक जो दवाइयां और साधन प्राधिकृत रूप से उपलब्ध नहीं है, पाने के हकदार हो जाएं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) देश की जनता का सामान्य स्वास्थ्य स्तर जन्म-दर, अस्थायी मृत्यु-दर और नवजात शिशु मृत्यु-दर और जन्म के समय संभावित आयु जैसे संकेतों से मापा जाता है । विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 1991 में दिए गए इन संकेतों के आधार पर यह देखा गया है कि क्यूबा के लोगों का सामान्य स्वास्थ्य स्तर हमारे यहां के लोगों से बेहतर है ।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-1983 में "सन 2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए नीतियां प्रतिपादित की गई है । स्वास्थ्य देखरेख गतिविधियों और परियोजनाओं की ओर परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली के विस्तृत नेटवर्क की स्थापना की गई है। देश में संचारी और अन्य रोगों के निवारण/नियंत्रण/उन्मूलन पर बल दिया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी को भी विकसित किया गया है। कुछ वर्षों से अस्थायी मृत्यु-दर और नवजात शिशु मृत्यु दर काफी कम हुई है और इसके साथ ही जीवन प्रत्याशा पर्याप्त रूप से बढ़ी है ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना व अंतर्गत दवाइयां प्रदान की जाती हैं। सामान्य बीमारियों और चिरकारी बीमारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के नेटवर्क कार्यक्रम के माध्यम से दवाइयां दी जाती है । सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्कीम के अधीन मान्यता-प्राप्त गैर-सरकारी अस्पतालों में अंतरंग उपचार दिया जाता है ।

गैर-सरकारी कर्मचारियों का वेतन

2714. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन-यापन मूल्य बढ़ने के कारण सरकारी कर्मचारियों को वर्ष में दो बार वेतन-वृद्धि मिलती है;

(ख) क्या दुकानों, कारखानों आदि के कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में उनके रोजगार-दाता इस प्रकार की वृद्धि नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के तरीके को गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में भी लागू किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निजी क्षेत्र की दुकानों कारखानों इत्यादि में मंहगाई भत्ता सामान्यतः निजी क्षेत्र के नियोजकों और कर्मचारियों के बीच हुए कुल वेतन समझौतों में शामिल होता है। अतः निजी क्षेत्र को मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए समान फार्मूला अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पिछले छः महीनों मे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर प्रत्येक छः माह बाद अधिकांश अनुसूचित नियोजनों में मंहगाई भत्ते के भुगतान के लिए उपबंध बनाए हैं। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे उन अनुसूचित नियोजनों जिनके लिए वे समुचित सरकार हैं, न्यूनतम मजदूरी दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने के लिए उपबंध बनाएं जिससे कि मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि से असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

इफको फूलपुर द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

2715. श्री रामपूजन पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, फूलपुर द्वारा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और फूलपुर के आसपास के गांवों में इस कारखाने द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण फैलने वाले/पैदा हुए रोगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ वर्ष पहले प्रदूषित जल पीने के बाद बहुत बड़ी संख्या में पशु भी मर गए थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। इकाई ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में नवम्बर, 1990 में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं और निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रही है। सरकार को फूलपुर के आसपास के गांवों में फैक्टरी से बीमारी फैलने या प्रदूषण होने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1988 में इलाहाबाद के पशु चिकित्सा अधिकारी ने फूलपुर के आस-पास के गांवों में बीस पशुओं की मृत्यु के बारे में सूचित किया था। फिर भी, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे पता चलता हो कि इन पशुओं की मृत्यु इफको से होने वाले प्रदूषण के कारण हुई।

लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध

2716. श्री रामपूजन पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लाउड स्पीकरों से होने वाले शोर के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक व्यवहार संहिता तैयार की है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. यदि कोई पार्टी किसी अवसर पर लाउड स्पीकरों या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे इसके लिए लाइसेंस अवश्य लेना होगा।
2. बंद परिसरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
3. स्पीकरों का रुख श्रोताओं की ओर हो न कि श्रोताओं से दूर पड़ोसियों की ओर।
4. विज्ञापन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
5. एम्प्लीफायर की अनुज्ञेय शक्ति इतनी हो कि आवाज श्रोताओं तक पहुंच सके और ध्वनि स्रोत/परिसर की सीमा से आगे ध्वनि का स्तर 5 डी बी (ए) परिवेशी ध्वनि स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए।

महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजना

2717. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) उन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च हुई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रणजीत नगर, दिल्ली को विनियमित करना

2718. **श्री कालका दास :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणजीत नगर, दिल्ली को विनियमित करने के संबंध केन्द्रीय में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार द्वारा जांचाधीन है।

केन्द्रीय विद्यालयों की विस्तार योजना

[अनुवाद]

2719. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कोई विस्तार योजना बनायी है या बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों का विस्तार, निधियों की उपलब्धता, उपभोगी एजेंसियों द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों के प्रायोजन और प्रशासनिक मुद्दों पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष

[हिन्दी]

2720. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान युवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से सहयोग मांगा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्यों तथा विश्वविद्यालयों के सहयोग से युवाओं के कल्याण के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल-विकास विभाग) में राज्यमंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण-1 और 2 के अनुसार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष माना है जिसका उद्देश्य 'सहभागिता, विकास तथा शांति' द्वारा आधुनिक विश्व में युवाओं की स्थिति के बारे में सामान्य जागरुकता पैदा करना है। 1983 में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की, जिसमें युवा कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि तथा कुछ राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विभिन्न राज्य सरकारों, संघ शासित प्रसासनों तथा विश्व-विद्यालयों ने 1985 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के लिए समन्वय समितियां गठित की थी। इन समितियों ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को मनाने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार विशिष्ट कार्यकलाप तैयार कर उन्हें कार्यान्वित किया।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान ही खेल विभाग का पुन: नामकरण युवा कार्यक्रम और खेल विभाग किया गया। तीन नई योजनाएं अर्थात् युवा क्लबों का विकास, युवाओं के लिए प्रदर्शनियां तथा स्वरोजगार हेतु युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शुरू की गई। इसके अलावा सरकार ने स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस तथा युवा दिवस के बाद के सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह नाम दिया है। कुछ अन्य मुख्य प्रतियोगिताएं जो अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को मनाने के लिए उसके घटक के रूप में थी, भी आयोजित की गई, जो अनुबन्ध-II में है।

विवरण-II

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं

1. भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा प्रतीक अंगीकृत किया है।
2. प्रधानमंत्री द्वारा 100 रु०, 10 रु० तथा 1 रु० के संस्मारक सिक्के जारी किए गए।
3. अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर एक संस्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
4. राष्ट्रीय विकास या समाज सेवा के लिए युवा व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक युवा संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना शुरू की गई।
5. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय युवा प्रदर्शनी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में लगाई गई।
6. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के युवा कार्यकलापों पर एक संग्रह तैयार कर प्रकाशित किया गया।
7. एक राष्ट्रीय युवा नीति प्रारूप, युवा नीति पर उप समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर कार्यकारी समूह द्वारा संघटित किया गया था। इसे अन्ततः सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया तथा वर्ष 1988 के अन्त में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया।

विभिन्न राज्यों में आयोजित कुछ प्रतियोगिताएं

1. आन्ध्र प्रदेश में राज्य समारोह, एकता शिविर, जिला तथा राज्य स्तरीय खेल-कूद आयोजित किए गए।

2. गोवा, दमन और दीव के गांवों में साइकिल दौड़ तथा युवा समारोह आयोजित किए गए।

3. बलसाद, गुजरात में राज्य युवा समारोह आयोजित किया गया।

4. शिमला में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष परिप्रेक्ष्य तथा युवा-विकास पर एक दिवसीय सेमीनार आयोजित किया गया।

5. जम्मू तथा कश्मीर में स्कूली छात्रों के लिए 'स्नो-स्को' दौड़ आयोजित की गई।

6. महाराष्ट्र में समुद्र तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

7. भोपाल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना-स्वयं सेवकों का युवा सम्मेलन आयोजित किया गया।

8. कलकत्ता के साल्ट लेक स्टेडियम का नाम बदल कर युवा भारती क्रीड़ांगन किया गया।

विश्वविद्यालयों में आयोजित कुछ प्रतियोगिताएं

1. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने युवाओं के लिए रोजगार अवसरों के लाभार्थ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वृत्ति फिल्में दिखाईं।

2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 15 अन्तर कालेज एन०एस०एस० शिविर आयोजित किया।

3. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने चित्तूर में 10 दिवसीय शिविर आयोजित किया।

4. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि-वानकी वृक्षारोपण कार्य किया और विविध किस्मों के लगभग 3000 पौधे लगाए।

5. काश्मीर विश्वविद्यालय ने 6 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन किया।

6. गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर एन०एस०एस० हैंड-बुक का प्रकाशन निकाला।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर तीन विषयों में अन्तर कालेज पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया।

छोटे तथा मझले शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के और शहरों को शामिल करना

[अनुवाद]

2721. श्री मुकुल वासनिक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे तथा मझले शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत और शहरों को शामिल करने की सिफारिश के साथ महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) छोटे तथा मझले शहरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 15 शहरों को शामिल करने के लिए 1990-91 में महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

खामगांव, चोपदा, नारखेड,

गड़चीरोली, नन्दुरबर, गोंडिया,

फैनान, बुलधाना, चालीसगांव,

मल्कापुर, साओनेर, तोसगांव, जलगांव,

लतुर तथा नान्देड़।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना के लिए बजट नियतन के अन्दर अनुशंसित किए गए 15 शहरों में से तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए छोटे तथा मझले शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 शहरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

गड़चीरोली, गोंडिया, चोपदा,

खामगांव, नारखेड़, मल्कापुर,

नन्दुरबर तथा फैनान।

उपर्युक्त 8 शहरों के लिए 192.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई है।

महाराष्ट्र सरकार से 91-92 के लिए अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

पिछड़े वर्ग के लोगों में निरक्षरता और उनके छात्रों के लिए आरक्षण

2722. श्री मुकुल वासनिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य समुदायों के लोगों की तुलना में पिछड़े वर्ग के लोगों में निरक्षरता अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए मण्डल आयोग की आरक्षण सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अवसर मिलें ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) महापंजीयन का कार्यालय मात्र कुल जनसंख्या, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता सम्बन्धी आंकड़ों को ही रखता है ।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि लाभान्वित होने वाली जातियों की शिनाख्त को छोड़कर, मंडल आयोग की सिफारिशों से संबंधित सरकारी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तब तक उपाय नहीं किए जा सकते जब तक कि इसकी सुनवाई न हो जाए। इसमें आगे यह भी निदेश दिया गया है कि न्यायालय की आज्ञा के बिना आदेश के कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाएगा।

नयी शिक्षा निति का दृष्टिकोण यह है कि शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की प्रेरणायें और सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे सामाजिक पर्यावरण और इन जातियों में दुर्भाग्यवश पैदा होने के कारण हुई उपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

सिओल ओलंपिक और पेइचिंग एशियाई खेलों में भारतीयों का प्रदर्शन

2723. **श्री मुकुल वासनिक** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिओल ओलंपिक खेलो और पेइचिंग एशियाई खेलों मे भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का सरकार ने विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने आगामी ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए विस्तृत नीति योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सिओल ओलंपिक में भारतीय खेल दल का प्रदर्शन कुछ व्यक्तिगत अपवादों को छोड़कर कुल मिलाकर आशानुरूप था। बीजिंग एशियाई खेलों में किए गए प्रदर्शन पर भारतीय ओलंपिक संघ (आई० ओ० ए०) की रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से हमने इन प्रतियोगिताओं में किए गए प्रदर्शन की समीक्षा की है और कुछ बाधाओं का पता लगाया है जैसे पर्याप्त संसाधनों का अभाव, स्पर्धात्मक स्तर पर खिलाड़ियों के लिए काफी संकरा बेस तथा स्कूलों और कालेजों आदि में अपेक्षित खेल की बुनियादी सुविधाओं की कमी।

(ग) और (घ) सरकार खेलकूद के विकास में मौजूद कठिनाइयों को दूर कर उनके संवर्धन को उचित प्राथमिकता देना चाहती है। पता लगाए उच्चकोटि के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विदेशी प्रदर्शन के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराकर, उपलब्ध संसाधनों की लागत का प्रभावी ढंग से

उपयोग कर ऐसा किया जा रहा है। संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से खिलाड़ियों के शिक्षण/प्रशिक्षण और विदेशी प्रदर्शन की योजनाएं बनाई गई हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

2724. श्री शंकर सिंह बघेला :

डा० ए० के० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कक्षा ग्यारह, स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुछ प्रतिशत सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या देश में कोई अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसा है जहां पर सीटों का आरक्षण प्रार्थियों के धर्म के आधार पर किया जाता है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति और मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए आरक्षण की पुनरीक्षा की थी; और

(च) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए और क्या उन्हें अब तक लागू कर दिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने 20-8-89 को हुई अपनी बैठक में तयाबजी समिति, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रवेश नीति के पुनरीक्षण के लिए गठित की गई थी, की सिफारिशों को स्वीकार करने का निश्चय किया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया है कि कक्षा XI, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम, मास्टर पाठ्यक्रम, डिप्लोमा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत स्थान मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। यह निर्णय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत है जिसमें यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग, जाति, धर्म या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा। अतः उपर्युक्त संकल्प को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (6) के अधीन विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी बीच विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह निर्णय कार्यान्वित नहीं किया गया है।

विद्यासागर विश्वविद्यालय का विकास

2725. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिम बंगाल स्थित विद्यासागर विश्वविद्यालय के विकास के लिए कुछ धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विश्वविद्यालय के कुछ प्रस्ताव अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनुदानों की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित पड़े प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्व अनु० आ० द्वारा दी गई सूचनानुसार विद्यासागर विश्वविद्यालय को 1-3-1990 को विश्व०अनु० आ० अधिनियम की धारा 12 ख के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करने के पश्चात आयोग से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए थे :

पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं — 15.00 लाख रुपये

उपस्कर — 15.00 लाख रुपये

(ग) से (ङ) वर्ष 1991-92 के लिए 'अनाबंटित अनुदान' देने के प्रस्ताव पर आयोग कार्रवाई कर रहा है। 1990-91 के लिए विकास अनुदान देने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय से पहले दिए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए कहा है।

वृद्धावस्था पेंशन

[हिन्दी]

2726. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को सारे देश में लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी-अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर में मल व्ययन व्यवस्था

2727. श्री गिरधारीलाल भार्गव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के पास सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के कारण जयपुर, राजस्थान में मल-व्ययन प्रणाली पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पायी है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने जयपुर में मल-व्ययन प्रणाली के विकास के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) राजस्थान जल आपूर्ति और मल निर्यास परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 80 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण मंजूर किया था। परियोजना का उद्देश्य विनिर्दिष्ट समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में जल आपूर्ति में सुधार तथा वृद्धि करना तथा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में मल निर्यास प्रणाली का विस्तार करना है। धीमी प्रगति और भयंकर सूखे की परिस्थितियों के कारण इस परियोजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया था। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए निधियां शहरी संकटों से और अधिक ग्रामीण क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए फिर से नियत की गई थी। समग्र ऋण का उपयोग उक्त विस्तार और पुनर्गठन के बाद राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

गंदी बस्तियों में बाल विकास योजना

2728. श्री गिरधारीलाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े नगरों की गंदी बस्तियों में भी बाल विकास कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के उन नगरों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजनाएं शुरू की जानी हैं;

(ग) क्या जयपुर में उन (लक्षित ग्रुप) का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जिन्हें ऐसी योजना में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अविलंब सर्वेक्षण कराने के पश्चात जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) :(क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा

योजना ग्रामीण बैंकों और शहरी गन्दी बस्तियों में कार्यान्वित की जाती है। अभी तक 227 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं शहरी गन्दी बस्तियों में शुरू की गई है जिसमें 10 राजस्थान में हैं: अर्थात अलवर सीटी, अजमेर सिटी, भरतपुर, सिटी भीलवाड़ा सिटी, जयपुर-1, जयपुर-II, जोधपुर सिटी, कोटा सिटी, पाली सिटी, टोंक सिटी, उदयपुर सिटी। देश में शहरी इलाकों के लिए आगे और केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का स्वीकृत किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा, सरकार ने 1986 में शहरी बुनियादी सेवाएं शुरू की थीं जिसको अब 'निर्धनों' के लिए शहरी बुनियादी सेवायें (यू० बी० एस० पी०) नाम से जाना जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल उत्तरजीविता और बाल विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने यू०बी०एस०पी० योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 23 शहरों को चुना है :

1. नगर परिषद, जयपुर	9. कोटपुतली	17. विराट नगर
2. चाकोमू	10. पुलेरा	18. बसावा
3. सीमर	11. जिलानेर	19. बासी
4. दौसा	12. संगानर	20. बमाई
5. आमेर	13. नारायणा	21. धोलपुर
6. बान्दीकुई	14. किशनगढ़ रेनवाल	22. बारी
7. मनोहरपुर	15. लालसोट	23. राजा खेड़ा
8. चक्सु	16. शाहपुरा	

(ग) और (घ) जी, हां। जयपुर सिटी की दोनों आई०सी०डी०एस० परियोजनायें लाभ प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद शुरू की गई थी। इस तरह के सर्वेक्षण नई परियोजनाओं को शुरू करते समय किए जाते हैं।

नई दिल्ली, संसद विहार में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों को खोलने का प्रस्ताव

2729. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी रिंग रोड पर संसद विहार, नई दिल्ली के पास एक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो नई निर्मित सोसाइटियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा हेतु केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) फिलहाल संसद विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऐतिहासिक उत्खनन

[अनुवाद]

2730. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में खुदाई के दौरान एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षण और वैज्ञानिक छानबीन करने हेतु इस स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है अथवा लेने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। अभी हाल ही में, पटना में जब एक नई इमारत का निर्माण करने के लिए खुदाई की जा रही थी, एक पुराने डाक बंगला के स्थल पर एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल का पता चला है।

(ख) इस स्थल की जांच करने पर ईंटों का फर्श, पूर्व ऐतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तन तथा मौर्यकाल से संबंधित लघु-मृणमूर्तियों के प्रमाण मिले हैं।

(ग) जी, नहीं।

आगरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में इमारतें

[हिन्दी]

2731. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा जिले में पुरातत्व विभाग कितने मंदिरों/स्मारकों की देख-रेख करता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन इमारतों के क्या नाम हैं जहां आगन्तुकों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ग) पुरातत्व विभाग द्वारा इन इमारतों की देख-रेख पर व्यय की गयी धनराशि का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(घ) क्या पुरातत्व विभाग ने भोजन, पीने का पानी और अन्य नागरिक सुविधायें जैसी मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करायी है; और

(ङ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जिला आगरा में केन्द्रीय संरक्षण के अधीन 70 स्मारक/स्थल हैं जिनकी देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है।

(ख) जिला आगरा में निम्नलिखित स्मारकों में प्रवेश शुल्क लिया जाता है :

1. ताज महल
2. आगरा किला
3. एतिमाद-उद-दौला का मकबरा
4. अकबर का मकबरा
5. फतेहपुर सिकरी के स्मारक

(ग) जिला आगरा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की देख-रेख पर व्यय की गयी धनराशि के ब्यौरे संबंधी विवरण संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) मुख्य स्मारक जिनके नाम हैं, ताजमहल, आगरा किला, एतिमाद-उद-दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सिकरी के स्मारक, इनमें पीने का पानी, शौचालयों की सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं। ताजमहल और आगरा किले में हिमाचल प्रदेश के उद्यान उत्पादन विपणन और खाद्य-संरक्षण निगम का सेब के जूस का एक स्टाल भी है। उपर्युक्त के अलावा, आगंतुकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगरा किले में एक जल-पान गृह भी है।

विवरण

क्र०सं०	वर्ष	धनराशि
1.	1988-89	34,72,815.90 रुपया
2.	1989-90	26,99,628.17 रुपया
3.	1990-91	41,16,070.29 रुपया

जबलपुर में आवास योजनाओं के लिए 'हुडको' से धनराशि

[अनुवाद]

2732. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आवास विकास जबलपुर में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 'हुडको' को चरणबद्ध योजनाओं सहित विभिन्न कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) इन प्रस्तावों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसपर वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) ये योजनाएं कितनी अवधि में पूरी हो जाएंगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) हुडको द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जबलपुर में स्वीकृत की गई योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	योजनाओं की सं०	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	स्वीकृत ऋण	रिहायसी एकक	भूखण्ड
89-90	10	15.09	7.63	1842	585
90-91	4	8.31	5.09	148	2754
91-92	—	—	—	—	—

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, हुडको द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान 556.61 लाख रुपये की परियोजना लागत और 278.28 लाख रुपये की ऋण वचनबद्धता के साथ तीन शहरी अवसंरचना योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इन तीन वर्षों के दौरान हडको ने कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को क्रमश: 99.27 लाख रुपये, 399.17 लाख रुपये और 10.53 लाख रुपये दिये हैं। किये गये वास्तविक व्यय से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"एड्स" नियंत्रण कार्यक्रम

2733. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "एड्स" के निवारण और नियंत्रण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एच० आई० वी० संक्रमण पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य घटक हैं, निगरानी, स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा और रक्त और रक्त उत्पाद की निरापदता सुनिश्चित करना।

निगरानी

देश के विभिन्न भागों में 67 निगरानी केन्द्र और 4 रेफरल केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनका विशिष्ट लक्ष्य वेश्याओं, इतरलिंगी कामुकता वाले स्वच्छंद संभोगी पुरुषों, यौन संचारी रोग के रोगियों, रक्त दाताओं, सुधार गृहों और विदेशियों जैसे अधिक खतरे वाले समूहों के व्यक्तियों की जांच करना है।

स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा

सामान्य जनता, युवाओं और स्कूलों और कालेजों के छात्रों में भी जागरुकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेजी से आगे बढ़ाया गया।

रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा

देश में एड्स के निवारण के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम सभी निगरानी केन्द्रों और क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा एच० आई० वी० संक्रमण के लिए रक्तदाताओं की जांच करना है।

रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करने के लिए रक्त उत्पाद तैयार करने वाली सभी 9 यूनिटों को उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं

अध्यापकों के रिक्त पद

[हिन्दी]

2734. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रमुख सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है :—

1. दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय)

जहां तक दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों का संबंध है, निम्नलिखित पद खाली हैं :—

प्रिंसीपल	60
वाइस-प्रिंसपल	60
पी० जी० टी०	240
टी० जी० टी०	1450
और	
समकक्ष	

जहां तक इन पदों को भरने का सम्बन्ध है, पी० एस० टी०, टी० जी०टी० और पी० जी० टी० की भर्ती के लिए मार्च, अप्रैल, 1991 में एक प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और पी० एस० टी० और टी० जी० टी० के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। दिल्ली प्रशासन ने प्रिंसीपलों के 57 रिक्त स्थानों को भरने के सम्बन्ध में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं जबकि सीधी भर्ती के कोटा के अन्तर्गत प्रिंसीपलों के शेष पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है।

2. दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 700 पद रिक्त पड़े हैं। ये पद शिक्षकों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण लगभग पिछले 6 महीनों से खाली पड़े हैं। रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए शिक्षकों के चयन का कार्य कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है।

3. नई दिल्ली नगर पालिका

नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में केवल निम्नलिखित पद खाली हैं :—

पी० जी० टी०	3
टी० जी० टी०	9
विज्ञान	
(क)	
टी० जी० टी०	
विज्ञान	
(ख)	1

उपर्युक्त पद पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान सर्जित किए गए थे । टी० जी० टी० विज्ञान (क) के पदों के लिए अब चयन किया जा चुका है ।

देश में कालाआजार के मामले

[अनुवाद]

2735. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कालाआजार के मामलों के संबंध में, राज्य-वार, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार और वर्ष-वार, कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) खुले बाजार एवं सरकारी अस्पतालों में कालाआजार रोधी दवाओं की उपलब्धता की क्या स्थिति है; और

(घ) कालाआजार के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस समय कालाआजार की सूचना तीन राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से दी जी रही है । इस रोग की इक्का-दुक्का घटनाओं की सूचना तमिलनाडु से भी मिलती है जिसमें यह रोग बिहार अथवा पश्चिम बंगाल से आता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार कालाआजार के बताए गए राज्य-वार रोगियों की संख्या इस प्रकार है ।

क्रम सं०	राज्य	1988		1989		1990 (अनन्तिम)		1991 (अनन्तिम	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1.	बिहार	19639	123	30903	477	54650	589	6473 (मार्च तक)	50
2.	पश्चिम बंगाल	3068	2	3573	20	3037	16	194 (फरवरी तक)	—
3.	उत्तर प्रदेश	19	6	—			1	—	—
	कुल :	22726	131	34478	497	57795	606	6669	50

(ग) कालाआजार के उपचार के लिए दो औषधों का विकल्प है ।

पहली औषध सोडियम स्टूबो ग्लूकोनेट देश में बनाई जाती है और आसानी से यह खुले बाजार में उपलब्ध है । यह औषध राज्य सरकारों द्वारा खरीदी जाती हैं और प्रभावी जिलों में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों में इसका वितरण किया जाता है । उपचार की दूसरी अवस्था जो कि पेन्टामिडाइन आइसोथियोनेट नाम की आयातित औषध है, बाजार में उपलब्ध नहीं है । भारत सरकार इस औषध का आयात करती है और उनकी जरूरत के लिए प्रभावित

राज्यों को आपूर्ति करती है। यह औषध मुख्यतया बिहार में उन रोगियों के लिए उपयोग में लाई जाती है जो सोडियम स्टियूबो ग्लूकोनेट से किए पहली बार के उपचार से ठीक नहीं हो पाते।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए निम्नलिखित कार्य नीतियों सहित विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं :—

1. शुरू में ही रोगियों का पता लगाना और पर्याप्त उपचार संबंधी सुविधाएं स्थापित करना।
2. संचरण को रोकने के लिए कारगर कीटनाशक छिड़काव संबंधी अभियानों का आयोजन करना।
3. स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों का आयोजन करना और चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण।
4. उपयुक्त औषधों से कालाआजार के रोगियों का उपचार।
5. कालाआजार औषधों का पर्याप्त भण्डारण।

वन क्षेत्र का विस्तार

[हिन्दी]

2736. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी प्रतिशत वन भूमि है;

(ख) कितने प्रतिशत वन केन्द्रीय आरक्षित वन के अन्तर्गत हैं और कितने प्रतिशत वन राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं;

(ग) वनों को बढ़ाने तथा वृक्षों की हो रही निरंतर कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) वन क्षेत्रों में परम्परागत भूमि पर आदिवासियों के अधिकार के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ङ) क्या उन आदिवासियों को उनके वन से प्राप्त होने वाली आय के लिए मुआवजा दिया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार देश में 22.8 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व वन नाम से कोई कानूनी वर्गीकरण नहीं है। फिर भी, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के नियंत्रण में कुल दर्ज वन क्षेत्र 75.18 मिलियन हैक्टेयर है।

(ग) वनों के विस्तार के लिए और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. सामाजिक वानिकी स्कीम सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

2. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

— 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों में कम से कम कुछ वर्षों के लिए ही वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

— प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई को रोकने तथा वन उपज तथा अन्य वन-वर्धनीय कार्यों के पुनरुद्धार के लिए जहां इस प्रकार की कटाई आवश्यक है वहां इस कटाई को पहाड़ों में 10 हैक्टेयर तथा मैदानों में 25 हैक्टेयर तक सीमित कर देना चाहिए।

(घ) से (च) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार वनों के भीतर तथा आसपास रहने वाले आदिवासियों तथा अन्य निर्धनों द्वारा उपयोग किए जा रहे अधिकारों तथा रियायतों की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए।

राजस्थान में पर्यावरण और वन सुधार योजनाएं

2737. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री कुन्जी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में क्रियान्वयनाधीन पर्यावरण और वन सुधार संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) रेतीले इलाके के विस्तार को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार की विशेष योजनाएं क्या हैं तथा इसके अधीन पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

"वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन"

2738. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) उन पशुओं के नाम क्या हैं जिनके शिकार पर पाबन्दी लगाई गई है;

(ग) क्या नीलगाय के शिकार पर लगी पाबन्दी के कारण किसानों की फसलों को हुई हानि

के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी ,हां,

(ख) अधिनियम की अनुसूची-I तथा अनुसूची-II के भाग-II में शामिल वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबन्ध है।

(ग) फसलों को नीलगाय से हुए नुकसान के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) खड़ी फसलों को वन्यजीव नुकसान न पहुंचा सकें इसके लिए अधिनियम में निम्नलिखित रक्षोपाय किए गए हैं :—

अनुसूची-I और अनुसूची-II के भाग-II में शामिल न किए गए वन्यजीवों की कोई प्रजाति, यदि जीवन और सम्पत्ति के लिए, जिसमें खड़ी फसलें भी शामिल हैं, खतरनाक बन गई हैं तो उसे हानिकारक जन्तु घोषित करने के बारे में राज्य सरकारों को अधिकार है। चूंकि नीलगाय अनुसूची-III में शामिल है, इसलिए इसे ऐसे क्षेत्रों में हानिकारक जन्तु घोषित किया जा सकता है, जहां यह भारी क्षति पहुंचा रही है।

बिहार में वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

2739. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वन क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सहरसा जिले में वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि के दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिहार में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यरत सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठन

2740. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कितने सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठन हैं;

(ख) उक्त संगठनों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय व अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच सरकार ने संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (आर० एफ० एल० पी०) योजना के अंतर्गत, वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार को 16800 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के साथ 56 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की संस्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत, इस समय, 13 स्वैच्छिक एजेंसियां, 674 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों/जन शिक्षण निलयमों को चला रही है।

(ख) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के अन्तर्गत, वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार सरकार को 400.00 लाख रु० संस्वीकृत किए गए। 72,28,800/-रु०, 13 स्वैच्छिक एजेंसियों को संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति तथा प्रगति की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा कार्यक्रम की विषय-वस्तु तथा कोटि में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना

2741. श्री केशरी लाल :

क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में राज्यवार कितने-कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है ?

मानव संसधान विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तिम निर्णय अभी लिया जाता है।

कानपुर में प्रदूषण

2742. श्री केशरी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में औद्योगीकरण में हो रहे प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और कानपुर शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण निरोधी उपस्कर लगाने के लिए कितना समय दिया गया है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र, रनिया में स्थित उद्योगों का एक सर्वेक्षण किया है, जहां प्रदूषण फैलाने वाले छह उद्योग हैं, जिनके नाम मैसर्स श्री बिहारी जी फर्टिलाईजर (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स एस० डी० फर्टिलाईजर (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स सुशीला पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स एल० कान्त पेपर मिल (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स के० सी० कपूर एंड संस और मैसर्स निट टैनर्स (प्रा०) लिमिटेड हैं। इन । छह इकाइयों में से चार इकाइयों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिए हैं। दो पेपर मिलों के लिए शोधन संयंत्रों का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर, कानपुर शहर में प्रदूषण फैलाने वाली 179 इकाइयां हैं जिनमें से केवल 126 इकाइयों के पास पूर्ण या आंशिक शोधन संयंत्र है।

(ग) और (घ) सरकार ने कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;
4. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं में रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है;
5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;
6. सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(ङ) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा संबंधी प्रयोगशालाएं

[अनुवाद]

2743. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली में सभी प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थापित हैं और इनमें किस किस्म का परीक्षण किया जाता है;

(ग) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ औषधालयों में एक्सरे लेने की सुविधा उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सुविधा के हकदार लाभभोगी किन क्षेत्रों के हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बड़े अस्पतालों में अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बद्ध औषधालयों में भी इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुछ विभागों का न होना

2744. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल की तुलना में कुछ विभाग विशेष मौजूद नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सफदरजंग अस्पताल भेजे जाने पर उन्हें होने वाली कठिनाईयों की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार का विचार डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल काम्पलैक्स में उन सभी विभागों को स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की तुलना में निम्नलिखित विभाग मौजूद नहीं है :—

(i) रेडियोथिरेपी

(ii) न्यूक्लियर मेडिसिन

(iii) पुनर्वास

(iv) बाल चिकित्सीय शल्य चिकित्सा

(v) तंत्रिका विज्ञान

(vi) मूत्र-विज्ञान

(vii) कार्डियोथोरेसिस शल्य चिकित्सा

(viii) एंडोक्रिनोलॉजी

(ix) क्लीनिकल रुधिर विज्ञान

(x) नेफ्रोलॉजी

(xi) रुधिर विज्ञान (चिकित्सा)

(xii) श्वसन रोग

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है।

(घ) से (च) वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिल्ली में स्थित सफदरजंग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य सरकारी अस्पतालों में इन विभागों की मौजूदगी तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थान की कमी संबंधी समस्या के कारण इस समय डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इन अतिरिक्त विभागों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की स्थापना

2745. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी हां। शालीमार बाग में एक औषधालय खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता के कारण इसे खोला नहीं जा सका। वैसे, इस के साथ लगे क्षेत्र पीतमपुरा में औषधालय खोला गया है जो शालीमार बाग में रहने वाले के० स० स्वा० यो० के लाभार्थियों को भी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन

[हिन्दी]

2746. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन सामाजिक विकास कार्यों में रत हैं

और तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) सरकार उन संगठनों के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि स्वीकृत करती है; और

(ग) ये संगठन सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सामाजिक विकास में कार्यवृत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा 1990-91 के दौरान इन संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में मंजूर की गई राशियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ये संगठन मामान्यत: उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे है जिनके लिए उन्हें सहायता दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	1990-91 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि
			(आंकड़े रुपयों में)
1.	अनुसूचित जातियों के कल्याण में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन	41	1.63 करोड़
2.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन	44	2.0[illegible] करोड़
3.	मद्यनिषेध तथा औषध दुरुपयोग रोकने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	136	4.00 करोड़
4.	स्वैच्छिक संगठनों को संगनात्मक सहायता की योजना	84	0.33 करोड़
5.	देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना	948	5.0[illegible] करोड़
6.	समाज कल्याण क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	93	0.88 करोड़
7.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	215	5.6 करोड़
8.	विकलांगों के लिए सहायक यंत्र तथा उपकरण हेतु सहायता अनुदान की योजना	56	2.04 करोड़
	कुल :—	1617	22.41 करोड़

बीड़ी उद्योग से उत्पाद शुल्क और श्रम कल्याण उपकर

[अनुवाद]

2747. श्री आयनल अबेदिन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में बीड़ी उद्योग से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और श्रम कल्याण उपकर के रूप में एकत्रित की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए बीड़ी उद्योग से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और श्रम कल्याण उपकर के रूप में एकत्रित की गयी राशि का राज्य वार और वर्ष वार ब्योरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से राज्यवार और वर्षवार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को दर्शाने वाला विवरण।

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1.	महाराष्ट्र	1332	1227	1208
2.	गुजरात	35	39	26
3.	तमिलनाडु	2353	2345	2428
4.	कर्नाटक	2151	1961	1935
5.	आंध्र प्रदेश	2757	2749	2791
6.	केरल	592	557	610
7.	पश्चिम बंगाल	1510	1639	1712
8.	उड़ीसा	180	189	174
9.	बिहार	777	976	801
10.	उत्तर प्रदेश	1001	930	930
11.	मध्य प्रदेश	3271	2813	2627
12.	राजस्थान	152	144	143
13.	असम	15	15	15
	कुल	16126	15584	15400

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से श्रम कल्याण उपकर के रूप में राज्यवार तथा वर्षवार एकत्रित की गयी राशि को दर्शानेवाला विवरण ।

क्रमांक	राज्य	1988-89 (रु०)	1989-90 (रु०)	1990-91 (रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	2,10,31,773	2,10,70,684	2,13,73,885
2.	बिहार	59,29,947	57,12,711	61,42,669
3.	गुजरात	2,86,192	2,02,036	1,92,396
4.	कर्नाटक	1,71,26,950	1,54,61,073	1,51,04,064
5.	केरल	45,55,048	46,26,885	45,39,353
6.	असम	96,802	1,07,177	1,16,165
7.	मध्य प्रदेश	2,52,89,010	2,16,11,660	2,01,13,989
8.	महाराष्ट्र	1,01,99,687	94,70,142	92,85,286
9.	उड़ीसा	13,91,323	14,60,129	13,45,611
10.	राजस्थान	11,59,930	11,11,664	10,93,495
11.	तमिलनाडु	1,87,28,129	1,85,80,700	2,08,25,267
12.	उत्तर प्रदेश	74,80,618	61,86,586	67,95,956
13.	पश्चिम बंगाल	1,17,07,695	1,26,88,510	1,38,68,997
	कुल :	12,49,83,113	11,82,89,957	12,07,97,133

केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित रिक्त पद ।

2748. श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्तमान और पिछले बकाया रिक्त पदों का विवरण क्या है; और

(ख) उनको भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/विचाराधीन है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी सूचना प्रदान करने के लिए रोजगार समाचार और विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित सामान्य विज्ञापनों के अलावा संगठन ने इन आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया

है जिसमें रोजगार समाचार या अन्य विभिन्न समाचार पत्रों में बकाया चली आ रही आरक्षित रिक्तियों की सूचना विशेष विज्ञापनों द्वारा देना भी शामिल है।

विवरण

30-4-1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित बकाया तथा चालू रिक्तियों का ब्योरा

पद का नाम	30-4-90 की स्थिति के अनुसार बकाया रिक्त पद		30-4-91 की स्थिति के चालू रिक्त पद		योग	
	अनु०जा०	अनु०ज०जा०	अनु०जा०	अनु०ज०जा०	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7
1. शिक्षण संबंधी पद (सीधी भर्ती)						1
1. प्रिंसिपल	07	08	14	06	21	14
2. पी०जी०टी०	168	125	108	55	276	180
3. टी०जी०टी	98	137	57	30	155	167
4. पी०आर०टी	161	191	51	26	212	217
5. विविध	—	—	21	10	21	10
6. प्रधानाध्यापक	—	—	—	—	—	—
II. शिक्षण संबंधी पद प्रोन्नति						
1. प्रिंसिपल	नियमों के अंतर्गत रिक्तियों को आगे ले जाने (कैरी फारवर्ड) का विधान नहीं है।		07	03	07	03
2. पी०जी०टी०	45	31	—	—	43	31
3. टी०जी०टी०	—	—	—	—	—	—
4. पी०आर०टी०	—	—	—	—	—	—
5. विविध	—	—	—	—	—	—
6. प्रधानाध्यापक	12	6	10	2	22	8

1	2		3		4	
III. गैर शिक्षण पद सीधी भर्ती						
1. सहायक आयुक्त	1	—	—	—	1	—
2. शिक्षा अधिकारी	2	—	—	1	2	1
3. अवर श्रेणी लिपिक	—	—	2	1	2	1
4. लेखा एवं निरीक्षण अधिकारी (प्रोन्नति द्वारा)	—	—	1	—	1	—
5. अनुभाग अधिकारी (विभागीय परीक्षा)	—	—	1	—	1	—
6. अधीक्षक (प्रशासन) (विभागीय परीक्षा)	2	—	—	—	2	4
7. अधीक्षक (स्कूल संवर्ग) (विभागीय परीक्षा)	1	1	—	—	1	1
8. अधीक्षक (स्कूल संवर्ग) (प्रोन्नति द्वारा)	1	1	1	—	2	1
9. अधीक्षक (लेखा) (प्रोन्नति द्वारा)	—	—	1	—	1	—
10. लेखा परीक्षा सहायक (प्रोन्नति द्वारा)	—	—	1	1	1	1
11. लेखा परीक्षा सहायक (विभागीय परीक्षा द्वारा)	—	—	3	1	3	1
12. प्रधान लिपिक (स्कूल संवर्ग) (विभागीय परीक्षा द्वारा)	2	3	10	4	12	7
13. प्रधान लिपिक (स्कूल संवर्ग द्वारा (विभागीय परीक्षा द्वारा)	—	2	6	3	6	5

1	2		3		4	
14. प्रवर श्रेणी लिपिक (स्कूल संवर्ग)	—	8	16	8	16	16
15. प्रवर श्रेणी लिपिक (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) (विभागीय परीक्षा द्वारा)	—	1	—	—	—	1

वाम ऑरगोनिक केमिकल्स, मुरादाबाद द्वारा फैलाया गया प्रदूषण

2749. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाम ऑरगोनिक केमिकल्स द्वारा गजरौला, जिला मुरादाबाद में लगाया गया बहि:स्राव निरसन संयंत्र निष्क्रिय पड़ा है, जो उस क्षेत्र के जल और वायु के गम्भीर प्रदूषण का कारण बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इकाई वायु उत्सर्जनों के मानकों का अनुपालन कर रही है, लेकिन उद्योग द्वारा छोड़ा जा रहा शोधित बहि:स्राव निर्धारित सीमाओं के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए गजरौला कार्य योजना बनाई है।

राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषण नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का अनुपालन करना है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यप्रभारित कर्मचारियों की प्रथम संवर्ग समीक्षा

2750. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में कार्यरत नक्शानवीस और कनिष्ठ इंजीनियरों के संबंध में इस बीच प्रथम संवर्ग समीक्षा कराई गई है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) क्या कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में भी प्रथम संवर्ग समीक्षा कराई गई है और उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों की प्रथम संवर्ग समीक्षा को 1987 में अन्तिम रूप दिया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नक्शानवीस संवर्ग की संवर्ग समीक्षा करने के लिए एक संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (घ) चूंकि कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग कोई संवर्ग नहीं बनाते हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में कोई संवर्ग समीक्षा नहीं कराई गई है और ना ही ऐसा करने का विचार है। आवधिक संवर्ग समीक्षा के संबंध में सरकारी अनुदेश ऐसे स्टाफ को शामिल नहीं करते है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगें

2751. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारीगण उनकी मांगें अस्वीकार करने के विरोध में गत दो वर्षों से आन्दोलन पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगें न माने जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अराजपत्रित संघ की प्रमुख मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) इन सभी मांगों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

1. समूह "ग" और "घ" के संवर्ग पुनरीक्षा पर तत्काल निर्णय और इसका 1.1.1986 से कार्यान्वयन।
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते की दरों में भेदभाव।
3. अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पांच दिनों के सप्ताह की अनुमति नहीं दी जा रही है।
4. कार्यपालक इंजीनियर (मुख्यालय), अधीक्षक इंजीनियर (मुख्यालय) और आयोजना संगठन में सहायक निर्माण सर्वेक्षक जैसे प्रशासनिक पदों से इंजीनियरी अधिकारियों को हटाना।

5. समूह "घ" कर्मचारियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवर श्रेणी लिपिकों के पद के लिए आयोजित की जा रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति संबंधी निर्णय तत्काल लिया जाना चाहिए।

6. सेवा सम्बन्धी रिकार्ड, जिसका रख-रखाव जोनल कार्यालयों (कार्य प्रभारित स्थापना) में किया जा रहा था, मण्डल कार्यालयों को स्थानान्तरित किया गया है। कुछ रिकार्ड पिछले 15 से 20 वर्षों से अपूर्ण पड़ा है। इसके रख-रखाव के लिए अतिरिक्त स्टाफ दिया जाए।

7. अंशदायी भविष्य निधि लैजर खाते का लेखा जोखा जोनल कार्यालयों द्वारा रखा जा रहा है। विभाग द्वारा इस काम को बिना कर्मचारियों के मण्डल कार्यालयों में अन्तरित करने का निर्णय इस संघ से परामर्श लिए बिना लिया गया। यह कार्य अभी अधूरा पड़ा पड़ा है। अतः अतिरिक्त स्टाफ की अनुपस्थिति में इस काम को अन्तरित न किया जाए तथा अन्तरित करने के विभाग के आदेश तत्काल रद्द किए जाएं।

काला-आजार और मलेरिया से हुई मौतें

2752. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काला-आजार और मलेरिया से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लोग मरे;

(ख) क्या बिहार राज्य के अस्पतालों में काला-आजार के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो संघ सरकार का विचार काला-आजार और मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सहायता/दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान काला-आजार और मलेरिया से मरे व्यक्तियों की वर्षवार और राज्य वार संख्या इस प्रकार है।

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम तथा अन्य	मलेरिया से हुई मौतें			कालाआजार से हुई मौतें		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	2	5	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	4	6	16	—	—	—
4.	बिहार	4	13	2	123	477	589
5.	गोवा	0	0	1	—	—	—
6.	गुजरात	67	60	26	—	—	—
7.	हरियाणा	0	0	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	8	0	—	—	—	—
11.	केरल	1	1	11	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	8	16	3	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	5	8	6	—	—	—
14.	मणिपुर	2	2	—	—	—	—
15.	मेघालय	0	0	—	—	—	—
16.	मिजोरम	16	17	8	—	—	—
17.	नागालैंड	0	0	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	82	118	78	—	—	—
19.	पंजाब	0	2	—		—	—
20.	राजस्थान	2	1	66	—	—	—
21.	सिक्किम	0	0	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	0	0	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	1	5	4	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	—	6	—	1
25.	पश्चिम बंगाल	5	16	4	2	20	16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	—	—	—
27.	चंडीगढ़	0	0	0	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	—	—	—
29.	दमण व द्वीव	0	0	0	—	—	—
30.	दिल्ली	0	0	0	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	—	—	—
32.	पांडिचेरी	0	0	0	—	—	—
33.	कोयला खान	0	0	1	—	—	—
34.	डी० एन० के० परियोजना	0	0	0	—	—	—
	योग :	209	268	222	131	497	606

(ख) कभी-कभी बिहार राज्य के अस्पतालों में कालाआजार की औषधों की कमी देखी गई है।

(ग) कालाआजार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार बिहार को वस्तु और नकद दोनों तरह की सहायता प्रदान करती है। कीटनाशकों (डी० डी० टी०) और पेंटामिडाइन आइसो-थियोनेट आयातित औषध जो केवल उन रोगियों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है जिन्हें सोडियम स्टूबो ग्लूकोनेट से फायदा नहीं होता है, की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई है। राज्य सरकार प्रथमतः दी जाने वाली औषध नामतः सोडियम स्टूबो ग्लूकोनेट जो देश में निर्मित की जाती है, को खरीद और भण्डारण के लिए उत्तरदायी है। सोडियम स्टूबो ग्लूकोनेट की खरीद पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मलेरियारोधी औषधों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है।

गैर-सरकारी-कर्मचारियों को सरकारी आवास

[हिन्दी]

2753. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के अलावा उन लोगों को आवंटित सरकारी आवासों का क्षेत्रवार ब्योरा क्या है, जिन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किये गये है; और

(ख) उन्हें आवास आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं और ये आवास कितनी अवधि के लिए आवंटित किये गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी० काम (पास) का परिणाम

[अनुवाद]

2754. श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का बी० कॉम (पास) का परीक्षा-परिणाम निकलने में असाधारण विलम्ब हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो बी० कॉम (पास) पाठ्यक्रम के परिणाम की घोषणा में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह बात सही नहीं है कि इस वर्ष बी० काम (पास) परीक्षा का परिणाम घोषित करने में काफी विलम्ब हुआ है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि बी० काम (पास) भाग-III (नियमित) का परिणाम 24-7-1991 को घोषित किया गया था जबकि पिछले साल इस परीक्षा का परिणाम 23-7-1990 को घोषित किया गया था । 1991 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी० काम (पास) परिक्षाओं के अन्य परिणाम पिछले साल की तुलना में पहले घोषित किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति

[हिन्दी]

2755. श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने व्यक्ति शिक्षित/अशिक्षित हैं; और

(ख) इनमें से महिलाओं का प्रतिशत कितना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारत की जनसंख्या 1990-91 अस्थाई कुल जनसंख्या के आधार अनुसार, मध्य प्रदेश में 7 वर्ष तथा इससें ऊपर की आयु वाली अनुमानित जनसंख्या के साक्षरों की प्रतिशतता 43.45 प्रतिशत है और महिलाओं के तदनुरूपी आंकड़े 28.39 प्रतिशत हैं।

"आरक्षित कोटा पूरा न होने से शिक्षकों में रोष" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2756. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1991 को 'वीर अर्जुन' में "आरक्षित कोटा पूरा न होने से शिक्षकों में रोष" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड में नियुक्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से उबरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। 5.9.71 से 31.12.85 की अवधि के लिए अनु० जा०/अनु० जनजाति के शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड पहले ही दिया जा चुका है। यदि कोई मामला रह गया है तो उसे अपेक्षित तिथि से सलेक्शन ग्रेड प्रदान करने के लिए उसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फाइलेरिया की घटनाएं

[अनुवाद]

2757. श्री रवि राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फाइलेरिया से पीड़ित लोगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या संघ सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित नियंत्रण एककों, क्लिनिकों और सर्वेक्षण एककों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तक फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या राज्य-वार नीचे दी गई है :—

		1988		1989		1990	
क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	माइक्रो फाइले-रिया पाजिटिव	इस रोग के रोगी	माइक्रो फाइले-रिया पाजिटिव	इस रोग के रोगी	माइक्रो फाइले-रिया पाजिटिव	इस रोग के रोगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9772	7017	7273	5040	7250	9951
2.	असम	57	5	31	1	212	36
3.	बिहार	3669	6876	5517	6862	2849	5477

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोआ	168	8	69	8	52	3
5.	गुजरात	104	129	263	107	323	147
6.	कर्नाटक	3524	1571	1193	1011	1871	4750
7.	केरल	1334	1019	1220	636	1772	854
8.	मध्य प्रदेश	1185	1020	706	850	562	872
9.	महाराष्ट्र	26829	5258	28584	5148	18661	2952
10.	उड़ीसा	1233	4948	881	2547	877	2924
11.	तमिलनाडु	10172	2752	10668	1413	12858	2588
12.	उत्तर प्रदेश	2341	3099	2284	4827	1720	5807
13.	पश्चिम बंगाल	231	411	248	1050	200	407
14.	पांडिचेरी	175	10	171	70	250	73
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	196	27	196	28	67	13
16.	दमण और दीव	190	67	116	77	19	30
17.	लक्षद्वीप	37	1	300	71	37	40
	कुल :	61217	34191	59720	29746	49580	36924

(ख) और (ग) प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :--

1. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 204 नगरों में चल रहा है जिसमें फाइलेरिया नियंत्रण एककों के जरिए 426 लाख जनसंख्या कवर की गई।
2. सप्ताह के अन्तराल में सभी प्रजनन स्थानों में टेपेफास फेन्थिआन और मच्छर डिम्भकनाशी तेल जैसे रसायनों का प्रयोग करके लार्वा रोधी उपाय।
3. जैव-पर्यावरण विधियों के जरिए कीड़ों के प्रजनन स्थानों के स्रोतों को कम करना।
4. फाइलेरिया रोगियों और सूक्ष्म-फाइलेरिया वाहकों का पता लगाना और उपचार करना।
5. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लार्वा नाशकों और औषधों की उपयुक्त मात्रा की सप्लाई।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नियुक्त किए गए अधिकारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

2758. श्री कालका दास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नया पंजीकृत स्वायत्त निकाय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो एक नया पंजीकृत स्वायत्त निकाय है, ने अपने भर्ती नियम और विनियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकारियों की भावी पदोन्नतियों के लिए उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली, एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय है तथा इसने दिसम्बर, 1988 में अपने भर्ती नियम तैयार तथा अधिसूचित किए थे।

(ख) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली के भर्ती नियमों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में अधिकारियों की नियुक्ति इनके अपने चयन बोर्ड द्वारा की जाती है न कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त (विषय विशेषज्ञ) अधिकारियों की सेवा शर्तें

2759. श्री कालका दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एस० सी० ई० आर० टी० के लिए नियुक्त किए गए (विषय विशेषज्ञ) अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एस० सी० ई० आर० टी० में इस समय कार्यरत विषय विशेषज्ञों की सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदें, कई राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश, दिल्ली में कार्य कर रही हैं तथापि संघ लोक सेवा आयोग केवल संघ शासित प्रदेश दिल्ली की राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद से ही सम्बन्धित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली में विषय विशेषज्ञों

के कोई पद नहीं है अतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विषय-विशेषज्ञों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आनन्द विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की स्थापना का प्रस्ताव

[अनुवाद]

2760. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द विहार, दिल्ली में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां औषधालय स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) वहां नई निर्मित कालोनियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। औषधालय खोलने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक प्राथमिक सूचना मांगी गई है।

(ग) आनन्द विहार क्षेत्र पहले से ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, विवेक विहार द्वारा कवर किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को कालोनियों का अन्तरण

2761. श्री साइमन मरांडी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली में कुछ कालोनियों के रखरखाव के लिए दिल्ली नगर निगम को अन्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और ये कालोनियां दिल्ली नगर निगम को कब तक अन्तरित की जायेंगी; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित कालोनियों में जल-मल व्ययन नालियों और सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रवार कालोनी के ब्यौरे और चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कालोनी

के लिए नियतित निधियां संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

सेवाओं में अन्तरण की प्रक्रिया प्रगति पर है और दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनियों को 31 मार्च, 1992 तक सौंपे जाने की आशा है।

विवरण

क्र०सं०	कालोनी का नाम	91-92 के दौरान नियतित निधियों के ब्यौरा (लाख रुपयों में)
पश्चिमी जोन		
1.	पश्चिम विहार के पाकेट ए में 528 जनता मकानों का निर्माण	2.00
2.	पाकेट जी एल-14, पश्चिम विहार में मध्यम आय वर्ग के 1 00 रिहायशी एककों का निर्माण	14.00
3.	ए-50, पश्चिम विहार में स्व-वित्त पोषित योजना के 450 मकानों का निर्माण	5.00
4.	जी एच-10, पश्चिम विहार में स्व-वित्त पोषित योजना के 52 मकानों का निर्माण	11.00
5.	ए-1बी, पश्चिम विहार में निम्न आय वर्ग के 384 मकानों का निर्माण	1.80
6.	जी-II, विकासपुरी पाकेट में मध्यम आय वर्ग के 84 मकानों का निर्माण	1.80
7.	ए-3, पश्चिम विहार में मध्यम आय वर्ग के 160 मकानों का निर्माण	2.50
8.	एजी-1, पाकेट, विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के 768 मकानों का निर्माण	4.00
9.	केजी-1, विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के 288 मकानों का निर्माण	2.00
10.	पाकेट ए, विकासपुरी एक्सटेन्शन में स्व-वित्त पोषित योजना के 224 मकानों का निर्माण	3.00
11.	पाकेट बी, विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के 320 मकानों का निर्माण	5.00
12.	बी-1, बीजी-1, विकासपुरी में निम्न आय वर्ग के 198/180 मकानों का निर्माण	5.00

13.	जे जी-3, विकासपुरी में ई० डब्ल्यू० एस० के 864/792 मकानों का निर्माण	4.00
14.	पाकेट डी जी-3, विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के 404 मकानों का निर्माण	2.00
15.	पाकेट मादीपुर में 208 जनता मकानों का निर्माण	0.5
16.	मादीपुर में 414/444 जनता मकानों का निर्माण	0.5
17.	टोडापुर में 88/136 एल०सी०एच० का निर्माण	0.5
18.	पोसंगीपुर में 144 जनता मकानों का निर्माण	0.5
19.	लारेंस रोड पाकेट ए-2, में निम्न आय वर्ग के 612 रिहायशी एकको का निर्माण (उप-कार्य 312 निम्न आय वर्ग के रिहायशी एकक)	21.50
20.	जनकपुरी में मध्यम आय वर्ग के 315 रिहायशी एककों का निर्माण	3.00
21.	पाकेट ए, सुखदेव विहार में स्व-वित्त पोषित योजना के 584/526 मकानों का निर्माण	5.00
22.	पाकेट बी, सुखदेव विहार में 240/225 मकानों का निर्माण	
23.	जी एच-8/जी-17, क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के 688 रिहायसी एकको का निर्माण	5.00
24.	पाकेट सी-5ए, जनकपुरी में मध्यम आय वर्ग के 48 मकानों का निर्माण	—
25.	नागलोई जनकपुरी में खुदरा व्यापार केन्द्र	1.00
26.	बी-1, जनकपुरी में समाज सदन	—
27.	लाजवंती गार्डन में विपणन केन्द्र	—
28.	ब्लाक ए पाकेट ए-1/ए, जनकपुरी में मध्यम आय वर्ग के 153/144 मकानों का निर्माण	2 00
29.	ब्लाक बी पाकेट बी. डी., जनकपुरी में मध्यम आय वर्ग के 144/128 मकानों का निर्माण	4.00
30.	ब्लाक ए पाकेट ए-2ए, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 48/44 मकानों का निर्माण	1.00
31.	ब्लाक ए-1 जनकपुरी में स्थानीय विपणन केन्द्र	10.00
32.	ब्लाक ए-3, जनकपुरी में स्थानीय विपणन केन्द्र	—

33.	पाकेट बी-1ए, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 84 रिहायसी एकको का निर्माण	1.50
34.	पाकेट बी-1ए, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 256 रिहायसी एकको का निर्माण	6.50
35.	पाकेट बी-2ए, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 144 रिहायसी एकको का निर्माण	1.00
36.	ब्लाक डी-2ए, में मिम्नी विपणन केन्द्र	—
37.	सी-4एफ, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 40 मकानों का निर्माण	1.00
38.	सी-6ए, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 324 मकानों का निर्माण	5.00
39.	जनकपुरी में स्व-वित्त पोषित योजना के 138 मकानों का निर्माण	—
40.	जी-8, क्षेत्र राजोरी गार्डन में निम्न आय वर्ग के 1440 सी०एस०सी	—
41.	मंगलापुरी में 182/136 जनता मकानों का निर्माण	—
42.	डी-4/सी-15, जनकपुरी में निम्न आय वर्ग के 48 रिहायसी एकको का निर्माण	0.50
43.	हस्तसाल में ई-डब्ल्यू०एस० के 1112 मकानों का निर्माण	9.75
44.	पश्चिम विहार पाकेट बीजी-2, में निम्न आय वर्ग के 160 मकानों का निर्माण	—
45.	पश्चिम विहार पाकेट जी एच-5 तथा 7 में निम्न आय वर्ग के 1312 मकानों का निर्माण	—
46.	पश्चिम विहार में पाकेट जी-1-6 में 504 जनता मकानों का निर्माण	—
47.	पश्चिम विहार पाकेट बीजी-3, बीजी-5 और बीजी-5ए में निम्न आय वर्ग के 800 मकानों का निर्माण	—
48.	बोडेला में 112 एस०सी०एच०	0.50
49.	राजौरी गार्डन जी-8, क्षेत्र में स्व-वित्त पोषित योजना के 80 मकान	2.00
50.	नारायणा में स्व-वित्त पोषित योजना के 48 मकान	0.50

51.	बोडेला डी०जी-2 में मध्यम आय वर्ग के 1200 मकान	5.00
52.	जी एच-9, जी-17 क्षेत्र पश्चिमपुरी में मध्यम आय वर्ग के 656/672 मकान डब्ल्यू जेड-12-076	4.00
53.	बी जी-1, पश्चिमपुरी में स्व-वित्त पोषित योजना के 273 मकान डब्ल्यू-जेड-12-078	4.00
54.	रघुबीर नगर 276 जनता मकान डब्ल्यू जेड-09-065	7.50
55.	रघुबीर नगर में 188 तथा 24 एल०सी०एच०डब्ल्यू०जेड 09-068	1.00
56.	जयदेव पार्क में निम्न आय वर्ग के 360 मकान डब्ल्यू-जेड-12-074	3.00
57.	पश्चिमपुरी में जी एच-1, जी-17, क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के 384 मकान डब्ल्यू जेड 12-074	4.00
58.	जी एच-2 जी 17 क्षेत्र पश्चिमपुरी में मध्यम आय वर्ग के 304 मकान डब्ल्यू जेड-512-077	4.00
59.	मादीपुर में निम्न आय वर्ग के 360 मकान डब्ल्यू जेड-12-072	4.00
60.	डी जी-6 पश्चिमपुरी में 1092 जनता मकान डब्ल्यू जेड-12-073	7.50
61.	भारत सरकार मुद्रणालय मायापुरी के समक्ष स्व-वित्त पोषित योजना के 288 मकान डब्ल्यू जेड-09-068	5.00
62.	पश्चिमपुरी में स्व-वित्त पोषित योजना के 1140 मकान	12.00
63.	जी-8 क्षेत्र राजौरी गार्डन पाकेट ई में स्व-वित्त पोषित योजना के 458 मकान	
64.	जी 8, क्षेत्र राजौरी गार्डन के पाकेट ई में स्व-वित्त पोषित योजना के 212 मकान	
65.	जी 8 क्षेत्र राजौरी गार्डन के पाकेट ई में स्व-वित्त पोषित योजना के 400 मकान	
66.	मायापुरी चरण-1 नई दिल्ली में 4 मंजिला विपणन केन्द्र	18.50
	योग :	225.35

दक्षिण-पूर्व जोन

1.	कालू सराय की 224 स्वयं-वित्त पोषित योजना और 56 जनता मकानों का रख-रखाव	—
2.	दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 480 मकान	—

3.	मन्दाकिनी में 24 और :6 स्वयं-वित्त पोषित योजना के मकान	—
4.	गोदावी में स्वयं वित्त पोषित योजना के 114 मकान	—
:.	अलकनन्दा में स्वयं वित्त पोषित योजना के 64 मकान	—
6.	अलकनन्दा के स्थानीय विपणन केन्द्र	0.50
7.	ए, जी०वी०सी० की सेवाएं	--
8.	युसुफ सराय के सामुदायिक केन्द्र	1.30
9.	ईस्ट आफ कैलाश के एम०एस फ्लैट्स	—
10.	उदय पार्क के स्थानीय विपणन केन्द्र	—
11.	टिगरी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 440 मकान	4.40
12.	पंचशील में स्वयं वित्त पोषित योजना के 36 मकान	1.70
13.	सैदुलजैब में स्वयं वित्त पोषित योजना के 96-108 मकान	—
14.	साकेत के सामुदायिक केन्द्र	4.00
15.	भीखाजी कामा प्लेस जिला केन्द्र	—
16.	गौतम नगर में स्व वित्त पोषित योजना के 26 मकान	1.00
17.	खिड़की में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मकान	4.90
18.	बदरपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मकान	9.50
19.	सरिता विहार पाकेट और एन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मकान	5.00
20.	मुनीरका में स्वयं वित्त पोषित योजना के 204 मकान	11.80
21.	मदनपुर खादर में डेरी फार्म	—
22.	सरिता विहार के पाकेट बी और सी में स्वयं वित्तपोषित योजना के मकान	—
23.	मदनपुर खादर में निम्न आय वर्ग के 128 और निम्न आय वर्ग के 62 मकान	1·00
24.	सरिता विहार पाकेट, सैक्टर-1	5.00
25.	सिद्धार्थ एक्टेंसन के पाकेट ए, बी सी में स्वयं वित्त पोषित योजना	14.50
25.	ईस्ट आफ कैलाश में निम्न आय वर्ग के 144 मकान	2.00
27.	सिद्धार्थ इन्कलेव में स्वयं वित्त पोषित योजना के 270 मकान	—

28.	सराय जुलियाना में मध्यम आय वर्ग के 16/48 मकान	1.50
29.	न्यू फ्रैंटण्ड्स कालोनी में मध्यम आय वर्ग के 18/56 मकान	0.80
30.	वाणिज्यिक पोटेसर सिद्धार्थ इन्कलेव	.....

शेख सराय

i.	शेख सराय फेस-II में स्वयं वित्त पोषित योजना के 557 मकान	1.50 लाख
ii.	शेख सराय फेस-I में मध्यम आय वर्ग के 192 मकान	1.00 लाख
iii.	शेख सराय फेस-I में स्वयं वित्त पोषित योजना के श्रेणी I के 48 मकान	0.30
	योग	2.80 लाख

2. गौतम नगर

गौतम नगर में स्वयं वित्त पोषित योजना के 52 डुप्लैक्स मकान	0.50
	0.50 लाख

3. साकेत

i.	साकेत में स्वयं वित्त पोषित योजना के 264 मकान	1.50
ii.	साकेत के पाकेट जी में स्वयं वित्त पोषित योजना के 66 मकान	0.50
iii.	मालवीय नगर साकेत में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 194 मकानों का निर्माण	3.00
	योग	5.00 लाख

4. ग्रेटर कैलाश

ग्रेटर कैलाश-I में स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 64 मकानों का निर्माण	0.20
	0.20

11. कटवारिया सराय

(i)	कटवारिया सराय में स्वयं वित्त पोषित योजना के लिए 112 एम०एस० फ्लैट्स	15.00
		15.00

12. वसंत कुंज

(i)	पाकेट-3 सैक्टर डी वसन्त कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 648 मकानों का निर्माण	6.00
(ii)	पाकेट IV, सेक्टर डी में वसंत कुंज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 240 फ्लैटों का निर्माण	2.00
(iii)	सेक्टर डी पाकेट-I वसन्त कुंज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 384 फ्लैटों का निर्माण	1.00
(iv)	सेक्टर ए, पाकेट बी, और सी वसन्त कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 912 फ्लैटों का निर्माण	2.00
(v)	सेक्टर डी पाकेट 1, वसन्त कुन्ज पेटिकेरियल सेवाओं का निर्माण	0.50
(vi)	सेक्टर ए, वसन्त कुन्ज पेटिकेरियल सेवाओं के लिए स्वयं वित्त पोषित योजना के 912 फ्लैटो का निर्माण	1.50
(vii)	सेक्टर डी, पाकेट-II स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 624 मकानों का निर्माण	1.50
		14.50

13. होज खास

(i)	होज खास में सुविधाजनक विपणन केन्द्र	

14. आर०के० पुरम

(i)	आर०के० पुरम सेक्टर बी में सुविधाजनक विपणन केन्द्र का निर्माण	0.50

14. सफदरजंग इन्कलैव

(i)	सफदरजंग इन्कलैब बी-4 एक्सटैंशन	1.80
(ii)	सफदरजंग इन्क्लेव, (ब्लाक बी-6 एक्सटेन्सन)	1.50
(iii)	सफदरजंग इन्कलेव (ब्लाक बी-7 एक्सटेंशन)	1.50
		4.00

15. अलकनन्दा

(i)	अलकनन्दा पाकेट डी में स्वयं वित्त पोषित योजना के 416 मकानों का निर्माण	1.50
		1.50

16. वसन्त कुन्ज सेक्टर ए, बी, सी और डी

(i)	पाकेट-XI सेक्टर बी, वसन्त कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के मकानों का निर्माण	1.20
(ii)	पाकेट 7 सेक्टर बी में स्वय वित्त पोषित योजना के मकानों का निर्माण	1.20
(iii)	पाकेट III, सेक्टर डी, वसन्त कुंज में स्वय वित्त पोषित योजना के मकानों का निर्माण	0.80
(iv)	वसंत कुंज सेक्टर बी, पाकेट-I	1.50
(v)	सेक्टर डी, पाकेट 8 और 9 वसंत कुंज	12.50
(vi)	सेक्टर बी पाकेट 10 वसन्त कुंज	2.00
(vii)	सेक्टर बी, पाकेट 10 वसन्त कुंज (केवल जल आपूर्ति) में स्वयं वित्त पोषित योजना के 568 मकानो का निर्माण	3.25
(viii)	वसन्त कुन्ज सेक्टर ए पाकेट बी ग्रुप-III में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 192 मकानों का निर्माण	0.75
(ix)	वसंत कुंज सेक्टर ए पाकेट सी ग्रुप-IV में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 192 मकानों का निर्माण	0.75
(X)	वसंत कुंज सेक्टर बी, पाकेट-I ग्रुप-1 में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 120 मकानों का निर्माण	0.50
(Xi)	वसंत कुंज सेक्टर बी, पाकेट-1 ग्रुप-II में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 120 मकानों का निर्माण	0.50
(xii)	वसन्त कुन्ज सेक्टर डी पाकेट I, ग्रुप-III में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 120 मकानों का निर्माण	0.50
(Xiii)	वसन्त कुन्ज सेक्टर डी, पाकेट-I, ग्रुप II में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 160 मकानों का निर्माण	0.75
(xiv)	वसन्त कुन्ज सेक्टर बी, पाकेट-1-ग्रुप 1 में स्व वित्त पोषित योजना के अधीन 160 मकानों का निर्माण	0.75

(xv)	वसन्त कुंज सेक्टर बी, पाकेट I, ग्रुप-II में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 160 मकानों का निर्माण	0.75
(xvi)	वसंत कुंज, सेक्टर बी, पाकेट-I, ग्रुप-III में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 160 मकानों का निर्माण	0.75
(xvii)	सेक्टर 8 बी, पाकेट-ए, वसन्त कुन्ज स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 190 मकानों का निर्माण	7.07
(xviii)	सेक्टर बी, पाकेट-9 वसंत कुंज में निम्न आय वर्ग के 324 मकानों का निर्माण	11.00
(xix)	सेक्टर सी, पाकेट-1 वसंत कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 692 मकानों का निर्माण	24.00
(Xxi)	सेक्टर सी, पाकेट 22, वसंत कुंज में 472 एस० एफ०एस० और 120 सी०एस०पी० मकानों का निर्माण	21.00
(xxii)	सेक्टर सी पाकेट 3, वसन्त कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 198 मकानों का निर्माण	7.00
(Xxiii)	सेक्टर सी, पाकेट 8, वसंत कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के 238 मकानों का निर्माण	29.00
(Xxiv)	सेक्टर सी, पाकेट 9, वसन्त कुन्ज में स्वयं वित्त पोषित योजना के अधीन 238 मकानों का निर्माण	8.00
(xxiv)	सेक्टर डी, पाकेट 7, वसन्त कुन्ज, में स्वयं वित्त पोषित योजना के 456 मकानों का निर्माण	16.00
(xxv)	मसूदपुर डेरी कालोनी (केवल पशुओं को शिफ्ट किया जाना है)	16.00
		157.45
	दक्षिण-पश्चिम जोन का योग	244.00

उत्तरी जोन

1.	शालीमार बाग ब्लाक बी, पाकेट सी, में 936 जनता मकान	1.00
2.	शालीमार बाग ब्लाक-बी, पाकेट आर, में 204 एल०आई० जी० मकान	5.00
3.	जहांगीरपुरी में 636 एल०आई०जी०	1.00
4.	रोहिणी सेक्टर 17 में 288 एल आई जी	2.00

5.	रोहिणी सेक्टर 17 में 512 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
6.	शालीमार बाग, ब्लाक बी, पाकेट जे में 192 एल आई जी	1.00
7.	शालीमार बाग ब्लाक ए, पाकेट एफ में 336 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	—
8.	अशोक विहार चरण-iii में 18 एल आई जी	
9.	अशोक विहार चरण-iv, में 405 एस एफ एस	
10.	शालीमार बाग, ब्लाक सी, पाकेट सी में 624 एम आई जी	
11.	अशोक विहार चरण-IV में 256 एम आई जी	
12.	अशोक विहार चरण-iv में 180 एल आई जी	24.00
13.	शालीमार बाग बी, पाकेट एफ, में 160 एस एफ एस	
14.	शालीमार बाग बी, पाकेट डी में 240 एल आई जी	
15.	शालीमार बाग ब्लाक बी, पाकेट आई में 168 एल आई जी	
16.	शालीमार बाग ब्लाक सी, पाकेट ए में 288 एम आई जी	
17.	शालीमार बाग ब्लाक सी, पाकेट बी में 208 एम आई जी	
18.	शालीमार बाग ब्लाक बी, पाकेट बी, (पी) में 342 एल आई जी	1.00
19.	रोहिणी पाकेट 5, सेक्टर 16, ब्लाक एम में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग 512/416	
20.	रोहिणी पाकेट-6, सेक्टर 16, ब्लाक जी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 512/416	
21.	रोहिणी पाकेट 5, सेक्टर 16 ब्लाक जी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 512/116	
22.	रोहिणी पाकेट 7, सेक्टर 16, ब्लाक जी में आर्थिक रूप से कमजोर एगं 512/416	
23.	रोहिणी पाकेट 4, सेक्टर 16, ब्लाक बी 1 में 120एल आई जी	
24.	रोहिणी सेक्टर xi ग्रुप 6 में 256 एल आई जी	
25.	रोहिणी सेक्टर II ग्रुप 7 में 256 एल आई जी	
26.	मोतिया खान में 756 एल आई जी	
27.	पीतमपुरा पाकिट क्यू यू 816 एल आई जी	
28.	मोतिया खान में 312 एम आई जी	
29.	गोपालपुर का विकास	
30.	नेहरू नगर का विकास	

31.	ओटरस लाइन का विकास	
32.	हडसन लाईन का विकास	
33.	न्यू गुप्ता कालोनी (54 प्लाट) का विकास	
34.	मंगोलपुरी औद्योगिक एरिया चरण-2 का विकास	
35.	माल रोड में 240 रिहायशी एककों का निर्माण	
36.	सराय खलील में 168/120 सी एस पी जनता का मकान	
37.	साइकिल मार्किट झंडेवालान चरण-2 का रख रखाव	
38.	पाकिट ए 2, लारेंस रोड में 156 एल आई जी मकानों का निर्माण	
39.	पीतमपुरा पाकिट के (डी) में 448 एम आई जी मकान	
40.	पीतमपुरा पाकिट एफ (पी) में 104/156 जनता मकान	
41.	पीतमपुरा पाकिट ए (पी) में 192 एम आई जी मकान	
42.	सराय खलील में 138 एल आई जी तथा 138 एम आई जी मकानों का निर्माण	
43.	सराय खलील में 24 एल आई जी तथा 48 जनता मकानों का निर्माण	
44.	पुष्पांजलि एन्कलेव ब्लाक बी, पीतमपुरा में सुविधा विपणन केन्द्र	2.00
45.	लोक विहार ब्लाक बी में सुविधा विपणन केन्द्र	
46.	सरस्वती विहार ब्लाक ए में सुविधा विपणन केन्द्र	
47.	सरस्वती विहार ब्लाक सी, में सुविधा विपणन केन्द्र	
48.	लोक विहार ब्लाक ए में सुविधा विपणन केन्द्र	
49.	पीतमपुरा जोन एच-4, एच 5 (पार्ट) के दक्षिण की ओर सुविधा केन्द्र के लिए 50 हे० ए० चिन्हित भूमि का विकास	10.00
50.	बी जी 1, शालीमार बाग 160 एल आई जी	
51.	पीतमपुरा ब्लाक जे, (बी) में 296 एस एफ एस	3.00
52.	अशोक विहार ब्लाक जे में 144 उच्च आय वर्ग	2.00
53.	अशोक विहार चरण I, ब्लाक जे में 192 एल आई जी	2.00
54.	शालीमार बाग ब्लाक बी, पाकिट डब्लू में 480 एस एफ एस (क) 96 एस एफ एस (बी/कार्य) (ख) 176 एस एफ एस	3.00
55.	रोहिणी सेक्टर 17, ब्लाक ए पाकिट I और II में 600 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मकानों का निर्माण	2.00

56.	रोहिणी सेक्टर 17 पाकेट III और IV में 512 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग मकानों का निर्माण	2.00
57.	पीतमपुरा पाकिट ई (डी) में 252 एम आई जी	2.00
58.	पीतमपुरा पाकिट (पी डी) में 488 एल आइ जी	1.00
59.	पीतमपुरा पाकिट एम (यू) में 200 एल आई जी	0.70
60.	पीतमपुरा पाकिट यू (यू) में 276 जनता	0.90
61.	पीतमपुरा आर (यू) में 904/490 एम आई जी	1.50
62.	पीतमपुरा ब्लाक क्यू (यू) में 160 एम आई जी	1.00
63.	पीतमपुरा ब्लाक एम (पी) में 480 एल आई जी	3.00
64.	पीतमपुरा जे (यू) में 276/264 जनता	1.00
65.	पीतमपुरा ब्लाक एल (पी) में 384 एल आई जी	1.00
66.	पीतमपुरा ब्लाक सी (डी) में 356 जनता	—
67.	पीतमपुरा पाकिट आर (डी) में 408 एम आई जी	5.00
68.	पीतमपुरा आर (पी) में 144 जनता	1.00
69.	वैशाली एनक्लेव में सुविधा विपणन केंद्र	
70.	पीतमपुरा पाकिट एन (पी) में सुविधा विपणन केंद्र	
71.	पीतमपुरा जी (डी) में सुविधा विपणन केंद्र	
72.	पीतमपुरा आर (पी) में सुविधा विपणन केन्द्र	
73.	पीतमपुरा जे (पी) में सुविधा विपणन केंद्र	
74.	पीतमपुरा सी (पी) में सुविधा विपणन केंद्र	
75.	पीतमपुरा एस (यू) में सुविधा विपणन केन्द्र	
76.	पीतमपुरा क्यू (यू) में सुविधा विपणन केंद्र	
77.	पीतमपुरा के (यू) में सुविधा विपणन केंद्र	
78.	पीतमपुरा बी (यू) में सुविधा विपणन केंद्र	1.00
79.	पीतमपुरा एच (यू) में सुविधा विपणन केंद्र	0.50
80.	पीतमपुरा जे (डी) में सुविधा विपणन केंद्र	1.00
81.	पीतमपुरा आर (यू) में सुविधा विपणन केंद्र	1.00
82.	पीतमपुरा एच (पी) में सुविधा विपणन केंद्र	

83.	पीतमपुरा ब्लाक एन (यू) 312 जनता	
84.	पीतमपुरा ब्लाक ई (यू) 162 एल आई जी	
85.	पीतमपुरा ग्रुप 1, 160/144 उच्च आय वर्ग	
86.	पीतमपुरा ग्रुप 2, 260/160 उच्च आय वर्ग	
87.	रोहिणी, पाकिट 3, 4 सेक्टर 17, ब्लाक ए में 288 एल आई जी	1.00
88.	रोहिणी सेक्टर 17 ब्लाक बी, 504 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.00
89.	पीतमपुरा पाकिट एस (डी) में एस एफ के अन्तर्गत 512 मकान 384/516 का निर्माण	1.00
	उत्तरी जोन योग	89.20

कालोनियों/क्षेत्रों के नाम

1.	जोन ई—8 से ई—12; शाहदरा	
2.	जोन ई—9 तथा 11; शाहदरा	100.00
3.	सी बी डी; केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा एरिया, शाहदरा	10.00
4.	गीता कालोनी ब्लाक 18	10.00
5.	गीता कालोनी ब्लाक 19	15.00
6.	पाकेट नयी मयूर विहार फेस—II	13.00
7.	पाकेट डी, मयूर विहार	4.00
8.	मंडावली फज्जलपुर जोन ई—13	300.00
9.	पाकेट एफ मयूर विहार फेस—II	8.00
10.	चिल्ला गांव के निकट 320 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास	5.00
11.	गाजीपुर डेयरी फार्म	125.00
12.	मयूर विहार फेस I में सहकारी आवास समितियां	
13.	मयूर विहार फेस II में सहकारी आवास समितियां	50.00
14.	गाजीपुर में 926 जनता आवास	5.00
15.	नन्द नगरी में 2400 मध्यम आय वर्ग आवास	3.00

16.	नन्द नगरी में 1026 निम्न आय वर्ग आवास	2.00
17.	कोण्डली घरोली में 3376 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास	120.00
18.	झिलमिल फेस—II में 928 निम्न आय वर्ग आवास	25.00
19.	आनन्द विहार में 138 सी एस पी/जनता आवास	2.00
20.	जाफराबाद में 246 निम्न आय वर्ग आवास	4.000
21.	नन्द नगरी बी सी तथा डी में 378 निम्न आय वर्ग आवास	10.00
22.	निर्माण विहार में 40 मध्यम आय वर्ग आवास	1.50
23.	प्रियादर्शनी विहार में 48 सी एस पी/जनता आवास	2.70
24.	मानसरोवर पार्क में 672 मध्यम आय वर्ग आवास	10.00
25.	मानसरोवर पार्क में 496 मध्यम आय वर्ग आवास	10.00
26.	शास्त्री पार्क में 300 जनता आवास	3.00
27.	नन्द नगरी में 560 मध्यम आय वर्ग आवास	5.00
28.	कोण्डली घरोली सेक्टर बी में 2040 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास	5.00
29.	पाकेट ई तथा एफ दिलशाद गार्डन में 1104 निम्न आय वर्ग आवास	3.00
30.	पाकेट बी दिलशाद गार्डन में 352 निम्न आय वर्ग आवास	3.00
31.	पाकेट एल तथा एच दिलशाद गार्डन में 922 जनता आवास	9.50
32.	जल आपूर्ति ई 6 दिलशाद गार्डन	1.50
33.	जोन ई 16, डब्लू/एस एस डब्लू रोड में सेवायें	—
34.	पाकेट पी दिलशाद गार्डन में 106 जनता आवास	क्र०सं० 9 के साथ शामिल है
35.	288 निम्न आय वर्ग आवास दिलशाद गार्डन	2.00
36.	512 मध्यम आय वर्ग आवास दिलशाद गार्डन	5.00
37.	पाकेट जे तथा के दिलशाद गार्डन में 1552 मध्यम वर्ग आवास	10.00
38.	ईस्ट आफ लोनी रोड में 1536/912 मध्यम आय वर्ग आवास	24.00
39.	संस्थानिक एरिया विश्वास नगर का विकास	50.00

40.	672 मध्यम आय वर्ग आवास पाकेट सी दिलशाद गार्डन	----
41.	पाकेट एम, एन, ओ तथा पी दिलशाद गार्डन में 1565 जनता आवास	30.00
42.	2142 जनता आवास, नन्द नगरी	10.00
43.	दिलशाद गार्डन में सड़क/एस० डब्लू नाले	5.00
44.	दिलशाद गार्डन में 960/912 निम्न आय वर्ग आवास	46.25
45.	1232 मध्यम आय वर्ग आवास, पाकिट ए तथा बी दिलशाद गार्डन	6.00
46.	412 मध्यम आय वर्ग/412 निम्न आय वर्ग आवास पाकिट आर, दिलशाद गार्डन	5.00
47.	पाकेट सी ईस्ट आफ लोनी रोड में 896 निम्न आय वर्ग आवास	4.00
48.	जल आपूर्ति लोनी रोड	1.00
49.	मल-निर्यास तथा एस०डब्लू०नाले, लोनी रोड	4.00
50.	दिलशाद गार्डन में 613 जनता आवास	12.00
		97[illegible].20

जन्म दर

[हिन्दी]

2762. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में औसत जन्म दर क्या है और इस संबंध में परिवार कल्याण कार्यक्रम कितने सहायक रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : 1991 की जनगणना के अनुसार देश में औसत जन्म दर के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1989 के लिए भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त जन्म दर का अनन्तिम मूल्यांकन प्रति हजार जनसंख्या पर 30.6 है । देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आधारभूत ढांचे के बड़े नेटवर्क बनाने तथा मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम जिसमें व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, के शुरू करने में शिशु मृत्यु दर 1951—55 में प्रति हजार जीवित जन्में शिशुओं के पीछे 146 से 1989 में 91 तक कम हो गई। 31 मार्च 1971 को केवल 10.4 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च, 1991 को 44.1 प्रतिशत प्रजननक्षम दम्पतियों द्वारा गर्भनिरोधक विधियां प्रयोग किए जाने का अनुमान लगाया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर 13 करोड़ जन्मों को रोक दिए जाने का अनुमान लगाया गया है।

परिवार नियोजन पर खर्च की गई धनराशि

2763. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाले दंपतियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में वर्ष 1991-92 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के बारे में कोई विशलेषण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों से 31 मार्च, 1991 तक सुरक्षित किए गए अनुमानित पात्र दम्पतियों की राज्यवार प्रतिशतता का ब्योरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने में हुए खर्च (नगद और वस्तु दोनों) का राज्य-वार ब्योरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए परिवार कल्याण के रखे गए राज्य-वार और तरीके वार लक्ष्यों का ब्योरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बुनियादी ढांचे का नेटवर्क तैयार करने और समन्वित जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम जिसमें व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, चलाने में पर्याप्त सफलता मिली है। इसके फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर जो 1951—65 में प्रतिहजार जीवित जन्मों पर 146 थी, 1989 में घटकर 91 हो गई है। जन्म दी में, जो 1951—61 में प्रति हजार पर 41.7 थी, कमी होकर 1989 में 30.6 प्रति हजार हो गई है। 31 मार्च, 1991 को गर्भनिरोधन के तरीकों का इस्तेमाल करने वाले पात्र दम्पतियों का प्रतिशत अब 44.1 होने का अनुमान है, जबकि 31 मार्च, 1971 को केवल 10.4 प्रतिशत इनका इस्तेमाल कर रहे थे। कार्यक्रम के आरम्भ से 13 करोड़ जन्म रोके जा सकने का अनुमान है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सुरक्षित किए गए दम्पत्तियों का प्रतिशत दर 31 मार्च, 1991
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.3
2.	असम	28.2
3.	बिहार	26.0
4.	गुजरात	57.8
5.	हरियाणा	56.6
6.	कर्नाटक	46.9
7.	केरल	55.6
8.	मध्य प्रदेश	40.3
9.	महाराष्ट्र	56.2
10.	उड़ीसा	41.0
11.	पंजाब	75.8
12.	राजस्थान	29.0
13.	तमिलनाडु	57.3
14.	उत्तर प्रदेश	35.5
15.	पश्चिम बंगाल	33.7
16.	हिमाचल प्रदेश	52.1
17.	जम्मू व कश्मीर	21.1
18.	मणिपुर	26.2
19.	मेघालय	5.0
20.	नागालैंड	4.8
21.	सिक्किम	20.6
22.	त्रिपुरा	17.6

1	2	3
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	42.3
24.	अरुणाचल प्रदेश	10.5
25.	चण्डीगढ़	41.8
26.	दादरा और नगर हवेली	47.5
27.	दिल्ली	40.4
28.	गोवा	34.0
29.	दमण व द्वीव	30.2
30.	लक्षद्वीप	8.6
31.	मिजोरम	41.4
32.	पांडिचेरी	60.6
	अखिल भारत	44.1

* आंकड़े अनन्तिम

विवरण-II

उपाबन्ध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम पर हुए राज्यवार व्यय का विवरण

(लाख रुपये)

राज्य	1988-89			1989-90			1990-91		
	सूचित व्यय (नगद)	आपूर्ति लागत वाहन (सामग्री) सहित	कुल	सूचित व्यय (नगद)	आपूर्ति लागत वाहन (सामग्री) सहित	कुल	सूचित व्यय (नगद)	आपूर्ति लागत वाहन (सामग्री) सहित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	4413.40	574.76	4988.16	4823.94	787.93	5611.87	3917.58+	580.61	4498.19
2. अरुणाचल प्रदेश	33.22	6.64	39.86	35.20	14.44	49.64	55.31	31.59	86.90
3. असम	1169.16	135.66	1304.82	1389.64	96.89	1486.53	1541.10	200.08	1741.18
4. बिहार	3332.53	486.81	3819.34	4247.73†	492.10	4739.83†	4373.24×	621.70	4994.94
5. गोवा	65.34	5.92	71.26	78.44	11.43	89.87	80.95	15.66	96.61
6. गुजरात	3576.39	455.87	4032.26	4667.52	555.36	5222.88	2664.96	487.63	3152.59
7. हरियाणा	1051.12	312.43	1363.55	1446.67	286.81	1733.48	1344.21†	239.24	2583.45†
8. हिमाचल प्रदेश	705.34	48.25	753.59	792.54	90.97	883.51	1166.39×	63.21	1229.60

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू और कश्मीर	448.61	89.61	538.22	590.72†	116.95	707.67†	603.29†	73.15	676.44†
10.	कर्नाटक	2649.09†	277.34	2926.43†	3058.18†	384.52	3442.70†	3090.84†	447.60	3538.44†
11.	केरल	2299.01†	259.83	2558.84†	2759.28†	337.32	3096.60†	3253.11×	259.85	3513.39
12.	मध्य प्रदेश	3628.29	682.22	4310.51	4395.97	408.77	4804.74	4493.78	923.19	5416.97
13.	महाराष्ट्र	5128.40	716.03	5844.43	5738.40	932.75	6662.15	5896.53	893.39	6789.92
14.	मणिपुर	303.22	12.74	315.96	303.85	27.70	331.55	300.87	22.11	322.98
15.	मेघालय	183.20	17.35	200.63	160.59	14.92	175.51	160.49	14.32	174.81
16.	मिजोरम	70.44	15.06	85.50	65.65	10.29	75.94	118.57	9.89	128.46
17.	नागालैंड	141.45	78.14	219.59	142.30	9.00	151.30	87.13	16.28	103.41
18.	उड़ीसा	2175.03†	219.31	2394.34†	2561.42†	315.51	2876.93†	2595.92†	385.85	2981.77†
19.	पंजाब	1244.24	347.37	1591.61	1460.58	274.47	1735.05	1474.98	254.84	1729.82
20.	राजस्थान	2641.77	290.55	2932.32	3128.07†	422.41	3550.48†	2659.75×	520.73	3180.48
21.	सिक्किम	75.58	67.93	143.51	93.29	4.25	97.54	121.00	15.10	137.10
22.	तमिलनाडु	2627.10†	555.50	3182.60†	3041.76†	612.72	3654.48†	2912.73†	435.76	3348.49†
23.	त्रिपुरा	180.58	17.00	197.58	267.91	18.12	286.03	293.84×	24.76	318.60
24.	उत्तर प्रदेश	10308.80	1272.49	11581.29	11770.61	1262.93	13033.54	13327.83×	1597.87	14925.70*
25.	पश्चिम बंगाल	3192.31†	472.86	3665.17†	4694.87	441.39	5136.26	5151.52×	590.63	5742.15

× क्षेत्र परियोजना व्यय सूचित नहीं किया गया है।

† ये आंकड़े रिलीज किए गए धन के हैं क्योंकि व्यय के वास्तविक आंकड़े राज्य से प्राप्त नहीं हुए।

* राज्य सरकार ने टेलेक्स सन्देश से 149.04 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना अलग से दी है।

वर्ष 1991-92 के लिए परिवार कल्याण लक्ष्य परिवार नियोजन तरीके

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नसबंदी	आई० यू० डी०	प्रचलित गर्भ-निरोधक उपयोगकर्ता	मुख सेव्य गोली उपयोगकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,00,000	4,50,000	10,60,000	200,000
2.	असम	2,54,000	50,000	50,000	15,000
3.	बिहार	5,00,000	4,00,000	4,00,000	65,000
4.	गुजरात	2,70,000	4,30,000	8,00,000	110,000
5.	हरियाणा	1,04,000	1,68,000	4,80,000	26,500
6.	कर्नाटक	3,45,000	2,75,000	2,70,000	80,000
7.	केरल	1,60,000	1,25,000	3,00,000	35,000
8.	मध्य प्रदेश	3,75,000	3,75,000	12,50,000	250,000
9.	महाराष्ट्र	5,25,000	4,80,000	10,75,000	325,000
10.	उड़ीसा	2,03,000	1,74,000	3,12,000	57,000
11.	पंजाब	1,00,000	3,00,000	5,00,000	50,000
12.	राजस्थान	2,25,000	2,50,000	4,50,000	70,000
13.	तमिलनाडु	3,50,000	4,50,000	2,80,000	100,000
14.	उत्तर प्रदेश	8,20,000	15,08,000	16,15,000	245,000
15.	पश्चिम बंगाल	4,00,000	3,00,000	4,00,000	175,000
16.	हिमाचल प्रदेश	35,000	55,000	60,000	14,000
17.	जम्मू और कश्मीर	39,000	16,000	16,000	4,000
18.	मणिपुर	7,000	8,400	8,000	4,000
19.	मेघालय	900	1,500	2,700	900
20.	नागालैंड	1,600	2,500	1,000	1,000
21.	सिक्किम	1,000	1,300	400	600

1	2	3	4	5	6
22.	त्रिपुरा	11,000	2,300	5,000	2,300
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,850	1,900	1,800	600
24.	अरुणाचल प्रदेश	2,100	2,800	800	1,400
25.	चंडीगढ़	2,700	7,000	11,000	300
26.	दादर और नागर हवेली	800	200	700	100
27.	दिल्ली	37,500	82,500	3,15,750	6,700
28.	गोवा	4,000	3,000	12,000	2,000
29.	दमण और दीव	300	200	800	100
30.	लक्षद्वीप	80	170	1,300	350
31.	मिजोरम	3,000	2,700	2,000	1,000
32.	पाण्डिचेरी	5,000	4,000	8,000	900
33.	रक्षा मंत्रालय	20,000	15,000	16,400	2,600
34.	रेल मंत्रालय	[a]30,000	15,000	4,00,000	3,700
35.	वाणिज्यिक वितरण			60,00,000	800,000
	अखिल भारत	54,33,830	59,56,470	1,61,50,650	26,50,050

विवरण-III

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गर्भवती महिलाओं के टेटनस के टीके	बच्चों को डी०पी०टी० के टीके	पोलियो	बी० सी० जी०	खसरा
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1803492	1403342	1403342	1403342	1403342
2.	असम	757999	673296	673296	673296	673296
3.	बिहार	3229073	2758526	2758526	2758526	2758526
4.	गुजरात	1115817	1023175	1023175	1023175	1023175
5.	हरियाणा	468318	434052	434052	434052	434052
6.	कर्नाटक	1267026	1173024	1173024	1173024	1173024
7.	केरल	606190	565474	565474	565474	565474
8.	मध्य प्रदेश	2247689	1909968	1909968	1909968	1909968
9.	महाराष्ट्र	1888961	1766966	1766966	1766966	1766966
10.	उड़ीसा	910699	803558	803558	803558	803558
11.	पंजाब	471609	441169	441169	441169	441169
12.	राजस्थान	1649912	1480872	1480972	1480972	1480972
13.	तमिलनाडु	1326409	1191738	1191738	1191738	1191738
14.	उत्तर प्रदेश	5308740	4641960	4641960	4641960	4641960
15.	पश्चिम बंगाल	1821937	1675774	1675774	1675774	1675774
16.	हिमाचल प्रदेश	141577	133932	133932	133932	133932
17.	जम्मू और कश्मीर	233105	213422	213422	213422	213422
18.	मणिपुर	46033	43019	43019	43019	43019
19.	मेघालय	47323	37643	37643	37643	37643
20.	नागालैंड	27715	25952	25952	25952	25952
21.	सिक्किम	12270	11120	11120	11120	11120

बच्चों को डी० टी० के टीके	टी० टी० (0 वर्ष)	टी० टी० (16 वर्ष)	पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम		विटामिन ए की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम
			महिलाएं	बच्चे	
8	9	10	11	12	13
1296260	1183542	1296260	2020000	2800000	2800000
492709	472644	431744	1000000	1269000	1269000
1908089	1687925	1687925	3230000	3340000	3340000
804953	769955	734957	1300000	1730000	1730000
374492	332881	305141	550000	750000	750000
895411	796919	796919	1400000	3000000	3000000
517851	483191	493191	720000	1200000	1200000
1405387	1292956	1236741	2520000	3300000	3300000
1471816	1404915	1471816	3000000	3350000	3350000
616 61	589276	616061	1100000	2000000	2000000
377579	377579	360406	507000	750000	750000
1044359	895165	820568	1925000	2500000	2500000
994956	903 84	976343	1540000	3000000	3000000
3201513	2727214	2608640	5500000	5613000	5613000
1386848	1213492	1271277	2051000	2700000	2700000
104266	95577	95577	163000	300000	300000
157461	144340	144340	260000	360000	360000
37265	34160	34160	52000	72000	72000
32924	32924	32924	51000	100000	100000
24798	22731	22731	30000	100000	100000
8284	7548	7548	16000	21000	21000

1	2	3	4	5	6	7
22.	त्रिपुरा	68346	62719	62719	62719	62719
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7200	6700	6700	6700	6700
24.	अरुणाचल प्रदेश	26954	24379	24379	24379	24379
25.	चंडीगढ़	13846	13431	13431	13431	13431
26.	दादरा और नगर हवेली	4671	4198	4198	4198	4198
27.	दिल्ली	255558	245336	245336	245336	245336
28.	गोवा	20568	19107	19107	19107	19107
29.	दमण और दीव	1785	1659	1659	1659	1659
30.	लक्षद्वीप	1628	1562	1562	1562	1562
31.	मिजोरम	23263	20792	20792	20792	20792
32.	पांडिचेरी	16183	15078	15078	15078	15078
33.	रक्षा मंत्रालय	0	0	0	0	0
34.	रेल मंत्रालय	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	25821896	22823043	22823043	22823043	22823043

8	9	10	11	12	13
55994	51328	51328	73000	100000	100000
5671	5198	5198	10000	12000	[illegible]000
17511	16052	16052	20500	12000	12000
13[illegible]16	12766	12179	26000	27000	27000
2826	2591	2591	5000	7000	7000
191158	175228	175228	250000	200000	200000
23804	21853	21853	24000	35000	35000
2069	1897	1897	2000	3000	3000
1054	966	966	2000	2000	2000
13999	12832	12832	30000	36000	36000
16104	14762	14762	18000	25000	25000
0	0	0	130000	100000	100000
0	0	0	125000	212000	212000
7499667	15793791	15763155	29650500	39026000	39026000

(घ) अनुस्मारकों के बावजूद भी राज्य सरकार से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

बिहार के किशनगंज कस्बे के लिए छोटे तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अंतर्गत घटकों की अनुमोदित लागत का ब्यौरा

कुल अनुमोदित परिव्यय 97.15 लाख रुपये

घटक

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत
	छोटे तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की परियोजना	
1.	स्वीपर्स कालोनी के नजदीक वार्ड नं० 17 में आवास योजना (0.83 एकड़ सरकारी भूमि)	2.84
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से पुराना बहादुर गंज मार्ग तक लिंक रोड का सुधार	16 83
3.	हिन्दुपट्टि का कोयला रोड तक सुधार	7.62
4.	बस स्टेशन काम्पलेक्स (1.63 एकड़)	19.23
5.	स्वीपर्स कालोनी के नजदीक वार्ड नं० 17 में म्यूनिसिपल मार्किट (0.51 एकड़ सरकारी भूमि)	33.52
	उप-योग	80.04
	कम लागत स्वच्छता परियोजनाएं	
6.	1771 शौचघरों का जल-वाही शौचालयों में परिवर्तन	13.28
7.	प्रत्येक में 10 सीट वाले सार्वजनिक शौचालयों के 34 सेटों का निर्माण	3.83
	उप-योग	17.11
	कुल योग	97.15

साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम

2767. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (10+2) प्रणाली में हाल ही में उत्तीण हुए कितने छात्रों को दिल्ली में साधारण बीमा निगम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षु सहायक के तौर पर प्रशिक्षण देने हेतु चुना गया है;

(ख) क्या साधारण बीमा निगम ने इन छात्रों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रशिक्षण कब तक शुरू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा में सामान्य बीमा के व्यावसायिक पाठयक्रम में दिल्ली से 143 उम्मीदवार अपेक्षित अंक प्रतिशत प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए जिससे वे प्रशिक्षु सहायक के रूप में प्रशिक्षण के पात्र सिद्ध हुए।

(ख) और (ग) भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने वाले सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा के बाद प्रशिक्षण के लिए सामान्य बीमा के विभिन्न कार्यालयों में भेजा जाएगा।

कश्मीर में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों का प्रकाशन

2768. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा-परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं जबकि जम्मू के लिए ये परिणाम घोषित हो गए हैं;

(ख) क्या कश्मीर में अध्यापकों और प्राध्यापकों को गत 20 महीने से उनके वेतन तथा अन्य परीक्षा स्कीमों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या कश्मीर में वर्ष 1990-91 का शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही तकनीकी महाविद्यालयों सहित सारे महाविद्यालय बन्द कर दिए गए और शिक्षा सत्र के लिए कोई प्रवेश नहीं दिया गया; और

(घ) जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने घाटी में विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा पुन: चालू करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कश्मीर मंडल के उच्चतर माध्यमिक भाग-II के परिणाम 28-7-91 को घोषित कर दिए गए हैं और मंडल के उच्चतर माध्यमिक भाग-I के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे और कानून तथा व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के कारण कश्मीर मंडल में मैट्रीकुलेशन/माध्यमिक

परीक्षा की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि शिक्षकों और प्राध्यापकों का वेतन भुगतान न किए जाने का कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं लाया गया है। राज्य सरकार के अनुसार कश्मीर के डिग्री कालेज और तकनीकी कालेज शैक्षिक वर्ष 1990-91 से बन्द नहीं किए गए हैं, अपितु चालू शैक्षिक वर्ष में ऐसे कालेजों में दाखिला उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के सभी परिणामों के घोषित हो जाने के बाद ही दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कश्मीर घाटी में असामान्य स्थिति के कारण शैक्षिक वर्ष 1990-91 में शैक्षिक संस्थायें लम्बी छुट्टी के बाद केवल जुलाई के प्रथम सप्ताह में दुबारा खोली गई और यद्यपि राज्य सरकार ने सीमित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाएं परन्तु कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा कर्मचारियों की ढाई महीने से ऊपर की हड़ताल के कारण यह प्रक्रिया भंग हो गई थी।

ताम्रलिपते ग्रामीण संग्रहालय, पश्चिम बंगाल

2769. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ताम्रलिपते ग्रामीण संग्रहालय, पश्चिम बंगाल को इसके भवन निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक राजस्व गांव में प्राइमरी स्कूल

2770. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कुल कितने गांव हैं जिनमें अभी तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संघ में कुछ राज्यों में पांचवीं कक्षा तक के प्राइमरी स्कूलों में केवल दो या तीन अध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या मार्गनिर्देश जारी किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को क्रियान्वित करने के लिए जो कार्य-योजना तैयार की गई थी। उसमें यह सिफारिश की गई है

उन सभी बस्तियों को जिनकी संख्या 300 हो (जनजातीय, पहाड़ी, मरुस्थल क्षेत्रों में 200 हो), एक कि०मी० की पैदल दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रावधान को बनाने का मापदण्ड, बस्तियों की जन संख्या है, न कि राजस्व गांव। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संदर्भित तिथि 30 सितम्बर, 1986 को कराए गए पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.08 प्रतिशत ऐसी बस्तियों में जिनकी जन संख्या 300 अथवा इससे अधिक है, वहां पर एक कि०मी० की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षक छात्र का अनुपात 1:40 का है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सिफारिश की गई कि प्राथमिक शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए आखिर प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। मौजूदा शिक्षक छात्र का अनुपात 1:43 का है। मौजूदा संख्या को यथाशीघ्र बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा।

डा० अम्बेडकर के भाषणों और लेखों का प्रकाशन

2771. श्री रवि राय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी के रचना-संग्रह के प्रकाशन की भांति डा० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके भाषणों एवं लेखों का प्रकाशन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) डा० अम्बेडकर की कृतियों और भाषणों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम

2772. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाये गये विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत योजना में और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कार्यक्रम-वार योजनावार और राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1991-92 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनावार आबंटन के ब्यौरे।

क्र०सं०	योजना का नाम	7वीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन	1991-92 में आबंटन (रु० करोड़ में)
1	2	3	4
1.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	875.00	225.00
2.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	214.72	40.00
3.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	2.02	1.75
4.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	2.55	5.00
5.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	45.57	55.50
6.	अनुसूचित जाति और जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	23.95	12.00
7.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	847.25	250.00
8.	ट्राईफेड	10.00	8.00
9.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल (नई योजना)	1.00	8.00
10.	आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों और मूलवृक्ष तेलों का विकास	1.30	1.50
11.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्वयंसेवी संगठन	10.34	5.00
12.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	4.7	2.00
13.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	8.82	4.00
14.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत योजनाएं	100.00	20.00

1	2	3	4
15.	अनुसूचित जाति विकास निगम	60.75	20.00
16.	अनुसूचित जाति बच्चों के लिए आश्रम स्कूल	—	1.00
17.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	—	10.00
18.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	—	1.00
19.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	—	2.00
20.	आदिवासी उपयोजना में आश्रम स्कूल	—	2.00
	कुल :—	2028.75	673.75

विवरण-II

7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना के अधीन किया गया राज्यवार आबंटन तथा 1991-92 के दौरान विशेष संघटक योजना परिव्यय।

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष संघटक योजना आबंटन	1991-92 में विशेष संघटक योजना परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	756.62	205.30*
2.	असम	120.31	55.00*
3.	बिहार	585.69	326.58*
4.	गोवा (दमन एवं द्वीव)	4.87	1.81*
5.	गुजरात	160.73	58.98
6.	हरियाणा	229.89	87.80*
7.	हिमाचल प्रदेश	126.05	49.46
8.	जम्मू और कश्मीर	76.97	82.28*
9.	कर्नाटक	469.79	188.61

1	2	3	4
10.	केरल	203.35	74 87*
11.	मध्य प्रदेश	448.89	246.52
12.	महाराष्ट्र	384.02	160.95
13.	मणिपुर	7.95	2.63
14.	उड़ीसा	354.73	210.60
15.	पंजाब	144.69	177.03*
16.	राजस्थान	469.62	199.89
17.	सिक्किम	6.25	14.18
18.	तमिलनाडु	771.12	272.67
19.	त्रिपुरा	63.38	28.33*
20.	उत्तर प्रदेश	1458.12	585.65*
21.	पश्चिम बंगाल	419.52	165.07
22.	चंडीगढ़	17.82	10.25
23.	दिल्ली	113.12	108.01
24.	पांडिचेरी	33.85	14.00
	कुल :—	7431.35	3225.67

*अनन्तिम आवंटन

विवरण-III

7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना के अधीन किए गए राज्यवार आवंटन और 1991-92 के दौरान आदिवासी उपयोजना परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7वीं पंचवर्षीय योजना आदिवासी उप योजना आवंटन	1991-92 आदिवासी उपयोजना परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	257.19	116.63
2.	असम	298.94	94.39

1	2	3	4
3.	बिहार	1239.59	587.90
4.	गुजरात	610.76	150.27
5.	हिमाचल प्रदेश	94.50	47.39
6.	कर्नाटक	78.60	19.24
7.	केरल	47.59	13.54
8.	मध्य प्रदेश	1298.91	481.66
9.	महाराष्ट्र	531.21	202.71
10.	मणिपुर	165.00	122.68
11.	उड़ीसा	779.74	358.17
12.	राजस्थान	351.28	98.01
13.	सिक्किम	32.35	10.35
14.	तमिलनाडु	69.00	16.60
15.	उत्तर प्रदेश	57.05	3.61
16.	त्रिपुरा	145.59	106.07
17.	पश्चिम बंगाल	129.46	60.63
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	34.11	36.50
19.	दमन और दीव	1.81	0.96
	कुल :	6216.76	2627.31

टीके का निर्माण करने वाले एकक

2773. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों से टीके का निर्माण करने वाले विभिन्न एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एककों की लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वैक्सीन निर्माण करने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और उनकी स्थापित

क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारें इन इकाइयों को लाइसेंस देने वाली प्राधिकारी हैं।

विवरण

ई० पी० आई० वैक्सीन उत्पादन इकाइयों की स्थापित क्षमता

संस्था		स्थापित क्षमता (लाख खुराक)
1	2	3
डी० पी० टी० वैक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	155
2.	भारतीय पाश्च्यूर संस्थान, कूनूर	150
3.	एच० बी० पी० सी० एल०, बम्बई	150
4.	सीरम संस्थान, पुणे	600
5.	बायोलॉजिक इवांस, हैदराबाद	200
6.	ग्लैक्सो बम्बई	अनुपलब्ध
डी० टी० वैक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	130
2.	भारतीय पाश्च्यूर संस्थान, कूनूर	100
3.	पी० आई० शिलांग	156
4.	एच० बी० पी० सी० एल०, बम्बई	86
5.	सीरम संस्थान पुणे	200
टी० टी० वैक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	210
2.	एच० बी० पी० सी० एल०, बम्बई	200
3.	भारतीय पाश्च्यूर कूनूर	100
4.	आई० पी० एम०, हैदराबाद	50
5.	एस० बी० आई०, पटवाडांगर	20
6.	पी० आई० शिलांग	50

1	2	3
7.	किंग इन्स्टिट्यूट, मद्रास	100
8.	एस० एच० आई० लखनऊ	अनुपलब्ध
9.	बंगाल इम्यूनिटी, कलकत्ता	—तदेव—
10.	सीरम संस्थान, पुणे	1000
11.	बायोलॉजिकल इवांस, हैदराबाद	800
12.	ग्लैक्सो बम्बई	अनुपलब्ध
13.	बायो वैक्सीन, हैदराबाद	—तदेव—
	ओरल पोलियोवैक्सीन	
1.	एच० बी० पी० सी० एल० बम्बई,	500
2.	रेडिक्यूरा फार्मा, नई दिल्ली	अनुपलब्ध
3.	बी० आई० बी० सी० ओ० एल० (बी० बी० टी०)	—तदैव—
	खसरा वैक्सीन	
1.	सीरम संस्थान, पुणे	400
	बी० सी० जी० वैक्सीन	
	बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास	240

नान-ई पी०आई० वैक्सीन उत्पादन इकाइयों की स्थापित क्षमता

संस्था का नाम टाइफाइड वैक्सीन		स्थापित क्षमता (लाख मिली)
1	2	3
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	125
2.	एच० बी० पी० सी० एल० बम्बई	50
3.	पी० एच० आई०, बंगलौर	36
4.	बी० आई० त्रिवेन्द्रम	0.20
5.	पी० आई० शिलांग (बच्चों के लिए)	10
6.	किंग इनस्टिट्यूट, मद्रास	0.5
7.	आई० पी० एम०, हैदराबाद	अनुपलब्ध

1	2	3
8.	बंगाल इम्यूनिटी, कलकत्ता	—तदैव—
ए० आर० वी० वेक्सीनें		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	50
2.	एच० बी० पी० सी० एल०, बम्बई	100
3.	भारतीय पाश्च्यूर संस्थान, कूनूर	48
4.	वी० आई० बड़ौदा	40
5.	वी० आई० बेलगाँम	25
6.	पी० आई० शिलांग	20
7.	आई० पी०एम० हैदराबाद	25
8.	जी० वी० आई०, नामकुम	23
9.	एस० बी० आई० पटवांबागर	22
10.	पी० आई०, कलकत्ता	18
11.	पी० एच० लेब, त्रिवेन्द्रम	25
12.	किंग इनस्टिट्यूट, मद्रास	35
हैजा वेक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	30
2.	आई० पी० एम० हैदराबाद	50
3.	पी० आई० शिलांग	35
4.	बी० आई० त्रिवेन्द्रम	2
5.	वी० आई०, नागपुर	25
6.	जी० वी० इनस्टिट्यूट, नामकुम	20
7.	किंग इनस्टिट्यूट, मद्रास	30
8.	पी० एच०आई०, बंगलौर	36
9.	वी० आई०, बड़ौदा	अनुपलब्ध
10.	पी० एच० आई० पटना	60
11.	डब्ल्यु० वी० लेब, कलकत्ता	15

1	2	3
12.	एस० एच० आई०, लखनऊ	33
13.	बंगाल इम्यूनिटी, कलकत्ता	अनुपलब्ध
14.	एच० बी० पी० सी० एल०, बम्बई	—तदेव—
जे० ई० वैक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	अनुपलब्ध
पीत ज्वर वैक्सीन		
1.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	—तदेव—

नई औषधों की मंजूरी की प्रक्रिया

2774. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नये औषधों के संबंध में क्या प्रक्रिया/मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या यह प्रक्रिया सभी प्रकार की औषध प्रणालियों के मामले में समान रूप से अपनायी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथिक औषधों) से संबंधित "नई" औषधों की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदण्ड औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियम, 1945 के भाग-ए में दिए गए हैं। इसमें देश के बाहर और देश के भीतर व्युत्पन्न "नई औषध" की प्रभावोत्पादकता और प्रक्लिनिकल व क्लिनिकल डेटा ऑफ सेफ्टी का परीक्षण भी शामिल है।

औषधों का योग निर्माण और अन्य औषध प्रणाली से संबंधित औषधों की क्रियाविधि भिन्न है। अतः इन प्रणालियों से संबंधित "नई औषधों" की मंजूरी का मानदण्ड नहीं होगा। औषध नियंत्रक (भारत) जो कि "नई औषधों" को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी हैं, ऐसी औषधों को विशेषज्ञों के परीक्षण और सिफारिश पर मंजूरी देते हैं।

29 जुलाई, 1991 को लोक सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 825 के उत्तर में शुद्धि

विवरण

29 जुलाई, 1991 को लोक सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 825 के उत्तर के भाग (क) में अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि "नई दिल्ली नगर पालिका और उपर्युक्त दो पार्टियों के बीच लाइसेंस करारों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न है"। तथापि, ऊपर उल्लिखित प्रश्न का उत्तर भेजते हुए नई दिल्ली नगर पालिका और हॉलिडेइन के बीच लाइसेंस करारों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न थी जबकि दूसरे होटल के सम्बन्ध में अर्थात् मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स के लाइसेंस करारों की

प्रमुख विशेषताएं असावधानी से छूट गई थी।

2. 29 जुलाई, 1991 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 825 के भाग (क) का सही उत्तर अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ा जाये :

"नई दिल्ली नगर पालिका और उपर्युक्त दो पार्टियों के बीच लाइसेंस करारों की प्रमुख विशेषताएं विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।"

3. इस सम्बन्ध में सभा को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है

नई दिल्ली (एम० अरुणाचलम)

दिनांक 1 अगस्त, 1991 शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

विवरण-I

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा होटल हाली-डे-इन के साथ किए गए लाइसेंस करार की मुख्य विशेषताएं

1. लाइसेंस 99 वर्ष की अवधि के लिए 1.45 करोड़ रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस पर दिया गया है।

साइसेंसधारक को वार्षिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए समय-समय पर विलम्बनकाल की अनुमति दी गई है। संचित लाइसेंस फीस किस्तों में देय है। लाइसेंस फीस का भुगतान न करने पर लाइसेंसधारक को 15% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

2. लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस फीस अथवा उसकी ओर बकाया किसी अन्य भुगतान की अदायगी न किए जाने पर लाइसेंस जारीकर्ता को लाइसेंस रद्द, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

3. भूमि का पट्टा लाइसें जारीकर्ता के पास ही रहेगा और उस पर बनने वाला भवन भी इसमें शामिल होगा।

4. भूमि का एफ० ए० आर० 250 से अधिक नहीं होगा।

5. लाइसेंसधारक एशियन गेम्स 1982 शुरू होने से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करेंगे और पाँच-तारा श्रेणी के होटलों के लिए निर्धारित सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त कम से कम 100—150 कमरे तैयार करेंगे।

6. लाइसेंसधारक उपर्युक्त पाँचतारा होटल में वसूल किए जाने वाले शुल्क के बारे में पर्यटन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

7. लाइसेंसधारक को स्थल पर निर्मित सम्पत्ति को खरीदने के लिए भूमि का बाजार मूल्य घटाने के पश्चात् पूर्व-क्रय अधिकार होगा।

8. आबंटन लाइसेंस आधार पर किया जाएगा तथा लाइसेंस-शुदा परिसर, निर्माण किए जाने वाले भवन सहित, लोक परिसर अधिनियम के आशय के अन्तर्गत एक सार्वजनिक परिसर होगा।

9. लाइसेंसधारक पांचतारा होटल स्वयं चलायेंगे तथापि, लाइसेंसधारक कार पार्किंग, साईकिल-स्कूटर स्टैण्ड और शापिंग आर्केड, बैंक, कार्यालय (शापिंग आर्केड के अन्दर) आदि के लिए उप-लाइसेंसधारकों को अनुमति दे सकता है।

10. भवन पूर्ण हो जाने के पश्चात लाइसेंसधारक लाइसेंस जारीकर्ता की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं करेंगे।

11. लाइसेंस की किसी भी शर्त और निबन्धन के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस जारीकर्ता लाइसेंस को समाप्त और रद्द कर सकता है।

12. निर्धारित न्यूनतम वार्षिक केवल गारंटी-शुदा राशि के सम्बन्ध में लाइसेंस फीस में प्रति 33 वर्ष के पश्चात वृद्धि की जाएगी बशर्ते कि वृद्धि के यथा-समय से शीघ्र पूर्व की लाइसेंस फीस से 100% से अधिक वृद्धि न हुई हो।

13. लाइसेंस फीस तथा देय अन्य भुगतानों की कुल बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि की वसूली की भांति की जायेगी।

14. शर्तों तथा निबन्धनों और इनके निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सन्देह, विवाद अथवा मतभेद होने पर मामला दिल्ली के उपराज्यपाल के अनन्य मध्यस्थ-निर्णय के लिये भेजा जायेगा और मध्यस्थ द्वारा दिया गया अवार्ड लाइसेंसधारक और लाइसेंस जारी-कर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

विवरण-II

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा होटल ला मेरिडियन के साथ किये गये लाइसेंस करार की मुख्य विशेषताएं

1. लाइसेंस 99 वर्ष की अवधि के लिये 2.68 करोड़ रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान लाइसेंसधारक के सकल बिक्री (ग्रास टर्न ओवर) का 21,% इनमें से जो भी अधिक हो, पर दिया गया है।

लाइसेंसधारक की वार्षिक फीस के भुगतान के लिये समय-समय पर विलम्बनकाल की अनुमति दी गई है। संचित लाइसेंस फीस किस्तों में देय है। लाइसेंस फीस का भुगतान न करने पर लाइसेंसधारक को 15% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

2. लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस फीस अथवा उसकी ओर बकाया किसी अन्य भुगतान की अदायगी न किये जाने पर लाइसेंस जारी कर्ता को लाइसेंस रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

3. भूमि का पट्टा लाइसेंस जारीकर्ता के पास ही रहेगा और उस पर बनने वाला भवन भी इसमें शामिल होगा।

4. भूमि का एफ० ए० आर० 150 से अधिक नहीं होगा।

5. लाइसेंसधारक एशियन गेम्स 1982 शुरू होने से पूर्व निर्णय कार्य पूरा करेंगे और पांच-तारा श्रेणी के होटलों के लिए निर्धारित सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त कम से कम 100—150 कमरे तैयार करेंगे।

6. लाइसेंसधारक उपर्युक्त पांचतारा होटल में वसूल किए जाने वाले शुल्क के बारे में पर्यटन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

7. लाइसेंसधारक को स्थित पर निर्मित सम्पति को खरीदने के लिये भूमि का बाजार मूल्य घटाने के पश्चात् पूर्व-क्रय अधिकार होगा ।

8. आबंटन लाइसेंस आधार पर लिया जायेगा तथा लाइसेंस-शुदा परिसर, निर्माण किये जाने वाले भवन सहित, लोक परिसर अधिनियम के आशय के अन्तर्गत एक सार्वजनिक परिसर होगा ।

9. लाइसेंसधारक पाँचतारा होटल स्वयं चलायेंगे तथापि, लाइसेंसधारक कार पार्किंग, साईकिल-स्कूटर स्टैण्ड और शापिंग आर्केड, बैंक, कार्यालय (शापिंग आर्केड के अन्दर) आदि के लिए उप-लाइसेंस धारकों को अनुमति दे सकता है ।

10. भवन पूर्ण हो जाने के पश्चात् लाइसेंधारक लाइससेंस जारीकर्ता की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं करेंगे ।

11. लाइसेंस की किसी भी शर्त और निबन्धन के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस जारीकर्ता लाइसेंस को समाप्त और रद्द कर सकता है ।

12. निर्धारित न्यूनतम वार्षिक केवल गारंटीशुदा राशि के संबंध में लाइसेंस फीस में प्रति 33 वर्ष के पश्चात् वृद्धि की जायेगी बशर्ते कि वृद्धि के यथा-समय से शीघ्र पूर्व की लाइसेंस फीस से 100% से अधिक वृद्धि न हुई हो ।

13. लाइसेंस फीस तथा देय अन्य भुगतानों की कुल बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि की वसूली की भांति की जाएगी ।

14. शर्तों तथा निबन्धनों और इनके निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार के सन्देह, विवाद अथवा मतभेद होने पर मामला दिल्ली के उपराज्यपाल के अनन्य मध्यस्थ-निर्णय के लिए भेजा जाएगा और मध्यस्थ द्वारा दिया गया अवार्ड लाइसेंसधारक और लाइसेंस जारीकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा ।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात पर विचार करेंगे कि हरिजनों पर अत्याचार और हमलों के बारे में कब विचार किया जाए । मैं अभी अपने कक्ष में जा रहा हूं और विभिन्न दलों के नेताओं से मैं वहां इकट्ठा होने का अनुरोध करता हूं ताकि हम समय निश्चित कर सकें । इसलिए, मैं उस मुद्दे को अभी नहीं उठा रहा । मैं अन्य सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दे रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है । मैं लोक

सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम—222 के तहत विशेषाधिकार हनन् का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं—दिनांक 11 अगस्त, 1991 के 'संडे आब्जर्वर' समाचार पत्र के पृष्ठ 4 पर कालम 2 में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं डी०पी० शीर्षक के तहत मेरे फोटो को प्रमुखता से जानबूझ कर छापकर उक्त अखबार के सम्पादक, प्रकाशक, रिपोर्टर श्री आलोक यात्री एवं छायाकार श्री संदीप मिश्र ने न केवल करोड़ों लोगों ने मेरे सार्वजनिक, सामाजिक तथा राजनैतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, बल्कि चलते संसद के समयावधि में मानसिक पीड़ा पैदा कर संसदीय कार्य निर्वहन व संसदीय कार्य में विघ्न डालने का कार्य किया है। इससे मेरा विशेषाधिकार भंग हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आप सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अखबार को तुरन्त तथ्यों के लिए नोटिस दिया जाए और इस मामले की जांच, अनुसंधान व प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए, इस अखबार में यह फोटो है और मामला गाजियाबाद के डी० पी० यादव का छपा हुआ है।···(व्यवधान)···जानबूझ कर इस प्रकार मेरे चरित्र हनन का काम किया गया है।···(व्यवधान)···

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मामला डी०पी० यादव का है, जिनके कि खिलाफ क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं और फिर डी० पी० यादव यानि देवेन्द्र प्रसाद यादव का फोटो छाप देना और इसलिए छाप देना कि उस अखबार के मालिक के खिलाफ मामले इस सदन में उठाते रहे हैं, एल० एण्ड टी० का मामला। यह सारा मामला ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यह मजाक की चीज नहीं है। जिस तरीके से ब्लैक-मेल करने की साजिश होती है और चरित्र हनन का प्रयास चलता है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इस पर अखबार को या तो खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो यह मामला सीधे प्रिवलेज कमेटी को भेज देना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यह जानबूझकर किया है ताकि डी०पी० यादव, देवेन्द्र प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हो। आप जानते होंगे कि पुलिस डी०पी० यादव की खोज कर रही है। किसी एक अखबार ने उनके साथ उनके पत्रकार की हरियाणा के किसी एक छोटे से गांव में लम्बी खबर छपी है कि डी०पी० यादव पुलिस से भाग चुका है। पुलिस उसकी खोज में है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास उनकी खोज हो रही है और इसी महानगर के दो पत्रकार कल इसी हरियाणा के गांव में जाकर उनसे मिले हैं। उनकी मुलाकात छपी है। मुझे एक बहुत ही गम्भीर साजिश नजर आ रही है। एक तरफ पुलिस खोज कर रही है और दूसरी तरफ इनकी तस्वीर छाप कर प्रसारित की जा रही है। कोई भी पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। आज भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है।···(व्यवधान)···सदन के एक सदस्य, जिन्होंने इस अखबार के मालिक के बारे में इस सदन के भीतर कई जुमले उठाये हैं। जिसकी चर्चा इस सदन में और सदन के बाहर भी हुई है कि यह जानबूझकर हुआ था। (व्यवधान) इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस मामले को जांच के लिए प्रीविलेज कमेटी को भेजिए और अगर सिद्ध होता हो कि यह साजिश नहीं थी तो फिर जो करना हो करिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मामला अत्यंत गम्भीर है। (व्यवधान) यह जानबूझकर किया गया, गलती से नहीं हुआ। महोदय, अखबारों की हजारों प्रतियां उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी चरित्र हनन के लिए भेजी गयी। इसलिए, हम चाहते हैं कि इस अखबार के मालिक के खिलाफ

वह कार्यवाही की जाए।

महोदय, हमने इस सभा में यह मुद्दा तीन बार उठाया है और सदन के नेता ने हमें आश्वासन दिया कि एल० एण्ड टी० पर एक वक्तव्य दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह आपस में जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको उचित उत्तर नहीं मिलेगा। आप उत्तर पाने के लिए भी उत्सुक होंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह ने आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्री इस पर एक वक्तव्य देंगे। (व्यवधान) उन्होंने यह आश्वासन दिया था। (व्यवधान) और वित्त मंत्री ने एल० एण्ड टी० पर चोरी-छिपे कब्जा करने पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। यह एक गम्भीर बात है। इसके कारण, यह हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपने जो कहा है उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : हम सदन को दिए गये उनके आश्वासन के बारे में जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैं विषय को दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग उसकी फोटो और अखबार में छपे वक्तव्य के बारे में है। और दूसरा भाग···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अब न टोकें। मैं आपको इसका समाधान बता रहा हूं और आप इसे नहीं चाहते।

द्वितीय भाग विशेषाधिकारों से संबंधित है। जहां तक प्रथम भाग का संबंध है, यह स्पष्ट है कि खबर किसी और से संबंधित है और फोटो उस व्यक्ति की नहीं है जिसकी खबर छपी है। दोनों के बीच में काफी अन्तर है। मेरे विचार से समाचार पत्र को इसे सही करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने इसे जानबूझकर छापा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया पहले बैठ जाएं। इस तरह नहीं। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही गलत बात है। आप पहले बैठ जाइए। यह बहुत ही गलत है, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार मत चीखिए। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। आप अभी से उछल रहे हैं। मैंने बात पूरी नहीं की है। पहले मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दें ताकि आप जान सकें कि क्या कहा गया है।

जहां तक विशेषाधिकार का मुद्दा है, मैं इसे बन्द नहीं कर रहा हूं। मैं देखूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। सदस्यों को अपना भाषण देने दें मंत्रियों को अपना वक्तव्य दे लेने दें, पीठासीन अधिकारी को अपना वक्तव्य देने दें। ताकि आप समझ सकें कि क्या कहा गया है और कृपया ऐसा नहीं करें।

अब मुझे इसकी जांच करने दें कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, किन्तु जहां तक तस्वीर का सम्बन्ध है मैं आपको अभी कुछ राहत दे रहा हूं। पहले सही तस्वीर छपने दें और पहले इसमें सुधार होने दें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : व्यवस्था का प्रश्न कैसे नहीं है ? (व्यवधान) यह प्रश्नकाल नहीं है। किन्तु व्यवस्था के प्रश्नों को इस प्रकार संचालित नहीं किया जाता। आप कहते हैं कि इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सिर्फ प्रश्नकाल के दौरान ही व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इस समय वे जो भी कर रहे हैं वह नियमानुसार नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, प्रक्रिया नियमों में शून्य काल का कहीं भी उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? किस बढ़िया नियम का उल्लंघन हुआ है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न बना रहा हूं। कार्य संचालन प्रक्रिया तथा नियमों का नियम 222 विशेषाधिकार के नोटिस से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी हम किस स्थिति में हैं। एक सदस्य द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मामले से प्रथम दृष्टिपात सन्तुष्ट हैं और सदन मामले के बारे में गम्भीर है, केवल तभी हम एक चरण से दूसरे चरण में जा सकते हैं। क्या आप सन्तुष्ट हैं कि यह एक

प्रथम दृष्ट या मामला बनता है ? उस स्थिति में या तो सदन मामले पर विचार करे या इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पूरी करें और फिर मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : चर्चा तभी हो सकती है यदि सभा को मामले की जानकारी है। अन्यथा, चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। आप कह सकते हैं, फिर आप इस पर विचार कर रहे हैं, और तब इस पर बाद में चर्चा होगी। अन्यथा, आपको इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना होगा। क्या आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं भाषण नहीं दे रहा। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा। आप जो चाहते थे वह जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको इससे अधिक के लिए जोर नहीं देना चाहिए। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब अध्यक्ष बोल रहे हों तब आपको पहले उन्हें सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप उस बुकलेट पर मत जाइए, उसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

जैसा कि मैंने कहा है, मैंने इस मामले को दो भागों में विभाजित कर दिया है। ऊपर से देखने पर वर्ण्य विषय तथा फोटोग्राफ का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके समान यदि कोई पेटेंट सम्बन्धी गलती हुई है तब उस गलती को ठीक किया जाना चाहिए। एक बात तो यह है। जहां तक श्री उन्नीकृष्णन का व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न का सवाल है, मैं नहीं जानता कि कौन से प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। परन्तु उस मामले को उठाने के लिए अपनी स्वीकृति देने से पूर्व इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती तथा इसीलिए मैंने कहा है कि मैं यह पता लगाने के लिए विचार कर रहा हूं कि क्या इससे कोई विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं। मैंने इसे समाप्त नहीं किया है। यह मेरे विचाराधीन है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं जानकारी भी मांगूगा तथा कोई निर्णय लूंगा। इसीलिए उन्नीकृष्णन जी, आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह कोई गलती नहीं है। उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया है। जब से श्री डी० पी० यादव ने लारसन एंड टूबरो का मामला उठाया है, इस समाचार पत्र ने जानबूझकर उनका फोटोग्राफ छापा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बन्द नहीं किया है। जेना जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, इस समाचार पत्र के मालिक श्री अम्बानी हैं। जब से श्री डी० पी० यादव ने लारसन एंड टुबरो का मामला उठाया है उन्होंने जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने के लिए ही उनके फोटोग्राफ को छापा है तथा इसकी 50,000 प्रतियों को उनके निर्वाचन-क्षेत्र पटना में भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : उससे क्या होता है ?

श्री श्रीकान्त जेना : आपको हमारे हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सदस्यों को बता दें कि ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा है कि मैंने उस मामले को समाप्त नहीं किया है। मैंने इसका तुरन्त उपाय भी बताया है। इसको बिना समझे हुए ही आप मेरे साथ केवल तर्क कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को विस्तार पूर्वक प्रक्रिया को समझना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जिस बात का सदस्यों के अधिकार से सम्बन्ध हो, नेता भी उस पर रोक नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, बिहार में छायबासा जिले में चक्रधर पुर के नजदीक एक आदिवासी लड़की पर रेप करने का काम हुआ है। जिस लड़की पर रेप किया गया है, वह लड़की कुली का काम करती थी। उसने अपने गांव में बताया कि ऐसे-ऐसे लोगों ने उस पर गलत काम करने की कोशिश की है। गांव के लोग जब दूसरी जगह पर, बगलातंड, जहां इस प्रकार का अत्याचार हुआ था, पूछने के लिए गए। वहां बड़ी मात्रा में लघुपति समाज के लोग बहुमति में रहते हैं। लघुपति समाज के लोगों ने बहुमति में होते हुये वहां बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष में आदिवासी लोग मारे गए।

म० प० 12.17

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अध्यक्ष जी, संघर्ष होने के बाद, आदिवासी लोगों पर अत्याचार होने के बाद जब पूछा गया तो पता चला कि उस संघर्ष में पांच लोग मारे गए हैं। इस प्रकार का वृत्त आया है। मैंने भी जानकारी प्राप्त की है। अध्यक्ष जी, बिहार के मुख्य मंत्री वहां गए थे, ऐसा बताया गया है। लेकिन बिहार

के मुख्य मंत्री ने वहां जाने के बाद कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की है । इस प्रकार की जानकारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी लड़की पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, वहां जो जातीय संघर्ष हुआ है, पांच लोग मारे गए हैं, गृह मंत्री महोदय को इसके बारे में सभागृह के सामने निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार की मेरी मांग है । मैं आशा करता हूं कि मामला गम्भीर होने के कारण, जिसमें पांच लोग मारे गए हैं, गृह मंत्री इस बारे में निवेदन करेंगे, जवाब देंगे । ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तपुजा) : एक घटना के बारे में मुझे जानकारी एक भारतीय के पत्र द्वारा मिली है जो कि ट्रान्स वर्ल्ड एयरलाइन्स द्वारा न्यूयार्क से भारत की यात्रा कर रहा था। जब वह लंदन पहुंचा तो दूसरी उड़ान लगभग बारह घंटे विलम्ब से थी। टी० डब्ल्यू० ए० ने यात्रियों के लिये रहने की व्यवस्था की थी। परन्तु जब यह भारतीय पारपत्रधारक टी० डब्ल्यू० ए० के काउंटर पर पहुंचा तथा उनसे रहने की जगह के लिये पूछा तो उसे बताया गया कि भारतीय पारपत्रधारक को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसका कोई कारण नहीं बताया गया। उसने पूछा कि ऐसा किस कारण से है । तब उसे बताया गया कि यह सुविधा केवल यूरोपियन तथा अमरीकी पारपत्र धारकों को ही दी गई है।

महोदय, यह एक बहुत ही भेदभाव का मामला है तथा चूंकि इस पर कोई अत्यन्त कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए इसीलिए मैं इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। मुझे यह पत्र केवल कल ही मिला है । मैंने तुरन्त ही नागरिक उड्डयन मंत्री को इस बारे में लिखा है । मैं एक बार फिर इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए इसे मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं । ऐसा सुनने में आया है कि अनेक भारतीयों के खिलाफ इसी प्रकार की भेदभाव पूर्ण कार्रवाई अन्य कुछ विदेशी एजेंसियों द्वारा भी किया जा रहा है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र राज्य में खाद्य तेल, चावल तथा मिट्टी के तेल की भारी कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

यह अत्यन्त खेदजनक है कि यद्यपि अनेक अवसरों पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजा है परन्तु उस पर की जाने वाली कार्रवाई की अभी भी प्रतीक्षा है । सार्व-जनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल समाप्त होने को है क्योंकि केन्द्र से कोटा ही नहीं भेजा जा रहा है। विशेष रूप से खाद्य तेल की स्थिति काफी भयावह है । केन्द्र ने मार्च, अप्रैल तथा मई माह के लिए अपना कोटा नहीं भेजा। मैं पुन: कह रहा हूं कि तीन महीने से खाद्य तेल का कोई कोटा महाराष्ट्र को नहीं भेजा गया तथा जून माह के लिए केन्द्र ने केवल 6(0 मीट्रिक टन ही दिया है जबकि राज्य की मांग 15,000 मीट्रिक टन है। इस समय जो चावल मिल रहा है वह जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है तो मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मिट्टी के तेल की भी कम आपूर्ति की जा रही है ।

शहरी तथा ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें जिन पर शहरी तथा ग्रामीण व्यक्ति निर्भर करते है, उन दुकानों के खाली पड़े खानों का दृश्य अत्यन्त भयावह है ।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें निजी तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा महाराष्ट्र के गरीब व्यक्तियों को राहत देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति जी, मैं एक लोक महत्व का सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं। प्रदेश के दूध उत्पादकों ने हड़ताल करने का नोटिस दिया है। इंडस्ट्रीयल पालिसी का ऐलान होने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो सारे मिल्क कोऑपरेटिव्ज हैं, वे बहुत चिंतित हैं। उनमें बेचैनी है कि नयी आर्थिक नीति का ऐलान होने के बाद डी-लाईसेंसिंग किया गया है। सारे कोऑपरेटिव्ज को शंका है कि इसमें बिग इंडस्ट्रीयल और मल्टी नेशनल्स के आने की शंका है इसलिए इनके मन में यह शंका जगी हुई है कि दिल्ली शहर में दूध उत्पादक पचास प्रतिशत सप्लाई करते हैं, यह सब बन्द हो जाने की शंका है। मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि यह बुनियादी सवाल है। दूध कोऑपरेटिव की मांग है कि लाईसेंसिंग पालिसी के बारे में जो डी-लाईसेंसिंग पालिसी का ऐलान हुआ है इसमें तुरन्त परिवर्तन किया जाए। मल्टी नेशनल्स और बिग इंडस्ट्रीयल को इसमें न देने के लिए सरकार की ओर से तुरन्त ऐलान हो वरना यह हो जायेगा कि ऑपरेशन फ्लड के तहत 25 मिलियन टन दूध उत्पादन होता है मेरी यह शंका है कि डी-लाईसेंसिंग पालिसी के बारे में सरकार नये सिरे से नहीं सोचेगी तो दूध उत्पादन के जो कोऑपरेटिव्ज हैं वे सारी सप्लाई बन्द कर देंगे और दूध का दाम बहुत बढ़ जायेगा। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का संबंध है। मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मल्टी नेशनल्स और बिग इंडस्ट्रीयल्स को दूध इंडस्ट्री में न आने के लिए जो डी-लाईसेंसिंग पालिसी है, उसमें रिवर्सल करे।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली तथा मुम्बई दोनों में प्रत्येक तीन मिनट पर एक स्थायी कॉल गिनने का निर्णय लिया है। वास्तव में पचास प्रतिशत एक्सचेंज इलेक्ट्रोनिकी विधि द्वारा संचालित नहीं है।

मैं संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है अथवा दिनांक 1 सितम्बर से इसे लागू किया जायेगा क्योंकि महाराष्ट्र के तीन संगठन तारीख 20 अगस्त को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा क्रासबार में भेदभाव बरते जाने के विरोध में एक मोर्चा बना रहे हैं।

मैं संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कृपा करके स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वह प्रति तीन मिनट के काल के निर्णय को लागू करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आप आज्ञा देंगे तो मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं सभा के समक्ष एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथा गम्भीर मामले पर विचार करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश नक्सली समस्या के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है लगभग एक दशक पूर्व इस समस्या को शुरूआत जब हुई थी। देश के विभिन्न भागों में व्याप्त नक्सली आतंकवाद की समस्या के अभी हाल ही में व्यापक रूप से उठ फैलने से देश को गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रति दिन समाचार पत्रों में खौफनाक समाचार

आते रहते हैं परन्तु हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते । पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्र पहले से ही नक्सलवाद के शिकंजे में है । यह स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई है और माननीय गृह मंत्री प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करने को बाध्य हो गए हैं । इन घटनाओं में ही हाल में हुई वृद्धि प्रभावित क्षेत्रों में गम्भीर खतरा पैदा किया है साथ ही यह राज्यों और देश के लिये भी खतरनाक है । उन्हीं पुरानी बातों को बार-बार दुहराने से समस्या का निदान नहीं हो सकता है । पीपुल्स वार ग्रुप के लोगों ने आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी है । लूट-पाट, हत्या, आगजनी एवं आतंकित करना और अपहरण करना तो आम बातें हो गई हैं । वास्तव में यह अभिशाप हो गया है तथा इसके अविलम्ब निदान की आवश्यकता है ।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार के लिये तेजी से कार्य करने एवं अन्य प्रशासनिक, राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक उपायों पर बल दिए जाने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है । यह वह वंचित किसान वर्ग है जो नक्सलवाद के चक्कर में पड़ गए हैं । इसके लिये कई उपाय किये जाने की आवश्यकता है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके भूमि सुधार को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए । अन्य उपाय जैसे कार्य योजना तैयार करना, सरकार द्वारा सुझाव पर नोडल एजेंसी का गठन, पूरी सुरक्षा प्रदान करना और आतंकवाद पर रोक लगाने के लिये एक समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है । ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें अविलम्ब उठाया जाना चाहिये ।

इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समस्या के निदान के लिये अविलम्ब उपाय किये जाएं ।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, तमिलनाडु के छात्र दिल्ली में आमरण अनशन पर हैं । आज भी वे भूख हड़ताल पर हैं । उनके लगातार भूख हड़ताल का यह चौथा दिन है और तमिलनाडु के हित में अच्छे कार्य के लिए भूख हड़ताल पर हैं—वह कार्य है, कावेरी जल विवाद को अविलम्ब सुलझाया जाना । चूंकि आज उनके भूख हड़ताल का चौथा दिन है इस लिये वे कमजोर हो गये हैं और उनकी गम्भीर स्थिति है । इसलिये इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । इसलिये, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और इस सम्बन्ध में वह उपयुक्त कदम उठाए ।

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वहां एक कैबिनेट मंत्री को भेजा जाये ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, हम उसी मुद्दे को एक बार फिर छेड़ रहे हैं जिस पर वित्त मंत्री जी ने एक निवेदन किया था । यह मामला दिन प्रतिदिन गम्भीर होता जा रहा है । सारी दुनिया में इसकी चर्चा है और केवल अपने देश में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि वित्त मंत्री ने बी० सी० सी० आई० के बारे में अपना छोटा सा बयान दे दिया और बात वहीं पर खत्म हो गई । वित्त मंत्री ने देश को ही नहीं, बल्कि सारे विश्व को गुमराह करने का काम किया है । जब बैंक में एक दिन रेड पड़ी तो एक दिन के हवाले की आमदनी एक लाख बत्तीस हजार डालर की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई । जबकि साल भर यह सिलसिला चलता रहा । तिरपन हजार फेक पासपोर्ट मूल पासपोर्ट के आधार पर एफ० टी० एस० के जरिए पांच सौ डालर प्रति पासपोर्ट जुटाया गया । कुल मिलाकर दो करोड़ पचहत्तर लाख डालर लूटने का काम किया । जबकि उस

देश के साथ, आई० एम० एफ० के पास जाकर और उसकी सारी शर्तों को मानकर हम अपने देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री सदन में ऐसा निवेदन करते हैं जिसमें असलियत को छिपाने का काम होता है। उधर सिंडिकेट बैंक का भी मामला सामने आया है और 20 मिलियन डालर लगभग 500 करोड़ रुपया इस देश का डूबने की स्थिति में है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया और इस बी० सी० सी० आई० का जो रिश्ता है उसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। अमरीका के सीनेट में हो रही है, लंदन में हो रही है। आडिट रिपोर्ट में उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन अपने वित्त मंत्री ने उसको भी छिपाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कम्पनी के नाम को लेकर अभी हमारे साथी देवेन्द्र प्रसाद यादव ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को रखा। वह कम्पनी और उस कम्पनी के मालिक ने इस बैंक का जो इस्तेमाल किया है, 50 मिलियन डालर 1983 में इस कम्पनी और बी० सी० सी० आई० के दोनों के बीच सौदा होकर लन्दन से उस पैसे को आबू धाबी, दुबई और अन्य अरब राष्ट्रों के गलत एकाउंट में डालकर, बोगस एकाउंट में डालकर वहां से फिर अपनी कम्पनी को कर्ज के तौर पर यहां लेने का काम हुआ है और अनेक प्रकार की हरकतें इसके अन्दर हो गयी हैं। अब यहां निवेदन होता है। उसके बाद सारा मामला चुप हो जाता है जैसे वित्त मंत्री ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया जबकि उन्होंने इतना ही कर्तव्य कर दिया कि देश को गुमराह करने का काम किया।

सभापति महोदय, मेरा इतना अनुरोध है कि इस मामले पर इस सदन में पूरे दिन की बहस होनी चाहिये। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। चूंकि ऐसी स्थिति भी बन रही है जो मैं अखबारों के जरिये से देख रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं या शायद ले चुके हैं कि जिससे लारसन एंड टुबरो को ऐसे व्यक्ति के हाथ में देने जा रहे हैं जो विदेशी कम्पनी के साथ मिलकर; विदेशी बैंकों के साथ मिलकर इस देश को लूटने के काम में साझीदार बना है। इसलिये मैं बहुत आग्रह से फिर इस सदन में इस मामले को उठा रहा हूं कि इस पर बहस तत्काल आप तय करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मनकू राम सोडी···

श्री मनकू राम सोडी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सभा के नेता यहां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : यह सब कहने की क्या आवश्यकता है? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभा में यह वादा किया गया है कि फिर से वक्तव्य दिया जाएगा और एल० एंड टी० मुद्दे पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : इस प्रश्न का उत्तर दिये बिना सरकार चुप्पी साधे है

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से हम संतुष्ट नहीं हैं चूंकि इससे कुछ भी सामने आने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : वे इस बारे में थोड़ा भी गम्भीर नहीं हैं (व्यवधान)। यह वक्तव्य लीप-पोती है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह भी कहा कि चर्चा होगी बी० सी० सी० आई० के बारे में।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वित्त राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं लेकिन वित्त मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आज हमें यह ज्ञात हुआ है बड़े व्यापारिक घरानों का बी० सी० सी० आई० के साथ नजदीकी सम्बन्ध हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दो राज्य मंत्री एक केन्द्रीय मंत्री के बराबर हो सकते हैं। (व्यवधान)

समापति महोदय : आपको कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह जो बी० सी० सी० आई० है, यह आजकल बैंक ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स इन्टरनेशनल बन गया है। इसलिये इस पर बहस होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें हिन्दुस्तान के बहुत सारे मसले जुड़े हुये हैं।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, यह क्रिमिनल्स एण्ड क्रुक्स का बैंक है जिसपर बहस होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यहां दो वित्त राज्य मंत्री मौजूद हैं।

श्री मदन लाल खुराना : इसके बारे में बहस होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कब बहस करेंगे, यह कम से कम बताईये। ऐसा ऐलान करेंगे कि कब तक इस मामले पर बहस होगी। लारसन एंड टूबरो को किसी और हाथ में देने का काम नहीं होगा, कम से कम आपकी सरकार सार्वजनिक पैसे को एक बड़ी कम्पनी को, किसी ऐसे लोगों के हाथों में देने का काम नहीं करेगी जिनका राष्ट्र-द्रोह का पूरा सबूत आपके सामने आया हुआ हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप चुप क्यों हैं ? यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आप उत्तर क्यों नहीं दे सकते (व्यवधान) प्रत्येक दिन उद्वेलित करने वाला समाचार मिलता रहता है। (व्यवधान)

समापति महोदय : मैं मंत्री जी को शून्य काल के दौरान अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये विवश नहीं कर सकता। मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : यह नियम में है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने संविधान की शपथ ली है। लेकिन उनका समर्पण संविधान के प्रति नहीं बल्कि अम्बानियों के प्रति है। क्या वे यह महसूस करते हैं कि वे अम्बानियों के विरुद्ध नहीं बोल सकते ? (व्यवधान)

समापति महोदय : आप अन्य संसदीय तरीकों का सहारा ले सकते हैं। मैं शून्य काल के

दौरान मंत्री जी को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें उत्तर देने से कौन रोक रहा है ? (व्यवधान) वह यह कहें कि वे उत्तर नहीं देंगे (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : राष्ट्र को यह पता लगने दें कि उन्होंने हमारे निवेदन को ठुकरा दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि अध्यक्ष पीठ से किये गए निवेदन का भी महत्व होता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री मनकू राम सोडी···

श्री मनकू राम सोडी : सभापति जी, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के बीजापुर तहसील के गांव आवापल्ली, उसूर और बासागुड़ा तथा उनके आसपास के क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में खूनी पेचिश तथा उल्टी-दस्त से 200 लोगों की मृत्यु हो गयी है। कई गुना अधिक लोग इन व्याधियों से त्रस्त हैं। प्रभावित क्षेत्र बहुत दूर तथा दुर्गम हैं। इससे तहसील मुख्यालय तक खबर पहुंचने में देरी होती है। दूर-संचार व्यवस्था एकदम खराब है। डाक्टरों की टीम के वहां पहुंचने के पहले ही बीमारी इतनी अधिक फैल जाती है कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि डाक्टरों की टीम के पास दवाईयां ही नहीं होतीं। बिना दवाई के उन्हें दौड़ाने से क्या लाभ ? उस क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डाक्टर, स्टाफ व दवाई, तीनों नहीं हैं। मध्य प्रदेश शासन कई बार घोषणा करके भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। अब तक बस्तर जिले में ही 1500 लोग मर चुके हैं।

अतः केन्द्र शासन से मेरा अनुरोध है कि बस्तर जिले में वह सीधे ही स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित करे ताकि आदिवासियों को मरने से बचाया जा सके। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कितनी बड़ी बात है। कम से कम आप इस मसले पर तो इतना कह सकते हैं कि इस पर बहस होगी। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कम से कम बोलिए तो, कब बहस हो रही है ? (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं और आप ही अनुमति नहीं दे रहे। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री अर्जुन सिंह को इसका उत्तर देना चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया अन्य सदस्य को भी बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, कल दुनिया में यह बात चलेगी कि भारत सरकार बात

छिपा रही है। जब दुनिया में इस पर बहस होगी तो दुनिया कहेगी कि भारत सरकार चोरों को छिपा रही है, चोरों को बचा रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : राज्य मंत्री यहां हैं और वे प्रत्युत्तर दे सकते है।

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सर, जहां तक बी० सी० सी० आई० का सवाल सदस्यों ने यहां उठाया है, हमारे आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। उसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह स्टेटमेंट ठीक नहीं है। उसमें कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप से अब निवेदन है कि इस मामले पर आप ही कुछ बोलिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : शून्य काल में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं चलता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है वह एल० एण्ड टी० के बारे में है··· (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, यह बी० सी० सी० आई० के बारे में है।

श्री अर्जुन सिंह : वित्त मंत्री पहले ही इसके बारे में वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु उस वक्तव्य से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हम उस वक्तव्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम इस पर एक विस्तृत विवरण और चर्चा चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा कब होगी। (व्यवधान) मंत्री महोदय खड़े थे और वह इस पर वक्तव्य देने वाले थे।

सभापति महोदय : परन्तु आपने उन्हें अनुमति नहीं दी।

श्री बासुदेव आचार्य : हम इसे सुनना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : जब मैंने पूछा कि क्या यह मामला एल० एण्ड टी० से सम्बद्ध है तो आपने कहा था नहीं। जहां तक बी० सी० सी० आई० की बात है वित्त मंत्री पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट यहां दी है, वह

नितांत बोगस और रद्दी स्टेटमेंट है । सर, उसमें तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है और माननीय मंत्री जी अभी कुछ कहना भी चाहते थे, और वह कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मान्यवर, आपने उनको आदेश नहीं दिया और वह बैठ गए । (व्यवधान)

श्री दलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था । मैं इतना ही कहना चाहता था कि हमारे सीनियर कुलीग इस बारे में वक्तव्य दे चुके हैं, उसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। अरबों रुपया देश का इधर-उधर किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी को उस बारे में बताना चाहिए । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उस पर डिस्कशन होना चाहिए अध्यक्ष जी ।

सभापति महोदय : ये सब बातें जीरो अवर में नहीं हो सकतीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप यह बताइए, इस पर बहस कब होगी ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम जानना चाहते हैं कि शून्य काल में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे ।

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के पास है और एक निर्णय लिया जा रहा है ।

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु सभा सर्वोच्च है ।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी ।

श्री बसुदेव आचार्य : उस रोज हमने इस चर्चा की मांग की थी ।

सभापति महोदय : अब कृपया बैठ जाएं । सभी को कार्य मंत्रणा समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और वे अपनी ओर से निर्णय लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुनीलदत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं भारत को विदेशी सहायता या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक ऋणों के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है । मैं एक भिन्न ऐड्स पर बात करना चाहता हूं जो कि एक घातक महामारी है । अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण को ही ऐडस् कहते हैं । मानव प्रतिरक्षण न्यूनता वायरस को एच०आई०वी० कहते है जिसके संक्रमण से ऐड्स हो जाती है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 से 4 लाख भारतीय एच० आई०वी० से संक्रमित हैं । इससे अन्तत: ऐड्स की महामारी फैलती है ।

अमेरिका के कांग्रेस सदस्य श्री जिममेकडर्मोट जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ऐड्स कार्यबल की उपाध्यक्षता की, जिन्होंने 6 जून, 1991 को एशिया में ऐड्स की महामारी के बारे में हाऊस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के स्पीकर को एक रिपोर्ट पेश की, यह रिपोर्ट बहुत ही चौंका देनेवाली है । वह कहते हैं

कि 1955 तक भारत में एच०आई०वी० और ऐड्स के मामले विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक हो जाएंगे। उनके विश्व स्वास्थ्य संगठन से चर्चा पर आधारित और अपने विश्लेषण के आधार पर सुलभ आंकड़े से अनुमान है कि भारत में वर्तमान में एच०आई०वी० से संकलित भारतीयों की संख्या लगभग एक मिलियन है। वह आगे कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2000 में विश्व भर में 40 मिलियन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एच०आई० वी० का संक्रमण लग जाएगा तथा 10 मिलियन के आसपास वयस्कों को ऐड्स हो जाएगा। विकासशील विश्व में अगली सदी तक लगभग 90 प्रतिशत एच०आई०वी० संक्रमण और ऐड्स के मामले होंगे।

यह बहुत ही भयावह स्थिति है अत: मेरा अनुरोध है कि इस सभा में एक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम इस रोग से लड़ सकें जो कि हमारे देश पर जंगल की आग की तरह हमला करने वाला है।

सभापति महोदय : अब मैं अगला विषय लूंगा। सभा पटल पर रखे गये पत्र।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था।

सभापति महोदय : लेकिन सूची काफी लम्बी है।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि हरियाणा भारत का एक हिस्सा है और हरियाणा से एक संसद सदस्य हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह वहां भी संसद सदस्यों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं। लेकिन अन्तर यह है कि यह वह स्थान है जहां से संसद में पारित दल-बदल विरोधी अधिनियम की उत्पत्ति हुई थी। हरियाणा से ही हमें दल बदल का अर्थ समझ में आया और तदुपरांत हमें इस सभा में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित करना पड़ा।

यहां इस पूरे मसले के तहत यह खूबी है कि टेलीफोन जो यहां टेप किए जाते हैं, इसलिए कि यहां विधान सभा सदस्यों में पुन: दल बदल कराया जाए। यह यहां समाप्त नहीं होता है। इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम आतंकवादी और विध्वंसकारी निवारण अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हों तो इस टाडा के उपबंध अर्थात आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम के उपबंध राज्य विधान मंडल के चुने सदस्य पर लागू किए जा रहे हैं। कहानी यह है कि चूंकि एक विधानसभा सदस्य ने वहां सत्तारूढ़ दल में शामिल होने से इनकार किया तो उसके विरुद्ध टाडा के उपबन्ध लगा दिये। मैं उनका नाम दे सकता हूं। वह * जिनके विरुद्ध टाडा के उपबन्ध लागू किए गए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई भी नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : वह राज से पीड़ित हैं। वह हरियाणा विधान सभा के चुने हुए सदस्य हैं। उन्होंने यह अपराध किया कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल की तरह चलने से इनकार किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक राज्य विषय है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : राज्य विषय यहां नहीं लाये जा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री खुराना को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : सभापति जी, 60 वर्ष के अरब देश के एक बूढ़े ने 10 साल की नाबालिक लड़की के साथ हैदराबाद में जिस तरह से जबर्दस्ती निकाह करके, ड्रामा करके, उसको इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लाया गया और वहां उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बयान से यह स्पष्ट है और मेरा भी इसके बारे में यही कहना है कि इस बारे में देश में एक बहुत बड़ा रैकेट है। इससे पहले भी काफी वर्षों से इस प्रकार की खबरें आती रही हैं और बार-बार मासूम, नाबालिग और बालिग लड़कियों को विदेश, विशेषकर अरब देशों में बेचा जाता है, वहां ये लड़कियां गुलामों की जिन्दगी व्यतीत करती हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस रैकेट की जांच हाई पावर कमीशन से करवाई जाए।

सभापति जी, खबरों के अनुसार ये शेख साहब 28 जुलाई को बम्बई पहुंचे। 28 जुलाई से 7 अगस्त तक कहां रहे, किसके पास रहे, हैदराबाद कैसे पहुंचे, कैसे लड़की को खरीदा गया, उसके लिए कितने रुपये दिये गये। इस सब की जांच हो और पता लगाया जाए।

सभापति जी, शेख साहब हैदराबाद से बम्बई नहीं गये, बल्कि दिल्ली आए। इससे साफ है कि वे दिल्ली इसलिए आये कि यहां पर जाली पासपोर्ट बनवाकर विदेशों में भेजा जाता है और इसका मतलब यह भी है कि इनके सम्बन्ध और कनेक्शन इस इन्टरनेशनल रैकेट से हैं जो इस तरह से हिन्दुस्तान की मासूम बच्चियों को बाहर ले जाकर बेचता है। महोदय, मेरा कहना यह भी है कि हवाई अड्डे के जो लोग हैं वे यह कह रहे हैं कि यह व्यक्ति पहले भी कई बार यहां पर देखा गया है इस तरह से लड़कियों को लाते हुए और ले जाते हुए। लड़की का जो बयान है वह भी काफी सनसनी खेज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि होममिनिस्टर इस बारे में पूरी जांच करके एक बयान यहां पर दें और इस प्रकरण को आगे जांच के लिए सौंपे। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, माननीय सदस्य श्री खुराना द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब ऐसी घटनाएं घटी है। सभी जानते हैं मैं आशा करती हूं कि हम सभी लोग जानते हैं—कि औरतों की खरीद बिक्री उस क्षेत्र में हमेशा होती रहती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए और कुछ ऐसा उपाय किए जाएं कि वास्तविक अपराधी को पकड़ा जा सके। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, यह समाचार बहुत ही दुखद है। मैं सरकार का और संसद का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के नाबालिग बच्चों को खरीदकर अरब देशों में ले जाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। यह घटना केवल हैदराबाद की ही नहीं देश के एक-एक प्रान्त से काफी समाचार आते रहे हैं। आश्चर्य की

बात यह है कि सरकार आई, सरकार बदली लेकिन किसी भी सरकार ने हमदर्दी के साथ देश की इज्जत को बचाने के लिए, देश के नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए मैं इस संसद और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त इसपर बयान जारी किया जाये, देश के हर प्रान्त में छानबीन की जाए और इस प्रकार का कदम और रैकेट जहां हो उसको रोककर सही ढंग से सजा देने का काम करें और आगे इस प्रकार का गलत काम हमारे बच्चों के साथ न हो सके, इसकी व्यवस्था की जाये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, अत्यन्त दुःख की बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं एकाध नहीं हैं। यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। यह उस विशाल अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का अंश मात्र है जो एक शक्तिशाली संगठन है और यह केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि तृतीय विश्व के अन्य देशों में भी सक्रिय है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किस देश में वे ले जाई जाती हैं। उन्हें कई देशों में ले जाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवतियों को गुलाम बनने पर मजबूर किया जाता है और हर तरह के अनैतिक कार्यों के लिए उनका उपयोग होता है। इससे इस बात का पर्दाफाश होता है कि घोर आर्थिक संकट माता-पिता को अपने बच्चे को बेचने के लिए मजबूर करती है।

इस संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहती हूं जो यह है कि राज्यों में समाज कल्याण बोर्ड को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य समाज कल्याण बोर्ड आन्ध्र प्रदेश में तब क्या कर रही थी जब ऐसी घटनाएं घट रही थी। समाज कल्याण बोर्ड को सक्रिय बनाना होगा क्योंकि अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उस लड़की के साथ क्या होने वाला है? अब वह नारी निकेतन में है लेकिन इसके बाद उसका क्या होगा? (व्यवधान) यदि वह अपने माता-पिता के पास पुनः चली जाती है तो उसके फिर से बेचे जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसे मामलो में जब तक केन्द्र तथा राज्य सरकारें तथा स्वैच्छिक संगठन पहल नहीं करती तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। विशेषकर इस मामले में एन०आई०डी०डब्ल्यू०ए० और डेमोक्रेटिक वीमन्स आरगेनाइजेशन ने रूचि दिखाई है। वे इस लड़की के मामले को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन महिला संगठनों से सम्पर्क करें और यह सुनिश्चित करे कि उस लड़की के पुनर्वास के मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह ठीक है। यह कल और आज भी समाचार पत्रों में आया है। लम्बे समय से ये घटनाएं घट रही हैं। भारत में ऐसी गतिविधियों के पीछे बड़े लोगों का हाथ हैं।

हमें यह ज्ञात हुआ है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। वे इन लड़कियों को मध्यपूर्व के देशों में भेजकर उन्हे अनैतिक कार्यों में लगाते हैं। इसलिए समाज कल्याण बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो इन घटनाओं को रोक सकती है। इसलिये ऐसे गिरोहों का तत्काल पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिये। चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, चाहे वह राजनैतिक रूप से कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों न हो? यदि वह इस कार्य में लिप्त हो तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। हम ऐसी घटनाओं के विरुद्ध हैं। ऐसी गतिविधि को नियंत्रित किया जाना चाहिये। स्वतंत्रता के 40 वर्षों बाद भी जब देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो यह सुनकर हमें शर्म आती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) अब हम दूसरे विषय पर चर्चा करें।

———

12.54 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम 1991, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष, 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 1991, जो 9 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 90 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—352/91]

(2) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—353/91]

(3) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—354/91]

(5) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—355/91]

राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्न-

[श्री दलबीर सिंह]

लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—356/91]

अस्पताल सेवायें परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड और भारतीय चिकित्सा परिषद आदि के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखती हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अस्पताल सेवायें परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अस्पताल सेवायें परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—357/91]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—358/91]

(5) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त ( ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—359/91]

(7) (एक) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—360/91]

(9) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—361/91]

(11) (एक) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

[श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ]

दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—362/91]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : व्यवस्था के सम्बन्ध मे आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राम नाईक : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित मंत्री जी ने अपनी अनुपस्थिति के बारे में आपको पूर्व सूचना दी है। उन्हें अवश्य सूचित करना चाहिये। उन्हें आपके प्रति इतनी शिष्टता तो दिखानी ही चाहिए थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार का कोई भी मंत्री सभा पटल पर पत्रों को रख सकता है और सम्बन्धित मंत्री की ओर से श्री दलबीर सिंह ने पत्रों को सभा पटल पर रखा है। यह केवल औपचारिकता है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते है।

12.58 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इडुक्की और पथानमथिट्टा दूरदर्शन केन्द्रों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्वपूर्ण मामलों को आपके सामने रखना चाहता हूं। केरल के इडुक्की और पथानमथिट्टा स्थित टी०वी० टावरों की प्रसारण क्षमता कम और अपर्याप्त है। यहां तक कि जो लोग पांच से आठ किलोमीटर के क्षेत्र में टी० वी० देखते उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देता और बहुत धुंधला सा चित्र दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में एक अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर की बहुत आवश्यकता है। मन्नार टी०वी० टावर को भी चालू किया जाना चाहिये और इसे तुरन्त प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्रवाई शुरू करे और उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करे।

(दो) महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्रों आदि के लिए विकास बोर्डों का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव देवराव पाटील (यवतमाल) : महोदय, मैं आपके समक्ष अविलम्बनीय लोक महत्व का महत्वपूर्ण मामला रख रहा हूं।

संविधान के अनुच्छेद 372(2) के अनुसार विदर्भ मराठवाड़ा तथा महाराष्ट्र के शेष अन्य

क्षेत्रों के लिए अलग से विकास बोर्डों की स्थापना करने का प्रावधान है। महाराष्ट्र विधान सभा ने भी एकमत से एक संकल्प पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति तथा भारत सरकार से इन बोर्डों की शीघ्र से शीघ्र स्थापना करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय यह एक भावुकतापूर्ण मामला बन गया है जिसके लिए इस क्षेत्र की जनता आन्दोलन कर रही है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस सन्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये।

(तीन) कन्याकुमारी जिले में भारी वर्षा से प्रभावित जनता के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : सभापति महोदय, निम्नलिखित मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

कन्याकुमारी जिले में भारी वर्षा के कारण बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों तथा उनकी सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ है। कृषि फसलों जैसे धान, केला तथा पान के बागानों का काफी क्षेत्र नष्ट हो गया है। अनेक पेड़ जड़ से उखड़ गये हैं। रबड़ तथा लौंग जैसी नकदी फसलें भी बड़ी बुरी तरह नष्ट हो गई हैं। अनेक सिंचाई नहरों तथा टैंकों में दरारें पड़ गई हैं। कई सड़कों को भी बुरी तरह नुकसान हुआ है। खराब मौसम, तेज लहरों तथा हवा के कारण मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सके। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपाय किये जायें।

(चार) कर्नाटक के मंगलोर-मैसूर-बंगलोर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलोर) : मेहरिया से होकर जाने वाला मंगलोर-मैसूर-बंगलोर राज्य मार्ग कर्नाटक की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है जिसकी यातायात क्षमता काफी अधिक है। राजधानी बंगलोर, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर अर्थात् मैसूर तथा मेहरिया के विकासशील शहर को इस सड़क के माध्यम से मंगलोर पत्तन शहर से जोड़ा जायेगा तथा इसीलिये इस राज्य मार्ग को भी तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

(पांच) सासनी, गंगेरी, अतरौली और सिकन्दराराऊ (उत्तर प्रदेश) में डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : सभापति जी, आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र हाथरस (उत्तर प्रदेश) की ओर दिलाना चाहता हूं। हाथरस पूरी तरह से पिछड़ा इलाका है और यहां रोजगार के साधन नहीं हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के लोग अधिकतर निर्धन एवं अशिक्षित हैं। पांच विधानसभाई क्षेत्र वाले इस क्षेत्र में एक ही विधानसभाई क्षेत्र हाथरस में तीन डिग्री कालेज है। लोग निर्धन होने के कारण हाथरस डिग्री कालेज में अपने बच्चों को भेजने में असमर्थ हैं, क्योंकि, आने जाने का किराया बहुत अधिक है जो वह खर्च नहीं कर सकते और ग्रामीण क्षेत्रों से हाथरस आने में 6 घण्टे व उससे अधिक समय लगता है जिसके कारण विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते।

[डा० लाल बहादुर रावल]

सरकार को हाथरस संसदीय क्षेत्र में अशिक्षा दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिससे यहां ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सकें। सरकार को चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हाथरस के अन्य चार विधानसभाई क्षेत्र सासनी, गंगीरी, अतरौली;और सिकन्दराराऊ में एक-एक डिग्री कालेजों की स्थापना करने में सहयोग दे तथा इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करके यहां के निवासियों को सुविधा प्रदान करे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र हाथरस (उत्तर प्रदेश) के चारों विधान सभाई क्षेत्रों (सासनी, गंगीरी, अतरौली और सिकन्दराराऊ) में एक-एक डिग्री कालेज खुलवाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आदेश जारी करें।

(छः) दिल्ली सहारनपुर मार्ग बरास्ता बड़ौत-शामली को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली सहारनपुर वाया बड़ौत शामली सड़क मार्ग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सड़क राजमार्ग के अन्दर आती है तथा बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है किन्तु इसकी चौड़ाई अत्यन्त कम होने के कारण प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती है। इस पर चलने वाले वाहनों, साइकिल, बसों तथा ट्रैक्टरों आदि की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए चालक पूरा ध्यान रखने के बावजूद अपना सन्तुलन खो बैठता है और दुर्घटना हो जाती है।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमति तुरन्त दिलाई जाय अन्यथा इस क्षेत्र का विकास रुक जायेगा।

(सात) वर्ष 1989-90 के दौरान तूफान से प्रभावित मल्लेश्वरम के दूरदराज क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क पुनः स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : वर्ष 1989-90 के विनाशकारी चक्रवात के पश्चात् आंध्र प्रदेश के मलेश्वरम तथा मछलीपटनम निर्वाचन क्षेत्रों के सुदूर स्थित गांवों में पेयजल सुविधायें तथा सड़क संचार व्यवस्था दोनों ही नहीं हैं।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह मसूला तथा मलेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक गांवों में सड़क संचार व्यवस्था पुनः बहाल करने के लिए विशेष धन प्रदान करें।

———

1.04 म० प०

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प और आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब सभा मद सं० 6 तथा 7 पर साथ-साथ विचार करेगी।

श्री मणि शंकर अय्यर बोलेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, मुझे आशंका है कि मेरे मित्र श्री सैयद शहाबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जिसमें अन्य सभी बातों को मिला दिया गया है तथा इस प्रकार उसका वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बलों की कुछ खामियां रही है।

असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाए गए असाधारण अधिनियमों का समय-समय पर दुरुपयोग किया जाता है। परन्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे मानें कि हम जम्मू कश्मीर में एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहे हैं तथा वहां की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की ओर से असाधारण कार्यवाई किये जाने की आवश्यकता है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने एक प्रश्न पूछा है कि हमें कितनी बार इस प्रकार के अधिनियम को बार-बार बढ़ानी पड़ेगी। मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि ऐसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में जब तक आतंकवाद रहेगा, हमें बार-बार इसकी अवधि बढ़ानी पड़ेगी।

कश्मीर में आतंकवाद की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसकी शुरुआत आतंकवादियों की गतिविधियों से ही हुई है। यह एक ऐसा राज्य भी है जहां आतंकवादी गतिविधियों का हमारी विरोधी विदेशी ताकतों द्वारा समर्थन किया जाता है। अतः हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि भारत संघ की अखंडता, हमारे देश की एकता, हमारी धर्मनिरपेक्ष मान्यतायें, कानून तथा व्यवस्था की स्थिति तथा हमारे देश की शान्ति को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ये असाधारण परिस्थितियां वहां पर विद्यमान रहेंगी, हमारे लिए इन दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हमें अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

जब पहली बार जम्मू-कश्मीर में इस अधिनियम को लागू किया गया था तो इस समय की परिस्थिति से यदि हम उसकी तुलना करें तो हम पायेंगे कि उस समय राज्य में काफी शान्ति कायम थी। जब से वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के प्रयत्न निष्फल हुए थे तभी से ही राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति उस सीमा तक बिगड़नी शुरू हो गई थी कि पूरे के पूरे एक समुदाय के अधिकतर व्यक्तियों ने राज्य को छोड़कर जाना शुरू कर दिया तथा वहां पर कानून के शासन से भी बढ़कर

[श्री मणि शंकर अय्यर]

बन्दूक का शासन चलता है। सामान्य राजनीतिक गतिविधियां पुन: आरम्भ करने के लिए वहां पर राजनीतिक तत्वों को फिर से प्रेरित करना जरूरी है। सामान्य राजनीतिक सक्रियता का अभाव जो कि वहां पर असाधारण परिस्थितियों के इतने लम्बे समय तक चलते रहने के लिए मूलत: जिम्मेवार है, तथा जिसके कारण वहां पर कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बन्दूक की बन्धक बन गई है। आवश्यक कदम यह है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पिछले कई माह से जो ये पुलिस वाले उस राज्य को चला रहे हैं उनके स्थान पर किस प्रकार के राजनीतिक तत्वों को रखा जा सकता है। डा० फारुख अबदुल्ला जैसे राजनीतिक व्यक्ति हमारे पास हैं जो जनता के पास जाना चाहते हैं। सरकार को कश्मीर घाटी में जनता समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है जिसके माध्यम से और व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

वर्ष 1947 से 1989 के बीच में, जब स्थिति वास्तव में गम्भीर रूप से बिगड़ गई तब घाटी में रहने वाले व्यक्तियों ने बार-बार प्रदर्शन किये कि वे भी भारतीय हैं। कि वे भारत से आशा रखते हैं कि उनकी भावनात्मक अखंडता भारत की जनता के साथ है तथा वे चाहते हैं कि उन्हें इस देश की लोकतान्त्रिक मुख्यधारा का ही एक अंग समझा जाये। जब कश्मीर घाटी में यह समस्या उत्पन्न हुई थी, इस पर उसी प्रकार के अधिनियम द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता था जिस पर इस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा है। उस समय एक समस्या थी। मैं इससे इन्कार करने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा परन्तु यह कहने वाला भी मैं प्रथम व्यक्ति होऊंगा कि जब तक विधान सभा को कार्य करने दिया गया था, जब तक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की शिकायतें व्यक्त करने दी गई थी, जाता है। तथा जब तक स्थानीय प्रशासन तथा जनता में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान थी तब तक यह समस्या नियंत्रण में थी।

इस समय हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह यह है कि श्री सैयद शाहाबुद्दीन जो उस समय उस दल से सम्बन्धित नहीं थे परन्तु अब चूंकि एक दूसरे राजनीतिक दल जो इस समय की सभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसके आदेश पर वे उसी दल में शामिल हो गए हैं, उन्होंने कश्मीर में एक राज्यपाल को भेजा था जिसने तुरन्त ही वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया को विफल कर दिया था तथा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति को घाटी की जनता के साथ सम्पर्क, स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी ताकि आतंकवाद ताकतों को नियंत्रण में रखा जा सके और ताकि अनुचित पर उचित की विजय हो सके।

प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप ही घाटी से एक पूरा का पूरा समुदाय ही देश के दूसरे भागों में जा रहा है जिसे मैं कश्मीर के इतिहास, संस्कृति, तथा उसकी सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए, पूर्ण रूप से अप्राकृतिक-सा निष्कासन मानूंगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कई वर्षों तथा शताब्दियों से तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कई दशक से और भारत संघ में कश्मीर के विलय होने के बाद से लेकर अब तक वहां पर रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् हिन्दू समुदाय वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम समुदाय के साथ पूर्ण सौहार्द्रता तथा सद्भाव से रहता आया है।

अब अचानक ही चालीस वर्ष की अवधि अथवा बयालीस वर्षों के बाद आप एक ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जबकि घाटी में काफी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति अपने आप को असु-

रक्षित समझकर घाटी छोड़ने को विवश हैं, अतः ऐसी स्थिति में तुरन्त कार्रवाई किए जाने का कारण था। यह तत्काल कार्यवाही थी तत्कालीन प्रशासन का एक समुदाय की कीमत पर अन्य समुदाय के खिलाफ पक्षपात पूर्ण रवैया। उस समय प्रशासन का यह पक्षपातपूर्ण रवैया था जिसने सत्ता का अवैध प्रयोग घाटी में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को समाप्त करने में किया जिसमें यह सोचा गया कि गोली का गोली से जवाब देने से, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की नीति अपनाने से ही उस सुन्दर घाटी में शांति, कानून और व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है।

दुर्भाग्य से, उस समय जो शक्तियां थीं उन्होंने प्रशासन को इन सभी अमानवीय कृत्यों से हटाने का प्रयास नहीं किया और स्थिति इस हद तक बिगड़ गई कि हमारे लिए यह कहना भी शायद अव्यवहारिक होगा कि उस घाटी में शीघ्र ही सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया बहाल की जाए।

किन्तु मैं सोचता हूं कि कुछ समय में और वह समय इतना अधिक भी नहीं होगा जब कि यह करना संभव होगा, यदि हम अभी राजनीतिक प्रक्रिया को तेज करें। राजनीतिक प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रारंभिक कदम यह है कि राजनीतिक अनुभव प्राप्त किसी व्यक्ति को राज्य के प्रशासन के उच्चतम पद पर नियुक्त करें।

संक्षेप में, उस राज्य के राज्यपाल के रूप में हमें एक राजनीतिक व्यक्ति को लाना होगा। उस राजनीतिक व्यक्ति कश्मीर घाटी के राष्ट्रीयवादीराजनीतिक तत्वों से सम्पर्क करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप सेनेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस दल करते हैं क्योंकि अन्य राजनीतिक दल घाटी में राजनीतिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं हैं जिससे कि इस घाटी के मामलों के बारे में देश की अन्य राष्ट्रीयवादी राजनीतिक दलों को अधिक सक्रिय किया जा सके और बल का प्रयोग कम किया जाए जो कि राजनैतिक प्रक्रिया, राजनैतिक विचार और जनता के साथ राजनैतिक सम्पर्क के साथ अवश्यंभावी है। इसका मूलतः यह भी अर्थ है कि वहां के लोगों को सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के खिलाफ जो शिकायतें है उन्हें भी सुना जाना चाहिए। (व्यवधान)—

सभापति महोदय : बाधा न डालें; बाधा डालना बुरी आदत है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं मानता हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रशासन में कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 17 या 18 महीनों के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए कुछ अत्याचारों को स्वयं देखा है। अगर घाटी की जनता को विश्वास दिलाया जाए कि अब एक नया प्रशासन है, उस राज्य का संचालन कांग्रेस प्रशासन कर रहा है, कांग्रेस दल जिसमें उनका एक लम्बे समय से कई दशकों से विश्वास है, ऐसा कांग्रेस प्रशासन जो बन्दूकों को हटा कर लोगों तक पहुंचाता है जिसमें लोगों की बात सुनने का धैर्य है जो विकास और प्रशासन की समस्याओं को सुलझाता है और जो सिर्फ सुरक्षा बलों और बल प्रयोग पर ही विश्वास नहीं करता, अगर ऐसा होता है तो मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि हमें बहुत समय बाद कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होने की कुछ झलक मिले और कश्मीर में विदेशी प्रभाव विशेषकार पाकिस्तान के खिलाफ एक परकोटे का निर्माण करे और घाटी में रहने वाले लोगों के तनाव को दूर करें। चार दशकों से हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकामयाब करने में सफल हुए हैं: यह मुख्यतः घाटी की जनता को भारतीय संघ के वृहत उद्देश्य में सहयोजित करने से संभव

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हुआ है। यह वह भावनात्मक संबंध है जो दिसम्बर, 1989 से बंदूक के अनियंत्रित प्रयोग के कारण टूट गया है।

इसलिए, मैं कहूंगा कि जबकि हमारे लिए यह मानना कि घाटी में आतंकवादी स्थिति व्याप्त है हमारे लिए यह बिल्कुल गैरजिम्मेदाराना होगा हमें बिल्कुल अलग ढंग के हथियारों, जैसे कि यह अध्यादेश जिसे अब इस सदन में कानून में बदला जा रहा है की आवश्यकता है। हमें यह सब उन सांप्रदायिक, कट्टर आतंकवादी और घातक तत्वों को रोकने के लिए करना चाहिए जो कि उस घाटी में विद्यमान हैं। इसके साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि सुरक्षा बलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व के लिए एक आधार तैयार करना है जो घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करेंगे, जो उन लोगों के लिए जो घाटी छोड़ कर गए हैं, उन्हें घाटी में वापस लौटने की स्थितियों को पुनः बहाल करेंगे और कश्मीर को हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनाए रखेंगे उसे एक ऐसा घर जहां सभी समुदायों के लोग साथ-साथ रहते हैं, और जो शांति, प्रेम और स्नेह से भरपूर एक आदर्श घाटी होगी।

अतः, इस अध्यादेश को इस सभा में कानून में बदलने की भारत सरकार की प्रार्थना का समर्थन करते हुए मैं गृह मन्त्री से जो हमारे साथ हैं, निवेदन करूंगा कि वे एक महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्ति को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के पद पर लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें ताकि कश्मीर घाटी में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस दल के नेताओं को पुनः सक्रिय किया जा सके और कश्मीर घाटी में रह रहे लोगों को पुनः आश्वासन दिया जा सके कि उनके हितों की रक्षा होगी और सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, सरकार द्वारा आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप अध्यादेश को निरस्त करने हेतु, उसके स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और जो संसोधन विधेयक मूल विधान में संसोधन की बात कही गई है, इससे 2 वर्ष की अवधि फिर से आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम की बढ़ेगी। इस अधिनियम में पहले भी एक बार इस प्रकार अवधि बढ़ाई जा चुकी है। पहले एक बार 1989 में अवधि बढ़ाई जा चुकी है और अब यह दूसरा मोका है जब फिर से अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। मुझे खेद है कि बार-बार अवधि बढ़ाकर सरकार आखिर क्या करने जा रही है। जब सामान्य कानूनों से स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता है तो विशेष प्रकार के कानून बनाये जाते हैं, लेकिन विशेष कानूनों से भी यह स्थिति हो गई है कि एक बार नहीं, दो-दो बार उनकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है ऐसा किस कारण है। सन् 1987 से लेकर अब तक जिन परिस्थितियों और कारणों को लेकर इसके बारे में बात कही गई थी, वे परिस्थितियां आज तक वैसी की वैसी हैं। चाहे जम्मू-कश्मीर की स्थिति हो, चाहे पंजाब की स्थितिहो, चाहे असम की स्थिति हो या देश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति हो, यह कहा जाता है कि इस कानून के जरिए विशेष अधिकारों और प्रावधानों की सहायता से हम जल्दी से जल्दी आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पा लेंगे, लेकिन इन सब अधिकारों के बावजूद ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण पाना आज असंभव हो गया है।

सभापति महोदय, अलग-अलग क्षेत्रों की बात न करते हुए केवल 2-3 क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम के संबंध में यदि चर्चा करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के कानून होते हुए भी वहां पर हालात बिगड़े।

आज कश्मीर में स्थिति किस प्रकार की है। वहां से एक प्रकार से 2 लाख हिन्दू परिवार निकाले गए या जबरन दूसरे स्थानों पर भेजे गए, जो अपने ही देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज वहां सारे के सारे बाजार सूने पड़े हुए हैं, दुकानें बन्द हैं। जम्मू कश्मीर, जो सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता था, वहां भूले भटके भी कोई जाने की इच्छा नहीं करता। इतना आतंकवाद बढ़ गया है, कि स्थिति नियंत्रण के बाहर है मैं उन बातों के अधिक में नहीं जाना चाहता, किस प्रकार से हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की का अपहरण किया गया, किन परिस्थितियों में उनको छोड़ा गया, किस प्रकार छोड़ा गया। अभी कुछ महीना पहले एच० एम० टी० के जनरल मैनेजर का प्रकरण हुआ। किस प्रकार वहां के सारे लोग फैक्टरियां बन्द करके यहां आकर बसे हुए हैं। कारोबार सारा ठप्प पड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार तक के मंत्रालय बन्द है, एक प्रकार से चल नहीं रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां आज प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं दुरैस्वामी के बारे में कुछ पता नहीं है। बार-बार यहां पर आश्वासन दिया गया कि कल बतायेंगे, दो दिन बाद बतायेंगे, चर्चा चल रही है। आखिर किस प्रकार की चर्चा चल रही है? ज्ञात हुआ है कि उनका हाथ तोड़ दिया गया। सारी मशीनरी है, एजेंसियां है, वे उनको ढूंढने की बजाए या उनका पता लगाने की बजाए, कि वे किस स्थिति मे है, उनका हाथ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका टूटा हुआ हाथ किसी झील में तो नहीं है किसी दूसरी जगह पर तो नहीं है। वे हाथ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इसकी आप अवधि को बढ़ाइये, कारगर कार्यवाही करें हम अवधि बढ़ाने में असहमति व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यकता है। लेकिन ठीक स जो कानून है उसका उपयोग तो हो। ठीक से आप इसका प्रयोग करके कार्यवाही तो करें। हालत इतनी खराब हो गयी है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी, चाहे आप उनको कोई भी संज्ञा दें, जम्मू काश्मीर में खुले आम सड़कों पर शस्त्रों का प्रदर्शन करते है। एक प्रकार से वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। शायद वहां पर आतंकवादी या विध्वंसकारी अपनी सरकार चला रहे हैं। अपने देश में इस प्रकार की स्थिति चल रही है। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार शीघ्र नियंत्रण पाए। इसकी अवधि बढ़ाने में असहमति हो सकती है। सहमति हो सकती है लेकिन जो हालात हैं, वे ठीक नहीं हैं। वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो गयी है। आए दिन लोग सरे-आम शस्त्रों का सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर नंगे शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। कोई भी वहां जाना चाहे, उसका जाना सम्भव नहीं है। आज ऐसे आतंकवाद का वातावरण वहां चारों तरफ विद्यमान है। यह स्थिति चारों तरफ काश्मीर घाटी में बनी हुई है। इसका कुछ न कुछ असर अब जम्मू पर भी होने लगा है।

पंजाब में क्या स्थिति हो रही है? वहां पर आज किसी प्रकार से नियंत्रण कर पाने में समर्थ

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर सीमाओं से लोग आकर पंजाब की सीमा पर आ रहे हैं, खुले आम आ रहे हैं। इतना ही नहीं जम्मू काश्मीर में और पंजाब में पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग आ रहे है। प्रशिक्षण प्राप्त कर के जो लोग आते है उनके साथ सादे वेश में कुछ पाकिस्तान आ रहे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के आदमी है। इतना सब कुछ हो रहा है। इस बात की जानकारी सरकार को होगी। लेकिन सरकार न सीमा को सील करने के लिए, न सीमा पर कठोर नियंत्रण पाने के लिए, कोई ठोस कदम उठा रही है वहां पर हम किसी प्रकार की गतिविधि उग्रवादी या आतंकवादी नहीं होने देंगे या इन गतिविधियों को हम सख्ती से रोकेंगे, कोई कदम नहीं उठा रही है।

पिछले दिनों आसाम में क्या हुआ। असंतोष के क्या कारण हैं? पिछले दिनों दार्जेलिंग में गोरखा नेशनल फ्रन्ट ने क्या किया। वे अलग अपने लिए किसी बात की मांग करें, आसाम में किसी और तरह की मांग करें, दार्जिलिंग में जी० एल० एफ० स० अलग माग करें, पंजाब में किसी और तरह की मांग चले, जम्मू काश्मीर में कुछ और बात करें, आखिर देश में जो कुछ चल रहा है, ये गतिविधियां इतनी आगे बढ़ गयी हैं, कि देश भर में चिंता व्यक्त है और निराशा है। सरकार के इस रवैये के कारण, सरकार भी अपनी कार्यवाहियों में ढील बरतती है। जो नियंत्रण चाहिए, जिस प्रकार का एक्सन चाहिए, वह एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। इसी के कारण आज परिस्थितियां दिन प्रति दिन बिगड़ती चली जा रही है और आतंकवाद सिर पर सवार हो कर बोलने लगा है। इन गतिविधियों पर कब नियंत्रण कर पायेंगे, यह कहना मुश्किल हो गया है।

कुछ लोग इसका कारण हमारी आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय असंतुलन बताते हैं। वे कहते हैं कि इसके कारण से इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही है। केवल आर्थिक विषमता या क्षेत्रीय असंतुलन ही नहीं है, सीधा-सीधा जो सरकार का नियंत्रण है या सरकार की कार्यवाही है, उसमें ढिलाई है, अनदेखापन है। हम आतंकवादियों से बातचीत करेंगे, उग्रवादियों से बातचीत करेंगे, खाड़कुओं से बातचीत करेंगे, उनको बुलायेंगे, इस प्रकार से और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, नये-नये क्षेत्र खोल रहे हैं।

पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से आतंकवादी वहां पर आए, सारे बस्तर के क्षेत्र के अन्दर उन्होंने अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दीं। पुलिस के कर्मचारी मारे गए। नये-नये क्षेत्र प्रारम्भ हो रहे है। जहां पर इस प्रकार की गतिविधि नहीं थी अब ये गतिविधियां उन क्षेत्रों में भी शुरू हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दो वर्ष की अवधि बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप उन सब पर नियंत्रण पाना चाहते हैं।

मैंने कहा है कि चाहे जम्मू-कश्मीर, आसाम और पंजाब की स्थिति हो या मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है तो ऐसी स्थितियों को आप नियंत्रण करने में असमर्थ रहे। जो कठोर उपाय हो सकते हैं, उनको करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सरकार कठोर नियंत्रण करे और ठीक से कदम उठाए। सरकार इस बारे में जानकारी दे कि सभी कर्मचारियों व सरकारी सकर्मचारियों का भविष्य

क्या है व दुरईस्वामी का भविष्य क्या है। जिनको अपहृत कर लिया है, उनका भविष्य क्या है और आगे किसी को अपहृत नहीं किया जाएगा, उसके बारे में सरकार कौन-कौन से कड़े कदम उठा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इन बातों का जवाब देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह विधेयक सिर्फ आपातकाल के समय के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का एक नया संस्करण है। यह सिर्फ मीसा की एक प्रतिकृति है जो इसके दुरुपयोग, कुप्रयोग आतंक फैलाने और देश के जनतंत्र का विनाश करने के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यह उसी मीसा का शुरूआत है इसलिए इसका दृढ़ता से विरोध करना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं ताकि हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

महोदय, यह अत्यन्त सख्त है। यह कार्यपालिका को असाधारण शक्तियां देता है। यह सही है कि कश्मीर में, पंजाब में, और कई अन्य राज्यों में भी आतंकवादी गतिविधियों के कारण स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। देश के वाम पंथी दलों के विचारों पर गृहमंत्री कृपया ध्यान दें। हम आतंकवादी शक्तियों से समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं। हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम यहां देश की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए है। इस तथ्य के बारे में कोई शक नहीं है। किन्तु, हम यह भी अनुभव करते है कि आतंकवाद का एक बाह्य कारक भी है। कुछ पूंजीवादी देश हैं, कुछ पश्चिमी देश हैं जो इस देश को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं। इसलिए हम तब तक आतंकवाद से नहीं लड़ सकते जब तक कि यह किसी वैचारिक धरातल पर आधारित न हो। आतंकवाद का सामना करने के लिए हम वैचारिक धरातल पर अधिक विश्वास करते हैं। हम भी अनुभव करते हैं कि कई बार इन गतिविधियों को कानूनी उपायों द्वारा, सख्त उपायों द्वारा रोकने की आवश्यकता होती है। किन्तु आतंकवाद सिर्फ पुलिस, सेना या अन्य दमनकारी उपायों से समाप्त नहीं किया जा सकता।

महोदय, माननीय गृहमंत्री के विचार जानकर मुझे प्रसन्नता हुई थी, जब उन्होंने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया, जो अभी हाल ही में नक्सल वादी गतिविधियों से प्रभावित है। मेरा विचार यह है कि हम एक ही स्थिति में है। मेरा यह मानना है। अगर आप उसी स्थिति में नहीं हैं तो आप यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि आपका विचार अलग है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आप बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री चित्त बसु : इसलिए, उनका भी यही विचार है कि सिर्फ दमनकारी नीतियों से आतंकवाद समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक वैचारिक लड़ाई की आवश्यकता है। 1987 में जब सभा के सामने आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लाया गया था तो पूर्व गृह मंत्री श्री बूटा सिंह ने कहा था कि उनके लिए वर्षों के अन्दर आतंकवाद को समाप्त करना सम्भव होगा। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं, दो वर्षों में।

श्री चित्त बसु : ठीक है, दो वर्षों में। पूर्व गृहमंत्री, श्री बूटा सिंह ने कहा था कि दो वर्षों में आतंकवाद को समाप्त करना सम्भव होगा। फिर इसे 1989 में और बढ़ा दिया गया। अब आप दो वर्षों के लिए इसे और बढ़ाना चाहते हैं मैं नहीं जानता कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि सदन को यह आश्वासन दे सकें, कि इन दो वर्षों के भीतर, जितने समय के लिए आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें क्या आप के लिए आतंकवाद को हटाना या समाप्त करना सम्भव होगा।

1.31 म० प०

[श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या पीठासीन हुए]

इस विधेयक के दोषों की चर्चा करने से पूर्व मैं आपका ध्यान अभी कल ही पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह कश्मीर स्थिति से सम्बन्धित है। मैं भी जानता हूं कि स्थिति अत्यन्त गम्भीर है किन्तु हमें कारणों को भी जानना चाहिए। कश्मीर समस्या के बाह्य कारक पर बल देने के लिए और आतंकवाद की समस्या पर बल देने के लिये मैं पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत श्री राबर्ट ओकले ने कल जो कहा था उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है। मैं नहीं जानता कि राजदूत को यह सूचना कहां से मिली कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। उन्होंने आगे कहा—यह कश्मीर के मामले से अमरीका के रुख के बारे में है—और 12 अगस्त के 'द टेलीग्राफ' से मैं उद्धृत कर रहा हूं।

> "जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, यह एक उलझा हुआ मुद्दा है जिस पर भारत सरकार, और पाकिस्तान सरकार और कश्मीर की जनता के बीच वार्ता होनी चाहिए।
>
> पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत के दावे को नामंजूर कर दिया है और 43 वर्ष पुराने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीरी जनता के जनमत संग्रह की मांग भी है।"

यह कश्मीर के सम्बन्ध में भारत द्वारा अपनाए गए रुख के बिल्कुल उलट है। कश्मीर भारत का एक अंग है और हमने जनमत संग्रह को स्वीकार नहीं किया है। जनमत संग्रह की बात एक विशेष स्थिति के तहत स्वीकार की गई थी। पाकिस्तान को उस शर्त को पूरा करना था। उन्होंने उस समय सुझाई गई स्थिति को लागू नहीं किया। इसलिए, जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है। किन्तु अमरीका ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह पूर्णतः भारत की स्थिति के लिए दुश्मनी वाला है। एक ओर, वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होना चाहिए, दूसरी ओर वे कहते हैं कि भारत को जनमत संग्रह का सुझाव मान लेना चाहिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान लिया था। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बहस का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय, ब्रिटिश लेबर पार्टी के एक संसद सदस्य श्री काफमैना जो इंग्लैंड के 'शैडो' विदेश सचिव हैं, उन्होंने कल श्रीनगर में यह कहते हुए वक्तव्य दिया कि कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। वास्तव में, यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है और

इसे शिमला समझौते के अन्तर्गत ही हल किया जाना चाहिए। मेरे विचार में श्री कोफमैन हमारे देश के मेहमान हैं। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, ब्रिटिश लेबर पार्टी के साथ इस विषय पर बातचीत करेगी।

इस विधेयक के अवगुणों की चर्चा करते हुए—इस विधेयक में कोई गुण नहीं है—तीन आधारों पर मैं इस विधेयक की अवधि के विस्तार को दृढ़ता से विरोध करता हूं। प्रथम, जहां तक हत्याओं, अपहरण, इत्यादि का मामला है, ऐसे बहुत से सामान्य कानून हैं जो इस स्थिति से निबटने में समर्थ है। मैं वकील नहीं हूं। अनेक वकील है जो ऐसा कह सकते है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता ऐसी गतिविधियों को रोकने और दण्डित करने के लिए बहुत अधिकार देती है। अतः, जब देश के सामान्य नियमों के अधीन पर्याप्त कानून उपलब्ध हो तो इस प्रकार के असामान्य कानूनों की बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

इस आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारक) अधिनियम, को कर्मचारी संघों लोकतांत्रिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रयोग किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : हरियाणा में।

श्री चित्त बसु : तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इसका आह्वान पहले ही किया जा चुका है और कर्मचारी संघ की गतिविधियों को दबाने का भी प्रयत्न किया गया है। मेरे पास एक उदाहरण है। पंजाब पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष, श्री निर्मल सिंह को आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारक) अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था। वे केवल एक कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ता थे। वे अध्यक्ष थे। वे खण्ड विकास अफसर के विरुद्ध लिख रहे थे। खण्ड विकास अफसर ने उन्हें आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारक) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उन्होंने उसके काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया था। अतः, इसका गलत दुरुपयोग किया गया है और इसके दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। यदि इसे पुनः लागू किया जायेगा तो इसका और अधिक गलत प्रयोग होगा क्योंकि आम जनता, सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में सड़क पर आ गई है क्योंकि ये नीतियां देश के लिए विपत्तिजनक है। सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग, सम्पूर्ण कृषक वर्ग, सम्पूर्ण मध्यम आय वर्ग को सरकार की इस खतरनाक व विपत्तिजनक आर्थिक नीतियों, जो लागू होने वाली हैं, के विरोध में संघर्ष और विरोध का रास्ता अपनाना होगा।

अतः, मैं समझता हूं कि जब इन श्रमिकों की गतिविधियां, किसानों की गतिविधियां और नागरिक स्वतन्त्रता के पुनः लागू करने के सम्बन्ध में गतिविधियां हैं तो आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारण) अधिनियम को अधिकांश के विरुद्ध लागू किया जा सकता है। अतः, मैं स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूं। अपने संघर्ष, अपनी गतिविधियों को दबाने के लिए और देश की नागरिक स्वतन्त्रता को दबाने के लिए मैं आपको कानून बनाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

इस विधेयक के विरोध का मेरा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इससे स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेवारी गिरफ्तार व्यक्तियों पर होगी। सामान्यतया, हमारे देश में हमारी न्याय-पालिका में, यह कार्य अभियोग लगाने वाले व्यक्ति का है कि अभियुक्त अथवा गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं। दोष साबित करने की जिम्मेवारी अभियोग लगाने वाले पर होती है। आपने

[श्री चित्त बसु]

यह अधिकार छीन लिया है। आप चाहते हैं कि प्रमाण की जिम्मेवारी पकड़े गये व्यक्ति पर डाल दी जाये। यह न्यायपालिका के सामान्य सिद्धान्त का उल्लंघन है। आप मुझे गिरफ्तार करते हैं और मुझे यह साबित करने को कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, जबकि यह साबित करना आपका कार्य होना चाहिए कि मैं दोषी हूं। यह साबित करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं दोषी नहीं हूं। इस अधिनियम के द्वारा आप देश में स्वीकृत न्याय पालिका के मूल व सामान्य सिद्धान्त को बदलना चाहते हैं। अतः यह बहुत आपत्तिजनक स्थिति है और हम इस सिद्धान्त को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते।

तीसरे, 'टाडा' के नियमों के अधीन पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करने को साक्ष्य माना जा सकता है। मेरे विचार में वे विधेयक के सख्त प्रावधानों से न केवल संतुष्ट हैं बल्कि उन्होंने नियमों के प्रावधानो में कुछ संशोधन भी किए हैं जो यह आवश्यक बनाते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि दबाव में कबूल किए गए अपराध अथवा पुलिस के समक्ष कबूल किए गए अपराध को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का एक हिस्सा माना जा सकता है।

कम से कम ये तीन सिद्धान्त ऐसे हैं जो मापदण्डों के अधीन मूल सिद्धान्तों जिन्हें हम बहुत ऊंचा मानते है को बदल देतें हैं। अतः मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूं कि उग्रवाद का खतरा बढ़ रहा है। इससे हमें लड़ना है। हम देश की एकता और अखण्डता के पक्ष में हैं। किन्तु ऐसा नागरिक स्वतन्त्रता की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, मुझे प्रसन्नता है कि वे मेरे साथ इस बात पर सहमत हैं कि उग्रवाद से लड़ने के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार शस्त्र नहीं अपितु विचार रूपी शस्त्र है। मुझे उम्मीद है, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस विधेयक को वापस लेने के लिए सहमत होगी तथा कोई अन्य उपाय करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक (जोरहाट) : सभापति महोदय, आतंकवादी और विध्वंसकारी (निवारण) संशोधन विधेयक, का समर्थन करते हुए, मैं देश में व्याप्त उग्रवाद की समस्या के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलना चाहता हूं। आतंकवादियों से निबटने के लिए कानून अवश्य होना चाहिए और इसे लागू भी किया जाना चाहिए। किन्तु मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह सुझाव दिया था इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उग्रवाद को रोक पाने में असफल रहा है। यह एक प्रकार से इस बात का सुझाव देना है कि आपराधिक कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करने में यह असफल रहा है।

महोदय, विश्व में कोई भी सरकार यह आश्वासन नही दे सकती कि एक निर्धारित समय, अर्थात् तीन या चार वर्षों, में आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। यह एक लम्बी प्रक्रिया है। स्थिति बहुत गम्भीर है कि आतंकवाद सहानुभूति करने वालों के मन की एक स्थिति है। फिर भी मैं महसूस करता हूं कि समय आ गया है जब हम उग्रवाद की समस्या पर पुनः ध्यान देना है। मैं अवश्य समझता हूं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति जारी रहे। मैं, फिर भी यह विश्वास करना चाहता हूं कि कभी-कभी आतंकवाद की स्थिति का हमारा मूल्यांकन गलत भी हो सकता है।

हमारा मूल्यांकन गलत हो जाता है क्योंकि हमारी ऐसी प्रकृति है कि हम आतंकवाद समस्या को साथ जोड़कर उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक स्थिति, चाहे वह पंजाब में हो, कश्मीर या असम या आन्ध्र प्रदेश में हो, की अपनी अलग उत्पत्ति और प्रकृति है और इसकी अपनी पृष्ठभूमि और इतिहास है जिन स्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न व्यूह रचना की आवश्यकता है। हर स्थिति के अनुरूप विभिन्न व्यूह रचना है। उदाहरणार्थ, मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, चाहे वह असम या नागालैंड या मणिपुर में हो, अभी तक विदेशी शक्ति संगठित रूप से शामिल नहीं है। मैं इन शब्दों को दोहराता हूं "विदेशी शक्ति का संगठित रूप से शामिल होना।" मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि मेरी बात को गलत न समझा जाये। मेरा अर्थ यह है। ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी शक्ति उग्रवादियों को भड़का रही हो अथवा उनके साथ सहानुभूति कर रही हो किन्तु अभी तक कोई भी विदेशी शक्ति सीधे तौर पर, संगठित रूप से शामिल होकर हथियार, धन, सामान और विशेषतया प्रशिक्षण, जैसा कि पंजाब और कश्मीर के बारे में हो रहा है, उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्हें जो भी सहायता अथवा मदद मिल रही है वह उन्हें भारत-बर्मा सीमा के बर्मा के उस दंगाग्रस्त क्षेत्र से मिल रही है जो वास्तव में विदेशी हैं।

महोदय, इस क्षेत्र में उग्रवाद में धर्म की कोई भूमिका नहीं है और जो आन्ध्र की स्थिति है वह पूर्ण रूप से कट्टरवादियों के प्रभाव से मुक्त है। इस प्रकार का विश्लेषण इस रूप में आवश्यक है कि इस बात का मूल्यांकन किया जाये कि किसी आतंकवाद की स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती जिस पर पुन: नियन्त्रण न किया जा सके। सकारात्मक रूप से कहा जाये तो, प्रत्येक स्थिति पर पुन: नियन्त्रण पाया जा सकता है अथवा उसे सुधारा जा सकता है। स्थिति का पुन: नियन्त्रण उसकी गम्भीरता पर निर्भर करता है। कुछ स्थितियों पर अधिक पुन: नियन्त्रण पाया जा सकता और कुछ पर कम पुन: नियन्त्रण पाया जा सकता है। मैं विशेष रूप से असम के मामले का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि वहां पर एक नए तरीके से स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह बिलकुल ठीक बात है कि असम के लोगों ने हाल ही के चुनावों में शान्ति और स्थिरता के पक्ष में मत दिया है। इस मतादेश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह आतंकवादियों के विरुद्ध एक स्पष्ट मतादेश नहीं है जैसाकि हमारे कुछ अति-उत्साही राजनैतिक कार्यकर्त्ता इसका अनुवाद करने के पक्ष में हैं। यह एक सकारात्मक मतादेश है, यह शान्ति के लिए एक सकारात्मक मतादेश है और इसी के साथ, लोगों ने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में उग्रवादियों को हिंसा छोड़ने के लिए और आमने सामने बैठकर वार्त्ता के लिए उन्हें दिए गए आमन्त्रण का समर्थन किया है। अत: यह जनादेश आतंकवादियों के साथ समस्या सुलझाने के लिए हमारे प्रयासों के लिए भी है। है। अब, जबकि हमारे दल ने चुनाव में जीत हासिल करली, तो हम अपनी वचनबद्धता से पीछे नहीं हट सकते। फिर भी, यह एक वैध प्रश्न है कि क्या वे हमारे नियन्त्रण के प्रति कोई प्रतिक्रिया करेंगे। अब निर्णय लेने की उनकी बारी है। हम इस नियन्त्रण को असम के टाडा के दर्यों के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षमा की दृष्टि से देखते हैं, यद्यपि कुछ माननीय सदस्य हैं जो हिचकिचा रहे हैं और सदन में कई बार इस पर उत्तेजित रहे हैं। सार्वजनिक क्षमा के नियन्त्रण के लिए जो शर्तें हैं, मैं उनका उद्धरण करना चाहता हूं :

(i) उल्फा बंदियों को, जिन्हें बिना किसी गम्भीर अपराध के पकड़ा गया है, उन्हें जल्दी

[श्री विजय कृष्ण हान्डिक]

रिहा किया जायेगा यह कांग्रेस (इ) के चुनाव घोषणा पत्र में है।

(ii) यदि उल्फा सरकार की हथियार त्यागने की और आपसी वार्ता के नियन्त्रण को स्वीकार करने की अपील के पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त करती है तो सरकार अन्य सभी कैदियों को रिहा कर देगी जिनमें वे कैदी भी सम्मिलित हैं जो अमानवीय अपराधों में शामिल रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक क्षमा प्रदान करेगी, और

(iii) यदि यह उल्फा के साथ आवश्यक वार्ता करने के हित में जरूरी समझा गया तो सरकार, केन्द्र सरकार से संगठन पर से रोक हटाने का निवेदन करेगी।

हमने वास्तव में आतंवादियों को यही पेशकश की है। मैंने पहले ही कहा है कि अब निर्णय लेने की बारी उनकी है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह प्रश्न उठाते हैं कि सरकार किस आधार पर, उनके साथ वार्ता कर सकती है क्योंकि उनकी मांग अलगाववाद की है। हम बात चीत करेंगे और यह पता लगायेंगे कि ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे दूर करता है। यही मूल प्रश्न है। वे एक बार स्पष्ट कर, दें तो हम विचार करेंगे कि देश की एकता और अखण्डता, जो अविभाज्य है, के प्रश्न के साथ समझौता किए बिना हम किस हद तक उनकी मांगों को मान सकते हैं।

महोदय, पिछले वर्ष देश के उप प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का एक दल, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल थे, ने श्रीनगर का दौरा किया था जो कई दिनों तक उस उचित व्यक्ति की खोज करते रहे जो कश्मीर के आतंकवादियों को वार्ता के लिए तैयार कर सके। पंजाब आतंकवादियों के सम्बन्ध में, अलगाववाद के लिए उनकी मांग के बावजूद, उन्हें हिंसा त्यागने की और वार्ता के लिए निमन्त्रण दिया गया था उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अगर सरकार आतंकवादियों के साथ इस आधार पर कि जब तक वे अलगाव की मांग नहीं छोड़ेंगे, बातचीत करने से इन्कार कर देती है तो असम के लोग इसका क्या आशय लगायेंगे? अगर कोई मजाकिया तौर पर यह प्रश्न करे कि यदि आज इसमें असफल रहते हैं तो आप क्या करेंगे? हां ठीक है, यदि हम उसमें असफल भी रहते हैं फिर भी हम कम से कम लोगों को अपनी कर्त्तव्य-निष्ठा के प्रति आश्वस्त तो कर सकते हैं। हर प्रकार से गेंद उनके पाले में है। हमें लोगों के प्रति अपनी अन्तिम अपील के साथ उग्रवादियों की लोगों के प्रति अपील को भी याद रखना चाहिए। निर्णय जनता को करने दीजिये।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार उनको राजी करने के तरीके में विश्वास नहीं करती। वे इसमें विश्वास करते हैं। तथापि मुझे आशंका इस बात की है कि कभी-कभी सही वक्त पर सही नीति नहीं अपनाई जाती। एक बार यदि स्थिति पर नजर नहीं रखी जाती है तो फिर कोई भी तरीका उन्हें मनाने का या बल-प्रयोग करने का काम नहीं करेगा। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सख्ती का प्रयोग हानिकारक भी हो सकता है। इससे कुछ सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है परन्तु कुल परिणाम इकतरफा होगा। जहां भी हमने सख्ती को अपनाया है यही वास्तविक स्थिति सामने आई। मैं यह नहीं कहता कि कठोर कार्यवाही अथवा सख्ती की, जो आतंकवादी विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम का आधार स्वरूप है, की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सरकार को असाधारण कानूनों और

असाधारण शक्तियों से लैस होना चाहिए लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि ऐसे कानूनों के प्रयोग का औचित्य क्या है।

मैं "मानवता" शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं चूंकि यह सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है परन्तु कुछ लोगों को इसके निर्वाह करने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन कठोर कार्यवाही का विकल्प अपनाने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विकल्प व्यर्थ हो चुके है और इसे अपनाने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। केवल तभी यह आतंकवादी-विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत बल-प्रयोग कार्यवाही की ओर कदम बढ़ा सकती है। इस पहलू को ध्यान में रखना होगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आतंकवादी-विध्वंसक गतिविधि (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 और संशोधन विधेयक, जो माननीय मंत्री द्वारा लाया गया है, का निरनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मूल-विधेयक को पेश करते समय सरकार ने कहा था कि मात्र दो वर्ष में वे उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हो सकेंगे। फिर इसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और अब फिर वही सरकार और दो वर्ष की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध लेकर आई है।

वास्तव में, ऐसे कानूनों का दुरुपयोग करने की अधिक सम्भावना रहती है। अभी-अभी श्री चित्त बसु किसी निर्मल सिंह के मामले का उदाहरण दे रहे थे जिसे आतंकवादी-विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत बंदी बनाया गया क्योंकि वह उस क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा था। वह सामाजिक न्याय के लिए और प्रशासन में लोगों के कुछ बुरे कार्यों के विरुद्ध लड़ रहा था। इससे चिढ़कर उसे बंदी बना लिया गया। कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं। मुझे बताया गया है कि राजस्थान के कोटा क्षेत्र में भी एक विशेष समुदाय के लोगों को काफी संख्या में गिरफ्तार किया गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रशासनिक ढांचे में किसी व्यक्ति द्वारा अथवा राजनितिक क्षेत्र में अपराधीकरण अथवा अपने प्रतिपक्षियों की गतिविधियों को रोकने हेतु आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने का पता लगाने के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है। सरकार को ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पहले बहुत कटु अनुभव हो चुका है। मात्र उच्च न्यायालय के एक विशेष निर्णय को नकारने हेतु इतना कठोर कानून, आंतरिक सुरक्षा बनाने रखने सम्बंधी कानून पास किया गया। वे लोग जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो कारागार में अनेक वर्षों तक परेशानी झेलते रहे, जैसे श्री मोरारजी देसाई, श्री आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नांडीज और ऐसे ही कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने इस देश के लिए खून-पसीना बहाया, कारागार में डाल दिए गए। उन सभी को जेल में रखा गया। हमें ऐसे कटु अनुभव हुए हैं। अनेक मजदूर संगठनों के नेताओं, किसान नेताओं और बहुत से लोगों को, सिर्फ इसलिए कि किसी विशेष व्यक्ति की सत्ता को कोई परेशानी न हो आसुका के अन्तर्गत नजरबंद बनाया गया था।

अब यह आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि (निवारण) अधिनियम लाया गया है। मैं यह

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

जानना चाहूंगा कि लगभग चार वर्ष पहले यह अधिनियम लाने के पश्चात आप कहां तक सफल हुए हैं और पंजाब में, जम्मू-कश्मीर में अथवा अन्यत्र कहीं भी क्या इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों और उग्रवादियों की गतिविधियों में कोई कमी आई है।

मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है ऐसा लगता है कि उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और वे बहुत अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर रहे हैं। वे न केवल दूर-दराज के क्षेत्रों में बल्कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर शहर में अथवा पंजाब के अनेक भागों में भी राकेट और अद्यतन इलेक्ट्रानिक उपकरण नये तरीकों से प्रयुक्त करने में समर्थ हो रहे हैं।

मेरा अनुरोध यह है कि केवल सेना अथवा हथियारों का प्रयोग इन उग्रवादियों को समाप्त नहीं कर सकता। आपको उग्रवादियों को शक्तिहीन करना होगा। आपको उस राज्य में उन राजनीतिक ताकतों को मजबूत करना होगा, जो इन आतंकवादियों के विचारों से सहमत नहीं हैं।

आठवीं लोक सभा के सदस्यों के नाते, यह हमारा बहुत कटु अनुभव रहा है। माननीय राष्ट्रपति ने, जब उन्होंने केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भाषण दिया, बरनाला जी की प्रशंसा की और उन्हें महान व्यक्ति कहा। कुछ ही महीनों के पश्चात उन्होंने उस सरकार को भंग कर दिया। श्री बरनाला, जो इन उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ रहे थे उन्हें इस प्रकार बर्खास्तगी से पुरस्कृत किया गया मात्र इसलिए कि उस समय आप हरियाणा में चुनाव करवाने जा रहे थे और आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे लेकिन आप हरियाणा के मतदाताओं को बहकाने में असफल रहे। आपकी इन तरकीबों का उन्हें बहुत कटु अनुभव हुआ था। उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों को दल बदल द्वारा बहुत हानि पहुंचाई गई। महान···* ···उसमें दक्ष थे। वह जनमत को हमेशा नकारते रहे थे। एक आखिरी हथियार का, अकाली दल की बरनाला सरकार को बर्खास्त करके आपने सोचा कि हरियाणा के लोग आपको वोट देंगे। लेकिन हरियाणा के लोग काफी समझदार है और उन्होंने आपको अपना मत नहीं दिया।

मेरा अनुरोध आपके सैनिक कार्यवाही अथवा पुलिस तथा अन्य संगठन की कार्यवाहियों से अलग है। आपको पंजाब अथवा जम्मू और कश्मीर अथवा असम अथवा किसी अन्य राज्य में किसी दूसरे तरीके के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया और कहा कि उन्होंने ने दल-बदल को प्रोत्साहित किया। उस नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं यह आप पर छोड़ता हूं।

मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय गृह मन्त्री श्री चव्हाण जी इस प्रकार का बदलाव लाने के लिए गंभीरता से कोशिश करेंगे। पिछले दिन वह कह रहे थे कि वह पंजाब, कश्मीर और ऐसे ही गड़बड़ी

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे और परिवर्तन लाने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे।

मैं यह चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। माननीय गृह मन्त्री को इसकी जानकारी अवश्य होगी।

वहां भी इन उग्रवादियों के नक्सलपंथियों के साथ बहुत अधिक सम्पर्क बने हुए हैं।

1.00 म० प०

वे अति आधुनिक हथियार प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि तत्कालीन तेलुगू देशम पार्टी की सरकार, एन० टी० रामाराव की सरकार के प्रति उनके क्रोध, और नफरत के कारण, दुर्भाग्य से हम यह विश्वास करते है कि नक्सलपंथियो के साथ कांग्रेस (इ) पार्टी के नेताओं के बीच आपसी समझ रही हो, जहां उन्हें इस बात का अनुमान था कि कांग्रेस (इ) चुनाव जीतेगी और सरकार बनायेगी और उसके बदले वर्ष 1989 के चुनावों में उसने कांग्रेस (इ) पार्टी की सहायता की।

स्थिति क्या है यह आप जानते हैं। आंध्र-प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री का नक्सलपंथियों के साथ बहुत नर्म व्यवहार रहा था और इन्हीं नक्सलपंथियों के उग्रवादियों, राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ संपर्क हैं। उन्होंने ए० के०-47 राइफल सहित बहुत बड़ी मात्रा में हथियार प्राप्त किये हैं। वे व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को धमकी देते हैं और कहते हैं—"हमें एक ए० के०-47 दो, हमें दो ए० के०-47 राइफल दो।"

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन भी आंध्र प्रदेश में वे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को मारने में सफल हो गए और इसी कारण से पुलिस का मनोबल गिर रहा है। मैं सरकार के ध्यान में जो लाना चाहता हूं वह बात यह है कि विधेयक इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका आशय, आपकी वचनबद्धता महत्वपूर्ण है।

महोदय, हैदराबाद शहर में भारी गड़बड़ी हुई थी। पुलिस की उपस्थिति में अनेक घटनाएं घटीं। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल मुख्य मन्त्री बदलने से ही सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जब केन्द्र और राज्य में ऐसे लोग सत्ता में होंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी तब क्या इन घटनाओं से इन आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को अपना खेल खेलने के लिए बढ़ावा नहीं मिलेगा। ऐसी घटनाएं केवल मुख्य मन्त्री बदलने से हुई। आप अपने आला कमान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और मुख्य मन्त्री को बदलने की मांग कर सकते है। लेकिन निर्दोष लोगों को मारना और उच्च स्तर पर हिंसा भड़काना ठीक बात नहीं है। इन बातों का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि उच्च स्तर पर ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार और विशेष रूप से हमारे गृह मन्त्री श्री चव्हाण इन आतंकवादियो की गतिविधियों को रोकने में सफल होंगे।

मैं आशा करता हूं कि इस सरकार को आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 की अवधि बढ़ाने की आवयकता नहीं रहेगी।

श्री रामकृष्ण कोंताला : (अनकापल्ली) : महोदय, श्री शोभनाद्रीश्वर राव ने अभी-अभी कहा है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। उनके अपने दल के

[श्री रामकृष्ण कोंताला]

लोगों का भी तो नक्सलवादियों से सम्पर्क है और उन्हें पिछले चुनावों में एक ही मंच से चुनाव अभियान चलाया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें इस प्रकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे समक्ष समय की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण कोंताला : वह ही आंध्र प्रदेश मे नक्सलवादी आन्दोलन के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : ऐसा नहीं है, यह ज्ञातव्य तथ्य है। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : जैसा कि आपने कहा कि आपने एक मंच से चुनाव अभियान चलाया। आपको इस बात का उत्तर देना होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसी और समय इस बात को उठा सकते हैं। समय बहुत कम है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मेरे सहयोगी ने कुछ कहा है। आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी कांग्रेस सरकार नक्सलवादियों के प्रति बहुत उदार रही है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति आ गई है जैसी कि आंध्र प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी—(व्यवधान)

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करने पर बल नही देंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मैं इस कानून का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दो साल के लिए पहले इसको लाया गया, फिर दो साल की बात हो गई और अब इस आर्डिनेंस के द्वारा इसको फिर दो साल के लिए जीवित रखने का सरकार का प्रयास है। हमें देखना है कि जितने भी इस प्रकार के कानून इस देश में लाये गये हैं और मैं जाना चाहूंगा उस पहले प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट की ओर, वह कानून 1952 में पास हुआ था, 1952 में पारित हुआ था, इस सदन में। उस वक्त श्री कैलाश नाथ काटजू गृह मन्त्री थे और जब उस कानून का विरोध इस सदन में विपक्ष ने किया, क्योंकि, कांग्रेस पक्ष हमेशा तानाशाही की ओर, एकाधिकार की ओर, व्यक्तित्ववाद की ओर अपनी नजर रखकर काम करने वाला पक्ष है; लेकिन इस सदन में विपक्ष ने जब उस कानून का विरोध किया था, तब गृह मन्त्री श्री काटजू की ओर से यह कहा गया था कि वह कानून कुछ ही समय के लिए हमें

इस्तेमाल में लाना है।

मैं उस महापुरुष का नाम आज यहां पर लेना चाहूंगा, जिनके राजनैतिक विचारों को लेकर अनेक लोगों में सदन में मतभेद हों और जिनके कुल दर्शन से हमारा भी कोई विशेष वास्ता नहीं हो, श्यामा प्रसाद मुकर्जी। श्यामा प्रसाद मुकर्जी सदन के सदस्य थे और उन्होंने उस कानून का यहां पर बहुत सख्ती के साथ विरोध किया। मैं सदन के विशेष कर उन लोगों को, जो इस कानून के समर्थक हैं और अपने वाक्चातुर्य का यहां पर इस्तेमाल करते हैं, इसके समर्थन में उनसे विशेष तौर पर कहूंगा कि वह श्यामा प्रसाद मुकर्जी के उस भाषण को पढ़ें। उस भाषण के दौरान उन्होंने चूंकि वह कानून पेश करते समय, अभी जिनका जिक्र यहां पर किया, एक माननीय सदस्य ने किया, नक्सलवादी तो उन दिनों में कम्युनिष्ट पार्टियों या कम्युनिष्ट विचारधारा, पार्टी तो एक ही थी, लेकिन कम्युनिष्ट विचारधारा पूंजीशाही का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं थी। जवाहर लाल नेहरू समाजवादी बोली बोलते थे लेकिन पूंजीवाद का काम करते थे। तो चूंकि उस कानून को यहां पेश करते समय काटजू जी ने इस बात को छेड़ा कि देश में कम्युनिष्ट पार्टी के लोग कैसे मुखालफत कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुकर्जी का उस वक्त कहा हुआ यह वाक्य है।

[अनुवाद]

मैं साम्यवाद का समर्थक नहीं हूं। हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हैं। लेकिन जहां तक निवारण नजरबंदी कानून का संबंध है मैं इसे असंगत, अवैध और कानून के नियम की संकलन के विरुद्ध मानता हूं।

[हिन्दी]

चूंकि, होम मिनिस्टर ने तब कहा कि कुछ ही समय के लिए है तो उनका जवाब है उसके ऊपर, अपने भाषण के दौरान,

[अनुवाद]

गृह मन्त्री ने कहा कि यह केवल अस्थायी उपाय है।

[हिन्दी]

चव्हाण साहब, आप इसको गौर से···(व्यवधान)···नहीं, खाली, सुनें ही नहीं, सोचें, सोचें इस पर।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री ने कहा कि यह केवल अस्थायी उपाय है और वे इसे कुछ समय के लिए ही लागू होंगे।

[हिन्दी]

और इसमें उनका अपना जवाब रहा।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

"ऐसा नहीं होगा।"

[हिन्दी]

चार शब्दों में उन्होंने कह दिया कि यह गलत है आपका और अगर यह शब्द इस्तेमाल करूं, यह बिल्कुल ही झूठ है आपका और उनके भाषण का उद्धरण देते हुए आज जो सदन में विपक्ष के नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने यह कहा था—"अलौकिक दूरदर्शिता से।"

[अनुवाद]

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, "इतिहास हमें अनेक उदाहरण देता है जबकि कार्यपालिका को एक बार अधिक और निरंकुश शक्तियां मिलने पर वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती : कार्यपालिका ऐसी शक्तियों को बनाए रखने के लिए तर्क देती है। बिना कोई मुकदमा चलाए किसी को नजरबन्द रखने का सिद्धान्त यह दर्शाता है कि या तो देश की सरकार में कुछ कमी है अथवा लोगों में कुछ कमी है।"

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो बहाने लेकर सरकारें इस सदन के सामने आई हैं। 1952 से कि कुछ ही दिनों के लिए हमें यह कानून चलाने के लिए मौका दे दो और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। स्थिति बिगड़ती गई, बिगड़ती गई और आज एक ऐसी स्थिति में आकर पहुंचे है, जहां इस राष्ट्र के भविष्य के लिए हम सब लोग न केवल चिन्तित हैं, बल्कि एक प्रकार से काफी परेशान है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जिम्मेदारी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिम्मेदारी पर बहस करने की आपमें काबलियत नहीं है। जिसमें काबलियत नहीं है उसमें आप मुंह मत खोलिएगा क्योंकि यह बहस आप कभी जीत नहीं पायेंगे। इस बहस से अपने नेतृत्व को बदनाम करोगे चूंकि हम लोग आपको मुक्त नहीं छोड़ेंगे।

आज इस सदन में यह कानून लाया गया है। इस कानून के बारे में हम लोग जरा सोचें और बोलें। आप इस कानून को किन परिस्थितियों में लाए हैं ? इस पर चव्हाण साहब के दस्तखत हैं।

[अनुवाद]

देश के अनेक भागों में व्याप्त आतंकवादी हिंसा द्वारा उत्पन्न असाधारण स्थिति से निपटने के लिए आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) 24 मई, 1987 से लागू किया गया था जिसने आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश 2) का स्थान लिया।

[हिन्दी]

अभी एक सम्माननीय सदस्य, जो सदन में पहली बार आए हैं ने यहां पर कहा कि कैसे काश्मीर में स्थिति बहुत बिगड़ गई। यह कानून 1987 का है। काश्मीर की स्थिति 1990 में नहीं बिगड़ी। 1987 में एक बार इसको लाए और 1989 में यह कह कर इसको फिर बढ़ा दिया कि अब स्थिति और बिगड़ी है, इसलिए दो साल की और मोहलत दे दो और यहां यह कह कर कुछ भी कहें। कांग्रेस का गुण-गान करने के लिए अखबार हैं, जो आप को फोकट में छापते हैं। काम्यूनिस्ट गुण-गान के लिए हिन्दुस्तान में अनेक मैदान हैं। लेकिन इस सदन में ये बातें क्यों? यह कहा जाए कि देश में कोई ऐसी स्थिति बन गई है, जिसको लेकर यह कानून लाया जा रहा है। 1970 में यह स्थिति बनी, चव्हाण साहब के दस्तखत पर आपका यह कहना है। कम से कम अपने नेता की बदनामी तो मत करो, मंत्रियों को इस तरह से बदनाम मत करो। उनको झूठ मत साबित करो इस सदन में। वे बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

देश के अनेक भागों में व्याप्त आतंकवादी हिंसा से उत्पन्न असधारण स्थिति से निपटने के लिए।

[हिन्दी]

एक बात तो यह कि यह सिद्ध हो गया है कि आपके ऐसे कानून से किसी प्रकार के हिंसाचार को किसी प्रकार के आतंकवाद को मिटा नहीं सकते हैं। यह सबक सीखना बहुत जरूरी है। यह सवाल पूछना कि नक्सलवादी को कौन कितना प्रोत्साहन दिया तो नक्सलवादियों के साथ अगर किसी को जमाना होता है तो जमा लेते हैं और जब किसी को टोकना होता है तो उसका इस्तेमाल भी करा लेते हैं और उनको बदनाम भी करा लेते हैं। विचारधाराओं से लड़ाई हो सकती है, जो हिंसा और राजनीति में नहीं होनी चाहिए लेकिन राजनीति में जितनी हिंसा नहीं होनी चाहिए उतनी ही या उससे अधिक सरकारी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस देश को सरकारी हिंसा से चलाने का काम आप लोगों ने 1947 से किया है। देश को इस स्थिति में लाए हैं, चाहे पंजाब हो काश्मीर हो, असम हो दक्षिण हो या उत्तर हो—सरकारी हिंसा ने देश को यहां लाने का काम किया है और सरकारें सबक नहीं सीख रही हैं। मुझे इस बात से बहुत चिन्ता है। क्यों नहीं हम देश के पिछले 44 सालों के इतिहास को देखते हैं? क्यों नहीं चारों तरफ ईमानदारी आवे, वह कबूल करने की कि हिंसा से कोई भी मसला हल नहीं कर पाए और अब कोई और रास्ता हम लोग पकड़ें। आप मारते जाओगे तो मुखालिफत करने वाला और मारने का काम करेगा। सारी दुनिया को यह अनुभव हुआ है और 44 सालों के बाद सारे आपके प्रिवेंशन-डिटेंशन कानूनों के बाद ऐसी स्थिति में आकर पहुंचे हों तो सभापति जी, हम यह कह रहे हैं कि यह कानून निरर्थक है। इस कानून से कुछ नहीं होना है। इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद को मिटाने के लिए नहीं इस देश में प्रजातन्त्र को दो थप्पड़ मारने या मिटाने के लिए नहीं आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस कानून पर अभी संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हो गई। इसकी चर्चा, पता नहीं मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं, जरूर होनी चाहिए और अगर न हो तो उनका मंत्रालय से विशेष कर कानून मंत्रालय से इसके

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बारे में आप जानकारी मंगा लें। यूनाइटेड नेशन्स की ह्यूमन राइट्स कमेटी पर बहस हो गई और यह बहस मार्च, 27 से शुरू हुई, इसी साल, यानी 4 महीने पहले। उस बहस में आपके एटार्नी जनरल बहुत नामी आदमी हैं, क्योंकि उनका नाम लेना आप कबूल नहीं करेंगे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। एटार्नी जनरल ने वहां पर यह भाषण दिया—

[अनुवाद]

"निरंकुश रूप से नजरबन्दी करने और नजरबन्द व्यक्तियों की शिकायतें सुनने की प्रक्रिया के विरुद्ध जो प्रावधान है उनमें से एक भी आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम में नहीं हैं।"

[हिन्दी]

एटार्नी जनरल संयुक्त राष्ट्र संघ के ह्यूमन राइट्स कमेटी में कबूल करता है कि इस कानून के अंतर्गत जिसकी गिरफ्तारी होती है ।

[अनुवाद]

उसको इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निरंकुश नजरबन्दी के विरुद्ध अपना नजरबन्द व्यक्ति की शिकायतें सुनने की प्रक्रिया के बारे में हो।

[हिन्दी]

आपका कानून तो दुनिया में आज बदनाम हो चुका है, कोई कारगर कानून तो है नहीं, लेकिन इस देश को दुनिया के सामने मानवीय अधिकारों का हर स्तर पर हनन करने वाला ये देश है, यह दिखाने के लिए यह कानून मदद कर रहा है और आपके एटार्नी जनरल जाकर दुनिया के मंच पर इस बात को कह रहे हैं। इतना ही नहीं कह रहे हैं और भी कुछ बातें इस कानून के बारे में कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी विशेष तौर पर ध्यान में रख कर इस पर कुछ कार्यवाही करें। वे आगे कहते हैं उसी बयान में, संयुक्त राष्ट्र संघ कमेटी में —

[अनुवाद]

"आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक अधिनियमन है, यह ऐसा कानून नहीं है जो निवारण नजरबन्दी के मुद्दे से निपट सके अथवा नये अपराध से निपट सके। अधिनियम के अनुच्छेद 3 में ऐसी विशिष्ट विध्वंसकारी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए दंड का प्रावधान है। आतंकवादी मामलों का निपटारा करने के लिए एक साधारण आपराधिक न्यायालय पर्याप्त नहीं क्योंकि इसमें साक्षियों की सूचना जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। "भारत की संविधानिक विधि, जिसने कॉवनेंट के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है, के अनुसार आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था बशर्ते कि न्यायालय प्रक्रिया के बारे में ठीक प्रकार से बताया जाता और जमानत सम्बन्धी शर्तें उचित होती।" "कॉवनेंट का अर्थ

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय कॉवनेंट है।" अनुच्छेद 9 व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा न्यायालय तक पंहुच जैसे दो मुद्दों से संबंधित है।" उन्होंने स्वयं इसमें कहा है कि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नजरबन्दी अथवा नजरबन्दी के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई से सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

[हिन्दी]

तो अंतर्विरोध स्पष्ट है। इस कानून का बचाव हिन्दुस्तान के एटार्नी जनरल दुनिया के किसी भी मंच पर नहीं कर पाए, मगर बचाव के नाम पर उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष जी, आप इसको सुनकर ताज्जुब ही नहीं हैरान भी हो जाएंगे, एटार्नी जनरल कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को—

[अनुवाद]

विशेष रूप से गठित किए गए न्यायालय हैं। "आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायालय शायद भारत के सबसे अधिक निष्पक्ष न्यायालय है क्योंकि नियुक्त किए गए न्यायाधीश ऐसे अधिकारी थे जिन्हें विशेष अनुभव था और वह स्वतन्त्र और निर्भीक थे।" यह भारत के महान्यायवादी के शब्द हैं।

[हिन्दी]

इसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान की जो बाकी अदालतों की व्यवस्था है, वे ईमानदार नहीं हैं, वहां जिन लोगों की नियुक्तियां होती है वह ईमानदारी से नहीं होती है। वहां के जो जज हैं वे डरपोक हैं और अन्य अदालतों के जज भी डरपोक हैं, वे ईमानदार नहीं हैं, उनके नियुक्ति करने के तरीके ठीक नहीं हैं। कुछ अदालतें है जहां पर हमने निष्पक्ष, अच्छे और निडर लोगों को बिठाने का काम किया है।

अध्यक्ष जी, अगर सारे विश्व के सामने जाकर भी इस कानून को लाकर हमारा मुल्क बदनाम होता और अगर एटार्नी जनरल के पास भी इस कानून के बचाव की दृष्टि से कोई बात नहीं बचती हो, तो हम समझ सकते हैं इस कानून की क्या हालत है और क्यों इस कानून को आगे ले जाने के लिए हमको रोकना है। एक-दो मुद्दों को रख कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें एक अभाव है।

एक माननीय सदस्य ने यहां पर कश्मीर पर बहुत लंबा भाषण दिया, कश्मीर का नया इतिहास भी हम लोगों को सुनाया। सभापति जी, कश्मीर के इतिहास को यदि जानना है तो आजादी से पहले जाना होगा, उसके लिए कुछ लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। मौजूदा स्थिति जो देश में है, मौजूदा स्थिति का जन्म, उद्‌गम कहां है, यह 1984 में है जब वहां चुनाव हुए और एक सरकार बनी। कश्मीर में दो बार ईमानदारी से चुनाव हुए, यह कश्मीरी लोग मानेंगे, जिनको कश्मीर के बारे में मालूम है। कश्मीरी लोग मानते है, कि केवल दो बार वहां पर ईमानदारी से चुनाव हुए, टैक्सी वाले से लेकर होटल वाले लड़के तक यह कहते हैं, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, वे कांग्रेस वाले हो सकते हैं। 1977 में जब श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और दूसरे चुनाव वे जो 1983 में हुए, इस तरह से दो बार वहां पर ईमानदारी से चुनाव हुए। शेख साहब पहली बार जीत कर आए

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

और फारुख अब्दुल्ला दूसरी बार जीत कर आए और वहां पर सरकार बनी।

सभापति महोदय, आज यहां पर बहुत लंबा भाषण दिया गया क्योंकि एक राजनीतिक आदमी को वहां पर रखना चाहिए। नाम लेने में कांग्रेस वालों को शर्म आती है। जिस राजनीतिक आदमी को बैठाना है, उसका नाम लेने में शर्म आती है, लेकिन फारुख अब्दुल्ला ने कितना बढ़िया वहां पर काम किया, इसकी यहां पर चर्चा हो गई। 1984 में फारुख अब्दुल्ला सरकार को उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं, इस ढंग से गिरा दिया गया और सारी दुनिया के बाजार में खड़े होकर कहा गया कि यह दलाल है, पाकिस्तान का दलाल है, देश को बेच रहा है। कोई ऐसा राजनीतिक अपशब्द नहीं हो सकता जिसका इस्तेमाल फारुख अब्दुल्ला के लिए उस समय न किया गया हो। इस सदन में 4 दिन पहले मेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए सदस्यों ने सदन का बहिष्कार एक शब्द को लेकर किया, लेकिन फारुख अब्दुल्ला के बारे में कांग्रेस पार्टी ने सारी दुनिया के बाजारों में और चौराहों पर इस शब्द को कहा था। फारुख अब्दुल्ला में दम नहीं था मुकाबला करने का, 6 महीने में बैठ गया और यही ये लोग चाहते थे। 6 महीने में जब वह बैठ गया तो फिर उसको दबा कर समझौता करा दिया कि कांग्रेसियों को भी सरकार में ले लो। इस तरह से कांग्रेस के मंत्री भी उस सरकार में जुड़ गए। उस दिन फारुख अब्दुल्ला देशभक्त बन गया। उस दिन फारुख अब्दुल्ला राष्ट्र-भक्ति से भरा हुआ आदमी बन गया, देशभक्त बन गया, बहुत काबिल आदमी बन गया, सर्वगुण संपन्न आदमी बन गया। कांग्रेस का पल्लू पकड़ो··· ।

श्री देवराय नायक (कनारा) : जिस तरह से वी० पी० सिंह कांग्रेस में थे तो अच्छे आदमी नहीं थे, कांग्रेस छोड़ दी तो अच्छे आदमी बन गए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सारी दुनिया में कांग्रेस का ही पल्लू पकड़ना चाहिए। अभी तो पल्लू नहीं है, बस पल्लू लाना बाकी है, उसको ले आओ, फिर पल्लू पकड़ने से सब ठीक हो जाएगा, हम जानते हैं। (व्यवधान) इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पल्लू के बिना काम नहीं चलता है। क्या बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : कश्मीर में आपके लिये कुछ नहीं है, इसलिए आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कश्मीर में मेरे लिये कुछ नहीं है। कश्मीर मेरे जीवन का उतना ही एक भाग है जितना आपके जीवन का।

श्री पी० सी० चाक्को : आपका दल।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा दल ? आपके दल के लिए कश्मीर में कुछ है। इससे क्या फर्क पड़ता है ? हमें देश की चिंता है न कि राजनीतिक दलों की। हम देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे खेद है महोदय कि माननीय मंत्री जी यह समझने में असमर्थ हैं कि हम यहां पर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि हम यहां उनके दल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम यहां किसी

राजनीतिक दल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया विधेयक पर ही बोलिए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह आपकी राजनीति है ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं राजनीति पर नहीं बोल रहा हूं। मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है आपके दल ने ही ऐसी बात शुरू की। आपने कुछ मुद्दे उठाए और मुझे उनका उत्तर देना है (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम विषय से हटकर चर्चा न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर फिर कभी बहस रखिए।

सभापति महोदय, कश्मीर के बारे में यहां पर सवाल उठाया जाता है। आतंकवाद 1987 के चुनाव के बाद कश्मीर में शुरू हुआ और इसलिए शुरू हुआ कि 1987 में जो चुनाव हुए, 1984 में फारुख अब्दुल्ला को बिठाने के बाद···। कांग्रेस पार्टी के साथ वहां जाकर गठजोड़ वाली सरकार को बनाने के बाद जो बेईमानी चली, जो गलत काम हुआ और अन्त मे 1987 में कोई जरूरत नहीं थी नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस दोनों का गठ-बन्धन चल भी जाता तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी वहां पर चुनावी बेईमानी करने की। चुनावी बेईमानी की। उसका नतीजा हुआ कि वहां पर आतंकवाद को आपने दावत देकर कहा कि और कोई तरीका नहीं है हम लोगों को हटाने का, आतंक के मार्ग से हमें हटाना शुरू करो।

इसलिए आतंकवाद की चर्चा बन्दूक के साथ केवल मात्र जुड़ी। बन्दूकों ने आतंकवाद को दुनियां में, कई लोग बोलेंगे कि अंग्रेजों ने मलेशिया में आतंकवाद को समाप्त किया था, लेकिन अंग्रेज मलेशिया के लोगों का अंग्रेज नहीं मानते थे। अंग्रेज गोली चला सकते थे, मलेशिया में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को जान से मार सकते थे। लेकिन हम एक तरफ यह मानें कि काश्मीर के लड़के हमारे बच्चे हैं, हम यह मानें कि पंजाब के लड़के हमारे बच्चे है, हम माने कि आसाम के लड़के हमारे बच्चे हैं और फिर कहें कि हम लोग बन्दूक लेकर अपने बच्चों को मारने का काम करेंगे और उसके लिए हवाला हम अंग्रेजों का दें कि अंग्रेजों ने कैसे बन्दूक के जरिए लोगों को मार कर साफ कर दिया।

अध्यक्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ मुझे कहना है कि यह तरीका नहीं चलेगा अगर इस देश को बनाए रखने का और आतंकवाद को इस देश से मिटाने का काम करना हो। इसलिए कानून को हम किसी भी हालत में यहां पर कबूल करने को तैयार नहीं हैं। समाप्त करने से पहले एक और अनुभव को सदन के सामने रख कर, जो शायद हमारी तरफ के कुछ साथियों को पसंद नहीं होगा,

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जो ऐसे कानून होते हैं, ये कानून एक बार बनने के बाद उसका कौन इस्तेमाल करेगा और कहां-कहां, किन-किन कामों में इस्तेमाल में लाए जायेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। टैरोरिस्ट एक्ट, जिसके लिए आप दो साल और मांग रहे हैं, राजस्थान में 287 लड़के आज जेलखाने में बन्द हैं। वे 10 साल से 18 साल की उम्र के लड़के हैं। दो साल पहले उनको गिरफ्तार किया, दंगा हुआ था, फसाद हुआ था कोटा में। राजस्थान के गृह मंत्री कबूल करते हैं कि 187 उनमें से निर्दोष हैं, निरपराध हैं, लेकिन फिर यह कहते हैं कि हमारे हाथ मे कुछ नहीं है, यह कानून तो केन्द्र सरकार के अमल में लाए जाने का काम होता है, डेजिग्नेटिड कोर्टस वगैरह है, हमारे बस का नहीं है। कैसे इस्तेमाल होता है कानून का, यह एक उदाहरण है।

मैंने इस कानून को यहां पर उस दिन पेश करते हुए जब विरोध किया था तब गुजरात के उदाहरण दिए थे। मैंने उदाहरण दिया था एक कारखाने का, रिलायंस टैक्सटाइल का, जहां पर मजदूरों की हड़ताल को खत्म करने के लिए, उस कम्पनी का जो सबसे बड़ा मालिक है, जिसका नाम इस सदन में लेना मैं ठीक नहीं मानता हूं, इस सदन को गिराना होता है उसका नाम लेकर, मैं मानता हूं, उस व्यक्ति ने मुख्य मंत्री के साथ मुलाकात की, अखबारों में तस्वीरें छपवा कर लायीं और उसी रात को मजदूरों को गिरफ्तार किया इसी कानून के अन्तर्गत, टैरोरिस्ट कानून के अन्तर्गत। क्योंकि वे अपने हकों के लिए हड़ताल कर रहे थे। न कोई हिंसा थी, न कोई आतंकवाद और न कोई और चीज थी। अगर हिंसा थी तो हिंसा के लिए यह कानून नहीं है। आपने वहां 18 या 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनको छुड़वाने के लिए हमारे संगठन को सुप्रीम कोर्ट तक आ कर हजारों रुपया खर्च कर के कई महीनों के बाद जेल से हम लोग उनको बाहर निकाल सके।

सभापति महोदय, गुजरात में दो हजार के लगभग इस कानून के अन्तर्गत लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने जेल में है, हम माननीय मंत्री जी से जवाब देते वक्त सुनना चाहते हैं। इस कानून के अन्तर्गत आज हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में, ऐसे वक्त के जो भारत के रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस सरकार में और वह भी एमरजेंसी के दिनों में, जब सबसे मजबूत रक्षा मंत्री की जरूरत थी, वह व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, अभी एक साल पहले, दो साल, तीन साल पहले तक, आज उनकी तरफ ये बयान है, श्री बन्सी लाल की तरफ से, वे कहते हैं :—

[अनुवाद]

"हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख उद्योगपति श्री ओ०पी० जिंदल के विरुद्ध आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। श्री जिंदल हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी हैं। वह हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम का दुरुपयोग करके उनके व्यापार को रोककर और असामाजिकतत्वों द्वारा श्री ओ०पी० जिंदल पर आक्रमण करवाकर उनपर दबाव डाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि श्री ओ०पी० जिंदल, विधान सभा सदस्य, कांग्रेस (आई) में

आ जाएं। इसी प्रकार उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के विधान सभा सदस्य श्री लहरी सिंह के घर पर छापा डलवाया और उनके घर के बिजली के कनेक्शन कटवा दिए।"

2.30 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

यहां पर कैसे उस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। उस कानून को और दो साल बढ़ाने के लिए आप आये हैं। उस निवेदन में बंसीलाल जी कहते हैं : (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, क्या वह ये सभी कागजात सभा पटल पर रखेंगे ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, मैं उन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

"कर्नल रिसाल सिंह (सेवा निवृत्त) जो श्री ओ०पी० जिंदल के सुरक्षा अधिकारी थे, को भी उसी दिन आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम के अंतर्गत झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया।

[हिन्दी]

कौन से कानून के लिए आप आए हैं। कौन सा कानून सरकार बनाना चाहती है। रिसाल सिंह को चार रोज पहले टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। जिन्दल को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी चल रही है। वह कानून गुजरात के दो हजार मजदूर क्षेत्र में, जन आंदोलन के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया हुआ है। वह कानून 278 नौजवानों को दस साल से अट्ठारह साल तक, उधर राजस्थान में पिछले दो साल से निरपराध निर्दोष लोगों को बंद करके रखा हुआ है। वह कानून कौन सा कानून आप बनाना चाहते हैं। जो बात कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं, वही बात उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के लिए कहना चाहता हूं। मुझे बहुत परेशानी है। यहां पड़ोस के गाजियाबाद की बात कहना चाहता हूं। यहां पर एक विशेष अधिकार के प्रश्न को लेकर चर्चा हो गई। वह बात डी० पी० यादव के बारे में है। वह कौन सी चीज है, क्या है, उनका अतीत और वर्तमान क्या है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके बचाव के लिए एक वकील खड़ा होता है और उस वकील को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में रखते हैं, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं उस वकील को जो डी०पी० यादव के बचाव के लिए वहां पर खड़ा हुआ था... (व्यवधान)...उसका नाम कुछ भी हो वह यादव है। अगर वह कुर्सी मारेगा तो क्या जेल में बंद करना है।...(व्यवधान)...मानवीय अधिकारों का जहां सवाल है तो अपनी पार्टी या किसी से सौदा नहीं करना है। हम बिहार में नहीं, देश में या दुनिया में मानव अधिकारों के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के लिए भूमिका हो और फिर अगर भूमिका होगी तो हम इसपर अलग से

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बहस करेंगे और सदन में बहस करेंगे। लेकिन वकील ने कुर्सी उठाई और वह जज को मारने के लिए आई तो नेशनल सेक्युरिटी एक्ट के अन्दर गिरफ्तार करेंगे तो इंडियन पीनल कोड किसलिए हैं।... (व्यवधान)... आप सुनिए। अगर डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट डी०एस०पी० या एस० पी० जैसे सब लोग कुर्सी या लाठी उठा लेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अन्दर बंद करेंगे तो जितने वकील हैं वे सब बेकार होंगे।...(व्यवधान)...हमारा सारा समय इन लोगों ने टोक-टोककर खराब किया। नहर सिंह यादव, वकील का नाम है। हम जानना चाहेंगे कि किस आधार पर नेशनल सिक्युरिटी एक्ट के अन्दर आप उनको जेल में रखेंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार से मेरी आपत्ति है। शंकर गुहानी योगी मजदूर आन्दोलन में काम करने वाला छत्तीसगढ़ का एक कार्यकर्ता बीस साल से वहां लड़ रहा है। उनका मजदूर आंदोलन केवल तनख्वाह बढ़ाने वाला आंदोलन नहीं है। वह मजदूरों को अवैध चीजों से दूर रखने वाला है जैसे शराब, बीड़ी-सिगरेट पीना बंद कर दो।

अपने पैसे का सदुपयोग करो और पढ़ाई लिखाई अपने बाल-बच्चों को अधिक दे दो। ये सारी चीजें अपने मजदूर आंदोलन के साथ जोड़कर काम करने वाला एक शानदार क्रान्तिकारी लड़का शंकर गुहानी योगी है। डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया गया और महीनों तक पहले उसको जेल में रखा। उसको वहां से एक्सटर्न करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में छत्तीसगढ़ के पांच-छः जिलों में एक्सटर्न करने का काम हो रहा है।

चूंकि गरीबों के लिए वह वहां पर काम कर रहा है। मतभेद राजनैतिक हो सकते हैं। हर क्षेत्र में मतभेद है, दलों में भी भीतरी मतभेद होते हैं। मगर हम यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि इस सदन के सभी हिस्सों के लोगों से कि जहां ऐसे कानूनों की बात आती है तो जैसा डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी सदन में 1952 में व्यक्त किया था कि ऐसे कानूनों का समर्थन कभी मत करिए। वैचारिक मतभेद कम्युनिस्टों के साथ रहेंगे, लेकिन इस कानून को उनके नाम से पास न करिये, इनकी बातों को न मानिएगा एक्जीक्यूटिव की बात को न मानियेगा जो आपसे और हमसे कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें और मौका दें। पहले भी हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीने का मौका दिया था। इसस दन में इस देश के गृह मन्त्री, बहुत बड़े गृहमन्त्री पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने 6 महीने के लिए इसका मौका मांगा था और कहा था कि हम आतंकवाद से निपट लेंगे। 1958 से लेकर आज 1991 हो गया है, इन 32-33 सालों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो केवल नागालैंड के लिए अमल मे आया था आज सारे देश में छाया हुआ है। इसलिए मेरी सदन से प्रार्थना है कि इसका समर्थन न करें, इसका विरोध करें। कांग्रेस के सदस्य भी अन्तरात्मा कहेगी उसके मुताबिक काम करें और इसका विरोध करें। चूंकि बहुत दिनों तक यह सरकार रहेगी, ऐसी उम्मीद न रखें। अगर कोई गलत सरकार आ गई तो आपको भी जेल में डाल देगी।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको गृहमन्त्री वापस लें और कहें कि गलती हो गई, अब नया रास्ता पकड़ेंगे, सबसे बढ़िया यही होगा। अगर यह न हो सके तो अपने दल के सदस्यों को अपने मुक्त दिलों से वोट देने का अधिकार दें और इस बिल पर वे इसका विरोध करके इसको हरा देने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : मुझे इस बात से हैरानी है कि क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि निवारण नजरबंदी अधिनियम की अवधि उस समय बढ़ाई गई थी जब उनके नेता श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधान मंत्री थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं, महोदय (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : मैंने निवारण नजरबंदी कानून के तहत चार वर्ष जेल में काटे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, जार्ज फर्नान्डीज साहब ने इस विधेयक का विरोध किया है और इस विधेयक का विरोध करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दो बातें कही हैं। मैं प्रारम्भ मे कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने जो ये बातें कही है वह सब होंगी तो ऐसे काम के लिए टाडा का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे संदेह है कि जो उन्होंने जानकारी दी कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में जो उन्होंने कहा कि एक्सटर्नमेंट प्रोसीजर चल रहा है। एक्सटर्नमेंट प्रोसीजर चलाना और उसमें टाडा का उल्लेख करना···।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा था।

श्री राम नाईक : आपने जो उल्लेख किया वह एक्सटर्नमेंट प्रोसीजर का किया। सभापति महोदया, एक बात सीधी और सरल है जो डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय बताया और आज देश में जिस प्रकार आतंकवादी देश में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तब की राजनैतिक स्थिति और अब की राजनैतिक स्थिति में बड़ा अन्तर हो गया है। मानवाधिकार आयोग की बात भी आपने कही। लेकिन उसने पंजाब में या कश्मीर में बसेज में जाने वाले लोग हैं उनको बाहर निकाल-कर उनका कोई दोष नहीं, वे निरपराध थे ऐसे लोगों को मारा गया तो इनमें से एक भी मानवा-धिकार आयोग ने आगे आकर नहीं कहा कि इनको क्यों मारा गया। सारे भाषण में आपने इसका भी उल्लेख नहीं किया। कश्मीर से जो दो लाख हिन्दू बाहर आए हैं तो क्या उन्होंने अपने घरों को आराम से छोड़ दिया है। जब ऐसी स्थिति वहां पैदा हुई कि आदमी वहां रह नहीं सकें, तब वे वहां से आए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां ऐसी स्थिति बनी, जब कि यह नहीं बननी चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है और इसके लिए देश को आगे आना चाहिए और इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यह जो संघर्ष है वह देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं।

आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके विरोध में है और इसलिए इस विधेयक का सैद्धान्तिक आधार पर समर्थन करना चाहता हूं। साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह विधेयक आया, उस समय कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी थे लेकिन बाद में असम, तमिलनाडु और होते-होते हमारे गृह मन्त्री के घर तक आतंकवादी गये। अब कोई 15-20 दिन पहले उनकी लड़की के घर पर आकर हमला भी किया गया। इसलिए आतंकवादियों का जो खतरा है, वह खतरा कोई ह्यूमन राईट्स की बात करके समाप्त नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूं और इसके बारे में

[श्री राम नाईक]

बड़ी सतर्कता के साथ काम करता हूं तथा केवल इसी कारण देश की सुरक्षा को खतरा है, इस बात को लेकर इस विधेयक का मैं समर्थन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, यह भी बात है कि जब चुनाव चल रहे थे, ऐसे समय पर अध्यादेश निकला या कोई भी आर्डिनेंस निकला तो उसका विरोध करते हैं लेकिन स्थिति यह थी कि उस समय लोक सभा नहीं थी और यह आर्डिनेंस निकला। वह अभी सामने आया है लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे ऐसा मालूम है कि 1987 में यह कानून बना, विशेष कोर्ट बनाया। तो पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि सचमुच आपने कितने कोर्ट्स बनाए हैं ? यहां पर हिसाब दिया है कि एक कोर्ट के पीछे सात लाख रुपया खर्च आता है लेकिन जैसा कोर्ट चलना चाहिए, बनना चाहिए, वैसा बनाये। मुझे ऐसा लगता है कि महीने-महीने, सालों-साल कई ऐसे लोग जेल में पड़े हुए हैं जिनपर केसेज या मुकद्दमें चलने चाहिए, वे नहीं चल रहे हैं। इसलिये कितने कोर्ट्स आपने आज तक बनाये हैं और सचमुच में आज तक चार सालों में इन कोर्टों के जरिये कितने लोगों को सजा हुई है, फाईनल इम्प्रीजनमेंट हुई हैं, यह भी हम जानना चाहेंगे। आखिर कोर्ट्स काम करते हैं या नहीं करते हैं ? इस-लिए मेरा कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अब यह बात दूसरी है कि कानून का असर आतंकवादियों पर कोई होता है या नहीं, इसको असैस करना चाहिये। कानून आपके हाथ में हैं, उसके कारण आप आतंकवादियों पर रोक लगाने में सफल हुए हैं या नहीं ? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हुए हैं क्योंकि आतंकवादी दुरई स्वामी को भगाकर ले जाएं और समय-समय पर अल्टीमेटम सरकार को दें कि उनके हाथ काट देंगे, कभी कहें उनके पैर काटेंगे और गवर्नमेंट आफ इण्डिया उनको अल्टीमेटम क्यों नहीं इशू करती ? जिसने पकड़वाया, उसकी बात को धक्का लग गया तो सरकार यह सहन नहीं करेगी ? क्या इस प्रकार के अल्टीमेटम देने की शक्ति देश की ओर से गृह मंत्री में है या नहीं, यह भी हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि हमें अन्य तीन विधेयक भी पारित करने हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं केवल पांच मिनट लूंगा। इसके साथ-साथ एक पब्लिक कैम्पेन लानी चाहिए, उसपर भी गृह मन्त्री को विचार करना चाहिए। अभी सभागृह में श्री सुनीलदत्त नहीं हैं लेकिन उन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया। डेढ़ साल पहले जब राज्य सभा में किसी ने इस बात का समर्थन किया तो सारा सदन उनके विरोध में खड़ा हो गया था और यहां पर आपकी पार्टी के माने हुए सांसद इस प्रकार खालिस्तान का प्रचार करते हैं, समर्थन करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि पब्लिक कैम्पेन को हाथ में लेने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा करने से आतंकवादियों पर आप काबू ला सकते हैं ? मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ऐसा कर सकते तो सबसे पहले इस बात की आवश्य-कता है कि···

एक माननीय सदस्य : उन्होंने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया था।

श्री राम नाईक : यह उस समय की बात है जब आप सभागृह में नहीं थे।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : इन्होंने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने केवल यह कहा था कि पंजाब का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया जाए। मैं वहीं बैठा था।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उन्होंने कहा था कि पंजाब को खालिस्तान का नाम देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पंजाब को खालिस्तान का नाम देने से वहां पर समस्या समाप्त हो सकती है लेकिन आतंकवादियों की समस्या कितनी गम्भीर है, यह उनको पता नहीं है। इसलिए सभी को जानकारी देने की आवश्यकता है। लेकिन लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से मैंने यह बात कही है। लेकिन सचमुच में आतंकवादियों पर कोई काबू पाना होगा तो सबसे बड़ी बात जो है, जो बार-बार सरकार की ओर से पहुंचती है कि इनको पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, मदद मिलती है। तो मेरी इस समय पर यह मांग है कि—

[अनुवाद]

आपका पहला प्रयास यह होना चाहिए कि आप इस बात की ओर ध्यान दें कि आतंकवादियों को पाकिस्तान से कोई सहायता न मिले।

[हिन्दी]

और वह यदि करना है तो आपको पाकिस्तान के बार्डर पर एक पांच किलोमीटर का इस प्रकार से सेपरेट सिक्योरिटी जोन करना चाहिए कि जिसमें से कोई भी दूसरा आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाकिस्तान की जो सहायता आती है वह सहायता आप बाजू में कर सकते हैं और यह करने के बाद ही उनको जो मदद मिलती है विदेशों से, वह समाप्त हो सकती है।

दो बातों की ओर, जिसका जिक्र जार्ज फर्नान्डीज साहब ने किया कि यह जो कानून है, उसका उपयोग टैररिस्ट के विरोध में करना चाहिए। आपने सारे प्रदेशों से केसेज मंगवाए। अभी मेरे पास एक केस है। महाराष्ट्र में 'टाडा' में लगभग 156 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। मेरे क्षेत्र में दिसम्बर-जनवरी में हिन्दू-मुसलमानों का बड़ा दंगा हुआ। उस रास्ते की एक लाईन पर सुनीलदत्त साहब की कांस्टीटूएंसी है। दूसरी ओर मेरी कांस्टीट्यूएंसी है। उसमें से 6 महीने के लिए पकड़े हुए लोगों को टाडा लगा दिया है।

[अनुवाद]

यह दंड प्रक्रिया संहिता पूर्णतः सक्षम है।

[श्री राम नाईक]

[हिन्दी]

लेकिन सरकार के पुलिस अधिकारियों को लगता है कि 'टाडा' लगाओ। लेकिन उसमें कोई बात नहीं आती है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, लोगों द्वारा कुछ किया नहीं जा सकता है और इसलिये मेरी मांग है कि सारी प्रादेशिक सरकारों से आप यह जानकारी मांगिए कि उन्होंने 'टाडा' किस-किसको लगाया है और जहां टैररिस्ट की इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी और ऐसे लोगों को यदि 'टाडा' में पकड़ा है तो उनको क्रिमिनल प्रोसीजर में कोड के अन्दर जो बातें करनी हैं वह आप जरूर करिए, और ऐसा नहीं होगा तो 'टाडा' का दुरुपयोग माना जाएगा और 'टाडा' का दुरुपयोग करते हैं तो जैसे जार्ज फर्नान्डीज साहब कहते हैं कि समर्थन देने पर मुश्किल होती है। इसलिए मेरी यह मांग है कि 'टाडा' का इस प्रकार का दुरुपयोग जो होता है, वह आगे बिलकुल नहीं होना चाहिए।

स्मगलर्स के विरोध में भी कुछ कानून हैं। स्मगलर्स को पकड़ना है, पकड़िए। लेकिन कौन सा कानून किसको लगाना है?

[अनुवाद]

यदि इसे आप चुनिंदा आतंकवादियों पर लागू करते है तो तब इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

तो कुछ सरकार को, कुछ देश को राहत मिल सकती है, नहीं तो कोई चोरी करता है, इधर-उधर की छोटी-मोटी बात करता है और उसको 'टाडा' लगाना योग्य नहीं है, वह गलत बात होगी और इस बात को देखते हुए मेरा इतना ही कहना है कि जहां-जहां 'टाडा' का दुरुपयोग हुआ है वह सारे केसेज अपने प्रादेशिक सरकारों से मंगाने चाहिए और केवल टैररिस्ट को यह कानून लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम समर्थन आपको दे रहे हैं उस समर्थन का उपयोग हो सकता है और यही बात आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: दो अथवा तीन और सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। अतएवं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे केवल दो अथवा तीन मिनट का समय ही लें। अन्यथा, इसे समाप्त करना संभव नहीं होगा। अब लोकनाथ चौधरी जी बोलेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): मुझे इस पर आपत्ति है। मैंने अपना नाम बोलने के के लिए दिया है। हम एक दल से सम्बन्ध रखते हैं। मेरा नाम नहीं लिया गया है।

सभापति महोदय: अब आपका नाम लिया जा रहा है।

श्री लोकनाथ चौधरी: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। पिछले कई वर्षों के दौरान इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है बल्कि इससे समस्या और बढ़ी ही है।

मेरा विचार यह है कि यह आबंटन दो वर्षों के लिए किया गया था। इस समय चार वर्ष बीत चुके हैं। हम इसे अगले छः वर्षों के लिए पुनः बढ़ाने जा रहे हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज ने कहा है कि इसका आरम्भ भारतीय राज्यों की स्थापना के समय से ही हुआ है। हम उन अभागे लोगों में से हैं जिन्हें कई वर्षों तक जेल में रखा गया था। मैंने निवारक नजरबंदी अधिनियम के अंतर्गत चार वर्ष जेल में रहा यहां तक कि जब मुझे उच्च न्यायालय के आदेश से छोड़ दिया गया था मुझे जेल के फाटक पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मैं निःसन्देह इसका विरोध कर रहा हूं। इस अधिनियम के पारित होने से आतंकवाद कम नहीं हुआ बल्कि यह और बढ़ा ही है। अतः हमें यह बात समझनी चाहिए। आतंकवाद एक विकट समस्या है जो अब हमारी राष्ट्रीय एकता को दो तरह से चुनौती दे रही है।

पहली बात यह है कि बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने हमें विस्थापित करने का प्रयत्न किया है वे तो आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं तथा मैं समझता हूं कि जहां विश्व शान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय अस्त्र-शस्त्रों की बिक्री करने वाले भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं विशेष रूप से तीसरे विश्व के देशों में। अतः तीसरी दुनिया के देश आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं? हमारे सामने यही एक मुख्य प्रश्न है। कानून बनाकर पारम्परिक तरीके से इसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम कहां असफल हुए हैं।

अभी कुछ मिनट पहले ही श्री जार्ज फर्नांडीज हमें कश्मीर के बारे में बता रहे थे तथा कई दूसरे सदस्यों ने भी कश्मीर के बारे में बोला है। हम सभी जानते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने भारत में रहने का निर्णय किया था तथा इसीलिए कश्मीर भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक प्रतीक है। आज कश्मीर में ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? अपने आप विचार किये बिना जो बड़ा राजनीतिक दल है जो मेरे विचार से इस देश को चलाने में सक्षम है वही दल इस अधिनियम को ला रहा है। उन्हें अब इस बारे में विचार करना चाहिए कि किन से कारणोंवश वहां की स्थिति ऐसी हो रही है तथा बिना वैसा किए हुए कई उदाहरण दिए गए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस कानून का इस्तेमाल इस सरकार की जनता विरोधी नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए आन्दोलन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किया जायेगा। जनता पर सारा बोझ डालकर यह सरकार एक अलग रास्ते पर चल रही है। निश्चित रूप से जनता इस अधिनियम का विरोध करेगी। कर्मचारी वर्ग भी इसका विरोध करेगा क्योंकि इसका उपयोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं किया जायेगा। इस बात पर विचार नहीं किया जायेगा कि कर्मचारी वर्ग की मांगें पूरी की जायें। उनकी मांगें और अधिक आगे न बढ़ें, इसके लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया जायेगा।

अतएव इस सरकार को यह शक्ति देना खतरनाक होगा। क्योंकि जब तक यह सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी, जब तक यह सरकार जनता को इसमें शामिल करने के अपने रवैये को नहीं बदलेगा, तथा पिछले पैंतालीस वर्षों में की गई गलतियों को नहीं सुधारती, यह सरकार इस अधिनियम का गलत उपयोग ही करेगी।

महोदया, जैसा कि अन्य सदस्य पहले ही कह चुके हैं, इस सम्बन्ध में पहले ही बहुत सारे कानून हैं तथा कानून स्वयं अपनी रक्षा करते हैं अथवा अन्य अपराधों से निपट कर सकते हैं। इस

[श्री लोकनाथ चौधरी]

अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। किसी भी विदेशी कानून में ऐसा नहीं किया जा रहा।

महोदया, अतः इन परिस्थितियों में बिना बहुत अधिक समय लिए मैं यही कहूंगा कि यह अच्छी बात है कि यह सरकार प्रशासकीय सुधार तथा आर्थिक सुधार लाने के बारे में विचार कर रही है तथा यदि वह इन्हें नहीं ला पाती, तब सरकार इस अधिनियम का इस्तेमाल करेगी जो कि अप्रयुक्त तथा जन-विरोधी अधिनियम है।

अतएव इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि इस देश में गणतंत्र की स्थापना होने के समय से ही यह कानून बना हुआ है जिसने आतंकवाद को रोकने के स्थान पर आतंकवाद को एक राष्ट्रीय समस्या बना दिया है, ऐसे कानून को पिछले पैंतालीस वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। निःसन्देह इसके जरिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी भी हो रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में उसका भी काफी हाथ है। उसके लिए विभिन्न अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम तथा अन्य दूसरे अधिनियम भी हैं। वे आतंकवाद रोकने में सहायता नहीं करते बल्कि देश के तथा जनता के हितों के लिए हानिकारक है।

अतएव मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस अधिनियम को वापस ले लें तथा उन्हें इसकी अवधि और अधिक बढ़ाने के लिए नहीं कहना चाहिए चूंकि इससे देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रही है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदया, मैं इस समय इस माननीय सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं तो केवल कुछेक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो इस संविधि के कार्यान्वयन के मार्ग में आती हैं जिसकी असाधारण परिस्थितियों में लागू करने की आवश्यकता हो सकती थी। परन्तु मेरा यह विचार है कि ये ही वे कानून हैं जिन्हें हम यथासम्भव और नहीं बढ़ायेंगे।

इस आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां निवारक अधिनियम के प्रावधानों का कई बार दुरुपयोग हुआ है। टाडा के अन्धाधुन्ध, अविवेकपूर्ण इस्तेमाल ने कई निर्दोष व्यक्तियों को जेल पहुंचाया है। जब राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगा भड़का था तब मेरे दल के ही 150 से भी अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा वे सभी निर्दोष थे और उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गई थी। "टाडा" के अन्तर्गत जमानत भी नहीं दी जा सकती। तथा ये सभी व्यक्ति न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाने में समर्थ नहीं थे। अतः मैं कहूंगा कि नागरिकों के विरुद्ध "टाडा" के प्रावधानों को लागू करने में बहुत सावधानी से कदम उठाना प्रशासन का अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है।

मैं जानता हूं कि गृह मंत्री तथा सरकार भी हमारे देश का इतिहास जानते हैं। हमारा एक ऐसा इतिहास रहा है जिन्होंने "रौलट एक्ट" का विरोध किया था तथा हमारा ब्रिटिश लोगों के काले

कानूनों का विरोध का भी इतिहास रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस स्थिति में हैं कि हम आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जैसे निरंकुश कानूनों के साये में प्रशासनिक राहत लेना चाहते हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता कि वह उन लोगों को निदेश दे जो इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है वह इसके प्रावधानों का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करें तथा वह सुनिश्चित करें कि देश का कोई भी नागरिक आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग के शिकार न हों।

इस संदर्भ में सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 में यह उल्लिखित है कि नामित न्यायालय की नियुक्ति का आदेशात्मक प्रावधान है। मैं गृह मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि अधिनियम की धारा 9 के तहत ऐसे कितने ऐसे न्यायालयों की नियुक्ति की गई।

मैं गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसे निर्दोष लोग जिन्हें इस कानून के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया है और जिनकी यथोचित सुनवाई नहीं हुई है तथा अधिनियम में जमानत का प्रावधान न होने के कारण उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया है और इस कारण वे जेलों में दो वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं, ऐसे मामलों का पुनरीक्षा करें।

कश्मीर जैसे स्थानों पर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कल मैंने सभा में इसका उल्लेख भी किया था। इस परिस्थिति का सामना करने के लिये हमारे पास अनेक कानून हो सकते हैं। जो परिस्थितियां हमारे समक्ष हैं उनमें यह अत्यन्त आवश्यक हो सकता है। लेकिन केवल यही कानून शांति स्थापित नहीं कर सकता है या अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता है।

इसलिये, एक बार फिर मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कश्मीर की जनता में विश्वास पैदा करने का हर सम्भव प्रयास करें, घाटी में सुरक्षा बल तथा जनता के बीच टकरावों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास करें साथ कश्मीर की जनता को शान्ति और सद्भाव का सन्देश दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

3.00 म० प०

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस निरंकुश कानून या इसे जो भी मानें, का समर्थन करने के कारण वे हमारे बारे में अन्यथा सोचेंगे। सभा के समक्ष है प्रस्तुत विधेयक केवल संकल्प का स्थान लेने के लिये है। इस संकल्प को लाने के जो कारण उस विधेयक में दिये गये वक्तव्य में उल्लिखित उद्देश्य और कारणों में बताया गया है। मैं एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं जिसे इस महान सभा में इस संदर्भ में 1977 में कहा गया था :

> "असामान्य परिस्थितियों में असाधारण कानूनों को लागू करने की आवश्यकता होती है।"

मैं चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज जी को याद होगा कि इस सभा में यह वक्तव्य किसने

[श्री पी० सी० चाक्को]

दिया था। यह वक्तव्य और किसी ने नहीं बल्कि मोरारजी देसाई सरकार में तत्कालीन विधि मंत्री श्री शांतिभूषण ने दिया था।

आंतरिक सुरक्षा कानून को न्याय संगत ठहराते हुए और जब संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो श्री शांति भूषण ने कहा था कि असामान्य परिस्थितियों में असाधारण कानूनों की आवश्यकता होती है। हम किसी भी निरंकुश कानून का समर्थन नहीं कर रहे है। उसके लिये किसी भी ऐसे कानून को लागू करने में हमें प्रसन्नता नहीं हो रही है। लेकिन क्या कोई भी सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज सहित इस बात से इंकार कर सकते हैं कि देश असामान्य परिस्थितियां का सामना कर रहा है? राजनैतिक क्षेत्र में सर्वाधिक महान और देश के प्रिय नेता श्री राजीव गांधी हत्यारों के बम के शिकार हो गए। आज सत्ता और विपक्ष दोनों ही पक्षों के नेता को आतंकवादियों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा हो गई हैं।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज कश्मीर के प्रभारी मंत्री थे। जनता की यादाश्त इतनी कम होती है कि वे बहुत कुछ भूल जाते हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और एच०एम०टी० के महाप्रबन्धक हत्यारों के गोली के शिकार हो गए। उस समय देश की सरकार का नेतृत्व श्री वी०पी० सिंह कर रहे थे। मृतकों के पार्थिव शरीर को प्राप्त करने के लिये श्री जार्ज फर्नान्डीज हवाई जहाज से चंडीगढ़ गए। मंत्री महोदय के पहुंचने तक उन दो मृतकों के पार्थिव शरीरों के साथ हवाई जहाज आकाश में उड़ानें भरता रहा। मृतकों के क्रुद्ध सगे सम्बन्धियों ने मन्त्री जी को पार्थिव शरीर भी नहीं देखने दिया। यह कैसे हुआ? मैं किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आतंकवाद समाज का हिस्सा हो गया है और हम सभी को इसका सामना करना है।

आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम इस समस्या को सुलझाने के के लिए है। वे सभी आपराधिक कानून जैसे भारतीय दंड संहिता, और दंड प्रक्रिया संहिता जो लागू हैं, मैं यह नहीं कहता कि वे अक्षम हो गए हैं। कुछ उन आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं, जिनका सामना देश कर रहा है। जब श्री मणि शंकर अय्यर भाषण दे रहे थे तो उन बातों को समझे बिना ही श्री जार्ज फर्नांडीज अधीर हो गए। सभी को एक मत हो कर आतंकवाद की समस्या का हल ढूंढना होगा जो तमिल टाइगर्स के रूप में तमिलनाडु और नक्सलवादी के आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ऐसे भी सदस्य हैं जो चुनाव के समय समर्थन प्राप्त करने के लिए नक्सलवादियों से बातचीत करने भी गए थे। देश में आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि वह सभी राजनैतिक दलों के नियंत्रण से बाहर हो गया है। किसी न किसी सीमा तक सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। जब श्री वी० पी० सिंह सरकारका नेतृत्व कर रहे थे और श्री जार्ज फर्नांडीज मन्त्री थे तब भी यह कानून था और इसका प्रयोग उन दिनों भी हो रहा था। मैं इसके सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन इससे वे राजनैतिक लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। देश कोई भी बुद्धिजीवी या सामान्य सूझ-बूझ का व्यक्ति इस कानून के क्षेत्राधिकार बढ़ाने पर आपत्ति नहीं कर सकता है। अध्यादेश को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का समर्थन करने के बजाए कुछ सदस्य जिनके इस सम्बन्ध अपने दृष्टिकोण होंगे वे इसका विरोध कर रहे हैं और राजनैतिक भाषणों से इस सरकार पर प्रहार कर रहे

हैं। इस देश में सरकारें आती हैं और जाती हैं। कांग्रेस हमेशा सत्ता में नहीं रह सकती है। लेकिन किसी को भी कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछालने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हर सभी इस विधेयक का समर्थन करें। यही मेरा सुझाव है। श्री चित्त बसु और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस कानून का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। मैं माननीय गृह मंत्री श्री चव्हाण जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि देश के किसी भी भाग में इस कानून का दुरुपयोग न हो। इस कानून का दुरुपयोग न केवल उन राज्यों में हुआ है जहां कांग्रेस दल सत्तारुढ़ है बल्कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर भी हुआ है। मेरा अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों के संकट से निपटने के लिए विशेष विधान बनाना है अन्यथा प्रत्येक संस्थान, व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा यहां तक कि पूरी प्रणाली ही खतरे में है।

महोदया, मैं इस विधान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि जितना अधिकतम सम्भव हो सके इस समय-सीमा के भीतर किया जाए, और ऐसे कार्य न किया जाए जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कुछ कदम उठाये गये थे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति और राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है। इस वाद-विवाद के दौरान सभा में यह सहयोग नहीं दिखा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सभी दल पूर्णतः समर्थन दें। मैं नहीं कहता कि दो वर्ष की समय सीमा में सब कुछ ठीक हो जायेगा। मैं नहीं कहता कि दो वर्ष के समय में आतंकवाद को रोका जा सकता है। लेकिन हमें अधिकतम सीमा तक इस समय के भीतर आतंकवाद को रोकने के लिए उचित कदम उठाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुबारा इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सभापति महोदया का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदया, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यह जो आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है, उसमें मुझे एक ही बात कहनी है जो कि हमारे मन्त्री जी ने कहा है कि यह लाना इसलिए जरूरी हो गया था कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 1952 में भी एक कानून बना था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाये दोषी को जेल में बन्द रखा जा सकता था। उस समय गरीबों की तरफ से लड़ने वाली सिर्फ एक ही पार्टी सी० पी० आई० थी। उसके कार्यकर्ताओं को इस कानून के तहत बन्द करने के लिए वह कानून बनाया गया था। मन्त्री जी को तो मालूम ही है कि उस वक्त आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। आप ऐसा कानून बना कर भी गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी को दबा नहीं सके थे। आज हथियार बन्द लोग चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उनको इस कानून के द्वारा कैसे रोक पायेंगे। कानून बनाने से इसको रोका नहीं जा सकता है और न ही अभी तक यह रुका है। छोटे-छोटे बच्चों से काम न लेने के बारे में आपने कानून बना रखा है और समय-समय पर उसमें संशोधन भी किया है, उसमें कठोर दण्ड का भी आपने प्रावधान किया है लेकिन इसके बावजूद भी आप छोटे-छोटे बच्चों को काम करने से रोक नहीं पाये हैं और काम लेने वालों को भी आज तक पकड़ नहीं सके हैं।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

आज देश के सामने मुख्य समस्या आतंकवाद की है। पहले आतंकवाद के मूल कारणों को देखना होगा। जब तक रोग को डाक्टर नहीं पकड़ेगा तो चाहे कितना ही दवा का भण्डार रोगी को दे दिया जाये, वह रोग ठीक नहीं हो सकता है। अतः आप भी आतंकवाद की जड़ में जायें। आतंकवाद के फैलने से देश तबाह हो रहा है। कौन इस बीमारी को लाया, यह समझें। कुछ राजनीतिज्ञ लोग अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ये सारे कुकर्म करते हैं। उसके कारण पूरे देश का गरीब और मध्यम तबका मारा जा रहा है। इसको भी आप देखें।

सुरक्षा के नाम पर बहुत सी व्यवस्थायें की गई हैं—जैसे ब्लैक-कैट कमांडो आपने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। यह सारी चीजें उनको रोकने के लिए बनाई गई हैं, आज जो चल रही हैं लेकिन इसके बावजूद हत्यायें हो रही हैं।

मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने असम में एक रास्ता अपनाया है, मैं उसको पसन्द करता हूं। क्या अपनाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पहले इन आतंकवादियों से बात करेंगे और उनको छोड़ देंगे। सबसे जरूरी है कि पोलिटिकल सिचुएशन वहां कायम हो, हर पार्टी का यह फर्ज है कि वहां एक राजनैतिक माहौल पैदा करें जिससे यह रुक सकता है। बिना राजनैतिक माहौल पैदा किये हुए यह नहीं रुक सकता है। यह राजनैतिक माहौल कैसे पैदा होगा, इसके लिए यह देखना होगा कि इसमें कौन आदमी गया है, इसमें किसके बेटे ने हथियार उठाया है। इसमें उन्हीं के बेटे ने हथियार उठाया है, जिसको अभी तक आपने विकास से अलग रखा है। यह शर्म की बात है कि जिस गांव में आप विकास के नाम पर काम करते हैं, आप जरा सर्वे तो कीजिए, आप के ही एम० एल० ए० लोग उसी गांव के ऊंची जाति के लोगों के मोहल्ले में नाली-गली बनवाते हैं और जो गरीब तबका है, हरिजन और पिछड़ी जाति का, मजदूरी करने वालों का मोहल्ला है, उसके मोहल्ले में गांव के अन्दर नाली नहीं बनी है। तो क्या होगा, वह आतंकवाद में जायेगा कि नहीं, क्या उसको गुस्सा होगा कि नहीं, क्या वह हथियार उठायेगा या नहीं ? तो यह देखने की जो चीज है उसको आप देखते नहीं है तो कानून आप बना दीजिए, कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, मेरा यह कहना है कि इतने दिन की राजनीति में मेरा यह तजुर्बा है कि जब तक आप विकास का काम उन गरीबों तक नहीं पहुंचायेंगे, जो गरीब अभी तक इस विकास से अछूता है, जिसको अभी तक उसको कहीं विकास की रोशनी नहीं मिली है, आज भी वह जानवर की तरह की जिन्दगी जीता है।

आज भी ऐसे बहुत से गांव है जिनकी आबादी 500 से 1000 की हमारे क्षेत्र में है, जहां बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय भी खोला नहीं है, जितने भी प्रधान मंत्री हुए हैं, जब से मैं आया हूं, सबको मैंने लिखकर दिया है लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी है।

कानून आप बना सकते हैं, कानून बनाकर दमन भी आप कर सकते हैं। आप यह भी कानून बनाइये और जिसपर दमन करना है, चलेगा विरोधी पक्ष पर लेकिन जब विरोधी पक्ष उठेगा, विरोधी पक्ष कुछ आन्दोलन करना शुरू करेगा तो आप उसी पर यह लगायेंगे। जो आपका दरोगा है, पॉकेटमार के मामले में तो यही कानून लगाकर मामला रफा-दफा हो जाता है, वह भूल जाता है कचहरी को तो क्या जरूरी है उसको वहां रखने की। हम यही कहते हैं कि आप कानून बनाकर निश्चिन्त हो

जाइये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कानून का विरोध इसलिए करता हूं कि आप मानवाधिकारों का इसके जरिये हनन करने जा रहे हैं और इससे आप आतंकवाद को नहीं रोक सकेंगे। आतंकवाद को आप द्वारा फैलाया गया है, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे असम हो या चाहे आंध्र हो। आपने वहां तमाम चुनी हुई सरकारों को गिराया है, आपकी क्षुद्र राजनीति के चलते। जिस आदमी को आप कहते थे कि राष्ट्रद्रोही है, उस मुख्य मंत्री के साथ, उस आदमी के साथ आपने काम किया है। कम-से-कम आदमी को शर्म होनी चाहिए कि जिसको हमने कह दिया कि यह राष्ट्रद्रोही है और फिर 4 घण्टे के बाद वह राष्ट्रभक्त हो गया तो क्या आपकी नीति है?

मैं इसका विरोध करता हूं और डटकर विरोध करता हूं और कहता हूं कि इस कानून को आप नहीं लायें। आप राजनैतिक माहौल को पैदा करके आतंकवाद को खत्म करें। आप आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तो देश में अमन-चैन नहीं रहेगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री जी उत्तर दें···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, हमारी जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है।

सभापति महोदय : आप बैठिये। आप अभी बैठ जाइये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह हमारा अपना राइट है। मिनिस्टर का रिप्लाई हो जाने के बाद मौका थोड़े ही मिलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पुराना विधेयक समाप्त हो गया है और इसके साथ-साथ सभी संशोधन भी समाप्त हो गए हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो आर्डिनेंस था उसको निरस्त करने का मैंने प्रस्ताव दिया था लेकिन हम सदन में नहीं थे, उस दिन, इसलिए वह खत्म हो गया लेकिन मैंने इसको जनमत जानने के के लिए प्रस्ताव दे रखा है···

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : वह उस समय उपस्थित नहीं थे।

सभापति महोदय : यह विधेयक राज्य सभा ने पारित कर दिया है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : दोनों ने दे रखा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं उस दिन नहीं था, आर्डिनेंस को निरस्त करने वाले प्रस्ताव के दिन मैं सदन में नहीं था, हम लोग सदन में नहीं थे, यह बात सही है लेकिन चूंकि हमने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए दिया था इसलिए हमको मौका दे दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा ताकि कोई गलतफहमी न रहे। स्थिति यह है कि विधेयक के परिचालन के लिए लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि बाद में लोक सभा में इस विधेयक को वापिस ले लिया गया और उन्होंने उस विशेष विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था जो पहले लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि यह वापिस ले लिया गया है इसलिए उनका संशोधन भी स्वतः ही समाप्त हो गया।

सभापति महोदय : उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी गई है। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैंने कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए उदाहरणों को ध्यान से सुना है। मैंने उन्हें यह जानने के लिए भी सुना है कि इस वाद-विवाद का उत्तर देने में मैं कहां तक उनका उपयोग कर सकता हूं। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि आतंकवाद अथवा उग्रवाद का मुद्दा केवल गोलियों से नहीं सुलझ सकता है। मैंने सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कहा है। मुझे इसे यहां दोहराने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है कि पहले हमें राजनैतिक स्तर पर बातचीत करनी होगी। और तब लोगों की शिकायतों को समझना होगा। मुझे उन लोगों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है जिनकी कुछ शिकायतें हैं और उनकी समस्याओं को समझना तथा जहां भी आवश्यकता हो उनका निवारण करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे मामलों में मैंने देखा है कि सीमा पार की ताकतें उन लोगों को उकसा रही हैं। फिर भी मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं कल दो दिन के लिए जम्मू और कश्मीर जा रहा हूं। वहां मैं स्वयं स्थिति देखने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि हरिजनों पर अत्याचार के मामले पर कल चर्चा होगी और इसलिए मुझे जम्मू और काश्मीर की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। मैं कभी न कभी वहां जरूर जाऊंगा जबकि मैं जानता हूं कि इन क्षेत्रों में काफी संख्या में घुसपैठिए आए हुए हैं और उन्हें पाकिस्तान से सभी प्रकार का प्रोत्साहन भी मिल रहा है। वह उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, वित्तीय सहायता दे रहा है और उन्हें आधुनिकतम हथियार मिल रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह दायित्व है कि मैं वहां जाऊं और जानने का प्रयास करूं कि उनकी क्या शिकायतें हैं।

मुझे वह समय याद है जब मैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष था। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए योजना आयोग ही प्रभारी है। लेकिन जम्मू और कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जिसे न केवल योजना के अन्तर्गत बल्कि गैर-योजना के अन्तर्गत भी सहायता दी गई थी। जम्मू और कश्मीर को 110% योजना सहायता दी गई। मुझे पूरी बात याद है। मैं पुराने समय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 1982—1986 की बात कर रहा हूं। उस समय ऐसा हुआ था। मेरा उस समय जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री फारुख अब्दुल्ला से थोड़ा झगड़ा भी हो गया था। मैंने कहा कि गैर-योजना सहायता के लिए योजना आयोग सक्षम प्राधिकरण नहीं है और वह वित्त मंत्रालय से सपर्क करें तो बेहतर होगा। मैने आगे कहा था, कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व यह देखना है कि बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार हो और मैं जानता हूं कि राज्य किस श्रेणी में आता है और यदि किसी विशेष रियायत की आवश्यकता है तब वह दी जा सकती है।

अतः, पांच वर्ष पहले जो धन दिया गया था, हो सकता है कि उसका उस उद्देश्य के लिए उपयोग न किया गया हो जिसके लिए वह दिया गया था। यदि ऐसी स्थिति है तब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या वहां सड़कों का निर्माण हुआ है, सिंचाई परियोजनाएं पन-बिजली परियोजनाएं बनी हैं। हमारे देश में पन-बिजली और तापीय बिजली केन्द्र में अन्तर है। हमें पन-बिजली परियोजना को प्रोत्साहित करना है ताकि उस क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। इसीलिए हमने यह देखने के लिए विशेष प्रयास किए कि दी जा रही सहायता जम्मू और कश्मीर की दो मुख्य परियोजनाओं में उपयोग की जाए ताकि न केवल संभावित क्षमताओं का उपयोग किया जा सके बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया जा सके। इसीलिए एच० एम० टी० फैक्ट्री को भी विशेष रूप से वहां स्थापित किया गया क्योंकि हमने अन्य स्थानों की अपेक्षा इस स्थान को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बेहतर पाया। अतः इन सबके बावजूद भी रोजगार की समस्या के बारे में मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि यह समस्या समाप्त हो गई है। बहुत से नवयुवक अभी भी रोजगार की मांग कर रहे है और हमें देखना है कि उन्हें किसी प्रकार का रोजगार दिया जाए ताकि वे सीमा पार के प्रलोभनो से प्रभावित न हो। इस संदर्भ में, कुछ एक बातों का, जो कि उठाई गई थी, मै खास तौर पर उत्तर देना आवश्यक समझता हूं।

सबसे पहले मैं इस बात का उदाहरण देना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय सदस्य इस तथ्य पर आपत्ति दर्शा रहे थे कि आतंकवादी एवम् विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन लोगों की गिरफ्तारियां की गई और इसका दुरुपयोग किया गया है। यह एक आम शिकायत है जो मेरे सुनने में आई है। मैं नहीं जानता और मैं किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में संभवतः यह नहीं कह सकता कि आतंकवादी एवम् विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन लोगों को पकड़ने में वे कहाँ तक सही थे, वास्तव में उन्हें, ऐसे आम अधिनियमों का इस्तेमाल करना चाहिये था, जो कि उन पर लागू होते हैं। आतंकवादी एवम विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का इस प्रयोजन के लिये क्यों इस्तेमाल किया गया है, यह ऐसा मामला है जिसका मुझे पता लगाना है। परन्तु जब तक कि माननीय सदस्यों से इस बारे में न जान लिया जाय, इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। दो या तीन मामलों की बात की गई थी—एक अहमदाबाद मामला है, दूसरा कोई अन्य मामला होगा जो कि मुझे याद नहीं आ रहा किन्तु यह कहना कि आतंकवादी एवम् विध्वंसकारी

[श्री एस० बी० चव्हाण]

क्रियाकलाप निवारण अधिनियम राज्य सरकारों को अनियंत्रित सत्ता सौंपता है, उचित नहीं है। निःसंदेह एक केन्द्रीय अधिनियम भी है किन्तु शक्तियां। सत्ता सभी राज्य सरकारों को प्रदत है। इस विधेयक को अध्यादेश का रूप देने से पहले सभी राज्य सरकारों से इस मामले में परामर्श किया गया था कि क्या उनके लिए इस बिल को समय अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है अथवा नहीं। और मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि लगभग 16, 17 राज्य हैं; खासतौर पर माननीय सदस्यों को चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आये हैं भी सूचित करना चाहूंगा और बिना किसी विरोध के अब मैं यह कह सकता हूं कि वे राज्य सरकारें उन शक्तियों को और 2 वर्ष तक बढ़ाए जाने के लिये सहमत हुई हैं जिनका प्रयोग वे आतंकवादी एवम् विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत करती रही हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सरकारों के पास अनियंत्रिक शक्ति है। उन्होंने इस बारे में क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, वे स्थिति का स्वयं अवलोकन कर सकती हैं और यदि कोई दुरुपयोग हो तो इसे देख सकती है। मुझसे पूछा गया था कि क्या पूर्वनिर्दिष्ट न्यायालयों का गठन कर दिया गया है जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत वादा किया गया था, जो सूचना मुझे देनी है, वह इस प्रकार से है। न्यायालय अब तक ऐसे 187 न्यायालय गठित किये गये हैं। और ऐसे न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या 318 है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो माननीय सदस्यों को यह देखकर आश्चर्य होगा कि इस अधिनियम में जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु मैं संभवतः यह नहीं कह सकता कि न्यायालयों के पास कोई अन्तर्निहित शक्तियां नहीं है, न्यायालयों के पास अन्तर्निहित शक्तियां हैं और वे उनका उचित ढंग से प्रयोग करती रही हैं। मैं आपको गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या बता सकता हूं। पूरे देश में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 35, 538 है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अवधि क्या थी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह संख्या 1985 से 31 मार्च 1991 तक की अवधि की है। कुल संख्या है—37, 538; जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या है 26, 533। इसका यह अर्थ हुआ कि लगभग तीन चौथाई लोगों को न्यायालयों द्वारा जमानत दी गई। 318 व्यक्तियों को दण्डित किया गया। ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं।

अब मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण जिसमें उन्होंने महाधिवक्ता के भाषण का उल्लेख किया है के संदर्भ में कहना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि मानव अधिकार आयोग में, महाधिवक्ता महोदय ने यह कहते हुए हर्ष व्यक्त किया कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसके केवल एक हिस्से की बात की और बाद में उन्होंने स्वयं कहा कि 187 नामित न्यायालय हैं। इन न्यायलयों के अन्तर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि तीन न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाएं और सभी मामलों में राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तारियां की जाएं और उन्हें इन, नामित न्यायालयों के पास भेजा जाए इन नामित न्यायालयों में, उन्हें प्रत्येक बात की छानबीन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि शक्तियों का उचित प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनके पास अनियंत्रित शक्तियां न हों

जैसा कि माननीय सदस्यों ने विशेषकर श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस सदन को यकीन दिलाने का प्रयास किया है वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने भी इन कदमों का समर्थन किया था। जब वे जम्मू तथा काश्मीर गये तो उन्होंने अपने लिए ऐसा देखा और इसी लिए मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहाँ आतंकवादी एवम् विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, तो नामित न्यायालयों द्वारा ही ऐसे मामलों की छानबीन की जाती है। मैं इस बात का संभवतः कोई दावा नहीं कर सकता कि तब तक सम्बन्धित राज्यों से इस बारे में कुछ पता नहीं चलता मैं यह स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे सकता कि इसका दुरुपयोग कतई नहीं हुआ; कई मामलों में इसका दुरुपयोग भी हुआ होगा। हमने इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हिदायतें दी हैं कि आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। यदि किन्हीं अति असाधारण परिस्थितियों में आप, आम लोगों के खिलाफ दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करना भी चाहते हैं तो आप देश में प्रचलित साधारण कानून नियमों का ही प्रयोग करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : क्या माननीय मंत्री जी एक मिनट के लिए शान्त रहेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या आप मुझे बात पूरी करने देंगे। यदि आपने कोई प्रश्न करना है तो बाद में उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

महोदया, इन्होंने केवल एक हिस्से की बात की है और दूसरे भाग में इन्होंने यह कह कर अपनी ही बात का खण्डन किया है कि इसके लिए नामित न्यायालय हैं। लेकिन इस हिस्से का उन्होंने केवल यह कह कर प्रयोग करना चाहा है कि जैसे कि ये न्यायालय इतने शक्तिसम्पन्न, इतने भावशून्य, इतने वस्तुपरक नहीं हैं जितने कि नामित न्यायालय हैं मैं यह नहीं समझता कि कोई इस बात का दावा कर सकता है। किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि लोग इन नामित न्यायालयों के पास आने के लिये तैयार नहीं हैं। उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाना है। जब तक आप इन लोगों को, जो इन न्यायालयों में पेश होते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं करते, उन्हें न्याय दिया जाना भी प्रायः असम्भव सा लगता है। यह भी एक तथ्य है जोकि हम इस सदन से छिपा नहीं सकते। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यह नामित न्यायालय कार्य करते हैं और यही कारण है कि सदस्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि कहीं कोई सुधारात्मक उपाय आवश्यक होती हैं, तो हम निश्चित रूप से वे कदम उठाएंगे।

अब, मैं पाकिस्तान में नियुक्त अमेरिका के राजदूत का उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि इन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि जम्मू और काश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। दूसरा वक्तव्य श्री कौफ मैन द्वारा दिया गया जोकि हाल ही में वहां गये हैं। वे मेरे पास आये थे और मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। वे वहां गये हैं, उन्होंने स्वयं कई बातें देखी और तत्पश्चात् उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि यह द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, इसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव होंगे। इन दो वक्तव्यों से बिल्कुल साफ पता चलता है कि वह कौन सी नीति है जिसका ये दोनों सरकारें पालन कर रही हैं।

जहां तक ब्रिटेन सरकार का सम्बन्ध है दूसरे ही दिन मैंने ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी किये गये वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें यह कहा गया था कि—कश्मीर में जनमत-संग्रह का प्रश्न ही

नहीं उठता। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। इंग्लैंड में रहने वाले उन आतंकवादियों तथा उग्रवादियों को बताया गया है कि इसके बाद अब आप इंग्लैंड में किसी प्रकार की शरण प्राप्ति की आशा नहीं कर सकते। ''परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबकि कश्मीर के मामले में हम जो कदम उठा रहे हैं एक तरफ जहां रुढ़िवादी उनका समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में यह लेबर पार्टी है मेरे अपने संदेह हैं कि श्री कॉफमैन··· (व्यवधान) मैं उन्हें ''कायफूमैन'' कहूंगा। उनका जो भी नाम है, मैं उनके नाम के बारे में अधिक चिन्तित नहीं हूं। बल्कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं इसके बारे में चिन्तित हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह इंग्लैंड के शैडो विदेश मंत्री हैं। आपको उनका नाम जानना चाहिए। वह आप से मिले थे। आप केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि आप नहीं जानते हैं। (व्यवधान) आप इसका उपहास मत बनाइए।

श्री एस० बी० चव्हाण : इसको राजनैतिक रंग देने के लिए आप हर पहलू का इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि आपका किसी अन्य बात से कोई अभिप्राय नहीं है। (व्यवधान) आपने इस मामले में अपने पूरे विचार व्यक्त किए थे। आप इसे राजनैतिक रंग दे रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं। आप पूरे मुद्दे को ही राजनैतिक रूप दे रहे हैं तथा आप इसका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है।

कृपया आप बड़े मामलों को समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा मामला यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने एक नीति वक्तव्य दिया है कि वे किन्हीं भी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगी। विश्व स्तर पर ही उन्होंने वक्तव्य दिया है। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जनमत-संग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उनका वक्तव्य है।

परन्तु श्री कॉयफूमैन जो लेबर पार्टी से सम्बन्धित है वहां पर वक्तव्य देते हैं। मैं यह जानता हूं कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही अनेक जम्मू तथा कश्मीर के ऐसे निवासी हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं। यह बात बिल्कुल समझने योग्य है। केवल इसी कारण से ही नहीं बल्कि और भी कई कारणों से उन्हें स्थिति का जायजा स्वयं लेने के लिए यहां पर आना चाहिए था। उनका कहना है कि ''शिमला समझौते के अन्तर्गत हमने भारत और पाकिस्तान के मध्य एक द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में इसे समझा था, उन्हें बातचीत करनी चाहिए, उन्हें एक साथ बैठकर इस समस्या का बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।'' इसके स्थान पर वह अब यह तक कह रहे हैं कि 'मैं 'शैडो' विदेश मंत्री हूं तथा संभवत एक वर्ष के पश्चात् मैं ब्रिटेन का विदेश मन्त्री बन जाऊं।'' वह कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि यह केवल एक द्विपक्षीय मामला है। इस मुद्दे को हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना ही होगा।'' इस प्रकार का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है यदि वह समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है तो क्या वह सही है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो यह विदेश नीति के विरुद्ध है, यह स्वयं ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई घोषणा के विरुद्ध है। कम से कम उस मुद्दे पर मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वहां की सरकार की एक भिन्न स्थिति है। श्री कॉयफूमैन जो यहां पर आये थे

उन्होंने एक अलग वक्तव्य दिया था। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया था इसीलिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ा है।

दूसरा मुद्दा जो कि कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया था कि पाकिस्तान में नियुक्त अमरीकी राजदूत कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में उनका क्या अभिप्राय है। क्या यह उनकी जानकारी है ? वह यह वास्तविकता भी जानते हैं कि हमारे पास न केवल पर्याप्त जानकारी तथा इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तानी सरकार जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब के आतंकवादियों को न केवल मदद दे रही है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही है तथा उन्हें पैसा भी दे रही है।

वह उन्हें हर प्रकार के हथियार दे रही है तथा हमारे पास सबूत उपलब्ध हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि यह समझते हैं कि इस मुद्दे पर यदि किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा युद्ध होने जा रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था।

मैं उनके वक्तव्य को स्वयं नहीं पढ़ सका हूं। यह तो समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य है तथा इसीलिए इस बारे में मैं अपने विचारों को अपने तक ही रखना चाहूंगा। मैं इस पर तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि मैं यह समझता हूं कि वास्तव में इस वक्तव्य के माध्यम से वह क्या कहना चाहते हैं तथा उसके बाद फिर मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा क्योंकि यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है। आखिरकार वह अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि हैं तथा इसीलिए हमारे लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : उन्होंने ऐसा ही कहा होगा। मैंने स्वयं उनके वक्तव्य को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले मैं स्वयं वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा तथा उसके पश्चात् फिर मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : यह अत्यन्त ही आश्चर्यजनक बात है कि आपने वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने वास्तविकता बताई है। मैंने इसे नहीं पढ़ा है। मैंने कहा है कि मैंने इसे नहीं पढ़ा है। आपको इस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से स्वयं ही इसे देखूंगा।

श्री हरि किशोर सिंह : आप गृह मन्त्री हैं। तथा गृह मन्त्री से यह अपेक्षित है कि वह स्वयं इसे पढ़े।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं जानता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर के बारे में दूसरे देशों ने जो कहा है। उसे जानना मेरा दायित्व है। निश्चित रूप से मेरा यह दायित्व है। मैं उससे इन्कार नहीं करता। परन्तु इसी के साथ-साथ आपको मुझे थोड़ा सा समय भी देना चाहिए क्योंकि आखिरकार मैं भी एक

[श्री एस० बी० चव्हाण]

इन्सान हूं। मैं भी किसी सीमा तक ही कार्य कर सकता हूं। किसी कारण वश मैं इस वक्तव्य को नहीं पढ़ सका हूं तथा इसीलिए वास्तव में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ कहने से पहले मैं उस वक्तव्य को स्वयं देखना चाहूंगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे इससे पहले आपको इस वक्तव्य की एक प्रामाणिक प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आपको सभा में इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि आपने वक्तव्य नहीं पढ़ा है। यह बिल्कुल अनावश्यक है। आप यहां पर यह क्यों स्वीकार रहे हैं कि आपने वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह एक सच्चाई है। इसी कारण मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। समाचार पत्र पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं मिला।

श्री बसुदेव आचार्य : यह वक्तव्य कल दिया गया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप हरिजन सम्बन्धी मुद्दे पर आज चर्चा की आशा कर रहे हैं। मुझे उसके लिए भी स्वयं को तैयार करना है। (व्यवधान) आप बड़े उदार है। आप मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे साथ कई कागजात हैं। मैं चाहूंगा कि मैं उन कागजातों को देखूं, स्वयं उन्हें पढ़ूं तथा उसके बाद फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं कि वास्तव में इस पर प्रतिक्रिया हुई है।

श्री इन्द्र जीत : हमें गृह मन्त्री जी की स्पष्टवादिता की प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : दो अथवा तीन मुद्दों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यह केवल एक हस्तक्षेप सम्बन्धी मुद्दा है। मैं चर्चा का उत्तर नहीं दे रहा हूं। श्री राम लाल राही द्वारा उत्तर दिया जायेगा।

श्री दुरैस्वामी के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। मैं नही जानता कि लोगों को श्री दुरैस्वामी में इतनी रुचि क्यों है? वास्तव में श्री दुरैस्वामी के बन्दी कर्त्ताओं द्वार । इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वे यह कह कर इसका उपयोग कर रहे हैं कि यहां पर एक ऐसी सरकार है जिस पर लोक सभा अथवा राज्य सभा के अनेक सांसदों द्वारा दबाव डाला जा सकता है। इन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है तथा इसीलिए उन्हें एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है।

इस मामले के सम्बन्ध में जिन सूत्रों के साथ हम सम्पर्क कर रहे हैं, उन सूत्रों तथा जानकारी के अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि श्री दुरैस्वामी बिल्कुल स्वस्थ एवं सकुशल हैं। उनके हाथ नहीं तोड़े गए हैं। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि व्यक्ति की रिहाई करवाने के स्थान पर आप यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हाथ तोड़कर कहां फेंका गया है। वास्तव में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बतायी गई बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : उनकी रिहाई होने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैं कोई दूसरा उत्तर नहीं दे सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : आपके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। यदि आप कोई उत्तर दे सकें तथा सभा को बता सकें कि इस तरीके से उनकी रिहाई संभव हो सकती है, निश्चित रूप से मैं उस तरीके का इस्तेमाल करना चाहूंगा। हम अपनी तरफ से उनको यथाशीघ्र रिहाई करवाने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये ही मुख्य प्रश्न थे जिन्हें उठाया गया था। मैं नहीं समझता कि मुझे इस बारे में और विस्तार पूर्वक बताना चाहिए। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करे। हमारे देश में पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा है। यहां पर नक्सली समस्या, असम तथा लिट्टे सम्बन्धी मुद्दे हैं। देश में इस समय ऐसे कई मुद्दे हैं जो वास्तव में देश की एकता को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए इस बात की मनदेखी किये बिना कि कौन से दल की सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ है, यदि देश के भविष्य के हित में हम सहयोग नहीं करेंगे, तब निश्चित रूप से हमें एक अद्भुत स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इसे ध्यान से सुन लें। आप अपने सभी राजनैतिक मतभेदों को भुला दें तथा एक साथ बैठकर इस पर विचार करें कि अपने देश की प्रतिष्ठा को हम किस प्रकार बचा सकते हैं। हम सभी के समक्ष यही उद्देश्य है। संभवतः इसी को ही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है।

श्री राम नाईक : सीमा पर सुरक्षा-पट्टी तैनात करने के बारे में आपने क्या सोचा है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सुरक्षा पट्टी के बारे में, मैं यही कहूंगा कि वास्तव मे यह काफी बड़ा क्षेत्र है। मुझे उस बारे में जानकारी मिल गई है तथा मैं आपको भी उससे अवगत करा दूंगा। कुल सीमा क्षेत्र—यह पंजाब राज्य में भारत—पाक सीमा लगभग 556 कि० मी० है। अब तक जो बाड़ लगाई गई है वह लगभग 356 कि० मी० है। 382 कि० मी० क्षेत्र में फ्लड-लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कुछ निगरानी चौकियां बनाई गई हैं और हम समझते हैं कि शेष क्षेत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन दिया जायेगा ताकि यह क्षेत्र पूर्ण हो जाये।

सभापति महोदय : श्री राम लाल राही, क्या आप इस वक्तव्य में कुछ और जोड़ना चाहते है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : हां, सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में सम्मानित मंत्री जी ने ब्योरे से, जो मुद्दे उठाये गये सम्मानित सदस्यों द्वारा, जो शंकायें जाहिर की गईं और जो सुझाव दिये गये उन सब पर विस्तार से जवाब दिया है। मैं समझता हूं इसमें बहुत कुछ आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त मैंने यह विधेयक पेश किया था, मैंने इशारा कर दिया था कि किन कारणों से यह विधेयक पुनः समय बढ़ाने के लिए पेश किया जा रहा है। यह पूरा सदन जानता है कि देश में अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे प्रान्त

[श्री राम लाल राही]

हैं और कई ऐसे स्थान है जहां पर भय और आतंक का वातावरण है और देश के लोग भय और आतंक के वातावरण में जी रहे हैं। वे ताकतें जो भय और आतंक का वातावरण पैदा कर रहे है, अलगाव वादी स्थिति बना रही हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए मैंने कहा था कि जो सामान्य कानून है वह काफी नहीं है इसीलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी थी।

कुछ शंकायें जाहिर की गई हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग न किया जाये इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि जब इसका प्रयोग किया जाये तो इसकी बाकायदा छानबीन की जानी चाहिए। राजनैतिक लोग या जो श्रमिक संगठन हैं उन पर इसका कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

श्री हरि किशोर सिंह : नहीं होना चाहिए या नहीं होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिंदल को गिरफ्तार किया जायेगा।

श्री राम लाल राही : जो निर्दोष लोग हैं उनको कतई परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गयी थी कि जब इस तरीके की कोई सूचना मिले तो उच्च स्तर के अधिकारी उनकी देखभाल, छानबीन करें और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। मैं नहीं समझता कि कहीं इसका दुरुपयोग होना होगा लेकिन अगर सुझाव या इस तरह की शिकायत आयी हो तो उनको देखा जायेगा और राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि ऐसी स्थिति न आने दें कि लोग शिकायत करें या इस कानून का दुरुपयोग हो। हम चाहेंगे कि देश में ऐसा वातावरण बने, जहाँ भय और आतंक से मुक्त होकर इस देश में लोग रह सकें और इसका प्रयोग आगे न बढ़ाना पड़े, इस पर सबके सहयोग की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस देश की जनता, राजनैतिक दल, दल के नेता और इस सम्माननीय सदन के सदस्य इस तरह का वातावरण बनाने में सहयोग करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारा देश भय और आतंक के वातावरण से मुक्त हो और सब लोग सुख-शांति के मार्ग पर चलकर देश के विकास में भागीदार बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : शाहाबुद्दीन जी, क्या आप कृपया अपना वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : (किशनगंज) : महोदया, मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदया, मैंने, जो भी माननीय मन्त्रियों अथवा सरकारी अधिकारियों के प्रवक्ता से सुना है वह इस काले विधेयक की समयावधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे माननीय मन्त्री से सहानुभूति है। मेरे विचार में, मुझे देश से सहानुभूति करनी चाहिए, मेरे विचार से हमारा एक ऐसा गृह मन्त्री होना चाहिए जिसे हर बात की सूचना हो।

इस चर्चा के पश्चात् मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि जम्मू और कश्मीर पर इतना बल दिया

है कि सदन को ऐसा महसूस होता है जैसे इस कानून को मुख्य रूप से कश्मीर की स्थिति के सन्दर्भ में ही लागू किया गया है। मेरे माननीय साथी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सदन के समक्ष कहा है कि यह तथ्य नहीं है। किन्तु, वास्तव में, यदि आज वहां पर जम्मू और कश्मीर पर बल दिया गया है तो, मन्त्री जी के कथन को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में, जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग मन्त्रालय बनाना उचित है।

कानून का इतिहास विगत चार वर्षों का इतिहास हमें महान उर्दू कवि मीर के इस दोहे की याद दिलाता है :

[हिन्दी]

"मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की।"

[अनुवाद]

उग्रवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए यह विधेयक जब से लागू हुआ है। प्रति वर्ष, हमने पाया है कि उग्रवाद का प्रभाव वास्तव में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जिसे स्वयं सरकार ने, कभी सदन में और कभी सदन के बाहर प्रमाणित किया है, कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है।

महोदया, टाडा बहुत कठोर कानून है। जैसा मैंने कहा था, यह मौलिक अधिकारों का अनादर है। यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इसे केवल कुछ समय के लिए लागू करना चाहती थी, केवल दो वर्षों के लिए और तब फिर इसे दो वर्षों के लिये बढ़ा दिया, क्योंकि वे स्वयं इस तथ्य से परिचित हैं कि यह ऐसा काला कानून है कि सांविधिक पुस्तक में इसके लिए कोई स्थान नहीं है।

मेरे कई साथी मित्रों ने सदन में बताया है कि किस प्रकार यह विधेयक कानून की भावना के विरुद्ध है। इसका उत्तरदायित्व प्रतिवादी पर कैदी पर जाता है। इस विषय को उच्च न्यायालय के सामान्य न्याय क्षेत्र से बाहर रखा गया है। वहां पर लगभग जमानत का बिल्कुल ही प्रावधान नहीं है। प्राधिकारियों को यहां तक कि एक वर्ष तक आरोप-पत्र दाखिल करने की भी बाध्यता नहीं है।

यदि एक कैदी स्वतन्त्रता चाहता है और अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, तो उसे दिल्ली तक उच्चतम न्यायालय आने के लिये कहा जाता है। हममें से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं ? यही वे कारण है, जिससे इस विधेयक का प्राधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। मेरे पास यहां पर जो आंकड़े हैं। उनके अनुसार माननीय मन्त्री ने कहा है कि 15 राज्यों ने इसके विस्तार के लिए कहा है। मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई है। एक बार कार्यपालिका के हाथ में शक्ति आ जाये, तो इतिहास के अनुसार उसकी यही इच्छा रहती है कि यह इसके हाथ से न जाये अतः मैं मन्त्री महोदय से यह बताने का निवेदन करता हूं वे राज्य कौन से है जिन्होंने इसकी अवधि बढ़ाए जाने के लिए कहा है। 31 मार्च तक इस काले कानून के अन्तर्गत पकड़े गए कुल व्यक्तियों, की संख्या के बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय सदन को राज्य-वार आंकड़ों के बारे में बतायें। उन्होंने हमें एक एकदूठे

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

आंकड़े जैसे लगभग 37,000 के लगभग बताया है। किन्तु, मैंने इस सदन में और अन्य सदन में इस कानून के लागू किये जाने के एक वर्ष पश्चात् तथा फिर 1989 में (मार्च या जून) में इन आंकड़ों की जांच की थी और मैंने पाया कि आरम्भ में केवल पांच राज्य ऐसे थे जिन्होंने तीन की संख्या को लांघा था, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश—640, गुजरात—1,623, जम्मू और कश्मीर में केवल 141, मणिपुर, एक छोटे राज्य में 279 और पंजाब सबसे ऊपर 3,563 आंकड़े थे। एक वर्ष पश्चात्, पांच और राज्य तीन संख्या के विशिष्ट वर्ग में शामिल हुए, आन्ध्र प्रदेश मार्च 1989 तक 2,145; गुजराज, 4491 तक पहुंच गया। गुजरात प्राधिकारियों की इतनी आलोचना और निन्दा होने के बावजूद अगले वर्ष तक वे कैदियों की संख्या को तिगुना करने से नहीं हिचके। सभापति महोदया, हम इसी प्रकार के गलत उपयोग की बात कर रहे हैं, इसके लागू किए जाने के केवल दो वर्षों में गुजरात के आंकड़े बढ़कर 4491 हो गए, जम्मू और कश्मीर के आंकड़े पुन:, बहुत कम रहे अर्थात् 141 से 669; मणिपुर—654, और पंजाब—7,969, रहे।

किन्तु अब, पांच और राज्य इस वर्ग में आ गये हैं असम—1,270, हरियाण—275, महाराष्ट्र, जो बहुत ही सभ्य राज्य है जिससे माननीय मन्त्री सम्बन्ध रखते हैं वहां 379 है, और उत्तर प्रदेश—130··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : टाडा के अन्तर्गत अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्तियों में एक विधान सभा का सदस्य भी शामिल है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : नहीं, मैं केवल 1989 तक के आंकड़ों के बारे में बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से, यहां तक की पश्चिम-बंगाल में पकड़े गये कैदियों की संख्या 540 थी। अब, देश में कुल संख्या बढ़कर 37,500 हो गई है और स्वयं माननीय मन्त्री ने कहा है कि उसमें से तीन चौथाई को पुनरीक्षा के लिये छोड़ा गया है। क्या उनकी स्वयं की आलोचना नहीं हो रही है?

सभापति महोदया, उन्होंने ऐसे ही अचानक 37,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने अपनी इच्छा से किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसमें से उन्हें तीन चौथाई लोगों को मजबूरन रिहा करना पड़ा। इसी से पता चलता है कि इस देश में कानून का बहुत गलत उपयोग हो रहा है। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री हमें कुल पकड़े गये व्यक्तियों के राज्य-वार आंकड़े, समीक्षा के पश्चात् छोड़े व्यक्तियों की कुल संख्या; कुल अभियुक्तों की संख्या, और अन्त में दोषी पाये गये कुल व्यक्तियों की संख्या के बारे में बतायें। मैं कहूंगा कि पकड़े गये कुल व्यक्तियों में से बहुत ही कम लोग अन्त में न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए गए हैं और उनकी दोषसिद्धी को उच्चतम न्यायालय ने भी सहीठहराया है। जिस प्रकार राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने इस कानून को लागू किया है क्या वह अपने आप में इसकी निन्दनीय नहीं है?

मेरे पास एक बहुत ही रोचक मुद्दा है। पूरी चर्चा कश्मीर पर केन्द्रित रही है। ऐसा दर्शाया जा रहा है, कि कश्मीर में उग्रवाद से लड़ने के लिए हम जो भी कर रहे है—और हमें कश्मीर मे उग्रवाद से अवश्य लड़ना है और माननीय गृहमंत्री जी इस पर पूरा देश आपके साथ है—वह केवल इस अधिनियम के कारण जो कुछ किया जा रहा है और यदि इस अधिनियम को सांविधिक पुस्तक में से निकाल

दिया जाए तो सरकार पूर्णतया शक्तिहीन हो जायेगी। यह सही तस्वीर नहीं है। कश्मीर में, स्थानीय जनता सुरक्षा अधिनियम है, उपद्रव अधिनियम है, सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम और इन सबके अलावा हमारे पास आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम है। जो आंकड़े हमें सरकार ने दिये हैं वे क्या हैं। स्वयं सरकार ने 1-1-91 को अपने जवाब मे कहा है कि कश्मीर में पकड़े गए व्यक्तियों की कुल संख्या 4,593 थी जिसमें से 2,044 व्यक्ति टाडा के अंतर्गत पकड़े गए हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 53 प्रतिशत अन्य कानूनों के अन्तर्गत पकड़ा गया है। इनमें से जो अधिक रोचक तथ्य है। वह यह दर्शाने वाला तथ्य है कि जब सरकार से पूछा गया कि कश्मीर में पकड़े गए उग्रवादियों की संख्या कितनी है तो उन्होंने इसके जवाब में स्वीकार किया है कि यह संख्या 124 है। इसका अर्थ यह है कि कश्मीर में प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये 4593 व्यक्तियों में से टाडा के अन्तर्गत पकड़े गए 2041 व्यक्तियों में से सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि केवल 124 उग्रवादी थे। शेष व्यक्ति क्या हैं ? क्या वे निर्दोष व्यक्ति थे ? क्या वे दोषी व्यक्ति थे ? क्या वे अलगाववादी थे ? वे किस प्रकार कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे थे ? अत: इस प्रकार दर्शाना—कि सम्पूर्ण देश का भविष्य, कश्मीर का पूर्ण भाग्य सांविधिक पुस्तक में इस कानून की उपस्थिति पर ही निर्भर है—प्रजातन्त्र की भावना के प्रति अपमान है, कानून के शासन के विरुद्ध है और जो भी माननीय मन्त्री ने कहा है उसके पूर्णतया विपरीत है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 388 जो श्री आडवाणी ने जो उस समय दूसरे सदन में थे, 27-3-88 को पूछा था। उसके जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि हां कुछ दुरुपयोग हुआ है। सरकार ने कहा था किन्तु हमने उन्हें आगे निर्देश भेज दिये हैं। हमें इन मार्ग निर्देशों के बारे में विश्वास में नहीं लिया गया।

सभापति महोदया, आपके द्वारा मैं माननीन मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि हम उन्हें दो और वर्षों के लिए समयावधि बढ़ाने दें, तो वे सभा के सामने दिशा निर्देश रखकर हमें सरकार की सदस्यता का विश्वास दिलाएं।

राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि वे कोटा से नजरबन्द लोगों को छोड़ने में असमर्थ है, जिनकी संख्या राज्य के गृहमन्त्री के अनुसार 178 है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कोटा के डिटेंन्यूज की बात करते है, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं इलेक्शन जीत गया तो मुझ पर वहां बम फेंका गया, मेरे ऊपर चार बम फेंके गये, सरे आम। मैं तो किसी तरह से बच गया लेकिन मेरे साथ जो एक आदमी था, वह बेचारा मारा गया।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मुझे बड़ी खुशी है कि आप बच गए।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो लोग एक जीते हुए आदमी पर बम मारे, मारने की कोशिश करें, क्या आप उन्हें छुड़ाने की यहां एडवोकेसी करना चाहते हैं। मेरे यहां कोटा में एक स्थान पर एक हजार बम मिले हैं। एक हजार बम मिलने के बाद भी क्या आप लोगों को, जो गिरफ्तार हो गये हैं, छोड़ने के लिए कहना चाहते हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके लिए राजस्थान के माननीय गृह मन्त्री ने राजस्थान विधान सभा में घोषणा की कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है ऐसे 178 लोग हैं। और उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उन्हें छोड़ने की अनुमति नहीं दी है और उनके मामले गृहमन्त्री के पास लम्बित हैं। मैं उनके मामले की वकालत कर रहा हूं। अगर सरकार एक आरोप पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सकती अगर सरकार आरोप भी नहीं दिखा सकती तो उसे एक नागरिक को इतने लम्बे समय तक गिरफ्तार नहीं रखना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप ही बताइए ऐसे केस में गिरफ्तार लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है। (व्यवधान) वे लोग केस को अदालत तक ले जाने की धोंस दे रहे हैं, इसी कारण उनके खिलाफ चार्ज शीट कम्पलीट नहीं हो पाई।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं कोटा के मामले की बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री को पूरी तरह गलत फहमी हो गई है : वे नही जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : कृपया सभापति को सम्बोधित करें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं एक आम बात कर रहा हूं। क्या केन्द्रीय सरकार क्योंकि यह कानून केन्द्रीय सरकार का है—और राज्य सरकार जिसे आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के मामलों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है, क्या उनके बीच विचार विमर्श के लिए एक नियमित व्यवस्था है, अर्थात प्रत्येक तीन महीने के बाद नियमित रूप से समीक्षा की व्यवस्था है। मैं यह बात कहना चाहता हूं ताकि निर्दोष लोगों को कैद में न रहना पड़े। मुझे लगता है कि ऐसी कोई तंत्र नहीं बनाया गया है। हम सबका विचार है और हमने इस सभा में कहा है कि आपराधिक मामलों से निबटने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून है।

4.00 म० प०

यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी टाडा मामलों पर निर्णय देते वक्त कहा कि हत्या, अपहरण जैसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित सांविधिक पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें विशेष कानून के तहत नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें देश के सामान्य कानून के तहत लिया जाना चाहिए। यह उच्चतम न्यायालय का निर्देश है।

इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ यह कहना कि वे एक विशेष स्थिति में विशेष कानून की आवश्यकता है और उन कानूनों को कर्मचारी संघों राजनितिक कार्यकर्ताओं, राजनितिक विरोधियों के खिलाफ

अंधाधुंध तरीकों से इस्तेमाल करना निश्चय ही यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम लोकतंत्र में किसी सरकार को दे सकें।

सभापति महोदया, सरकार ने किसी विशेष मामले की वकालत नहीं की है। उन्होंने हमें विश्वास नहीं दिलाया है, हालां कि मैंने माननीय मंत्री को ध्यान से सुना है। वे कहते हैं कि आतंकवाद को पुलिस के उपायों से खत्म नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : श्री शाहबुद्दीन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। मैंने अभी तक सरकार या सरकार के प्रवक्ता से यह नहीं सुना कि हमारे देश के किसी अशांत क्षेत्र की समस्याओं के राजनैतिक समाधान के लिए उनके पास कोई योजना है या उन्होंने कोई पहल की है। मेरे विचार से, मुझे कहने की अनुमति दें—तो सरकार ऐसा लगती है मानो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है, शारीरिक रूप से अपंग, वैचारिक रूप से शून्य और राजनैतिक रूप से दिवालिया हो गई है। राजनैतिक रूप से दिवालिया इस सरकार को जिसने दो महीनों के समय में देश या संसद के समक्ष कोई कार्य योजना नहीं रखी, अतिरिक्त शक्तियां देना मानव-अधिकारों के प्रति अपराध होगा। यह भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध होगा—कानून के विरुद्ध होगा—व लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध होगा।

जब तक सरकार हमारे समक्ष आतंकवाद से लड़ने की कोई स्पष्ट नीति नहीं रखती, कोई राजनीतिक योजना नहीं रखती कि वह किस प्रकार शांति बहाल करेगी मैं नहीं समझता कि सरकार जो शक्ति मांग रही है वह हमें देनी चाहिए।

इसलिए सभापति महोदया, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प पारित होना चाहिए और इस अध्यादेश को पारित नहीं किया जाना चाहिए और इसे कानून नहीं बनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री शाहबुद्दीन, क्या आप अपना संकल्प वापस नहीं ले रहे।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : नहीं महोदया, मैं नहीं ले रहा।

सभापति महोदय : श्री शाहाबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत संकल्प अब सभा के मतदान के लिए रखा जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ? मई, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रिया कलाप (निवारन) संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या :) का निरनुमोदन करती है।"

जो इसके पक्ष में है वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : जो इसके विपक्ष में है वे कृपया 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से निर्णय इसके 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है। निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ है। हम मत विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव को रखने से पूर्व मैं सदस्यों के हित में यह बताना चाहता हूं कि सदन में मतदान कैसे किया जाता है। प्रत्येक सदस्य की सीट पर पुश बटन सेट में एक पाइलट लाईट है और तीन पुश बटन हैं—पीला बटन—'हां' के लिए, लाल बटन, 'नहीं' के लिए और एक काला बटन 'भाग नहीं लिया' के लिए है—इसके साथ ही एक तार से एक पुश बटन जुड़ा हुआ है। जब अध्यक्ष पीठ द्वारा अब मत विभाजन हो। इस घोषणा के साथ मशीन कार्य करना प्रारम्भ कर देगी, तो एक घंटी की आवाज होगी जो सदस्यों को अपना मत डालने का संकेत है। प्रत्येक सदस्य को पुश स्विच को दबाना है और फिर तीनों बटनों अर्थात 'हां', 'नहीं' या 'भाग नहीं लिया' में से एक को अपनी इच्छानुसार दबाना है। पुश स्विच को और बुश बटन को एक साथ तब तक दबाना है जब तक कि दस सेंकड के बाद दोबारा घंटी की आवाज सुनाई न दे। बुश बटन स्विच पर एक पाइलट लैंम्प बटन दबाने से जलेगा और पुश स्विच और इस लाईट का जलना इस बात का संकेत है कि उपकरण द्वारा मत रिकार्ड कर लिया गया है।

अगर कोई सदस्य, बटन दबाकर अपना मत न दे पाए तो वह कृपया अपनी सीट पर खड़ा हो जाए और मत विभाजन क्लर्क द्वारा उसे दी जाने वाली पर्चियों के द्वारा अपना मत दें।

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 मई 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती हैं।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : मैं अब प्रस्ताव को सभा के विचार के लिए रखती हूं—

प्रश्न यह है :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : सभापति महोदया, मैं इसका विरोध करते हुए मंत्री महोदय से एक बात का आश्वासन चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी एम० एल० ए० या अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी इस कानून के अन्तर्गत होने नहीं देंगे जो कि हो रही है—(व्यवधान)—बाकी सब के बारे में बोल चुके हैं । हम यहां स्पैसिफिक डायरेक्टली यहां एश्योरेंस चाहते हैं । हरियाणा का मामला जो यहां उठाया गया उसके बारे में मेरा कहना यह है कि यह गिरफ्तारी अभी इस वक्त वहां करवा रहे हैं । यह हम होने नहीं देंगे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम) : हम यह प्रश्न पहले भी उठा चुके हैं लेकिन मंत्री महोदय उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे । इसीलिए यह अधिनियम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता और इस प्रकार का आश्वासन हम मंत्री महोदय से प्राप्त कर चुके हैं । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम दोनों मंत्रियों महोदय द्वारा दिए गये उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं। जहां तक टाडा के गलत ढंग से प्रयोग करने का सम्बन्ध है, जब यह विधेयक 1987 में पारित किया गया था तो उस समय इस सभा में जब हमने इस विधेयक का विरोध किया, हमें एक आश्वासन दिया गया था। जो आश्वासन दिया था वह यह था कि इसे दो वर्ष के लिए बनाया गया है और उग्रवाद की समस्या दो वर्ष के भीतर सुलझाई जा सकती है। परन्तु इसे फिर अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया अर्थात् 1989 मे सरकार ने इस अधिनियम की समयावधि को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि क्या यह अधिनियम केवल जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा असम, जहां उग्रवाद की समस्या है तक ही सीमित होगा अथवा नहीं। हमें नहीं लगता कि जम्मू और कश्मीर में या पंजाब अथवा असम में उग्रवाद से निपटने के लिए इस सरकार के पास कोई नया दृष्टि-कोण है। वह व्यापार संघ आन्दोलन, किसान आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन और अन्य प्रजातंत्रिक आन्दोलनों को दबाने के लिए स्वयं को टाडा से समज्जित करना चाहती है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार कुछ राज्य सरकारों द्वारा टाडा का प्रयोग किया गया। अब हरियाणा राज्य सरकार द्वारा टाडा का प्रयोग किया जा रहा है। अतः हम गृह मन्त्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहते है...—।

[हिन्दी]

श्री राम प्रकाश चौधरी (अम्बाला) : हरियाणा की क्या बात करते हो, वेस्ट बंगाल की बात करो, जहां आपने मार-मार कर लोगों की लाशें बिछा दीं, पब्लिक दुखी कर दी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस अधिनियम का प्रयोग पश्चिम बंगाल में केवल एक महीने के लिए उस समय किया गया जब दार्जिलिंग में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आन्दोलन चला था। हम यह आश्वासन चाहते हैं कि इसका प्रयोग हरियाणा में राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्रकाश चौधरी : हरियाणा में अमन है, शान्ति है, सब कुछ है, बंगाल में मर्डर होते हैं, कत्ल होते है और आप हरियाणा की बात करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बंगाल में ऐसा कहीं नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टाडा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि इस अधिनियम का प्रयोग हरियाणा में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जायेगा। ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को जो इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार हैं, चाहे वे राजस्थान मे हों गुजरात में या किसी अन्य स्थान पर हों, मुक्त किया जाना चाहिए। हम मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं।

श्री राम नाईक : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस अधिनियम को उनके लिए प्रयुक्त

नहीं किया जाना चाहिए जो न तो आतंकवादी है और न ही उग्रवादी। यह सभा की मांग है। सरकार से कोई स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। सरकार को मार्ग निदेश देना चाहिए कि इस अधिनियम का प्रयोग केवल उग्रवादियों के लिए किया जायेगा किसी और के लिए नहीं किया जाएगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि इस स्थिति में वह इस विधेयक को या तो वापस ले अथवा कम से कम स्पष्ट आश्वासन दें कि टाडा नजरबंदियों के हरेक मामले का तीन महीने की अवधि के भीतर गृह मन्त्री महोदय द्वारा पुनरीक्षण किया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह विधेयक जो आतंकवादी तथा विध्वंसक गतिविधियों के विरुद्ध राज्य के हाथ मजबूत करने के लिए लाया गया है को विशेष तौर पर केवल इसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी बात होगी वह सत्ता का दुरुपयोग होगा जैसा कि हमने हरियाणा में देखा है जहां इस अधिनियम के तहत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरबन्द रखा गया। इस प्रकार की घटनाएं की, चाहे वह पश्चिम बंगाल में हुई हों अथवा हरियाणा या केरल में या किसी अन्य स्थान पर, अनुमति नहीं दी जा सकती। यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है जैसा कि यह सभा समझती है। हम गृह मन्त्री महोदय से विशिष्ट आश्वासन चाहते हैं। संविधि के संरक्षक होने के नाते, और इस सभा का विश्वास है कि वह विधान के संरक्षक हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका कहीं भी दुरुपयोग न हो।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे एक बात स्पष्ट करानी है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। हम इस प्रकार चर्चा जारी नहीं रख सकते।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं केवल एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जब हम आपके नोटिस में कुछ जानकारी लाये तो आपने हमें बताया कि आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं है। जवाब देते समय अब आप कह सकते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस अधिनियम का दुरुपयोग न हो, लेकिन मेरा कहना है कि जहां वे निर्दोष लोगों जो आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है उनके मामले आपने ध्यान में लाए जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें तुरन्त रिहा किया जाए। और उनको छोड़ने के पश्चात क्यों सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इन निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार हैं, आवश्यक कदम उठायेगी ताकि इस अधिनियम का आने वाले वर्षों में अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग न हो। कृपया इस बारे में हमें स्पष्ट आश्वासन दीजिए। ((व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदया, मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि टाडा का प्रयोग विशेष रूप से केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जायेगाजि स उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसे राजनीतिक-विरोधियों के विरुद्ध, व्यापार संघों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हम

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

इसे व्यापार संघों के विरुद्ध बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे इस प्रकार का कोई अपराध करते हैं जो "टाडा" के उपबंधों के अन्तर्गत ध्यान देने योग्य विषय है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज्य-सरकारों को पुनः यह ध्यान रखने हेतु मार्ग निदेश जारी किए जाएंगे कि इस अधिनियम का दुरुपयोग न हो और अधिनियम का प्रयोग किसी राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने किसी क्षेत्र विशेष में राजनीतिक गतिविधियों को रोकने या किसी क्षेत्र में व्यापार संघ गतिविधि को रोकने की दृष्टि से न किया जाए। यह उस उद्देश्य के लिए नहीं है जिसके लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है जिसके लिए इसे बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हरियाणा में स्पष्ट आरोप लगाया गया था कि विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मन्त्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदया, गुजरात में लार्ज स्केल पर इस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारियां हुई हैं। एक 80 साल की लेडी को गिरफ्तार किया गया है और एक बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या आप इसकी एन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदया, मेरे पास इस किस्म की अगर लिखित शिकायत भेजी जाएगी तो जरूर मैं उसकी एन्क्वायरी कराऊंगा और अगर इसका इस्तेमाल गैर ढंग से उन्होंने किया होगा तो मैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है, देखकर उसका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हरियाणा के बारे में आपका क्या विचार है। हम हरियाणा के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। हम इस मामले को सुबह से उठा रहे हैं। आप हमें आश्वासन दें··· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी) : सभापति महोदया, सिर्फ एक हफ्ते की बात है। मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हरियाणा विकास पार्टी के एम० एल० ए० के अलावा 25 आदमियों को टाडा में लिया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें सभा में कुछ व्यवस्था बनाए रखने दीजिए। हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।" जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कह सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

सभापति महोदय : जो इसके विरोध में हैं वे "नहीं" कह सकते हैं।

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : नहीं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि परिणाम 'हां' के पक्ष में गया है।

श्री श्रीकान्त जेना : विधेयक पारित नहीं हुआ है। सभा में मत-विभाजन होना चाहिए।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें—

अब, दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 2) [4.32 म० प०]

पक्ष में

अन्तुले, श्री ए० आर०	कामत, श्री गुरुदास
अय्यर, श्री मणि शंकर	कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
अरुणाचलम, श्री एम०	कुरियन, प्रो० पी० जे०
अशोकराज, श्री ए०	कैनिथी, डा० विश्वनाथम
अहमद, श्री कमालुद्दीन	कोंताला, श्री राम कृष्ण
अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा	कौल, श्रीमती शीला
इन्द्रजीत, श्री	खां, श्री असलम शेर
उपाध्याय, श्री स्वरूप	खां, श्री अयूब
एन्थनी, श्री फ्रैंक	गजपति, श्री गोपी नाथ
ओडेयर, श्री चनैया	गामित, श्री छीतूभाई
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी	गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
कहांडोले, श्री जेड० एम०	गावीत, श्री माणिकराव होडल्य
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम	गिरिजा देवी, श्रीमती*

*पक्ष में गलती से मतदान किया।

गोगोई, श्री तरुण
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० सेनापति
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चौधरी, श्री राम प्रकाश
जाखड़, श्री बलराम
जीवरत्नम, श्री आर०
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ती
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
तंग्बाबालू, श्री के० वी०
तारा सिंह, श्री
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थिथे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
देव, श्री संतोष मोहन
देशमुख, श्री अनन्तराव
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री जी० देवराय
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री पी० जी०
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री प्रफुल
पद्मा, डा० (श्रीमती)
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तरराव देवराय
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
प्रभु झांटये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फारुक, श्री एम० ओ० एच०
भक्त, श्री मनोरंजन
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भारद्वाज, श्री परसराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
माथुर, श्री शिव चरण
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मैथ्यु, श्री पाला के० एम०
राजरविवर्मा, श्री वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामूर्ति, श्री के०

राय, श्री कल्प नाथ

राव, श्री जे० चोका

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभु लाल

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री गांगुला प्रताप

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, कुमारी विमला

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, वी० एस०

विलियम्स, श्री आर० जी०

व्यास, डा० गिरिजा

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

श्रीधरण, डा० राजगोपालन

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री दलबीर

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री मनफूल

सिद्नाल, श्री एस० बी०

सुरेश, श्री कोडीकुन्नील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कनोडिया, श्री महेश

कमल, श्री श्याम लाल

कच्वाँ, श्री राम सिंह

कापसे, श्री राम

कालका दास, श्री

कुन्जी लाल, श्री

खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गहलोत, श्री अशोक*

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

*विपक्ष में गलती से मतदान किया।

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चावड़ा, श्री हरि सिंह
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
छटवाल, श्री सरताज सिंह
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दुबे, श्रीमती सरोज
देशमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धुमाल, प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलाश
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बैठा, श्री महेन्द्र
बैठा, श्री राम नारायण
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
राजू, श्री भू० विजय कुमार
राणा, श्री काशी राम
राम, श्री प्रेम चन्द
राम सिंह, राव*

*विपक्ष में गलती से मतदान किया।

राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री लाल बाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०
रोशन लाल, श्री
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
शर्मा, श्री जीवन
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंह, श्री जंगबीर
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री हरि किशोर
सिलवेरा, डा० सी०*
सुर, श्री मनोरंजन
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैयद शाहाबुद्दीन, श्री
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

सभापति महोदया : मत-विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है :

पक्ष में : 133***

विपक्ष में : 116

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

पक्ष में : सर्वश्री अशोक गहलोत, राम लाल राही, श्री वेंकट रंगया नायडू पालाचोला, डा० सी० सिलवेरा, एम० जिनेन्द्र रेड्डी, कोडाबरनी गौडाना शिवप्पा, नारायण सिंह चौधरी, राव राम सिंह श्री विश्वेश्वर भगत, सरत चन्द्र पट्टनायक, डा० बसंत निरंती पवार, सर्वश्री बारे लाल जाटव, श्री खेलसाय सिंह, महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर, पृथ्वीराज डी० चव्हाण, बालिन कुली, बनवारी लाल वर्मा, डा० एन० मुरुगेसन, पी० पी० कालियापे कमल, आनन्द अहिरवार, एस० एस० आर० राजेन्द्रकुमार, भेरु लाल मीणा के० तुलसिऐया वान्डायार, सुबास चन्द्र नायक, बापू हरि चौरे, डा० आर० के० जी० राजिन्द्र, कुमार सैलजा, कुमारी फ्रिडा तोपनो

---

* विपक्ष में गलती से मतदान किया।

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत डाले :

*** संशोधन के पश्चात्—134

विपक्ष में : सर्वश्री लोकनाथ चौधरी, रामाश्रयप्रसाद सिंह, मुही राम सैकिया, राचन्द्र मरोतराव घंगारे, धर्मभिक्षम, थाइल जॉन अंजलोज, चेतन पी० एस० चौहान, विलासराव नागनाथ राव, गूंडेवार, श्रीमती गिरिजा देवी, श्री मोहन रावले, सुरेन्द्र पाल पाठक, डा० परशुराम गंगवार, जनार्दन मिश्र, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, देवी बक्स सिंह, एस० मल्लिकारजुनय्या, श्रीमती रीना वर्मा, ललित उरांव, बी० एन० शर्मा, श्री चिन्मयानन्द स्वामी, राम टहल चौधरी, दत्तात्रेय बंडरू, योगानन्द सरस्वती, श्याम बिहारी मिश्र, मोहन सिंह

4.47 म० प०

सभा का कार्य

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज सभा में प्रातः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार सम्बन्धी चर्चा कराने की मांग की गई थी तथा अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह दलों तथा समूहों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके इस पर चर्चा के लिए तिथि तथा समय निर्धारित करेंगे। इसी के अनुरूप अध्यक्ष महोदय ने दलों तथा समूहों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी तथा इस बात पर सहमति हो गई है कि उपाध्यक्ष के चुनाव तथा प्रश्नकाल के पश्चात् मंगलवार दिनांक 13 अगस्त 1991, को सभा में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है।

निम्नलिखित प्रस्ताव जिस पर सर्वश्री राम विलास पासवान तथा रामाश्रय प्रसाद सिंह के नाम से चर्चा करने के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, को कल अर्थात् दिनांक 13 अगस्त, 1991 की कार्य सूची में रखा जायेगा :—

> "कि देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किये जा रहे अत्याचारों पर सभा अपनी चिन्ता व्यक्त करती है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि वह भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये।"

———

[अनुवाद]

4·49 म० प०

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा यथापारित

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 8 तथा 9 पर साथ-साथ विचार करेंगे। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 15 जून, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है ."

सभापति महोदय, मैंने कंज़्यूमर प्रोटेक्शन विधेयक राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद जो लाया गया है उसको अस्वीकृत करने का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। मुझे यहां पर उस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो चार वर्ष बाद हुआ था यहां पर लागू हो गया है। उसके ऊपर इसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है। जो कुछ उस बिल के पास हो जाने से सरकार को आशा थी वह आशा भी पूरी नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट के तहत कंज़्यूमर कोर्ट्स बनाये जाने थे, लेकिन 755 जिलों में से दो साल में कुल 40 स्थानों पर ये कंज़्यूमर कोर्ट्स बनाये गये।

माननीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और वहां जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर कंज्यूमर कोर्ट बन जाने चाहियें लेकिन आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक आधे जिलों में कंज्यूमर कोर्ट्स का गठन हुआ है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि इन सब की जांच करने के लिए जस्टिस ई० बी० इराड़ी से रिपोर्ट मांगी गई कि राज्यों ने कंज्यूमर कोर्ट्स बना दिया या नहीं ? लेकिन राज्य सरकारों ने अपनी ही जिम्मेदारी न मानकर जिला जजों को यह काम सौंप दिया। जिला जजों के पास पहले से ही बहुत सारा काम था, वे इस संबंध में किसी प्रकार की बात नहीं कर पाये और कंज्यूमर बिल के तहत से सारी की सारी औपचारिकतायें मात्र ही रह गयी। परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में एक हैडक्वार्टर डिवीजनल कमिश्नर के आधार पर कंज्यूमर कोर्ट का निर्माण कर दिया और एक कंज्यूमर कोर्ट के निर्माण हो जाने से 5-5, 6-6 जिलों पर केवल एक ही कंज्यूमर कोर्ट काम करने लगी और उन न्यायालयों के सिविल जजों के पास, डिस्ट्रिक्ट जजों के पास पहले ही काम था और परिणाम यह हुआ कि 5-5, 6-6 जिलों का काम और सौंप दिया, इन कोर्टों की किसी प्रकार की कोई महत्ता नहीं रह गयी।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि स्टेट कमीशन, जिनके अन्तर्गत ये कोर्ट बनाये जाने वाले थे, एक तो प्रेजीडेंट का इलेक्शन था और प्रेजीडेंट के साथ-साथ इनमें दो व्यक्तियों का और नामिनेशन होना था—एक महिला जो सोशल वर्कर हो, उसका एपायंटमेंट होने का प्रावधान किया गया लेकिन परिणाम यह हुआ कि जिन महिलाओं का भी एपायंटमेंट हुआ, वह राजनीति के आधार पर किया गया। कई जगहों पर तो ये महिलायें पढ़ी-लिखी नहीं थीं लेकिन नाममात्र के लिए, कहने के लिए उसका वहां एपायंटमेंट हो गया कंज्यूमर कोर्ट का कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव हो न सके। यहां मैं यह निवेदन करूंगा कि जिला जजों से यह कहा गया कि इन सब के लिए जगह रखें। एक तो इनके लिए कोई स्थान नहीं और दूसरे जिला जजों को अपने काम करने के लिए एक कमरा भी नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि कोर्ट का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन कोर्टों के रिकार्ड को रखने के संबंध में, स्टेटमेंट देने के नाते स्टैनोग्राफर्स की नियुक्ति होनी थी परन्तु उनकी नियुक्ति न होकर वहां क्लर्क लगाये जो स्टैनोग्राफर्स का काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ही महीने में कितनी मीटिंग्स होंगी, यह तय हुआ कि एक महीने में कम से कम एक मीटिंग हो जाए. उनके मेम्बरों को भत्ता दिया जायेगा लेकिन किसी मेम्बर को भत्ता नहीं दिया गया। इस कारण मेम्बरों ने उन मीटिंगों में जाना बंद कर दिया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जज बनाये गये, उनको स्टाफ रखने की किसी प्रकार की पावर नहीं। यदि कोई अपनी कोर्ट के लिए स्टेशनरी भी खरीदना चाहे तो वह नहीं खरीद सकता है। यदि कोई कागज भी खरीदना हो तो उसके लिए उसको शक्ति नहीं। वह भी सिविल कोर्ट सप्लाई करेगा। तो मैं समझता हूं कि केवल मात्र इस कंज्यूमर कोर्ट के आधार पर यह न्यायालय जो बनाया गया, जो बिलकुल पंगु बन गया, इस प्रकार के कोर्ट के गठन में राज्य सरकारों में क्या रुचि रही। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कंज्यूमर कोर्ट किसी प्रकार से कोई इफेक्टिव कार्य नहीं कर सका और यह कानून केवल मात्र पैसे वालों के लिए ही बन गया।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि आजकल इस देश में खाद्यान्न, सब्जी, दाल और तेल इन सब की कीमतें दुगनी, तिगुनी हो गयी हैं और इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कीमतें बराबर बढ़ा रहे हैं, इसके मालिक बढ़ा रहे हैं, दुकानदार बढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसके संबंध में कुछ नहीं कर सकते। मेरा आपसे सुझाव है कि इन सारी वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हो। फिर मेरा सुझाव है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ भी मिल रहा है, जो राज्य सरकारें कर रही हैं, सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है, गीली चीनी मिल रही है और अब आप राशन की दुकान पर जायेंगे तो कहा जायेगा कि चीनी खत्म हो गयी है, गेहूं भी खत्म है।

4.55 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

इस सबके साथ-साथ लोकल टैक्स भी लिया जाता है, और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 499 डिस्ट्रिक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी अभी तक आधे से ज्यादा स्थानों में इस प्रकार के कोर्ट का गठन नहीं हुआ है और यह 2,50,000 पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की दुकानें हिन्दुस्तान भर में हैं। उन दुकानों में कहीं पर भी किसी प्रकार का सामान नहीं मिलता है और जो कुछ भी सामान इन दुकानों में मिलता है सभापति जी, वह ब्लैक में चला जाता है। गांवों की जनता को भी इस संबंध में लाभ नहीं है और फिर सारा खर्चा फोरम का राज्य सरकार वहन क्यों करेगी? यदि भारत सरकार को इस प्रकार का फोरम बनाना है तो भारत सरकार को इस संबंध में खर्चा करना चाहिए। इस लिए मेरा निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस प्रकार का आर्डिनेन्स जिन न्यायालयों का कहीं औचित्य नहीं है, जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने नहीं हैं, जिनकी दुकानों का कहीं औचित्य नहीं है, सामान वहां पर मिलता नहीं है, जनता को किसी प्रकार की उससे सहूलियत नहीं है, इसलिए ऐसे अध्यादेश को महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षरों से निकलवाना, मैं समझता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भी एक प्रकार से अपमान करना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बन नहीं सकता, यह न्यायालय बन नहीं सकते, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जो ऑर्डर निकलवाया है, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस अध्यादेश को निरस्त करने का जो मेरा प्रस्ताव है, उसको मंजूर करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 15 जून, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस अध्यादेश को बदलने के लिए यह एक विधान लाया गया है। राष्ट्रीय सुधार आयोग के निर्णय के आधार पर एक अध्यादेश जारी किया गया था। माननीय सदस्य श्री भार्गव जी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को मैंने सुना है। जब से अध्यादेश जारी किया गया है, संसद का सत्रकाल चल रहा है तथा इस कानून को लाया गया था। राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है। तकनीकी रूप से इसका महत्व अधिक है। इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कानून के अन्तर्गत सभी सदस्यों को इस निर्णय पर हस्ताक्षर करने पड़े थे तथा यदि कोई सदस्य हस्ताक्षर नहीं कर सका है, उस स्थिति में निर्णय अप्रभावी हो जाता है। उस कानून में यही दिक्कत थी जिसे ठीक किया जाना था। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो जिला स्तर तथा राज्य आयोगों द्वारा पारित किये गये अनेक निर्णय निष्प्रभावी हो गए होते। माननीय श्री भार्गव जी द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये मामलों को अभी-अभी मैंने सुना है। इस समय मेरा केवल यही अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार किया जाये तथा बाद में इस पर निर्णय किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं विधेयक··· (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, पहले हमारी लिस्ट ली जानी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी के नाते हमें पहले मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। भार्गव जी ने तो शुरू कर दिया है। अब आपको दुबारा देंगे।

प्रो० रासा सिंह रावत : हमारी सबसे बड़ी पार्टी पहले विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें पहले मौका मिलना चाहिए। यह हमारे अधिकार की बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी है, अतः उन्हें बोलने दीजिये।

श्री राम कापसे (ठाणे) : उन्होंने अपनी बात आरम्भ नहीं की है।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही उन्हें बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक के ऊपर बहस के दौरान अपने कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक अदालत के फैसले के तहत आपको संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा इस आदरणीय सदन के सामने। इसी बहस के दौरान मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आदरणीय भार्गव जी ने जब इस पर बहस प्रारंभ की तो बहुत से जायज विषय उपस्थित किए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आपने अदालत बनाने का और सुरक्षा प्रदान करने का एक कानून पूरे देश भर के लिए बनाया।

5.00 म० प०

लेकिन जिला अदालतों के चयन का, उनकी नियुक्ति का अधिकार आपने राज्य सरकारों के हाथ में दे दिया। अब दिक्कत यह है कि राज्य सरकारें जिला स्तर पर अपने प्रदेशों में अभी ऐसी अदालतें बनाने में अक्षम साबित हो रही हैं। बहुत से जिलों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि यद्यपि उन्होंने जिला स्तर पर ऐसी अदालतें बना दी हैं और वहां जिलाधीश या अदालतों के न्यायाधीश का तबादला हो जाये या किन्हीं और कारणों से वह अपने पद पर न रहें तो महीनों तक वह पद रिक्त चलता रहता है। इससे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के अन्तर्गत अदालतें स्थापित करने की जो मंशा है, वह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि इस कानून में व्यापक परिवर्तन किये जाने चाहिये।

व्यापक परिवर्तन यह हो सकता है कि जिला स्तर पर अदालतों की नियुक्ति का जो अधिकार है, उसे राज्य सरकारों के हाथ में न देकर, जैसे हम रोज विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, जिले के अध्यक्ष या जिला परिषद के अध्यक्ष के हाथ में या जिला परिषद के हाथ में दे दिया जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उपभोक्ता को हम अधिकाधिक संरक्षण प्रदान करने का काम कर सकें।

इसके साथ-साथ जो हमारी वितरण प्रणाली है, उसे भी स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाने का काम अभी तक हम नहीं कर पाये हैं। सभापति जी, आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी सबसे बड़ी विकृति यह सरकार हो गयी है। चाहें कोई भी सरकार हो, निजी क्षेत्र की जो वितरण प्रणाली है, उसपर जन आधिपत्य के जरिये, जन वातावरण तैयार करके हम थोड़ा बहुत अंकुश लगाने का काम तो कर लेते हैं लेकिन जो सरकार की ओर से व्यवस्था है कि उपभोक्ता को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करानी है, उसपर न तो इन अदालतों का और न जनमत का कोई अधिकार है। ऐसी व्यवस्था न होने के कारण सरकार अपनी तरफ से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने में अक्षम साबित हो रही है। अतः इस उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि समय समय पर विकास प्राधिकरणों की ओर से आवास विकास परिषदों की ओर से विज्ञापन निकाले जाते हैं कि आप अपने कोटे का एक हिस्सा

हमारी निधि में जमा करा दें, आपको 6 महीने के भीतर, दो वर्ष के भीतर घर बनाकर विकास प्राधिकरण मुहैया करेगा। जब ऐसा विज्ञापन निकलता है तो लोगों द्वारा काफी धन जमा करा दिया जाता है परन्तु 5-5 वर्ष तक, 6-6 वर्ष तक और 10-10 वर्ष तक, जिनका पैसा जमा होता है, वे ताकते रहते हैं, उनको घर मिलता नहीं है। उसी तरह से टेलीफोन की व्यवस्था है। एक अर्से तक पैसा जमा कराने के बाद भी उपभोक्ता को सुविधा नहीं मिलती। टेलीफोन सम्बन्धी असुविधा को दूर करने के लिए, टेलीफोन को ठीक करने के लिए, यदि उसका सीधा सम्बन्ध विभाग के कर्मचारियों या उसमें काम करने वालों से नहीं है तो उसके टेलीफोन को ठीक करने के लिए कोई नहीं आता।

उसी तरह रेलों का इन्तजाम है। घण्टों-घण्टों रेलगाड़ियां अकारण विलम्ब से चलती हैं जिससे लोगों को काम का नुकसान होता है। मेरा कहना है कि इन सभी चीजों को भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि विकास परिषदों को इसकी परिधि के अन्तर्गत लाने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने अदालतों में मुकदमा दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और अपने आपको उपभोक्ता संरक्षण कानून को अलग कर लिया, अपने को बचाये रखा।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कानून में कौन-कौन से विषय शामिल किये जाएं, इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के सामने यह विषय रखा जाए कि उपभोक्ताओं के किन-किन विषयों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया जाए। उस कमेटी में इसपर मुकम्मल विचार हो और उसके बाद इस एक्ट के दायरे के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाए और एक मुकम्मल विधेयक सदन के सामने लाया जाये। सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि टेलीफोन्स, रेल की व्यवस्था, आवास-विकास प्राधिकरण आदि सारी चीजों को भी इस उपभोक्ता संरक्षण कानून के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए, बाधित किया जाना चाहिए। इसके लिए हाउस की एक कमेटी अविलम्ब बननी चाहिए। इन थोड़े से सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जो संशोधन प्रस्तुत कर के उसमें जो नयी तब्दीली करना चाहते हैं, उस सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1986 ईस्वी में जब यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था उस समय देश की जनता ने, देश के उपभोक्ताओं ने बड़ी-बड़ी आशायें लगा रखी थी कि अब तो जो है वास्तव में उपभोक्ता के हितों का पूरा संरक्षण रखा जाएगा। चाहे वह टेलीफोन की बात है, चाहे वह गैस के सिलैंडर की बात हो, चाहे दुकानों पर शुद्ध सामग्री मिलने की बात हो, चाहे प्रामाणिक सामग्री मिलने की बात हो या विश्वसनीयता की बात है, इन सारी बातों के बारे में बड़ी-बड़ी आशाएं लगा रखी थीं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यह जो इतना अच्छा कानून था, इतनी अच्छी भावनाओं को लेकर के पारित किया था और सारे देश के अंदर से कानून को लागू किया था, देश की संसद के अंदर जो सर्वोच्च सदन है उससे पास होने के बाद जिन हाथों के अन्दर वह पहुंचा और जिस ढंग से इसको कार्यान्वित किया गया, उससे एक प्रकार से ढांचा-ढांचा तो खड़ा रह गया, लेकिन इसमें से उसकी आत्मा को बिलकुल निकाल दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जिन उपभोक्ता मंचों का गठन होना चाहिए था, चाहे वह जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो और चाहे वह राष्ट्रीय आयोग जितना सक्षम और शक्तिशाली

[प्रो० रासा सिंह रावत]

बनना चाहिए और यह जो संविधान का कानून बना था, अधिनियम बना था, इस अधिनियम के अन्तर्गत जो जो सुविधाएं उपभोक्ताओं को प्राप्त होनी चाहिए, जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उपभोक्ताओं को अपने हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता न्यायालयों में जाकर या उपभोक्ता मंचों के अन्दर जा कर अपनी बात को कहकर न्याय प्राप्त करने वाली बात थी, वह आशा पूरी नहीं हो पायी है।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि सन् 1986 में जब यह कानून बना, लेकिन उसके दो वर्ष बाद तक भी जब यह असैस्मेंट किया गया कि इसमें कितनी प्रगति हुई है, तो उस समय हमें यह जानकर आश्चर्य होता है—हिन्दुस्तान में 455 जिले हैं, 1986 मे कानून बना और 1988 में केवल मात्र 40 जिलों के अन्दर मंचों का जिला स्तर पर निर्माण हो पाया और उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यह तय किया गया कि छ: सप्ताह के अन्दर-अन्दर सारे देश के अन्दर इनका निर्माण होना चाहिए, केन्द्रीय सरकार ने वापस आदेश जारी किया और राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डाला, तो काम धीरे-धीरे आगे बढ़ा और आधे जिलो के अन्दर हुआ और जैसा अभी माननीय सदस्य भार्गव साहब ने बताया कि वी०वी० इराडी नाम के जो न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के नाते से यह अधिकार दिया गया कि वे जांच करें कि इसमें ढील क्यों है और इसकी क्या स्थिति है। उन्होंने सारे देश के राज्यों घूमकर राज्य सरकारों से जांच-पड़ताल करके, पूछकर के यह पता लगाने की कोशिश की, तो वास्तव में इराडी आयोग को और अधिक आश्चर्य हुआ—इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जो सांविधिक आवश्यकतायें थीं उनको पूरा नहीं किया गया है और जो उनकी मूल भावना थी कि हमारे देश की जनता को शुद्ध और प्रामाणिक चीजें मिलें यह पूरी नहीं हो पाई। आज हर चीज के अन्दर मिलावट पाई जाती है। आज टेलीफोन जैसी चीज है, जब हम 197 के ऊपर शिकायत करते हैं कि हमारा टेलीफोन ठीक काम नहीं कर रहा है या 198 या 199 को शिकायत करते हैं, तो कोई सुनने वाला ही नहीं होता है, वहां गाने की आवाज आती रहती है। उसके बाद टेलीफोन का जो बिल आता है वह पूरा-पूरा आता है चाहे वह टेलीफोन 10 दिन खराब रहा हो, आंधी-तूफान के कारण तारें, लाईनें कट गयी हों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ऊपर से कहते हैं कि आपको बिल तो जमा करना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय, अभी बिजली के बिल सांसदों के पास आ रहे हैं। हम बिजली के उपभोक्ता हैं। पहले बिजली 35 पैसे यूनिट थी और अब 100 यूनिट के ऊपर 2 रुपये 2 पैसे प्रति यूनिट आती है, इतने पैसे बढ़ा दिए। लोग परेशान हैं कि बिल अधिक आ रहा है, बिजली उतनी जल नहीं रही है जितना कि बिल आ रहा हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिल आ जाता है, कुछ कहो, तो कहते हैं पहले बिल जमा कराओ।

सभापति महोदय, इसी तरह सीनेमा की हालत है। जनता कुछ और देखना चाहती है और देश की आवश्यकता कुछ और है, लेकिन सिनेमा के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उनको कुछ अच्छी चीजें दिखाई जायें जिससे राष्ट्र निर्माण हो, देश का चरित्र निर्माण हो, लेकिन वहां पर उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया जाता है और जो बड़ी-बड़ी पूंजीपति कम्पनियां हैं और जो बड़े-बड़े निहितस्वार्थी है वे अपनी विलासिता की सामग्री को प्रचार-प्रसार करते हैं और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के स्थान पर उसका शोषण करते हैं। इसलिए मान्यवर, यह जो उपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम लागू किया गया है और इसमें जो संशोधन होने वाले हैं, ये संशोधन इसको प्रभावी बनाने के लिए तो होने चाहिए लेकिन इसके मार्ग में जो तीन-चार बाधाएं, जो सबसे बड़ी हैं, उनका निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक इस देश के उपभोक्ताओं को, आप चाहे वह राशन की दुकान हो, चाहे गांव की छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़ा बाजार हो या औषधालय हो या दवाइयों का कोई स्टोर हो, आप संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी हो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी शिकायतों को भली प्रकार से सुना जाए और उपभोक्ताओं के साथ खिल-वाड़ करने वाले के विरुद्ध यदि कोई सख्त कार्रवाई करनी है तो हमें उपभोक्ता मंचों को समृद्ध करना पड़ेगा और संगठित करना पड़ेगा।

देश के अन्दर 455 जिले हैं, हर जिले में अनिवार्य रूप से उपभोक्ता मंच का निर्माण हो जाना चाहिए, उपभोक्ता न्यायालय की व्यवस्था हो और जैसे और मुकदमों को सुनने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति होती है इसी प्रकार से उपभोक्ता न्यायालय में भी उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के बारे में एक अलग न्यायाधीश की व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्टाट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह जो सुनवाई करे, जो फैसले करे उसको टाइप करने के लिए, सम्मन निकालने वाले, सन्देश पहुंचाने वाले और भी जो निर्णय हैं, उनको क्रियान्वित करने वाला सक्षम शक्ति भी उसके हाथ में होना चाहिए ताकि वह उसके द्वारा उन्हें निपटा सकें। मैंने देखा है कई जिलों में बोर्ड सो लगा हुआ है लेकिन वहां पर साथ-साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं। जब उपभोक्ता न्यायालय है तो उसके लिए अलग कमरा हो, अलग समुचित व्यवस्था हो और जैसे राज्य सरकार यह कह देती है कि पैसे नहीं हैं तो केन्द्र सरकार को देखना चाहिए कि राज्य में इस कानून के अन्तर्गत जैसी सांविधिक की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं। उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो मशीनरी गठित की गई हैं और जिस भावना के साथ गठित की है कि सबको न्याय मिले, सबको चीज सस्ती मिले, समय पर मिले, शुद्ध मिले, बिना मिलावट के मिले और काला बाजारी करने वालों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिले इसको देखना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार विशेष कोर्ट की स्थापना करे और उपभोक्ता न्यायालय के लिए राज्य सरकार को अपने-अपने जिलों में सक्षम न्यायालय स्थापित करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए ताकि उनका आर्थिक संकट दूर हो सके। इसके बाद उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छे काम में जहां सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है, जहां तमाम उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात जुड़ी हुई है वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो सेवाभावी लोग हों, सक्रिय लोग हों, क्षेत्र के जान-कार हों, वहां की परिस्थितियों को भली प्रकार से जानने वाले हों ईमानदार हों, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हों और स्वेच्छा से जो आगे आते हों, ऐसे लोगों को अगर सदस्य बनाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि उपभोक्ता न्यायालय अधिक संगठित होंगे और अधिक सक्रिय होकर कार्य कर सकेंगे। तब यह संशोधन लाना सही होगा। नहीं तो हम संशोधन भी लाएंगे, कानून भी बनाएं और उसके बाद मान लिया कि हमारा काम हो गया। सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में समन्वय होना चाहिए। कानून बनने के साथ कानून का पालन हो रहा है या नहीं, लोगों को महसूस हो कि उपभोक्ता वास्तव में वहां अपनी शिकायत कर सकता है, अपनी कठिनाई बता सकता है, कहीं कोई धोखाधड़ी, बेईमानी या कोई और बात कहकर कोई और वस्तु प्रदान कर दी गई है तो इसके लिए उसको न्याय मिल सके और वहां पर उसकी शिकायत का समाधान हो सके।

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी जो स्थिति है, मैंने देखा है कि अभी तक डिवीजनल हेडक्वार्टस पर उपभोक्ता मंच का गठन हुआ है। किसानों से या आम नागरिकों से कैसे आशा की जा सकती है कि 40-50 मील पैदल चलकर जाए या अपनी जेब से किराया लगाकर अपनी कठिनाई वहां पर पहुचाए और फिर पेशी पर हाजिर हो। उसको आने-जाने में तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि हर जिले मे ऐसे मंचों का निर्माण हो, तहसील स्तर पर हो, ताल्लुक स्तर पर हो और आगे जाकर सच्चे अर्थों में विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो पंचायत स्तर पर भी उपभोक्ता मंच का गठन होना चाहिए ताकि उनको संरक्षण मिल सके।

चारों तरफ उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, वह नहीं हो सके—चाहे सामाजिक शोषण उपभोक्ताओं का हो, चाहे मानसिक शोषण उपभोक्ताओं का हो, चाहे आर्थिक शोषण उपभोक्ताओं का हो, चाहे कीमतों के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण हो, चाहे वस्तुएं न मिलने के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो और चाहे समय पर व मौके पर वस्तुएं न मिलने के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो, उनको रोका जा सके।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो होने वाला संशोधन है, अगर उसे सही परिप्रेक्ष्य में लाया जाए और क्रियान्वित किया जाए तो यह कानून अधिक प्रभावी और सार्थक हो सकेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव की पूर्व सूचना मैंने पहले ही दी है।

माननीय मंत्री ने अभी उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार यह अध्यादेश लागू किया गया था। ऐसा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय के कारण था।

किन्तु मुझे लगता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त आप कुछ और संशोधन कर सकते थे जो इस संशोधन विधेयक को एक विस्तृत रूप देता।

आप जानते हैं कि दिसम्बर, 1986 में जब तत्कालीन मंत्री श्री एच॰ के॰ एल॰ भगत इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को लाने में अग्रगण्य थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। उन्होंने सभा में यह माना था और उन्होने यह भी कहा था कि अगर समय के साथ कुछ कमियां और दोष सामने आते हैं तो निश्चय ही सरकार उन खामियों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक संशोधन करेगी।

दुर्भाग्य से, आज माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक में वह बात नहीं है। वर्तमान संशाधन तकनीकी रूप से, जैसा उन्होंने कहा है जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में एक विशेष परिवर्तन को पूरा करने के लिए है।

मुझे बहुत दुःख है क्योंकि सरकार को गरीब उपभोक्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। चार से भी अधिक दशक पूर्व, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, मैं उन्हें उदधृत करता हूं—

"एक उपभोक्ता हमारे परिसर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं है। हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे काम में बाधा नहीं डालता। । वह किसी उद्देश्य से आता है। उपभोक्ता को अवसर देकर हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। बल्कि हमें मौका देकर वह हमारा भला कर रहा है।"

इन बहुमूल्य शब्दों से आप परिचित है जो काफी समय पूर्व महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे। आप निश्चय ही मानेगें कि उस समय नैतिक मूल्य, वर्तमान समय की अपेक्षा काफी बेहतर थे।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो श्री एच० के० एल० भगत ने उस समय कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :—

"सरकार की मंशा वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट होने की नहीं है।"

सरकार ने कहा कि इसकी इच्छा खंड स्तर तक और ग्राम स्तर तक भी जाने की है ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता लग सके और वे अपने हितों का ध्यान रख सकें

किन्तु अभी तक हम उसमें सफल नहीं हुए। लगता है, कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। लगभग $4\frac{1}{2}$ वर्षों के पश्चात् भी सिर्फ आधे जिलों में ही ये जिला फोरम बनाए गए हैं। दुर्भाग्य से, आज कुछ व्यापारियों काफी लालची है। वे चावल और चीनी में सफेद रेता मिला रहे हैं और जीवन-रक्षक दवाइयों में भी मिलावट करने में उन्हें कोई हिचक नहीं है। वे किसी भी कीमत पर लाभ कमाना चाहते हैं। अगर ऐसे हालात हैं तो सरकार को आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

अब भी, इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में भी, अन्तरिम राहतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए एक उपभोक्ता पीड़ित है और वह शिकायत करता है। इस मामले में, कोई अंतरिम राहत नहीं है। सब लोग, विशेषकर गरीब लोग महीनों और वर्षों तक मामले के निपटाए जाने का इन्तजार नहीं कर सकते। सरकार को उन परिस्थितियों पर विचार करना होगा जिसमें मामले के अनुसार उपभोक्ता को कुछ अंतरिम राहत दी जा सके।

महोदय, आज हम कीटनाशकों में भी मिलावट की बात सुन रहे है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। अपने पसीने से कमाए हुए पैसे और बचत में से काफी पैसा इस पर खर्च करते हैं। किन्तु ये उचित रूप से कार्य नहीं करते जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। कोई भी इसका मुआवजा नहीं देता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि संयुक्त उर्वरक, अत्यन्त महंगे उर्वरकों की गुणवत्ता भी शुद्ध नहीं होती। आपूर्तिकर्ता ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक में दूसरे से मिला देते है। मेरा सुझाव है कि अगर ऐसी घटनाएं आपके ध्यान में आएं तो आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता से शिकायत है और वह जिला फोरम या राज्य फोरम में शिकायत करता है। सारी प्रक्रिया न जांच होने के बाद, उस उपभोक्ता को मुआवजा मिल सकता है। किन्तु तथ्य यह है कि शिकायत करने वाली सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ऐसे लोग हजारों हैं। ऐसे लाखों व्यक्ति हो सकते हैं जो शिकायत नहीं करते क्योंकि या तो वे अनजान होते है या उन्हें अपने अधिकारों का या इस उपभोक्त संरक्षण अधिनियम का पता ही नहीं है और इससे जुड़े तंत्र का और उन्हें मिलने वाली राहत का ज्ञान नहीं है। कई लोग अनपढ़ हैं। जहां यह जिला फोरम होता है वहां तक कई लोग पहुंच नहीं पाते। इसलिए, जब यह पता लगता है

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

कि एक निर्माता या एक व्यापारी ने जानबूझ कर विशेष उपभोक्ता से घटिया वस्तु दी है, तो जिला उपभोक्ता फोरम या राज्य फोरम, जो भी हो, उसे उस विशेष उत्पाद देने के लिए उस निर्माता या व्यापारी को जुर्माना देना चाहिए । उसे उस हद तक तो जुर्माना देना चाहिए। यह सिर्फ एक उपभोक्ता से राहत देने का ही प्रश्न नहीं है । मेरा इस सरकार से यही निवेदन है।

महोदय, किसानों को घटिया बीज देने की कई घटनाएं है। हम कई इस सदन में भी उठा चुके हैं। बड़ी आशा के साथ और हजारों रुपए खर्च करके लोग बीज खरीदते है किन्तु वे बीज सही क्वालिटी के नही होते । वे जम ही नहीं पाते । इसका परिणाम यह होता है कि अपनी कीमती समय लगाने के पश्चात किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आप भी यह जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार को एक व्यापक (संशोधन) विधेयक लाना चाहिए जिनमें इन कमियों को सुधारा जा सके और दोषी व्यक्तियों को कड़ा दंड दिया जा सके ।

मेरा विचार है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। ठीक इस समय कुछ दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे स्तंभ छप रहे हैं जिनमें उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी दी जाती है कि ऐसी घटना इस प्रकार हुई और अमुक स्थान पर हुई और इससे उपभोक्ता को कुछ राहत मिल पाई; उसका अधिकारों की रक्षा की गई । इसी प्रकार कई समाचार पत्रों में ऐसे स्तम्भ छप रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ समाचार-पत्रों को बधाई देता हूं। आजकल टी० वी० सबसे अधिक सशक्त प्रचार माध्यम है इसका जनता से सीधा सम्पर्क है। सरकार को मेरा सुझाव है कि यह इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम, विशेषकर टी० वी० को उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। अमरीका जैसे देश में रैल्फ नादिर नाम का एक व्यक्ति मोटर गाड़ियों में बड़ी कम्पनी जनरल मोटर्स' से लड़ सका। उसने महसूस किया था कि जनरल मोटर्स कार की एक विशेष निर्मित कार उपभोक्ताओं के हित में नहीं है अत: उसने इसकी इंजीनियरों द्वारा जांच करवाई थी। तब उसने इस मामले को कई संस्थाओं में भेजा। अन्त में वह अपने अभियान में सफल हुआ। इस देश में इतनी निरक्षरता और निर्धनता है- यहां तक की हमारी 75% जनता गांवों में रहती है—सरकार को हमारी मदद अवश्य करनी चाहिए। सरकार उपभोक्ताओं की मदद करे और जब तक सरकार उपभोक्ताओं की मदद नहीं करेगी तब तक किसी प्रकार की राहत अथवा न्याय नहीं होगा । फिर भी देर से दिया गया न्याय एक प्रकार से न्याय से वंचित करने की बात है । पहले ही पांच वर्ष बीत चुके हैं। मैं सरकार से इस दिशा मे तुरन्त आवश्यक कदम उठाने का निवेदन करता हूं ।

धारा 14 में संशोधन की आवश्यकता है । मेरे विचार में, सरकार अवश्य इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस सत्र में न सही, कम से कम अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। मैं सरकार से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक—उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 1991—का समर्थन करता हूं जो 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसाकि आप जानते हैं इस विधेयक को एक अध्या-

देश के स्थान पर लागू करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक की चर्चा में भाग लेते समय मुझे याद पड़ता है कि हमारे प्रिय स्वर्गीय नेता राजीव जी की उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए चिन्ता के कारण ही यह लागू हो पाया। वे यह सुनिश्चित करने को सदा तत्पर रहते थे कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें और वे शोषण, धोखेबाजी, इत्यादि का शिकार न बनें। किसी भी अर्थव्यवस्था में, उत्पादक अथवा निर्माता का इतना महत्व नहीं है जितना उपभोक्ता का होना है। हमारे देश में, दुर्भाग्य से, अनभिज्ञता, अशिक्षा और जिस प्रकार की स्थिति व्याप्त है उस के कारण उपभोक्ता का शोषण किया जाता है और उसे धोखा दिया जाता है। यह अवश्य ही एक अच्छी शुरूआत थी। किन्तु इसी बीच पांच वर्ष का समय बीत चुका है और इस दिशा में ज्यादा सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है।

स्पष्ट रूप से कहते हुए, इस विधेयक के पीछे जो मंशा है वह प्रशंसनीय है। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को निर्देश, देती है और फिर जिला स्तर और राज्य स्तर पर समितियों अथवा आयोग अथवा किसी अन्य संस्था के गठन द्वारा इसे लागू करने का काम राज्य सरकारों का है। इस संस्था का गठन करने का कर्त्तव्य उनका है। किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात है इन समितियों अथवा संस्थाओं में ठीक प्रकार के लोगों को सदस्य बनाया जाए। अन्यथा, इन समितियों में ऐसे ही चुने गए सदस्य कोई रूचि नहीं लेते। वे बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, यहां तक कि वे हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए, एक विद्वान न्यायविद ने इस विषय में और इस अध्यादेश के बारे में कुछ टिप्पणी की विधेयक उसी टिप्पणी का परिणाम है।

किन्तु अब तक, इसका कार्यान्वियन बहुत ही धीमा रहा है। यदि इसके कार्यान्वयन में अधिक देर होती है तो इससे इसका उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

अत:, इससे अविलम्बिता की भावना भी समाप्त हो रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि इस स्तर पर ऐसे कानून बनाने से ही उनका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता अथवा यह केवल इसी कार्य तक सीमित नहीं है। भारत में, प्रगतिवादी कानूनों की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई कानून हैं जो प्रगतिवादी प्रकृति के हैं। इनके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में, बहुत सुधार की आवश्यकता है। मेरे विचार में, यह अधिनियम इस श्रेणी के अन्तर्गत आता है। यह एक अच्छा और प्रगतिवादी अधिनियम है जिसका प्रशंसनीय उद्देश्य है, उपभोक्ताओं—निर्धन और अशिक्षित उपभोक्ता—की सेवा करना, किन्तु इसका कार्यान्वयन ऐसा है कि इसका उद्देश्य ही निष्फल हो रहा है।

अत: माननीय मंत्री और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अफसरों को चाहिए कि वे राज्यों का का दौरा करें और राज्य मुख्यालयों में इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पुनरावलोकन करें, न केवल राज्य मुख्यालय बल्कि उन्हें जिला स्तर तक भी जाना चाहिए कार्यक्षेत्र में वे स्वयं देखें कि वे कैसा कार्य करते है इसकी स्वयं जानकारी पाने के लिए उन्हें इन संस्थाओं की बैठकों में भाग लेना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। इस पर केन्द्र का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए और ऐसे प्रयासों से वे इस अधिनियम की महत्ता हेतु इसके वास्तविक उद्देश्य देकर अविलम्बिता का सन्देश दे पाने में सफल हो पाएंगे।

मैं एक अन्य मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। यदि मैंने सही समझा है, और यदि मेरी सूचना सही है, इस अधिनियम के अन्तर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे बहुत सीमित संख्या में, 6 वस्तुओं को लिया गया है।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, किसी शिकायत के निबटारे में सामान्यतया तीन महीने का समय लगना चाहिए और यदि कोई रासायनिक अथवा प्रयोगशाला परीक्षा शामिल हो तो तीन से पांच महीने तक लग सकते हैं। हमारे अनुभव के अनुसार, शिकायतों के निपटारे में बहुत अधिक देर हो रही थी। सामान्यतया, जब अत्यधिक देर होती है, तो अन्तरिम अनुदान या राहत की आवश्यकता होती है। सभी मामलों में, यदि इसे निर्धारित समय के भीतर अथवा छः या पांच या तीन महीनों के निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त कर दिया जाता है तो हम इस अन्तरिम राहत के अनुदान इत्यादि को समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा, सरकार अनुदान अन्तरिम राहत उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे।

वास्तव में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें अहम भूमिका अदा करती है। यदि हम अपने देश में, विभिन्न राज्यों में एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू नहीं कर सकते तो हम यहां पर जो भी महसूस करते हैं वह केवल एक हवाई किला बनाने की बात होगी। अतः मैं दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य से सहमत हूँ जो यह मानते है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।

मुझे आपको यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ विधान सभा के सदस्य जुड़े हुए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों का किसी मुद्दे से संबंधित होने से उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों आ जाती हैं। कभी-कभी यह कुछ इलाकों में ठीक प्रकार से कार्य करती है लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रणाली का राजनीतिकरण हो रहा है। अपने ही दल के लोगों को वे डीलर के रूप में चुनते हैं और उन डीलरों को विधान सभा सदस्य का सहयोग प्राप्त होता है तथा वे किसी की परवाह नहीं करते तथा कालाबाजारी और जमाखोरी करते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है। अतः इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करें।

ग्राम पंचायतों और सहकारिताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस प्रणाली में बैंकों को अथवा स्वयं उन्हें अपना पैसा निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब मैं 70 के दशक के मध्य उड़ीसा में नागरिक आपूर्ति मंत्री था तब हमने इसे प्रयोग के रूप में अपनाया था और यह सफल साबित हुआ था। वह बहुत बुरा समय था जब अकाल की सी स्थिति चल रही थी। हमने व्यापारियों की उपेक्षा करके इस कार्य को ग्राम पंचायतों और सहकारिताओं को सौंपा और उन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया।

इस सम्बन्ध में जन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक नया प्रावधान है। अभी भी कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं है जबकि पांच वर्ष बीत चुके हैं। यह राजीव जी का सपना था, उनका विचार था। वह इसके साथ जुड़े हुए थे और हमें देखना है कि यह पूर्णतः सफल हो। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि वह गरीब उपभोक्ताओं के लिए चिन्तित थे और यह विधेयक विशेष उसी का परिणाम है।

हमने एक सुदृढ़ उपभोक्ता आंदोलन चलाया है। उपभोक्ता आंदोलन के बिना हम इस बारे

में चेतना नहीं ला सकते। अत: प्रचार माध्यमों को अपनी भूमिका निभानी है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलकर सुदृढ़ जनमत बनाने और सुदृढ़ उपभोक्ता आंदोलन चलाने के गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि इस विधेयक में विहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, सरकार जब कोई काम नहीं करना चाहती या बने हुए काम को बिगाड़ना चाहती है तो एक बिल ले आती है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई अफेंस नहीं है जो आई०पी०सी० में कवर न होता हो, फिर भी हमने 'टाडा' बनाया हुआ है, एंटी प्राफिटेरिंग एक्ट है, एंटी होर्डिंग एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, इसके बाद भी कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट बनाना पड़ रहा है। आप होर्डर्स को नहीं पकड़ेंगे, एडल्ट्रेशन को नहीं पकड़ेंगे, कंज्यूमर्स पर इस एक्ट को लाद दिया है।

सभापति महोदय, इस बिल से थोड़ा फायदा मध्यम वर्ग को अवश्य मिलेगा, लेकिन गरीब तबके को इससे क्या फायदा मिलेगा। आज देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, गांव-देहात में रहते हैं, उनको इससे क्या फायदा मिलेगा। आज भी ये लोग 4 आने का कड़वा तेल, 2 आने की हल्दी, 10 पैसे की मिर्च खरीदते हैं, क्या आपका यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनको प्रोटेक्शन दे सकेगा। (व्यवधान)

आज भी ऐसे लोग हैं जो माचिस तक नहीं खरीदते हैं। (व्यवधान)

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर किसी दूध कम्पनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो 500 ग्राम दूध देना पड़ेगा। एडीबल आयल 250 ग्राम, स्पाइसेस 300 ग्राम और वनस्पति का 1 किलो का सैंपल देना पड़ेगा। जो बेचारा 4 आने का सामान खरीदता है वह कंज्यूमर रिड्रेसल सेल में कंप्लेंट करने के लिए एक किलो वनस्पति कहां से खरीदेगा।

उनके बारे में आपने क्या सोचा है ? मिडियम वर्ग के लोगों के बारे में इसमें आपने कुछ रखा है, उन्हें कुछ सहूलियतें मिलेंगी। लेकिन बिजनेस मैन के लिए आपके दिल में दर्द है, इस बिल में कोई पीनल प्रोवीजन नहीं है। कम्पनसेशन की बात तो है, जितने का माल खरीदता है उतना पैसा वापिस दे देंगे या जितना माल है उतना माल दे देंगे। लेकिन उनको जेल के अन्दर रखने के लिए आपने पीनल प्रोवीजन नहीं रखा है। उनसे आपकी इतनी ज्यादा हमदर्दी है।

ट्रांसपोर्ट भी इसमें आपने इनक्लूड कर लिया है। डी० टी० सी० को देखिए। जितनी सीटें हैं उससे दुगुने लोग जाते हैं, सफोकेशन हो रहा है। ट्रेन का किराया आप हर साल बढ़ा रहे हैं, इस साल भी बढ़ाया है। ट्रेन का किराया बढ़ाने के बाद जिस डिब्बे में 40 आदमी जाने चाहिए थे वहां 400 जा रहे हैं। छत के ऊपर लोग जाते हैं। उनकी रिड्रेसल के बारे में आपने क्या सोचा है ? ट्रेन लेट जा रही है, फ्लाइट लेट जा रही है, फ्लाइट में तो बड़े लोग जाते हैं, केसरी जी, आप भी एम० पी० होकर मिनिस्टर बने हैं, फ्लाइट में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्लेन भी वक्त में छोड़ देता हूं, लेकिन ट्रेन तो लेट जा रही है। उसका कहां रिड्रेसल मिलेगा ? आपने इसका कोई इन्तजाम नहीं रखा।

टेलीफोन के बारे में क्या कहते हैं। टेलफोन डैड पड़ा है, लेकिन बिल आ रहा है। चार, पांच,

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

छः हजार का बिल देना पड़ता है, कम्पलेंट करने के पहले पूरा रुपया भरना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है। आप कम्परीहैंसिव बिल लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा बिल लाईये जिससे गरीब तबके के लोगों को सहूलियत मिले। हमारी पार्टी की तरफ से बार-बार मांग आती रही है कि गरीब तबके के लोगों का साथ देना चाहते हैं तो कम से कम 14 आइटम्ज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से पूरे भारत में एक कीमत पर सप्लाई करने की कोशिश करें। आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टूटा हुआ है, वह बिल्कुल खत्म हो रहा है।

आप चावल और गेहूं स्टेटस को देते हैं, वह वक्त पर नहीं पहुंच रहा है। स्टेटस गवर्नमेंटस राशन में माल नहीं दे पा रही हैं। कोटा ठीक समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसकी क्या रिडरेसल देंगे? चावल, गेहूं, चीनी और एडिबल ऑयल की क्वालिटी खराब है, इसकी क्या रिडरेसल देंगे?

एक माननीय सदस्य: आप चेयर को ऐडरेस कीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: सामने मिनिस्टर साहब हैं, नोट मिनिस्टर साहब ने करना है। तो आप इसके बारे में सोचें और जल्दी से जल्दी कोई कम्प्रीहैसिब बिल गरीब तबके के लोगों के लिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, यदि उनके लिए कुछ करना चाहते हैं जो कम्प्रीहैंसिव बिल लाईये। इस सदन में चारों तरफ से, इधर से, उधर से कह रहे हैं कि चेयर के माध्यम से कहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा, एक के बाद एक एक्ट बहुत बन चुके हैं, गरीब तबके के लोगों के बारे में आप सोचिए, सिर्फ एक्ट से काम नहीं होता, कंज्यूमर्स के बारे में 12—14 एक्ट हैं, लेकिन इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं है।

हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है और उन्हें इस एक्ट के बारे में मालूम भी नहीं है। मालूम होने से भी जिस तरीके का जो सैम्पल देना पड़ेगा, यह भी उनके बस के बाहर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप पुराने एक्ट पर ही रहें। आपके इस बिल में थोड़े से अमेंडमेंट हैं और आपका स्कोप बहुत लिमिटेड है। आप एक काम्प्रीहेन्सीव बिल लाने की कोशिश कीजिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर): सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के संबंध में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। (व्यवधान) इस वाद-विवाद में भाग लेने का उद्देश्य यह हैं कि इस देश में उपभोक्ता आंदोलन और प्रभावी हो। जबकि अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं यद्यपि वर्तमान अधिनियम उपभोक्ताओं की मांग पूरी कर सकते हैं फिर भी उनका उचित उपयोग नहीं किया जाता हैं। इस उद्देश्य के लिए ठोस उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को प्रयोजित करना होगा।

कर्नाटक में श्रीमती मंडाना हैं। वह भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य और सक्रिय कांग्रेस सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। उन्होंने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया है। वह एक होस्टल बनाने के लिए सरकार से भूमि चाहती हैं ताकि वहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। जबकि वह पिछले तीन-चार सालों से बहुत मेहनत कर रही हैं फिर भी वह भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं पा सकीं। हाल ही

में वह दिल्ली में थीं। वह यहां पर अनेक प्राधिकारियों से मिलना चाहती थीं। शायद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। यहां भी उनका उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का विचार था। उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि उसका क्या अधिकार है, उसे किस प्राधिकारी को शिकायत करनी है। प्राधिकारी का भी सेवा करने का भाव होना चाहिए।

अभी हमारे कुछ मित्रों ने वितरकों, उत्पादकों और निर्माताओं के बारे में बताया है। वे और अधिक अमीर बनने की ही परवाह करते हैं। वह उपभोक्ताओं के हितों की परवाह नहीं करते। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मेरा एक अनुभव है। जब मैं विधान परिषद में था तब मैंने कृषि मंत्री से एक प्रश्न पूछा था। पंजीकृत दुकानों से खरीदे गए कपास के बीज ठीक प्रकार अंकुरित नहीं हो रहे थे। मैंने यह विषय सभा में उठाया तब मंत्री महोदय ने उत्तर दिया: एक एकड़ भूमि के लिये आपको एक किलो बीज बोना होगा। लेकिन एक किलो बीज के स्थान पर आपको और एक किलो बीज खरीदना होगा और केवल 50% ही अंकुरित होगा।

ऐसा उत्तर अति उत्तरदायी कृषि मंत्री ने मुझे दिया था। वास्तव में उस समय पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी और कृषकों को कोई राहत नहीं दी गई। हमने भी यह मामला इसलिए उठाया था क्योंकि दुकान पंजीकृत थी। वह पंजीकृत डीलर है। आपके प्राधिकारियों ने हमारे लोगों को वहां से खरीदने के निदेश दिए इसलिए हमने वह खरीदे। आपके निदेशानुसार हमने उन्हें बोया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50% बीज भी अंकुरित नहीं हुए। जिसके कारण हमे बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अत. मेरा विनम्र निवेदन है कि उपभोक्ता आंदोलन और प्रभावी होना चाहिए। लोगों को समुचित शिक्षा देनी होगी।

दूसरे जिन लोगों के मन में सेवा का भाव है, जो उपभोक्ताओं का भला चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हमारे कुछ मित्रों ने यह आशंका व्यक्त की है कि बल्क में सामान बनाने वाले लोगों की अपनी एजेंसियां है। उनकी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से संबद्धता उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित नहीं करती है। उपभोक्ताओं को प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से शिकायत करनी चाहिए, नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए देना चाहिए और उन्हें मुकद्दमा चलाने के लिए न्यायालय को सौंप देना चाहिए। यह तभी प्रभावी व सफल होगा जब प्रत्येक व्यक्ति तंत्र सक्रिय करने की स्थिति में होगा। इस प्रकार के उपाय के अभाव में किसी भी प्रकार का अधिनियम पारित करने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, महोदय मेरा विनम्र निवेदन है कि उपभोक्ता आंदोलन को गंभीरता से लिया जाए और जो स्वयंसेवी संगठन इस कार्य में रुचि रखते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, वास्तव में 1986 के मूल अधिनियम का पारित होना सचमुच एक बड़ी उपलब्धि थी और जहां कहीं भी इसे लागू किया गया है इसके परिणाम बहुत प्रभावी रहे हैं। बहुत से राज्यों में अभी जिला मंच शुरू किए जाने हैं। केरल में ऐसा शुरू किया जा चुका है और यह बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इसमें कुछ कमियां हो सकती है और

[श्री पी० सी० थामस]

जिला मंचों को कार्य करने में कुछ समस्याएं पेश आ सकती है परन्तु अपनी सीमित शक्ति और सामर्थ्य के साथ वे बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

वर्ष 1986 में, जब यह विधेयक विचार के लिए लाया गया तो उस पर चर्चा के दौरान बहुत से सदस्यों ने इसका वस्तविक रूप में स्वागत किया और चर्चा में भाग लिया। परन्तु एक आशंका व्यक्त की गई कि शायद इसे व्यवहार में न लाया जा सके और उस वक्त बहुत से सदस्यों ने कहा कि ये बातें कागजों पर बहुत अच्छी हैं लेकिन शायद इन्हें व्यवहार में न लाया जा सके। मेरा विचार है कि यह एक बहुत अच्छा विधान है जो बिना किसी अविलम्ब पेश किया जाना चाहिए और सभी राज्यों में लागू कर दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम बनाए जा चुके हैं लेकिन हमें और अधिक मंचों की आवश्यकता है क्योंकि इन मंचों को प्राप्त होने वाली शिकायतें इतनी अधिक हैं कि एक जिले में एक मंच प्राप्त हो रही शिकायतों को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे विश्वास है कि अगर खण्ड और ताल्लुका स्तर पर अधिक मंच बनाए जाते हैं तो फिर साधारण लोग, जिनके लिए यह विधान लाया गया है, इस अधिनियम का प्रयोग करने में समर्थ हो सकेंगे और इस अधिनियम का वास्तविक लाभ उठा सकेंगे।

जब मैं यह विधेयक पढ़ रहा था तो जैसाकि इसके उद्देश्यों में उल्लिखित है, मुझे पता चला कि यह विधेयक एक अध्यादेश को नियमित करने के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन मेरे विचार में जो अध्यादेश पहले लाया गया था वह कुछ अपर्याप्त सा था क्योंकि वह अध्यादेश राष्ट्रीय मंच के निर्णय के अनुसार लाया अथवा प्रख्यापित किया गया था, जहां निर्णय कुछ इस प्रकार से किया गया था जैसे कि जिला-परिषदों के स्तर से लिया जाना होता है। अगर एक जिला शिकायत निवारण मंच का प्रतिनिधित्व तीन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है और दो व्यक्ति इसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर कोई निर्णय कैसे लिया जा सकता है? केवल इसी बात का समाधान इस संशोधन विधेयक में किया गया है। राज्य मंच के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की एक धारा है। यह उससे किसी प्रकार अलग नहीं है। राज्य मंच में भी तीन व्यक्ति होते है—एक उच्च न्यायालय के स्तर का कार्यकारी सभापति और दो गैर-सरकारी सदस्य। लेकिन उसके लिए भी मूल अधिनियम की धारा 18 के समान धारा 14 भी लागू होती है। इसी प्रकार की असंगति राज्य मंच के मामले में भी है। मेरा विचार है कि यह पहलू उस समय विचार के लिए लिया जाना चाहिए था जब यह अध्यादेश लाया गया बजाय एक अलग संशोधन विधेयक लाने के। इस संशोधन विधेयक द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता था।

स्वैच्छिक संगठनों, उपभोक्ता आंदोलन आदि के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए हैं, मैं उनसे सहमत हूं। मेरा यह विचार है कि इस सम्बन्ध में जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आती, कोई भी विधान, कितने भी कानून बनाये जायें, उनसे कोई परिणाम नहीं निकल सकेगा। जैसाकि बहुत से माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिया है, निश्चित परिणाम इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम व अन्य प्रचार माध्यमों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत आवश्यक है।

स्वैच्छिक क्षेत्र में बहुत से उपभोक्ता संरक्षण संगठन हैं। कम से कम केरल में मैं जानता हूं

कि कुछ संगठन बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। वे इस पहलू के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को इन स्वैच्छिक संगठनों का, जो पहले ही बन चुके हैं, ध्यान रखना चाहिए। केरल से इन संगठनों में से किसी एक संगठन के अध्यक्ष यहां सम्बन्धित मंत्री और कुछ अधिकारियों से, इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जाना चाहिए और मूल अधिनियम में कुछ संशोधनों का सुझाव देने के लिए मिले। मेरा विचार है कि सरकार को देश में स्थापित हो रहे इन स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण के प्रति कुछ रूचि जाहिर करनी चाहिए। सरकार को राष्ट्रीय-स्तर पर इन सभी संगठनों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। इन संगठनों ने अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, और अगर इनमें से कुछ सुझावों को लागू किया जाए, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे।

केरल में कुछ मंचों ने इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की, उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। उदाहरण के लिए टेलिफोन से सम्बन्धित एक मामला था और एक मंच ने उस पर निर्णय दिया। मैं नहीं जानता कि यह वास्तव में मंच के अधिकार क्षेत्र में आता था अथवा नहीं लेकिन इसके निर्णय से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। निर्णय के तुरन्त बाद ही अधिकारियों की तरफ से कार्यवाही हुई। मेरा विचार है कि यदि मंचों को उस ढंग से कार्य करने दिया जाए जिस ढंग से उन्हें करना चाहिए, अगर उन्हें समुचित वित्तीय सहायता, पर्याप्त अधिकारी दिए जायें तो वे इस सम्बन्ध में अच्छा काम कर सकेंगे।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह मेरे अपने राज्य के संबंध में है। मुझे अपने राज्य से एक शिकायत प्राप्त हुई है। यह शिकायत पूर्व सरकार के समय भी आई थी। यहां से केरल भेजे गये चावल और अन्य खाद्य-पदार्थ-रिसाव वाले डिब्बों के कारण बर्बाद हो गए और इस संबंध में केरल सरकार ने केन्द्रीय प्राधिकारियों को शिकायत भेजी। इस मामले में, यह राज्य-सरकार की केन्द्र के विरुद्ध शिकायत है। अतः इस अधिनियम द्वारा राज्यों को केन्द्रीय निकायों के विरुद्ध शिकायत करने का कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि कुछ कार्यवाही हो और किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। मैं विशेष रूप से रिसाव वाले डिब्बों का उदाहरण दे रहा हूं। जो खाद्य पदार्थ उन डिब्बों में भेजे गए वे खराब हो रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

6.00 म० प०

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : सभापति महोदय, सर्वदलीय नेताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि चाहे हमें देर तक बैठना पड़े, हम तीनों विधेयक पारित करेंगे। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूं। मेरा ऐसा अनुरोध नहीं है। लेकिन कम से कम यह विधेयक जिस पर चर्चा चल रही है, अगर आज हम इसे लें तो बहुत अच्छा। मेरा विचार है कि हम इसे पूर्ण कर सकेंगे इस पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए। अगर सभा की सहमति हो तो सभा के समय को आधे घंटे के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, यह बात ठीक है कि जो टाइम दिया

[श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

गया है, उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं आपस में मिलकर के लेकिन एक बात यह आती है कि जिसे कुमार मंगलम जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर एक दिन में लंच अवर नहीं है तो हम शाम को देर तक नहीं बैठेंगे। तो कृपया ऐसे निर्णय पर आप पहुंचते हैं तो भी ध्यान रखना ठीक होगा कि लंच अवर भी होगा और 6 बजे के बाद भी बैठेंगे ।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आज के दिन अगर रखवा दें तो 10-20 मिनट के लिए बढ़ा दें तो दिक्कत नहीं है लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय : ऐसा लगता है कि चार-पांच स्वीकर है। आधा घंटा कम से कम हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

क्या सभा इस बात से सहमत है कि बैठक का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : हां, ।

सभापति महोदय : सभा का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाये। श्री तेजनारायण सिंह ।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति जी, कानून तो बहुत बने और इसमें बहुत संशोधन हुए और यह भी कानून 1986 में बना और इसमें भी संशोधन किया जा रहा है इस नाम पर कि इससे अधिक सुविधा जनता को मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि जो 1986 में यह ऐक्ट बना, अगर इसे भी ठीक से लागू कर दिया जाता तो जनता को सुविधा मिल सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कानून बनता है वह लागू नहीं होता है। इसका परिणाम यह है कि और तरह-तरह की कठिनाइयां हो जाती हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है।

अभी साथियों ने कहा मेरे राज्य में तो कमेटी बन गई, लेकिन और राज्यों में नहीं बनीं। आप यह कह सकते हैं कि वहां सरकार चाहती थी इसलिए वह कमेटियां नहीं बनीं, लेकिन 1986 से लेकर 1989 तक आपकी सरकार थी देश के तमाम राज्यों में, कौन रोकता आपको उन सब की कमेटियों को बनाने से। इसलिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप कानून में तो संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन उस कानून को लागू नहीं करना चाहते है। आपकी राशन की जो दुकानें हैं, देश के पैमाने पर सभी राज्यों में हैं और मैं समझता हूं किसी भी राज्य में जनता को राशन की दुकानों से पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। जो गांवों का गरीब है, अगर वह राशन से केरोसीन तेल जलाने के लिए खरीदना चाहता है तो बाजार में जिस रेट से केरोसीन का तेल मिलता है, उस रेट से उसे खरीदना पड़ता है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गांव में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले गरीबों को केरोसीन तेल नहीं मिलता है। क्या फायदा है उसको राशन की दुकान से ? आप उसे यह ऐक्ट बनाने

के बाद भी फायदा नहीं पहुंचा सके। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 89 तक आपकी सरकार थी और गांवों में रहने वाले, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आप सरकारी रेट पर केरोसीन का तेल नहीं दे सके, केरोसीन तेल ही नहीं, वह गेहूं हो या चावल हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज मैं उम्मीद करता हूं इस देश की 70 करोड़ आबादी में से 35 करोड़ लोगों को आप नहीं दे पाए हैं और आज तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून जो बनाते हैं, उस कानून को लागू करने की कोशिश कीजिए। अगर इंप्लीमेंटेशन करने में किसी तरह की अफसरों के खिलाफ कार्यवाही भी करनी पड़ती है तो मैं समझता हूं कि कारवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

रेलगाड़ियां हैं। रेलगाड़ियां जनता की सुविधा के लिए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई ट्रेन होगी जो समय पर चलती हो। हमारे जैसे आदमी को बिहार से आना पड़ता है और हम लोग जिस ट्रेन से आते हैं वह मगध नाम से प्रसिद्ध है। साल में एक दिन भी वह गाड़ी समय से नहीं चलती है। अगर पटना से समय से चल भी गई तो दिल्ली पहुंचने में उसको एक घंटा लेट होना पड़ता है। अगर दिल्ली से टाइम से चले तो पटना एक घंटा लेट पहुंचती है। साल भर यही हालत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वही गाड़ी, वही असम एक्सप्रेस या दूसरी गाड़ियां जो दिल्ली से पटना या दिल्ली से मद्रास चलती होंगी, तमाम गाड़ियां सदियों से बहुत दिनों से देर से चलती हैं और कोई सुधार उनमें नहीं हो रहा है। और किन-किन चीजों का नाम गिनाऊं। दवा की हालत यही है। एक नम्बर की कम्पनियां भी हैं और दो नम्बर की कम्पनियां भी हैं। दो नम्बर की कम्पनियां अरबों रुपयों की दवा मिलावट करके बेचती हैं। और उन पर किसी तरह की रोकटोक नहीं होती। मालूम होता है कि उनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं हैं। दो नम्बर की दवाओं से रोगियों की हालत खराब हो जाती है, जिस रोगी को दवा खाने से आराम होना चाहिए, वह दवा खाने के बाद अपंग हो जाता है। इस कानून के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाहियों की कोई रोकथाम नहीं है।

टेलीफोन की असुविधा के बारे में कई माननीय सदस्य यहां बोल चुके हैं। दिल्ली में तो टेलीफोन समय से काम करते हैं लेकिन देहातों में टेलीफोन की बहुत दुर्दशा है। लाईनें ही नहीं हैं। यदि कहीं लाईनें हैं भी तो टेलीफोन काम नहीं करते हैं। मैं यहां भोजपुर जिले से आता हूं। आरा और बक्सर के बाद, जो भी उस की ब्रांच हैं, कहीं टेलीफोन काम नहीं करते हैं, चाहे आप जगदीशपुर ब्रांच को देख लीजिए, इटाढ़ी, धनसोही या राजपुर किसी भी ब्रांच को देख लीजिए। तमाम की तमाम एक्सचेंज नाम मात्र की हैं, कहीं टेलीफोन काम नहीं करते। यह स्थिति आज की नहीं है, 1980 से यही स्थिति चली आ रही है। हम लोग कोशिश करके रह जाते हैं। यहां सदन में क्वेश्चन उठाने का प्रयत्न करते हैं परन्तु उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जो संशोधन विधेयक सदन में लाए हैं, उसका उद्देश्य है कि जनता का हित हो सके और इस बिल को लाकर उन्होंने अच्छा काम किया है परन्तु इसमें अभी और संशोधन लाए जाने की आवश्यकता है तभी जनता को व्यापक सुविधायें मिल पायेंगी। आपने इस बिल में जो सुधार लाने की कोशिश की है, वह बहुत कम है। इससे आम लोगों को उतना फायदा नहीं होगा, जितना होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी व्यापक बिल इस सदन में लायें ताकि जनता का अधिक से अधिक फायदा हो सके।

[श्री तेज नारायण सिंह]

जहां तक इसके अन्तर्गत पीठ गठन करने का सवाल है, पंचायत स्तर तक नहीं, गांव स्तर तक उनका गठन किया जाना चाहिए। मात्र एक दो विषय शामिल करना ही पर्याप्त नहीं है, इस बिल के दायरे को और बढ़ाये जाने के आवश्यकता है।

अन्त में, मैं एक मांग बिजली के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। बिजली भी जनता की सुविधा के लिए है। यदि आप बिहार राज्य में जायें या उत्तर प्रदेश में जाकर देखें, दिल्ली में तो बिजली आसानी से उपलब्ध है परन्तु हमारे यहां बिहार में किसान बिजली के लिये तरसता रहता है परन्तु उसे बिजली मिल नहीं पाती। हमें यहां प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध है। इस देश का किसान देहातों में रहता है और किसान खेती पर जिन्दा है परन्तु उन्हें खेतों में सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती। यदि किसानों को अधिक मात्रा में बिजली देने की व्यवस्था कर दी जाये तो जहां हमारा उत्पादन बढ़ सकता है वहीं हमारे किसान खुशहाल होंगे और किसानों की, गरीबों की स्थिति में सुधार आयेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि आप व्यापक संशोधनों के साथ एक नया बिल लेकर आयें जिससे कि इस देश की जनता का अधिक से अधिक हित हो सके। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं इस बिल का अंशतः समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है जिसे 15 जून 1991 को प्रख्यापित किया गया था। क्या वह एक उचित दिन था? वास्तव में जब इसे प्रख्यापित किया गया था हम चुनावों में व्यस्त थे। क्या 15 जून को ही इस अध्यादेश को प्रख्यापित करना जरूरी था? मेरे विचार से मन्त्री जी को इस सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

वास्तव में, सारा कानून केवल कागजों पर ही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हर स्थान पर जिला मंच बनाए गए हैं। कम से कम उन्हें आंकड़े तो बताने चाहिए कि इस समय वास्तव में कितने जिला मंच हैं जो कि कार्यरत हैं?

मन्त्री महोदय किसी निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए तीन न्यायाधीशों के स्थान पर एक अधिष्ठाता न्यायाधीश तथा एक और न्यायाधीश को नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं। आप एक न्यायाधीश को निकाल सकते हैं परन्तु इससे काम नहीं चलेगा। यदि कोई एक न्यायाधीश अथवा दो न्यायाधीश अवकाश पर होते हैं तो उस स्थिति में कार्य रुक जायेगा। आज हर जगह यही स्थिति है। अतएव मेरा यह सुझाव है कि एक पैनल बनाया जाना चाहिए जिसमें दो और न्यायाधीश हों ताकि यदि एक न्यायाधीश अवकाश पर जाये तो पैनल में से दूसरे न्यायाधीश को उसका कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सके। क्योंकि इस समय न्यायालयों में स्थिति अत्यन्त खराब है। यदि पैनल बनाया जाता तो कम से कम आप पैनल में से नियुक्त किये गये न्यायाधीश की सहायता से कुछ कार्य तो कर सकते हैं।

इस विधेयक के माध्यम से एक और अधिकार दिया जाना चाहिए तथा उसके लिए माननीय मन्त्री जी को प्रयास करना चाहिए। नुकसान हुई वस्तुओं के मामले में न्यायालों को स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की ओर से कोई

दूसरा व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी वस्तु की क्षति हुई उस स्थिति में कोई भी अदालत में नहीं जा सकता है तथा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता। यही इस कानून में त्रुटि है तथा मेरे विचार से जब आप कोई व्यापक विधेयक लायें, तो आपको नुकसान हुई वस्तुओं के लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि जनता के हितों की रक्षा की जा सके। उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

आपने विधेयक में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा एक जिला उपभोक्ता मंच बनाया जायेगा। शब्द 'एक' से एक समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समय दिल्ली में एक जिला मंच है। एक करोड़ व्यक्तियों के लिए क्या केवल एक ही जिला मंच होना न्यायोचित है ? हमने बताया है कि नब्बे दिन के अन्दर कोई निर्णय दिया जाना चाहिए। क्या यह उचित है ? क्योंकि आज तक दिल्ली में उपभोक्ता मंच के समक्ष 4,000 मामले हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए एक नया संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमे कि कि कम से कम सात पुलिस स्टेशनों के लिए सात न्यायालय होने चाहिए। केवल तभी ही वे उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार कार्य कर सकते हैं तथा आप जो चाहते हैं आपको परिणाम मिल जायेंगे। अब तक दो वर्षों के मामले लम्बित पड़े हुए हैं। न्यायाधीश भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। कोई पैनल नहीं है। यदि एक करोड़ व्यक्तियों के लिए भी केवल एक ही जिला मंच है, तब भी शब्द 'एक' से अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं।

अत: मेरा सुझाव है कि इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक लाया जाये। केवल तभी हम इसका समर्थन कर सकते हैं। जैसा कि आज भी मैं यह महसूस करता हूं कि 15 जून को ही उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसकी जल्दबाजी में घोषणा की गई।

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त बोलेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, इस देश में कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए हैं और बहुत सारे कानून बनाए हैं जिससे देश के लोगों को सुविधाएं मिलें।

उपभोक्ताओं के लिए यह जो कानून है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है और खासकर के देश के विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले जो गरीब वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको अपने अधिकार के बारे में और सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा लक्ष्य इस विधेयक के अन्दर है। हालांकि यह जो संविधान में संशोधन करने वाला विधायक है, इसके अन्दर बहुत कम प्रावधान हैं। इसके अन्दर जो कई बातें कही गयी हैं, लोक सभा जब सेशन में नहीं थी और राज्य सभा भी जब सेशन में नहीं थी, उस समय आर्डिनेंस के जरिये कुछ व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए इस आर्डिनेंस को निकाला गया था और आज उसी को कानून का रूप देने के लिए यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है।

जहां तक इसके उद्देश्यों का सवाल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं कि इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात सभापति जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अन्दर सबसे ज्यादा जो कंजूमर को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, वह राज्य

[श्री मनोरंजन भक्त]

सरकार और केन्द्र सरकार के पास जो विषय हैं, उनसे होती है। जैसे इलैक्ट्रिसिटी की बात है, या टेली-फोन की बात कहिए, या गैस कनैक्शन की बात कहिए, खाना पकाने की गैस की जरूरत होती है, इनके बारे में सबसे ज्यादा दिक्कत है। उपभोक्ताओं को इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिल सके।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीफोन की वजह से, आज जो संसद सदस्य हैं, हमारे यहां पार्लियामेंट हाउस सनेक्सी में टेलीफोन विभाग के लायजन आफिसर हैं उनके पास दो-चार बार जाने के बावजूद भी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है जिनके पास कोई इन-फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीनल एक्शन नहीं है, प्रोपर पब्लिसिटी देशभर में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फोरम बना देने से उपभोक्ता को क्या फायदा मिल सकता है। जो लायजन आफिसर टेलीफोन हैं, उनके पास एक एम० पी० के दस बार जाने के बाद भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी जगह कोई टेली-फोन बन्द पड़ा है और 4-5000 का बिल आता है और बोलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आप बताइए किस तरह से होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर सही ढंग से कोई कदम उठाना है तो इस सदन में कनसैन्सस निकालकर कम्प्रीहैनसिव बिल लाना पड़ेगा जिससे खासकर गांवों में रहने वाले उपभोक्ता, जिनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, दुकान-दार से लेकर इलैक्ट्रिसिटी विभाग में जाने से कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, उनको लाभ मिल सके। ऊर्जा मन्त्री जी इधर बैठे हैं, उनको पूरी बात मालूम है कि किस तरह से व्यवहार होता है, हालांकि उनका विषय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इस काम को उपभोक्ता को देने का काम करते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं, जैसाकि पाणिग्रही जी ने बताया कि सही आदमी को इस कंज्यूमर फोरम में लाना होगा जिससे सही कदम उठा सकते है। जब आप कम्प्रीहैनसिव बिल लाएंगे उसमें पीनल एक्शन का भी इन्तजाम किया जाए जिससे डर रहेगा और कार्य सही ढंग से हो सकेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंडमान आईलैंड, लक्षद्वीप जो छोटे-छोटे ऐरिया हैं, आपने कभी पता किया कि उधर कंज्यूमर फोरम बना है या नहीं बना है, उधर किस तरह काम होता है। दूरदराज आईलैंड में, द्वीप में रहने वाले लोगों को जिन्हें 40 रुपये का माल 80 रुपये में मिलता है, उन्हें किस प्रकार से सहायता मिलेगी इस बात को भी देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी कम्प्रीहैनसिव बिल लाएं जिससे कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मकसद पूरा हो सके।

[अनुवाद]

*श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का आशय उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में संशोधन करना है। माननीय मंत्री जी के इस सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मंत्री जी के इरादे की प्रशंसा करता हूं। वास्तव में अधिकांश विधानों को जनता के हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। उन सभी को सभा में पारित किया गया है। परंतु निहित स्वार्थी लोगों का दल चाहे वे सरकारी अधिकारी हों, राजनीतिज्ञ हों अथवा आम जनता हो,

* मूलत: उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद या हिन्दी रूपांतर।

वे उन सभी आदर्श विधानो को कार्यान्वित नहीं करते हैं। वे हर स्तर पर कोई न कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप, निर्धन व्यक्ति जिन्हें इन केन्द्रीय अधिनियमों से लाभ मिलना चाहिए, उन्हें कोइ लाभ नहीं मिलता। इसके लिए कोई भी नहीं है जो यह देखे कि वास्तव में उन अधिनियमों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं।

खैर, मुझे प्रसन्नता है कि मूल विधेयक में खामी को दूर करने के लिए सभा के समक्ष एक संशोधनकारी विधेयक लाया गया है। जैसाकि मंत्री जी ने बताया है, संशोधन के पश्चात वर्तमान विधेयक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में काफी सहायक सिद्ध होगा।

महोदय, इस विधेयक पर बोलते समय कई माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत दिये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उड़ीसा से एक माननीय मंत्री जो श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ने तो यहां तक कह दिया कि उड़ीसा में विधायकों ने उस राज्य मे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधायकों को भ्रष्टाचार किसने सिखाया? उड़ीसा मे कांग्रेस दल तथा उसी का ही प्रशासन था जो कि कई वर्षों तक सत्ता मे रहा है। यह कांग्रेस ही है जिसने अपने विधायकों अथवा कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करना सिखाया। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के लिए वे ही जिम्मेदार है। कांग्रेस दल की फुटकर विक्रेताओं, भंडारण, एजेंटों, सरकारी सेवा में नियुक्ति के मामले में, बसों मे लाइसेंस लेने में तथा फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को चीनी तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने के मामले में भ्रष्टाचार लायी है। महोदय, उड़ीसा में जनजातीय क्षेत्रों म स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उड़ीसा में कुल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों मे पचास प्रतिशत से भी अधिक निर्धन है तथा राज्य में कुल जनसंख्या पचहत्तर प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। महोदय, इसी लिए मेरी यह मांग है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यधिक कारगर बनायेंगी। वे गांव स्तर पर योजनायें बनाएंगी। वे जिला स्तर पर नीतियां लागू करेंगे। गांवों के निर्धन व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनायें बनाई जायेंगी। योजनाओं को अत्यधिक ईमानदारी लागू किया जाएगा। हर मामला केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं होना चाहिए। यदि राज्य सरकार योजनाओं को क्रियान्वित करेगी, तो जनता को इसका लाभ मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि कानून में खराबी है। वे हमेशा ही अच्छे होते हैं। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, इसका समर्थन करने वाला मैं अत्यधिक भाग्यशाली व्यक्ति होऊंगा। परन्तु अब मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं स्वतन्त्र भारत के प्रारम्भ से ही यह जानता हूं। हमारे अधिकारी, मंत्री तथा हमारी सरकार कई बार जनता का कल्याण करना ही नहीं चाहती। यहां तक कि एक माननीय सदस्य ने भी मेरे समक्ष अपनी दुर्दशा का जिक्र किया था। मैं कुछ सदस्यों का उदाहरण आपको क्यों दूं? आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पानी की आपूर्ति कितनी अपर्याप्त है तथा कितनी अधिक बार बिजली जाती है। वहां पर टेलीफोन हमेशा काम नहीं करते। जब सरकार चाहती है कि पंचायत के मुख्यालयों पर टेलीफोन लगा दिए गए हैं, संसद सदस्यों को दिए गए टेलीफोन ठीक से कार्य नहीं करते। आप गांवों का ही मामला लें। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ उदाहरण दे रहा हूं। महोदय, आपने गांवों के लिए

[श्री गोबिन्द चन्द्र मुन्डा]

बिजली की व्यवस्था की है। परन्तु यह खेदजनक है कि कहां पर अक्सर ही बिजली बार-बार जाती है, माताओं, गृहिणियों के खाना पकाने के समय अक्सर बिजली गायब रहती है। अतएव आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण ने किस प्रकार से ग्रामीण जनता की मदद की है। जब बिजली का बिल भेजा जाता है तो आप देखेंगे कि उसे कितना बढ़ा-चढ़ाकर बिल भेजा जाता है। वास्तव में, गलत बिल बन जाने के कारण उपभोक्ता ज्यादा राशि का भुगतान कर रहे है तथा इस प्रकार से काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। टेलीफोन की भी ऐसी ही स्थिति है। कोई भी यह देखने जानने का कष्ट नहीं करता कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लगाये गये टेलीफोन ठीक से कार्य कर रहे है अथवा नहीं। परन्तु प्रत्येक वर्ष टेलीफोन का बिल बढ़ता ही जा रहा है। उपभोक्ताओं को टेलीफोन का बिल नियमित रूप से भेजा जाता है।

महोदय, बस सेवा का मामला ही लीजिए। इस समय और अधिक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर वर्ष बसों के किराये बढ़ा रहे हैं। क्या आप प्रत्येक बस यात्री की सुविधा का ख्याल कर रहे हैं। बसें समय से अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंच रही है। रास्ते में ही बहुधा बसें खराब हो जाती है। बसों की स्थिति काफी दयनीय है। ये केवल बसों से यात्रा करने वाले व्यक्ति ही हैं जिन्हें इन सभी अव्यवस्थाओं के कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कानून बना रहे हैं। परन्तु जिनके लिए आप अधिनियम बना रहे हैं उनसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। ऐसा करने से पहले आपको उन मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों से सलाह-मशवरा करना चाहिए। मेरा अभिप्राय ग्रामीण व्यक्तियों से है। आपको पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर तथा जिला स्तर पर बैठकें करनी चाहिए। आपको लोगों की वास्तविक समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके पश्चात् ही अधिनियम बनाने के लिए इसे संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए। इस सबको करने में आप जनता तक सामान भी पहुंचा सकेंगे, केवल तभी ही सभी अधिनियमों का अच्छा परिणाम निकलेगा।

अब हमारी जनता के रवैये को ही लें। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे सार्वजनिक सेवाओं तथा विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं के प्रति लोगों के रवैये को बदला जाना चाहिए। हमारे मंत्रियों को जनता के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को यह भी देखना चाहिए कि उपभोक्ताओं के प्रति अन्याय न हो तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाए। यदि वे ऐसा करें तो मिट्टी के तेल, चावल, नमक तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट को काफी हद तक रोका जा सकता है तथा उपभोक्ता सुख तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को चुनौती देता हूं कि उन्होंने ही अधिकारियों को रिश्वत लेना सिखाया है। कांग्रेसी मंत्रियों ने अधिकारियों तथा प्रशासन को भ्रष्ट बनाया है। इस प्रकार हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्ट लोगों को देखते है। अतएव यदि आप सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में आपको काफी ईमानदारी से कार्य करना होगा। केवल तभी हमारे देश में कुछ विकास हो सकता है। अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह राज्यों को स्वायतत्ता प्रदान करें।

राज्यों को स्वायतत्ता प्रदान करने के लिए एक विधेयक अविलम्ब लाया जाना चाहिए जो बहुत

हद तक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया व्यापक विधेयक है और यह अध्यादेश का स्थान लेगा। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि 15 जून को यह अध्यादेश क्यों लाया गया ? मैं केवल यही कह सकता हूं राष्ट्रीय शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश इराडी द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि फोरम के सभी सदस्यों को निर्णय पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसी कारण इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी। यदि फोरम का एक भी सदस्य निर्णय पर अपना हस्ताक्षर नहीं करता है तो उक्त निर्णय अप्रभावी हो जाएगा। इसलिए इस आधार पर और मारुति उद्योग के मुकद्दमें के सम्बन्ध में एक निर्णय दिया गया। यह अध्यादेश नहीं लाया जाता तो दिल्ली जिला फोरम द्वारा करीब 1579 मामलों में दिये गये निर्णय तथा महाराष्ट्र राज्य आयोग द्वारा 125 मामलों में दिये गये निर्णय और महाराष्ट्र की जिला फोरम द्वारा दिये गये 1622 मामलों के निर्णय अप्रभावी हो जाते। केवल इस स्थिति से बचने के लिये सरकार को इस अध्यादेश को लाने के लिये मजबूर होना पड़ा।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि हम गत 21 तारीख को ही सत्ता में आए हैं। पिछली सरकार ही इस अध्यादेश को लायी थी ताकि उस स्थिति को टाला जा सके और पूरी तत्परता के साथ हम उस अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाने का प्रयास कर रहे है।

यद्यपि यह विधेयक बहुत प्रक्रिया तक है तथापि इस पर चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और उन्होने उपभोक्ताओं के हितों के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं वास्तव में इस चर्चा में भाग लेने तथा उनके बहुमूल्य सुझावों के लिये उनके प्रति आभारी हूं।

चर्चा के क्रम में जो विचार सामने आया वह जिला फोरम के गठन के सम्बन्ध में है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सभी जिला फोरमों का गठन नहीं हो सका है। भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों को यह बताया है कि वह अपने राज्यों में जिला फोरमों का गठन करे। कई राज्यों में जिला फोरमों का गठन किया गया है। लेकिन कई राज्यों में बहुत ही कम जिला फोरमों का गठन हुआ है। हम केवल इतना ही कह सकते है कि हम पुन: राज्यों को कहेंगे, प्रयास करेंगे और उन पर दबाव डालेगे कि यथाशीघ्र वे फोरमों का गठन करें।

श्री मनोरंजन भक्त : संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार आपकी देख-रेख में है और आप उस संघ क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : हम देखेंगे। मेरे विचार से अंडमान निकोबार में एक फोरम है। जो भी हो, 325 जिला फोरम अभी है। इसके अतिरिक्त और भी जिला फोरमों का गठन किया जाएगा और इसे कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय : आपने अंडमान निकोबार के सम्बन्ध में तो कहा लक्षद्वीप के सम्बन्ध क्या विचार है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : हां, लक्ष्य द्वीप भी इसमें भी शामिल है। एक उचित शिकायत राज्यों के द्वारा इस फोरम के सदस्यों के चुने जाने के सम्बन्ध में भी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हैं। जिला फोरम और राज्य फोरम के लिए सदस्यों के नामांकन की योग्यता का उल्लेख किया हुआ है। वे लोग जिन्हें अर्थशास्त्र विधि, समाज सेवा का ज्ञान हो, राज्य सरकार द्वारा नामांकित किये जाने योग्य है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उत्तर प्रदेश में जो जिला उपभोक्ता समितियां गठित की गई हैं, उसमें जिला न्यायाधीश और जी० आई० सी० और जी० जी० आई० सी० के प्रिंसिपल्स को रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर काम का भार बहुत अधिक रहता है। जी० आई० सी० तथा जी० जी० आई० सी० के प्रिंसीपल के ऊपर भी काम का भार बहुत अधिक है इसका परिणाम यह होता है कि यह लोग कभी भी नियमित रूप से काम का समय नहीं दे पाते। अपने यहां बैठते हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय भी नहीं होता है। इसके लिए अलग से कोई कर्मचारी नहीं दिये जाते हैं, नतीजा यह होता है कि फैसले नहीं हो पाते हैं जो इस तरह के व्यस्त अधिकारियों के साथ उपभोक्ता फोरम गठित करने का कोई मतलब नहीं है। जिला उपभोक्ता फोरम में इस तरह के लोगों को रखा जाए, जो कानून जानते हों, जन समस्याओं से जुड़े हों और उसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को समय भी दे सकते हों। उनकी समस्याओं को सुन सकें और उन पर जल्दी निर्णय दे सकें। जो भी उपभोक्ता समस्या लेकर आए, उनको पूरी तरह से फोरम को सुनवाई करनी चाहिए तथा अतिशीघ्र निर्णय देने का भी काम करना चाहिए। केवल उपभोक्ता फोरम गठित कर देने से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं यही कह रहा था, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो हैं, राज्य सरकार उनके लिए जिम्मेदार है। जैसा ऐक्ट में कहा गया है, जैसी कि हिदायत दी गई है, उसी तरीके से उसको वे अगर फालो-अप करते हैं, उस लिहाज से एप्वाइंट करते हैं तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं आती है। अब रह गई बात, उनको प्रापर स्टाफ देने की बात है, प्रापर सुविधायें देने वाली बात है, वह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं, उनको चाहिए कि वे कदम उठायें और उसमें प्रिस्क्राइब भी किया गया है। यह भी बताया गया है कि कितना स्टाफ फोरम के लिए होगा, लेकिन अगर वे कार्य कर नहीं पाए हैं, तो उस तरफ उनका ध्यान दिलाया जा सकता है। उसमें अगर कोई खामी है, कोई डिफैक्ट है, कोई इनसफ़िशिएंसी है, तो उसको पूरा करने की कोशिश की जा सकती है।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : स्वतन्त्रता के चालीस से भी अधिक वर्षों के बाद भी आप यह नहीं समझ पाए हैं कि इसे लागू करने में कहां-कहां खामियां और दोष हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि यह कानून 1986 का है।

[हिन्दी]

पांच साल हुए हैं, बहुत रिसेंट लैजिसलेशन है। इसकी अमलदरामद और कारकरदगी में क्या-

क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या-क्या मुश्किलात आ रही हैं, इन सारी चीजों की जांच हो रही है।

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, इस बारे में उत्तर प्रदेश में नियम बना दिया गया है। जिला न्यायाधीश और सरकारी बायज एंड गर्ल्स कालेजेज के प्रिंसिपल्स को इस कमेटी में रखा जायेगा। लेकिन ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां पर इस तरह के विद्यालय नहीं हैं, इसलिए वहां पर इन समितियों का गठन नहीं हो पाया है। आपने कहा है कि इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्य आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दे दिया है। इस दिशा में स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, यह भी देखना केन्द्रीय सरकार का फर्ज है। अत: हमारा सुझाव है कि तमाम खामियों को तुरन्त दूर किया जाए और उपभोक्ताओं को भ्रम में न रखा जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिला न्यायाधीश इतना व्यस्त अधिकारी है कि वह चाहकर भी उपभोक्ताओं को अधिक समय नहीं दे सकता है। इसको आप देखें, ताकि इस पर कुछ काम हो सके।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के मुख्य मंत्री का और उनके कन्सन्ड मंत्री जो हैं, उनको···

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : हमने जो भी सुझाव दिए हैं आप कृपया उन पर विचार करें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं देखूंगा। महोदय, दूसरी बात जो चर्चा के दौरान सामने आई है वह यह है कि इस अधिनियम का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और इसके अन्तर्गत......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, आपने साढ़े छ: बजे तक का सदन का समय बढ़ाया है। बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और मुझे भी आपका उत्तर देना है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर, क्यों देना है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं उत्तर क्यों नहीं दूंगा।

सभापति महोदय (श्री पी० एम० सईद) : कल के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने काफी बिजनेस रखा है, इसलिए हमने सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, मैं समझता हूं कि आपको दस मिनट समय बढ़ाना होगा ताकि माननीय मंत्री अपनी बात पूरी कर सकें।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि दस मिनट समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मैं आशा करता हूं कि अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् माननीय सदस्यों को मुझ से पूछने के लिए कुछ अधिक नहीं रहेगा।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप कृपया उन्हीं बातों का उत्तर दें जिन्हें यहां उठाया गया है। यदि प्रश्न काल शुरू हो जाए तो आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाएंगे।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल वस्तुएं ही नहीं आती बल्कि सेवाएं भी इसके अन्तर्गत हैं और इसमें कोई छूट नहीं है। इसके अन्तर्गत टेलीफोन सेवाएं, रेल सेवाएं और यातायात सेवाएं भी शामिल हैं। इस कानून के तहत दोषपूर्ण सेवाओं और वस्तुओं के मामलों की भी जांच पड़ताल की जा सकती है। इसलिए इस दृष्टि से इस कानून में कोई खामी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह कानून स्वतः ही क्षतिपूरक है। इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा दिलवाने के लिए —आवश्यक वस्तु अधिनियम, कालाबाजारी अधिनियम, अपमिश्रण अधिनियम और दंड संहिता तथा कई अन्य प्रावधान हैं। इन कानूनों के तहत दोषी को सजा दिलवाई जा सकती है। यह केवल क्षतिपूर्ति करने वाला प्रावधान है। मैं कई माननीय सदस्यों की भावना से सहमत हूं जिन्होंने अन्तरिम राहत के प्रावधान, के लिए कहा है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं उनका आभारी हूं। हम इस पर ध्यान देंगे और यह प्रावधान करने का प्रयास करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह संशोधन पर्याप्त नहीं है। पूरे अधिनियम के लिए हमें एक विस्तृत संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के नागरिक आपूर्ति मंत्री जो उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों के मंत्री भी है की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। वे मामले की जांच कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगले माह उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक बैठक होने जा रही है। मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूं। जो सुझाव दिए गए हैं उसके अलावा और भी सुझाव हमारे पास भेजे जा सकते हैं। हम निश्चय ही यह प्रयास करेंगे कि यह कानून पूरी तरह प्रभावी हो और लागू और विगत पांच वर्षों के दौरान इसके कार्यकरण के दौरान जो भी खामियां सामने आई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। वे सभी आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे जो इस अधिनियम के ठीक से लागू होने के लिए आवश्यक हैं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस अच्छे इरादे से राजीव सरकार ने यह विधेयक पेश किया था उसका पालन किया जाएगा और हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उनकी तथा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी प्रयास करेंगे।

अन्त में, मैं श्री भार्गव जी से यह अनुरोध करता हूं कि अब मैं संशोधन और हमें अब तक जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर एक विस्तृत विधेयक लाने के लिए हम सहमत हूं इसलिए वह अब अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारे अधिकांश लोग गरीब हैं। वे अशिक्षित भी है। गरीबी और निरक्षता हमारे समाज में साथ-साथ हैं। हम उन्हें किस प्रकार एकत्र कर सकते हैं कि वह भी समाज में कुछ भूमिका निभा सके। यह प्रश्न उठाया गया है कि इस प्रकार की समस्या के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? (व्यवधान) मुझे समर्थन मिल रहा है:—(व्यवधान)

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम) : मैं भी सदस्य हूं, मेरा भी अधिकार है। (व्यवधान) आप अध्यक्ष महोदय नहीं हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : किसी भी कानूनी प्रावधान का सही प्रकार से कार्यान्वियन जन-चेतना पर निर्भर करेगा। यह विधेयक विशेष तो इससे सम्बन्धित है क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपये शामिल हैं। हमें अपने समाज में चेतना लानी है और उसके लिए स्वैच्छिक अधिकरणों, सरकार, राज्य सरकारों, पंचायती राज निकायों, गैर-सरकारी संगठनों को प्रयास करने होंगे ताकि इस अधिनियम के पूर्ण लाभ मिल सके। माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाए हैं अब उनका उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक अलग मामला है क्योंकि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है यह प्रश्न कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं को शामिल किया जाएं, एक अलग विषय है। अब केवल छह वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हैं, हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और वस्तुएं शामिल कर लें। यदि राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्य वस्तुएं शामिल करना चाहती हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। केन्द्र सरकार उसमें और वस्तुएं शामिल करें अथवा नहीं, उसके लिए हम एक पूर्ण और विस्तृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना बना रहे हैं जो शीघ्र ही सभा के समक्ष पेश की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, कुछ बातों का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है, वे बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात यह है कि राज्य सरकारें इन अदालतों का खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र में एक कोष स्थापित किया जाए, जिसकी सहायता से इन अदालतों का खर्च चलाया जाए। मेरे खयाल से एक करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च नहीं होगा। जब हम करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं तो यदि जनता को सहूलियत मिलती है तो उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के लिए एक करोड़ का प्रावधान अवश्य करना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह भी तय होना चाहिए कि परिषद की कितनी मीटिंग्स होंगी। एक महीने में एक मीटिंग होगी या तीन महीने में एक मीटिंग होगी, यह तय होना चाहिए। इसी तरह से मीटिंग में भाग लेने के लिए आएंगे, उनके भत्ते पर भी विचार किया जाना चाहिए और उसका उल्लेख इसमें करना चाहिए। इसी तरह से मिटिंग में परिषद को प्रस्ताव पास करने का तो अधिकार है, लेकिन उस प्रस्ताव को एक्जीक्यूट करने के पावर्स उसके पास नहीं हैं। यदि ये पावर्स नहीं दिए जाएंगे तो खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके स्वरूप को बदला जाये और 3 महीने वाली बात हटाई जाये। मासिक या पाक्षिक जो भी मीटिंग्स हों, उनमें जो भी प्रस्ताव पारित किये जाएं, उनको कार्यान्वियत करवाने के पावर्स भी इनके पास होने चाहिए।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाओं के निरीक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए । राष्ट्रीय आयोग की तरफ से यह व्यवस्था की जानी चाहिए और की गई कार्यवाहियों का निरीक्षण करना चाहिए।

इसी तरह से पूर्व वक्ता महोदय बता रहे थे, मैं भी उसी बात पर जोर देना चाहता हूं कि इनका उचित प्रचार-प्रसार होना चाहिए। आम जनता, जिनके लाभ के लिए यह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जनता को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी कई संसद-सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं है, यदि आप यह कानून न लाते तो कई संसद-सदस्यों को भी पता नहीं चल पाता कि इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है । जो लोग गांवों में रहते हैं, शहरों के कोने में रहते हैं, उन तक सारी बात पहुंचाने के लिए उचित प्रचार-प्रसार किया जाना बहुत जरूरी है ।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हैडक्वार्टर बना दिया गया है और हैडक्वार्टर में 5-6 जिले नीचे दे दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि मंत्री महोदय ईमानदारी से गरीब जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो पंचायत-स्तर तक इस व्यवस्था को ले जाना होगा। मालदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे तो एक रुपए के स्थान पर 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो गन्दी बस्तियों में लोग रहते हैं, गांवों में रहते हैं, उनको हमें लाभ पहुंचाना है। यही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है और गरीबों का नाम तो हर पार्टी लेती है, सभी कहते हैं कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, इसलिये हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए और इस व्यवस्था को पंचायत-स्तर पर लाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय, राज्य, जिला, शहर और गांव इन सबका समन्वय करना चाहिए, आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

एक निवेदन और है कि राष्ट्रीय परिषद में जो स्थान रिक्त हैं, उनको भरने की भी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

इसी तरह से केसों का निपटारा भी शीघ्र करवाया जाना चाहिए और अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसका स्कोप बहुत कम रखा गया है। रेलवे और परिवहन वाली बात इसमें लिखी हुई है, मगर अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों की आज क्या दशा है, आज आप किसी अस्पताल में चले जाइए, बिना पैसा दिए वहां पर बिस्तर नहीं मिलेगा, बिना पैसे दिये पंखे के नीचे बिस्तर नहीं मिलेगा, दवाईयों की तो बात ही और है। इसी प्रकार से हाउसिंग-बोर्ड, टेलीफोन विभाग, बिजली विभाग सब से जनता दुखी है । मन्त्री जी के यहां भी बिजली का फ्लक्चुएशन होता होगा, कभी उनके फ्रिज का ट्रांस्फारमर भी खराब हो जाये तो वे हमारी बात को ठीक कहेंगे । बिल तो पायलट कर दिया जाता है, लेकिन उसका लाभ जनता को कितना मिलता है, इसको देखना चाहिये। बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, रेलवे विभाग, वायुयान विभाग, इनसे लोग बहुत दुखी हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन को 4 बजे जाने वाली फ्लाईट रात के दो बजे जाती है। ऐसे समय में एरोड्रम पहुंचा हुआ आदमी सोचता हैं कि यदि बस से जाते तो 1 बजे तक जयपुर पहुंच जाते, लेकिन अब दो बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके स्कोप को आप बढ़ाने की कृपा करें।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर मंत्री महोदय इन पर विचार करें। यह बात नहीं होनी चाहिए कि बी०जे०पी० के मेंबर ने कुछ बातें कही हैं, इसलिए वे सब गलत हैं और इनकी पार्टी का कोई सदस्य बुरी बात भी कह दे तो उसको महत्व दिया जाए। इसलिए मेरे सुझावों को मानने का मंत्री महोदय कष्ट करें। उस बात को आप मानने को तैयार हो जाएं, हमारी बात को भी आप स्वीकार करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि रचनात्मक सुझाव हम दे दें और जैसे पार्लियामेंट का स्वरूप बना हुआ है गोलाकार में, बढ़िया से बढ़िया इस संसद भवन में कह लो, लेकिन इसका जैसा आकार बना हुआ है "जीरो" उसी प्रकार से मैं बढ़िया बात कहूं और उसका परिणाम जीरो हो। मैं समझता हूं जीरो परिणाम संसद के आकार से अनुरूप नहीं होगा। निश्चित रूप से आप इन सारे सुझावों पर अमल करेंगे। यह प्रार्थना करते हुए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो आपने कष्ट दिया, मैंने जो प्रस्ताव रखा, महामहिम राष्ट्रपति को आप वृद्धावस्था में अध्यादेश निकलवा कर कष्ट न दिया करें, उनकी कम से कम उम्र का तो ख्याल करें, इस अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा था, आप स्वयं बिल सदन में ला सकते थे, यही बात कहते हुये राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश निकाला है उसको निरस्त करने का जो प्रस्ताव मैंने रखा है, सदन यदि मुझे अनुमति दे देगा तो मैं सहर्ष उस प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों को मानेंगे और जीरो परिणाम नहीं होगा, रचनात्मक सुझावों को मानेंगे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं पूरे सुझावों को मानूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापिस लेने के पक्ष में है ?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मैं सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि विधेयक के उपबंधों को ठीक प्रकार से नहीं बताया गया है। उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार से उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक तंत्र है। लेकिन सामाजिक प्रणाली में भ्रष्टाचार इस प्रकार व्याप्त हो चुका है कि शिकायत निवारण के उपाय कभीभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्ध अच्छे हों लेकिन केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र के बीच सम्बन्ध बेहतर बनाने के लिए सरकारिया आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का पालन नहीं कर रहा है।

अतः विधेयक पारित करने के अन्तिम चरण में मैं यह चाहता हूं कि सरकार को केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने पर विचार करना चाहिये।

सरकार की उपलब्धियों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये तंत्र होना चाहिए। बिना समीक्षा किये भविष्य में उचित कदम नहीं उठाये जा सकते हैं। चूंकि सरकार ने पहले ही विस्तृत विधायी उपाय करने का वायदा किया है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं अपने कोई सुझाव नहीं रख रहा हूं।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि हर समय कीमतें बदलती रहती हैं इसलिए उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं मिल पाता है। गांवों में गरीब जनता को जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्हें यह नहीं पता होता है कि एक मद विशेष की सरकार में क्या कीमत निर्धारित की है।

एक माननीय सदस्य ने उपभोक्ता संरक्षण मंच में सदस्यों के नामांकन की बात कही है जो पहले से ही कुछ राज्यों में कार्य कर रहा है। मन्च में नामित सदस्य उच्च स्थिति के नहीं होने चाहिये जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं और बैठक के लिये समय नहीं निकाल सकते हैं। वह ग्राम स्तर आम आदमी होना चाहिये। इसीलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि प्रत्येक पंचायत के प्रमुखों का चेयरमैन उपभोक्ता संरक्षण मन्च का सदस्य होना चाहिये।

सरकारिया आयोग ने 14 आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख किया है जिनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाना चाहिये। यदि केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध मधुर नहीं हैं तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये प्रभावी रूप से कार्य करना कठिन होगा। हमें हर समय केन्द्र और राज्य के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। मीडिया सूचना केन्द्र को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।

मैंने अपने यह सुझाव सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने इन मुद्दों का पहले ही उत्तर दे दिया है :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा कल पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.53 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 अगस्त, 1991/ 22 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53